खण्ड–35, अंक–03
सोमवार, 19 अग्रहायण, शक संवत्, 1934
(10 दिसम्बर, 2012 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा
की
कार्यवाही

—: D :—

(अधिकृत विवरण)
(द्वितीय विधान सभा)
(तृतीय सत्र, 2012)

(खण्ड 35 में 07 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2013

मूल्य–

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति..	'क'
नियम–310 के अन्तर्गत दी गई सूचना के विषय पर चर्चा कराये जाने की मांग..	1–4
प्रश्नोत्तर..	5–186
तारांकित प्रश्न को आज पुनः स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन कौशिक, सदस्य, वि0स0 द्वारा व्यवस्था का प्रश्न............	186
नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं	186–187
प्रदेश में रसोई गैस की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना..	187
विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर में मा0 मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा तथा शासनादेश भी जारी करने के उपरान्त गरूड़ पॉलिटेक्निक में महत्वपूर्ण विषय न खोले जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना..	187
जनपद हरिद्वार के नगर निगम क्षेत्र में स्ट्रीट लाइटों की खराब स्थिति को ठीक करने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना..	187–188
विधान सभा क्षेत्र सल्ट में सिंचाई विभाग के बन्दाण गांव में लम्बे समय से सिंचाई योजना पूर्ण करने तथा विकास खण्ड स्याल्दे में वर्षों से बन्द पड़ी पत्थरखोला–तिमली–छियाड़ी नहर की मरम्मत करने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना........................	188
उत्तराखण्ड परिवहन निगम, श्रीनगर में परिवहन निगम का डिपो खुलवाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना..................	188–189
जनपद पौड़ी गढ़वाल के समस्त ग्राम सभाओं एवं क्षेत्र पंचायतों में विकास कार्यों के लिए मिलने वाला बजट अभी तक आवंटित नहीं होने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना................	189
विधान सभा क्षेत्र ज्वालापुर के ग्राम पंचायत खेड़ी तथा शिकोहपुर के ग्राम गांजा मजरा, घेर गऊशाला, टोडा हसनगढ़ व झीबरेड़ी में रजवाहा नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना..	189–190
श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा अतारांकित प्रश्न संख्या–30 पर सल्ट में विद्युतीकरण से छूटे तोकों में विद्युतीकरण न किये जाने के सम्बन्ध में तथा श्री मदन कौशिक, सदस्य विधान सभा द्वारा गन्ना मूल्य की घोषणा सदन के बाहर न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न..............................	191–194

नियम–310 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं के विषयों पर चर्चा कराये जाने की मांग (क्रमागत)............	194–197
शिक्षा मित्रों पर हुए पुलिस द्वारा लाठी चार्ज के सम्बन्ध में नियम–310 के अन्तर्गत चर्चा कराये जाने की मांग............	198–201
शिक्षा मित्रों पर हुए पुलिस द्वारा लाठी चार्ज के सम्बन्ध में संसदीय कार्य मंत्री द्वारा न्यायिक जांच कराने के आदेश............	201
नियम–310 के अन्तर्गत दी गई सूचना के विषय पर चर्चा कराये जाने की मांग (क्रमागत)............	201–202
विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर, जिला पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड द्वारीखाल के स्थान सिलोगी में कृषि महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में याचिका...........(उपस्थापित)............	202
विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर, जिला पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत निर्माणाधीन नीलकंठ गरूड़चट्टी मोटर मार्ग एवं मोटर पुल के निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में याचिका...........(उपस्थापित)........	202
विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर, जिला पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत स्वर्गाश्रम जोंक के स्थान वेद निकेतन में हल्का वाहन पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका...........(उपस्थापित)............	202–203
हिमालयन विश्वविद्यालय विधेयक, 2012 (पुरःस्थापित)............	203
आई0एम0एस0 यूनिसन विश्वविद्यालय विधेयक, 2012 (पुरःस्थापित)............	203
उत्तरांचल विश्वविद्यालय विधेयक, 2012 (पुरःस्थापित)............	204
डी0आई0टी0 विश्वविद्यालय विधेयक, 2012 (पुरःस्थापित)............	204
ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 (पुरःस्थापित)............	204–206
उत्तराखण्ड राज्य एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन विधेयक, 2012 (पुरःस्थापित)............	206
उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जल उपयोग कर विधेयक, 2012 (पुरःस्थापित)............	206–207
उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण विधेयक, 2012 (पुरःस्थापित).....	207
उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2012 (पुरःस्थापित)............	207–208
विविध राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 (पुरःस्थापित)........	208
पं0 दीन दयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 (पुरःस्थापित)............	208–209

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं..		209
वित्तीय वर्ष 2012–13 की प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान..		209
अनुदान संख्या–01 विधान सभा..	(स्वीकृत)	209–210
अनुदान संख्या–03 मंत्रि–परिषद्..	(स्वीकृत)	210
अनुदान संख्या–04 न्याय प्रशासन....................................	(स्वीकृत)	210
अनुदान संख्या–05 निर्वाचन..	(स्वीकृत)	211
अनुदान संख्या–06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन............	(स्वीकृत)	211
अनुदान संख्या–07 वित्त, कर, नियोजन एवं अन्य सेवाएं	(स्वीकृत)	212
अनुदान संख्या–08 आबकारी..	(स्वीकृत)	212
अनुदान संख्या–10 पुलिस एवं जेल..................................	(स्वीकृत)	213
अनुदान संख्या–11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति..	(स्वीकृत)	213–214
अनुदान संख्या–12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण..........	(स्वीकृत)	214
अनुदान संख्या–13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास..	(स्वीकृत)	215
अनुदान संख्या–14 सूचना..	(स्वीकृत)	215–216
अनुदान संख्या–15 कल्याण योजनाएं................................	(स्वीकृत)	216
अनुदान संख्या–16 श्रम और रोजगार..............................	(स्वीकृत)	216–217
अनुदान संख्या–17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान..................	(स्वीकृत)	217–218
अनुदान संख्या–18 सहकारिता..	(स्वीकृत)	218
अनुदान संख्या–19 ग्राम्य विकास....................................	(स्वीकृत)	218–219
अनुदान संख्या–20 सिंचाई एवं बाढ़................................	(स्वीकृत)	220
अनुदान संख्या–21 ऊर्जा..	(स्वीकृत)	220–221
अनुदान संख्या–22 लोक निर्माण कार्य............................	(स्वीकृत)	221
अनुदान संख्या–23 उद्योग..	(स्वीकृत)	221–222
अनुदान संख्या–24 परिवहन..	(स्वीकृत)	222
अनुदान संख्या–25 खाद्य..	(स्वीकृत)	222–223
अनुदान संख्या–26 पर्यटन..	(स्वीकृत)	223
अनुदान संख्या–27 वन..	(स्वीकृत)	224

अनुदान संख्या–28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य....................	(स्वीकृत)	224
अनुदान संख्या–29 औद्योगिक विकास............................	(स्वीकृत)	224–225
अनुदान संख्या–30 अनुसूचित जातियों का कल्याण.......	(स्वीकृत)	225
अनुदान संख्या–31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण..	(स्वीकृत)	225–226
उत्तराखण्ड विनियोग (2012–13 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2012 (पारित)..		226–231
नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं..		232
जनपद ऊधमसिंह नगर के मुख्यालय रूद्रपुर में किच्छा बाईपास मार्ग पर स्थित कल्याणी नदी पर बने दो पुलों का चौड़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार ठुकराल, स0वि0स0 द्वारा दी गयी नियम–53 के अन्तर्गत सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री ने वक्तव्य दिया..		232
जनपद देहरादून के तहसील विकासनगर में लक्ष्मीपुर, केदारवाला, ढकरानी, सैय्यद मार्ग तथा पुल पार नवाबगढ आदि स्थानों पर पेयजल नलकूपों के ओवरहेड टैंक न बनने से पेयजल आपूर्ति का पूर्ण लाभ जनता को न मिलने के सम्बन्ध में श्री नवप्रभात, स0, वि0स0 द्वारा दी गयी नियम–53 के अन्तर्गत सूचना पर पेयजल मंत्री का केवल वक्तव्य..		233–234
नत्थियां..		235–310

'क'

उपस्थिति

1. श्री अजय टम्टा
2. श्री अजय भट्ट
3. डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4. श्रीमती अमृता रावत
5. श्री अरविन्द पाण्डेय
6. श्री आदेश चौहान
7. श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
8. श्री उमेश शर्मा (काऊ)
9. श्री गणेश गोदियाल
10. श्री गणेश जोशी
11. श्री चन्दन राम दास
12. श्री श्री चन्द्र शेखर
13. डा0 जीत राम
14. श्री तीरथ सिंह
15. श्री दलीप सिंह रावत
16. श्री दान सिंह भण्डारी
17. श्री दिनेश अग्रवाल
18. श्री दिनेश धनै
19. श्री नवप्रभात
20. श्री नारायणराम आर्य
21. श्री पुष्कर सिंह धामी
22. श्री पूरन सिंह फर्त्याल
23. कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
24. श्री प्रदीप बत्रा
25. श्री प्रीतम सिंह
26. श्री प्रीतम सिंह पंवार
27. श्री प्रेमचन्द अग्रवाल
28. श्री प्रेम सिंह
29. श्री फुरकान अहमद
30. श्री बंशीधर भगत
31. श्री भीमलाल आर्य
32. श्री मदन कौशिक
33. श्री मदन सिंह बिष्ट
34. श्रीमती सरिता आर्य
35. श्री मनोज तिवारी
36. श्री मयूख सिंह
37. श्री महावीर सिंह
38. श्री मंत्री प्रसाद नैथानी
39. श्री यतीश्वरानन्द
40. श्री यशपाल आर्य
41. श्री माल चन्द
42. श्री राजकुमार
43. श्री राजकुमार ठुकराल
44. श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
45. श्री राजेश शुक्ला
46. श्री ललित फर्स्वाण
47. श्री विक्रम सिंह नेगी
48. श्री विजयपाल सिंह सजवाण
49. श्रीमती विजया बड़थ्वाल
50. श्री विशन सिंह चुफाल
51. श्रीमती शैला रानी रावत
52. श्री संजय गुप्ता
53. श्री सरवत करीम अंसारी
54. श्री सहदेव सिंह पुण्डीर
55. श्री सुबोध उनियाल
56. श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल
57. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
58. श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
59. डा0 हरक सिंह रावत
60. श्री हरबन्स कपूर
61. श्री हरभजन सिंह चीमा
62. श्री हरीश धामी
63. श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
64. श्री हेमेश खर्कवाल
65. श्री विजय बहुगुणा
66. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
67. श्री हरिदास
68. श्री सुरेन्द्र राकेश

सोमवार, दिनांक 10 दिसम्बर, 2012 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल के सभापतित्व मे आरम्भ हुई)

नियम—310 के अन्तर्गत दी गई सूचना के विषय पर चर्चा कराये जाने की माँग

श्री अध्यक्ष—

कृपया, आसन ग्रहण करें।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने—अपने स्थान पर खड़े रहे।)

श्री अजय भट्ट—

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखण्ड के माननीय मंत्रि परिषद् के सदस्यों द्वारा पोंटी चड्ढा काण्ड में आरोपी सुखदेव सिंह नामधारी के साथ—साथ राज्य के दो वरिष्ठ आइ0ए0एस0 अधिकारी तथा कुछ प्रभावशाली नेताओं के होने का जिक्र किया गया है। मान्यवर, इस घटना से पूरे देश मे उत्तराखण्ड की साख गिरी है, बदनामी हुई है। यहां के राजनेताओं के ऊपर उंगली उठी है, यहां के प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर उंगली उठी है। मान्यवर, अगर नहीं है तो सरकार को इसमें चर्चा करानी चाहिए। ये बात कहां से शुरू हुई है ? मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि इसमें किसी का नाम नहीं होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

श्री भट्ट जी, कृपया, आसन ग्रहण करें।

श्री अजय भट्ट—

मान्यवर, लेकिन इसमें साख गिरी है। मान्यवर, यह यहां से नहीं, बल्कि बी0बी0सी0 लंदन से यह ब्राडकास्ट हुआ है। ऐसे में पूरे विश्व में उत्तराखण्ड की साख गिरी हैं आखिर वह कौन सा राजनेता है और वह कौन हमारे प्रशासनिक अधिकारी है ? उन्हे खुले आम इस सदन में आना चाहिए। मान्यवर, यह सिर्फ मेरा प्रश्न नही है, यह सारे सदन का प्रश्न है और यहां के सारे अधिकारियो का प्रश्न है। अगर हमारे अधिकारियों को बदनाम करने की साजिश थी, तो उसका पर्दाफास होना चाहिए, अगर हमारे नेताओ को बदनाम करने की साजिश थी, तो उसका पर्दाफाश होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

माननीय भट्ट जी, कृपया, आसन ग्रहण करे। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट—

मान्यवर, हम लगातार इसको देख रहे है, कैबिनेट के एक व्यक्ति कहते हैं कि सी0बी0आई0 इन्क्वायरी होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

इनका कोई संज्ञान नहीं लेंगे। माननीय भट्ट जी, कृपया, आसन ग्रहण करें। (व्यवधान) आप इसको उठायेंगे तो किसी नियम के अन्तर्गत ही उठायेंगे। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य एक साथ अपनी–अपनी बात कहने लगे।) (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप बैठ जाईये। शून्य काल में आयेगा, उस समय निर्णय करेंगे। (घोर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, गम्भीर विषय है। आज हम जहां जा रहे है, हमारे को लाच्छित किया जा रहा हैं लोग हम सबसे पूछ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसमे कोई चर्चा नहीं हो रही है। शून्यकाल में यह आयेगा। शून्यकाल में आपकी बात सुनी जायेगी। बात जिस विषय पर होगी, हम उस पर निर्णय देंगे।

श्री बंशीधर भगत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह कह रहा हूँ कि इसमे विपक्ष तो विपक्ष, सत्तापक्ष के लोग भी चाहेंगे कि इस पर चर्चा हो, अगर नहीं चाहेंगे तो बता दें। (व्यवधान) माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप भी चाहेंगी इस पर चर्चा हो, नहीं चाहती है तो नही कह दे। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, नियमों के अन्तर्गत निर्णय स्पीकर साहब लेंगे। (घोर व्यवधान)

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, नियमो में आना चाहिए, आपको नियमो के अन्तर्गत विषय को लाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, यह नियमो के अन्तर्गत ही है। बिना नियमो के चलना आपकी परम्परा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी, नियम–310 प्रश्नकाल के बाद लिया जाता है, तो जिस समय नियम–310 लिया जायेगा, उस समय आपका मामला आयेगा। (घोर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, यह तो किसी भी समय लिया जा सकता है। हमने पहले ही शुरूआत में इसको लिखकर दे दिया है। हमने इसकी विधिवत् सूचना दे दी है। (व्यवधान)

श्री बंशीधर भगत–

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें प्रशासनिक अधिकारी भी चाह रहे हैं चर्चा हो। क्यों राकेश जी, चाह रहे हो ? (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे कुछ प्रशासनिक अधिकारियों पर अनावश्यक अंगुलियां उठायी जा रही है। किसी का मीडिया में नाम आ जा रहा है तो हरेक तरफ से यह हो रहा है....."कौन है, कौन है।" अनिश्चितता की स्थिति हो गयी है, पूरे प्रदेश में। (घोर व्यवधान) मान्यवर, लोग चैन नहीं रहे हैं, लोगों को खतरा है और नेता अधर में है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) मान्यवर, यह ऐसा विषय है, इसमें उत्तराखण्ड की आम पब्लिक भी चाहती है, चर्चा हो।

श्री अध्यक्ष–

इस विषय को नियम–58 में सुन लिया जायेगा।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, एक के कारण सारे सदन के नेता घेरे में आ गये हैं। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी ने नियम–58 में सुनने की बात कही है।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

उत्तराखण्ड में खनन योग्य नदियाँ एवं कुल खनन क्षेत्र

**1. डॉ0 जीत राम–

क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में कितनी और किन–किन नदियों का खनन किया जाता है तथा कुल खनन क्षेत्र कितना है ?

मुख्यमंत्री (श्री विजय बहुगुणा)–

उत्तराखण्ड में 88 नदियों से उपखनिज का चुगान/खनन किया जाता है। नदियों का जनपदवार विवरण संलग्न है।† नदियों में खनन योग्य क्षेत्रफल 16,192.89 है0 है, जिसमें से कुल 7061.65 है0 क्षेत्रफल खनन हेतु स्वीकृत है।

डा0 जीत राम–

मान्यवर, वर्तमान में कई नदियों में खनन कार्य शुरू नहीं हुए हैं और खनन कार्य शुरू न होने के कारण कई लोग अवैध खनन कर रहे हैं। तमाम नदियों में अवैध खनन हो रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि सभी नदियों में खनन कार्य कब तक शुरू हो जाएगा ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपने सही बताया कि कुछ नदियों में खनन कार्य हो रहा है और कुछ में नहीं हो रहा है। भारत सरकार की तरफ से इसमें बहुत बड़ा प्रतिबन्ध लगा है, ई0आई0ए0 का। जहाँ ई0आई0ए0 के द्वारा अनुमति नहीं मिली है भारत सरकार से, वहीं पर खनन कार्य नहीं हो रहा है। इसके बारे में बहुत प्रयास किया जा रहा है और हमारे अधिकारीगण लगातार सम्पर्क में हैं। वन विभाग के अधिकारियों ने कई बार राष्ट्रीय स्तर पर जाकर बैठकें की है और हमें भरोसा है कि 2–3 माह के अन्दर इसका रिजल्ट आ जाएगा।

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, टिहरी में बिना ई0आई0ए0 की परमीशन के खनन कार्य हो रहा है और अन्य जनपदों में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं कि हमको खनन के पट्टे मिलने चाहिए। छोटे काश्तकार सब जगह परेशान हो रहे हैं। सारे जिलों के लोग सरकारी बिल्डिंगों के लिए और प्राईवेट बिल्डिंगो के लिए परेशान हो रहे हैं और डी0एम0, टिहरी द्वारा बिना ई0आई0ए0 की परमीशन के खनन कार्य करवाए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, उनके लिए कौन सा नियम है और हमारे लिए यह कौन सा नियम है, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह सही नहीं है कि बिना ई0आई0ए0 की परमीशन के कोई भी खनन कार्य हो रहा है। इस पर माननीय सदस्य जानकारी प्राप्त कर लें, बिना ई0आई0ए0 की परमीशन के खनन कार्य कहीं पर नहीं हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध है कि इसकी जांच करवा ली जाए। (मेजों की थपथपाहट) (व्यवधान) डी0एम0, टिहरी अवैध रूप से बिना ई0आई0ए0 की परमीशन के खनन कार्य करवा रहे हैं। (व्यवधान)

† देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ सं0 235–237

श्री भीमलाल आर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी विधान सभा के अन्तर्गत असेंला से खनन हो रहा है। इसकी भी जांच करा ली जाए। टिहरी बांध परियोजना के पी0एस0पी0 कार्य के लिए खनन कार्य होना है, उस पर भी जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृति नहीं दी गयी है और माननीय अध्यक्ष जी, अवैध रूप से खनन किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में अवैध खनन हो रहा है। (व्यवधान) इससे सरकार को भी नुकसान हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार को राजस्व की हानि हो रही है। (व्यवधान)

श्री भीमलाल आर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, डी0एम0, टिहरी अवैध रूप से खनन करवा रहे हैं। इसके विरोध में मैं 10 दिन तक क्रमिक अनशन पर भी बैठा। (व्यवधान)

श्री राजकुमार ठुकराल–

माननीय अध्यक्ष जी, पूरे ऊधमसिंह नगर में अवैध खनन हो रहा है, भारी मात्रा में। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठिए। माननीय मंत्री जी जवाब दे रही हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय सदस्य अथॉरिटी के साथ कह रहे हैं। माननीय सदस्य जो कुछ भी कहते हैं, उसका संज्ञान लिया जाता है। यदि माननीय सदस्यों के पास ऐसी कोई सूचना है कि बिना ई0आई0ए0 की परमीशन के खनन कार्य अवैधानिक रूप से कहीं पर हो रहा है, क्योंकि अवैध खनन की शिकायत पर कई जगह छापे मारे गये? कई करोड़ रुपया उनसे वसूला भी गया, फिर भी इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि लोग चोरी कर रहे हैं। माननीय सदस्य जो सूचना दे रहे हैं, वह कार्यवाही का हिस्सा बन चुकी है उसे नोट कर लिया जाएगा। माननीय सदस्य अथॉरिटी के साथ कह रहे हैं कि बिना ई0आई0ए0 की परमीशन के खनन हो रहा है तो इसकी सूचना लिखित में भिजवा दें, उन सब पर जांच करवा ली जाएगी।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, सदन की सूचना का संज्ञान ले लिया जाय।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, एक–एक कर बोलिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

सब एक साथ बोलेंगे तो कैसे चलेगा ? (व्यवधान) माननीय मदन जी, सब लोग एक साथ खड़े हो जा रहे हैं। (व्यवधान)

डा0 जीत राम–

मान्यवर, इन्वायरमेन्ट इम्पेक्ट एसेसमेन्ट के लिए मिनिस्ट्री फॉर इन्वायरमेंट एण्ड फारेस्ट की एक कमेटी होती है और एक स्टेट लेवल की है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि स्टेट लेवल की कमेटी बनी या नहीं ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने सही जानकारी दी है, इस प्रकार हम खनन नीति पर पुनर्विचार करके नई नीति को लाने का प्रयास कर रहे हैं। ई0आई0ए0 को लेकर राज्य के लोगों को काम करने में भारी कष्ट है, चाहे सड़क निर्माण हो या कोई अन्य निर्माण हो। इसलिये राज्य के स्तर पर एक कमेटी बनाई गई है, जो भारत सरकार को भेज दी गई है, इसके लिये प्रयास किया जा रहा है कि यह जल्द ही स्वीकार होकर आ जाये। ताकि स्थानीय स्तर पर जो छोटे पट्टे हैं, या खनन के कार्य हैं, उनको हम स्वीकृत करने का कार्य कर सकें। आज की स्थिति में भारत सरकार के प्रतिबन्ध के कारण हम कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं, इसकी दो–तीन बैठकें भी हो चुकी हैं, जिसमें मुख्यमंत्री भी जा चुके हैं। इस नई नीति पर जल्दी निर्णय लिया जायेगा, ताकि स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मिले और पट्टे देने में आसानी हो। भारत सरकार से इस कमेटी का अप्रूवल आना है, यह कमेटी भारत सरकार को भेज दी गई है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जैसा उन्होंने कहा कि प्रदेश में अवैध खनन को रोकने के लिये छापेमारी और इन्फोर्समेन्ट का कार्य होता है, विगत वर्ष में कितने ऐसे केस हैं, जो अवैध खनन में पकड़े गये और कितने वाहन ऐसे हैं, जिनको सीज करके आज तक बन्द किया गया है ? होता यह है कि वाहन पकड़े जाते हैं और 12 घंटे बाद उनको छोड़ दिया जाता है। कितने वाहन ऐसे हैं, जो आज तक बन्द हैं और कितने वाहन इस वित्तीय वर्ष में पकड़े गये ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, लगातार केसेज पकड़े जा रहे हैं, 15 करोड़ रुपया इनसे वसूल किया गया, जहां तक वाहनों का सवाल है, वे सीज होते हैं और नियमानुसार छोड़े जाते हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जो भी वाहन पकड़े जाते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही होती है, उनको बंद कर दिया जाता है, 10–15 दिन बन्द रहते हैं और फिर उनको छोड़ दिया जाता है, यह भी प्रावधान है कि उनको छोड़ दिया जाय।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, कितने वाहन पकड़े गये ?

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर व्यवधान)

श्री संजय गुप्ता–

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार क्रेशर पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। क्रेशर को सरकार सीज क्यों नहीं करती है ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, अगर क्रेशर को सीज कर देंगे तो ये हमारा गला दबा देंगे।

श्री संजय गुप्ता–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र मे 22 क्रेशर दिन–रात चल रहे हैं। जब खनन बन्द है तो क्रेशर कैसे चल रहे है ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय सदस्य के क्षेत्र में 19 क्रेशर साल भर से बन्द थे।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर व्यवधान)

तारांकित प्रश्न

भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय की देहरादून में स्थापना के सम्बन्ध में

*1. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या वन मंत्री अवगत है कि प्रदेश में वन क्षेत्र से गुजरने वाले मोटर मार्गों के निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार के कार्यालय, लखनऊ या दिल्ली से प्राप्त होती है, जिसमें काफी समय लगता है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कार्यालय को देहरादून में स्थापित करने हेतु कोई ठोस कार्यवाही कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी हाँ।

जी हाँ।

उत्तराखण्ड व हिमाचल राज्य के वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों के निस्तारण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून में स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार की सहमति अपने पत्र संख्या 7–31/2007–FC(PT.IV)/ROHQ, दिनांक 25 जनवरी, 2012 मांगी गयी थी। राज्य सरकार के पत्र संख्या 49/7–1–2012–800(415)/2002, दिनांक 09 फरवरी, 2012 के द्वारा सहमति पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि चूंकि सड़के बहुत महत्वपूर्ण हैं, पर्वतीय क्षेत्र में जब तक सड़कें नहीं बनेगी, तब तक कोई विकास का कार्य नहीं हो पायेगा। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि जो भारत सरकार के द्वारा सहमति दी गयी है कि वो देहरादून में कार्यालय खुलवायें। क्या राज्य सरकार के द्वारा इस तरह की कोई कोशिश की गयी है, यह मैं जानना चाह रहा हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपने बहुत सही सवाल पूछा है। हम सब लोग परेशान थे। उत्तर प्रदेश के जामने में लखनऊ हेड क्वार्टर था। वहां हमारा नोडल अधिकारी रहता था और वहां भारत सरकार से जो कार्यवाही करते थे, वो रहते थे। जब उत्तराखण्ड सरकार बनी, तभी से यह प्रयास किया गया कि ये कार्यालय देहरादून आये। पिछली सरकार ने इसमें पत्र भेजा था,जिसका उल्लेख है। इस सरकार ने भी दो पत्र अभी भेज दिये हैं और हमारे अधिकारी स्वयं जाकर मिले हैं। हमें उम्मीद है कि लखनऊ न होकर देहरादून में यह कार्यालय स्थापित होगा।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यही जानना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जब से राज्य बना है, तब से, शुरू से चिंता कर रहे हैं। तब से क्या–क्या प्रयास किये गये, कब–कब भारत सरकार को पत्र भेजे गये, यही मैं जानना चाहता हूँ और दूसरा, मैं यह कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा कि वास्तव में वो बहुत चिंता कर रही हैं। यदि सड़के नहीं बनेगी

तो हमारा निकारा कैसे होगा ? ये आपके क्षेत्र के मामले में भी और मेरे क्षेत्र के मामले में भी है। मान्यवर, 09 फरवरी, 2012 को राज्य सरकार ने पत्र भेजा है, माननीय अध्यक्ष जी, करीब 8 या 10 महीने हो गये हैं, 10 महीने से भी ज्यादा का समय हो गया है, खाली पत्र देकर क्या सरकार ने अपनी जिम्मेदारी हटा दी है ? उसके बाद कोई कार्यवाही की गयी या नहीं, मैं यह जानना चाहता हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जी हाँ, उसके बाद भी कार्यवाही हुई। नवम्बर में भी पत्र गया और अभी दिसम्बर में, 04 दिसम्बर को पत्र गया, अधिकारी स्वयं उस पत्र को लेकर गये और जल्दी कार्यवाही करने के लिए उन पर दबाव बनाया गया।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। चूँकि मेरा जवाब नहीं आ पा रहा है, माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहता हूँ कि राज्य बनने के बाद कब–कब पत्र भारत सरकार को भेजे गये ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, पिछली सरकार ने भी चिट्ठी भेजी थी। उसके बाद 19 मई और 04 दिसम्बर को भेजी, उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम बहुत जल्दी यह कार्यवाही करेंगे।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, 09 फरवरी के बाद क्या हुआ, उत्तर में इसका उल्लेख नहीं है। कब–कब पत्र भेजे गये, हमें जानकारी दो दें।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, सुन तो लें। इस सरकार के बनने के बाद (व्यवधान) 19 मई और 04 दिसम्बर को पत्र भी भेज गया और हमारी एक टीम जाकर उनसे मिली है कि हमें कठिनाई हो रही है, सड़कों की अनुमति आदि में जल्दी किया जाय।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, पत्र की कॉपी मुझे उपलब्ध करा देंगे ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जी हाँ, उपलब्ध करा देंगे।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो भारत सरकार की ब्रान्च लखनऊ में है, उसको कितने हेक्टेयर भूमि की अनुमति देने का

अधिकार है ? दूसरा प्रश्न मेरा है कि पूर्व में प्रदेश में 01 हेक्टेयर तक की अनुमति प्रदेश से मिलती थी, क्या पूर्व की भाँति 01 हेक्टेयर भूमि की स्वीकृति मिल पायेगी ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, अभी तक तो सारी स्वीकृति भारत सरकार के द्वारा है। जब हमें ये अधिकार मिल जायेगा, जिसके लिए हमने अप्लाई किया है, कि हमें स्वयं यह अधिकार दिया जाय। (व्यवधान)

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, लखनऊ की ब्रान्च से कितने हेक्टेयर तक के प्रस्ताव की अनुमति मिलती है ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं तो स्वयं पी0डब्ल्यू0डी0 के जमाने मे रोज ही, उस समय बहुगुणा थे, इस समय कोई अन्य व्यक्ति बैठे हुए है, मैं स्वयं फोन करती थी। (व्यवधान)

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि लखनऊ को कितने हेक्टेयर तक की अनुमति की पॉवर है और उससे ज्यादा तो केन्द्र में जाता है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, कोई पॉवर नहीं है, लखनऊ वाले सदैव दिल्ली भेजते हैं, वही से तय होता है उनके पास कोई सीमा नहीं है। (व्यवधान)

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को जानकारी नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, सड़क बनाने के लिए या किसी भी काम के लिए ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, कोई भी प्रस्ताव हो।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, सड़के बनाने के लिए रीजनल ऑफिस लखनऊ के माध्यम से 40 हेक्टेयर से अधिक के मामले दिल्ली भेजे जाते हैं। उससे कम के मामले यहां हो जाते हैं।

श्री माल चन्द–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा यह जो ठीक है कि वन अधिनियम के मामले लखनऊ में जाते हैं। जो मेरे को जानकारी है, शायद पूरे सदन को जानकारी होगी, मेरे से ज्यादा, कि जितनी सड़के थी, सारी वापस हो गयी हैं, लखनऊ से सारी सड़के वापस हो गयी है, डिजिटल मैप निरस्त करवा दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, दूसरा जो महत्वपूर्ण मामला है, पहले जो 5 हेक्टेयर की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत, जो सिविल सोयम की भूमि है उस पर भी आप एक हेक्टेयर में भी अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं, सड़क नहीं ले जा सकते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि क्या सिविल सोयम में भी आपने कोई नया प्राविधान कर रखा है ? विभागों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ गया हैं कि आप सिविल सोयम की भूमि पर आप सड़क नही बना सकते हैं। वन अधिनियम में तो डिजिटल मैप की सारी सड़के वापस आ गयी हैं। प्रदेश मे एक बहुत बड़ा आक्रोश है। मान्यवर, वर्ष, 2002 से सारी सड़कें लम्बित पड़ी हैं और सारी सड़कें वापस आ गयी है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, वापस नहीं आ रही है, जो सड़के आपने भेजी हैं वह उनका डिजिटल मैपिंग कराना चाहती है। दूसरा निजी जमीन के अतिरिक्त सारी भूमि यहाँ वन विभाग की है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

मान्यवर, माननीय सदस्य जी, श्री माल चन्द जी ने बिल्कुल सही बात की है कि डिजिटल मैप नहीं है, जिनमें वह 4–4 और 5–5 की जो सड़के केन्द्र में गई थी, वह भी वापस आ गई है। मान्यवर, पहले यह होता था कि खाली आपको कागजो में ही जमीन हस्तान्तरण करनी पड़ती थी और आज उनका यह कहना है कि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए आप जमीन का आमद बरामद करके भी साथ में दीजिए। अगर आप 90 दिन मे डिजीटल मैप नही दे देंगे तो वह फिर लौट कर आ जा रही है, वन संरक्षण अधिनियम के धारा–4.14 के अन्तर्गत। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि क्या डिजीटल मैप मागने की प्रक्रिया को सरल किया जायेगा ? क्या वन विभाग, राजस्व विभाग और पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग इन तीनों विभागो को एक साथ बैठाकर 90 दिन से पहले–पहले भेजा जायेगा ? अगर आप फिर 90 दिन मे डिजिटल मैप नहीं भेजेंगे तो वह फिर वापस आता है। मान्यवर, हम यह बात माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में अल्मोड़ा में लाये भी थे। तो ये जो दो–तीन सवाल मेरे हैं उनका स्पष्टीकरण माननीय मंत्री जी दे दें।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, पहली बार वन विभाग ने मॉग की है कि डिजिटल मैप आप दीजिए, एग्जेक्ट मैप दीजिए डिजिटल बनाकर, तब आपको स्वीकार करेंगें। उसका बहुत बड़ा कारण पेड़ भी है। पेड़ों का कटान नहीं करने के प्रति बहुत बड़ा दबाव है। आपको मालूम होगा कि जहाँ बहुत अधिक पेड़ होते थे वहाँ

स्वीकृति भी नहीं देते थे। अब करीब–करीब जो सड़के वापस आती हैं, उनमे 500 डिजिअल मैप बना दिये गये हैं और भेजे गये हैं। प्रयास किया जा रहा है कि जो उनकी समय सीमा है, उसी के अनुसार कार्य किया जाये और 90 दिन के अन्दर भेजे जा रहे हैं और 500 भेजे गये हैं।

अजय भट्ट–

मान्यवर, जो 90 दिन के अन्दर लौट कर आ रहे हैं, उसको सरल करने की योजना सरकार की है या नहीं ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, 90 दिन में लौट कर नहीं आई। भारत सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि इसमें हमे समय दीजिए, पहली बार यह बात मानी गई।

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी ने जो बात उठायी है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारे सरकार के विभाग है जो इसमे काम करते है, राजस्व विभाग, वन विभाग और दूसरे विभाग मिल करके, यह काम करने में इतनी देरी कर दे रहे हैं कि 90 दिन से अधिक का समय लग जा रहा है, जिसकी वजह से सड़के वापस हो जा रही है। क्या सरकार ऐसा कोई नियम तय करेगी कि 90 दिन के अन्दर सड़कों का डिजिटल मैप बना करके और सभी कार्यवाही करके भारत सरकार को चला जाये, ताकि वापस न आये ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, ठीक है, मैंने जो समीक्षा बैठक में जानकारी प्राप्त की, उन्होंने कहा कि हम 90 दिन से अधिक नहीं लगा रहे हैं। हम 90 दिन के अन्दर ही डिजिटल मैप भेज रहे है, जो मुझे जानकारी दी।

अजय भट्ट–

मान्यवर, 07 सड़कें तो मेरे क्षेत्र की वापस आई हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूँगा कि क्या सरकार यह बतायेगी कि वन सचिव, पी०डब्ल्यू०डी० सचिव और राजस्व सचिव को एक साथ बैठाकर इन मामलों को जल्द निस्तारण करायेगी जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, 90 दिन के अन्तर्गत बनाने के लिए उन्हे सब को साथ बैठाना ही पड़ता है। वह डिजिटल मैप बना ही नही सकते जब तक वे साथ नही बैठेगे। वह साथ ही बैठते है। प्रक्रिया तेजी से हो, जल्दी हो, विकास न रूके, यही आपका उद्देश्य है, इस उद्देश्य को पूरा किया जायेगा।

अजय भट्ट–

मान्यवर, डिजिटल मैप का कोई आधार जिलों में नहीं है और जिले के जितने भी हैं, करीब दो सौ, चार सौ डिवीजन जितने भी आपके हैं, वह वन विभाग के कार्यालय में लाईन लगाये रहते हैं। सिर्फ रानीखेत में एक इंजीनियर है, जो उसको समझ पाये, उनका नाम मनोज बिष्ट है, उनको पी०डब्ल्यू०डी० वाले भी जानते हैं। उन्होंने ईजाद करके इस मैटर को पकड़ लिया है। लेकिन पी०डब्ल्यू०डी० के किसी भी डिवीजन के पास अभी तक यह विधि नहीं है, सारे के सारे फॉरेस्ट में लाईन लगाये रहते हैं। क्या सरकार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से डिजीटल मैप सम्बन्धी फाइल को जिलों में भिजवाने का कष्ट करेगी और कब तक ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दे दिये हैं कि वन विभाग, लोक निर्माण विभाग एवं राजस्व विभाग तीनों एक साथ बैठकर तय करें तथा विकास के कार्य नहीं रूकें तथा 90 दिन से पूर्व यह कागज भेज दिये जायें। जहां तक आपने अनुभव की बात बतायी है, यदि एक को अनुभव है तो बहुत लोगों को इसका अनुभव हो सकता है। रानीखेत में अनुभव वाला व्यक्ति बैठा है तो नैनीताल में भी एक अनुभव वाला व्यक्ति बैठा होगा।

अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं अनुभव वाली बात नहीं कह रहा हूँ, मेरा सवाल यह है कि डिजिटल मैप की पूरी फाइल वन विभाग के यहां पड़ी है तो लोक निर्माण विभाग के अधिकारीगण वन विभाग में तीन–चार दिनों तक बैठकर काटते रहते हैं। वन विभाग से फाईलें नहीं जाती हैं। क्या डिजिटल सम्बन्धी टैक्निकल वाली फाईलों को जिलों में भेजेंगे ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपेन जो विलम्ब के कारण बताये हैं कि वन विभाग में लोगों को दौड़–दौड़ के आना पड़ता है। इस प्रक्रिया को सरल करने की तथा स्थानीय स्तर पर तय कराने का प्रयास किया जायेगा।

श्री अजय टम्टा–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि लगभग एक साल से जिन सड़कों की सैद्धान्तिक स्वीकृति मिली हुई है और उनका एन०पी०वी० का पैसा भी भारत सरकार में जमा है। मान्यवर, पूर्व में जिन सड़कों की सैद्धान्तिक स्वीकृति मिल जाती थी तो लोक निर्माण विभाग टेण्डर की प्रक्रिया शुरू कर देते थे और वन विभाग भी अपना काम शुरू कर देता था। क्या सरकार पूरे जिलों में ऐसे सैद्धान्तिक स्वीकृति वाली सड़कों की प्रक्रिया को शुरू करने जा रही है या नहीं ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आप किसी का उल्लेख करेंगे तो मैं जान करा लूँगी। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान) मान्यवर, बिना सैद्धान्तिक और विधि प्रक्रिया सम्बन्धी स्वीकृति जब तक नहीं होती तो उसमें कैसे टेण्डर कर सकते हैं ? यह सम्भव नहीं है कि बिना प्रक्रिया को पूरा किये हुए टेण्डर निकाल दिये जायें।

श्री अजय टम्टा–

मान्यवर, सैद्धान्तिक स्वीकृति के बाद टेण्डर की प्रक्रिया की जा सकती है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इस प्रकार से नहीं किया जा सकता है।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि जब से राज्य बना है तब से कार्यवाही चल रही है मैं यह जानना चाहता हूँ कि कब तक पूरा हो जायेगा ? (कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान) (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय जीना जी, आपके प्रश्न का उत्तर आ गया है। कृपया आप बैठ जायें।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, पिछले चुनाव से पहले दो सौ सड़कें भारत सरकार को भेजी गयी थी, वह सारी सड़कें भारत सरकार के द्वारा वापस कर दी गयी हैं और उन पर आपत्तियां लगायी गयी हैं। मान्यवर, नये प्रस्ताव बनाने में कम से कम एक साल लगता है। उसके बाद भी यह पक्का नहीं है कि भारत सरकार उनको स्वीकृत करे।

श्री अजय टम्टा–

माननीय अध्यक्ष जी, यह मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो माननीय सदस्य जीना जी उठा रहे हैं, उससे सभी लोग परेशान हैं इस सम्बन्ध में हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया था। इस सम्बन्ध में पीछे से कोई निर्देश आने चाहिए कि इतने दिनों में सरकार इस पर कार्यवाही करे। (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैंने पूरा उत्तर दे दिया है, जो उत्तर मेरे पास उपलब्ध है। सरकार का पूरा प्रयास है कि विकास के कार्य हों और वन विभाग में कोई कार्य न रूके। मान्यवर, वन विभाग इस समय काफी मेहनत कर रहा है कि 90 दिन के अन्दर डिजिटल मैप चले जायें। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बैठे–बैठे बोलने पर घोर व्यवधान) (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने सदन को यह जानकारी दी कि पर्वतीय क्षेत्र की सारी सड़कें भारत सरकार से वापस आ गयी हैं, उसके उत्तर में माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा कि वापस नहीं आयी है। (घोर व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, उन्होंने डिजिटल मैप मांगा था, वह वापस आये हैं। मैप की बात हो रही है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बैठे–बैठे बोलने पर घोर व्यवधान) (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि जो भारत सरकार से सड़कें वापस आ गई हैं कि नये प्रस्ताव गठित करके दिये जायें तो मैं सरकार से सिर्फ इतना निवेदन कर रहा हूँ, माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कि उसमें सिर्फ हस्ताक्षर होने हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप क्या जानना चाह रहे हैं, आप प्रश्न करें।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ कि जो पूर्व से आज तक प्रयास किये गये है उसको कापी मुझे उपलब्ध करा दे।

श्री अध्यक्ष–

वह दे देंगे, यह कह दिया।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, दूसरा जो मेरे हिसाब से जवाब आया कि 9 फरवरी से आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, अभी 4 दिसम्बर को चिट्ठी गई है, इसे भी आथेन्टिक मान लिया जाए।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, मुझे कब तक दे देंगे ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इनका प्रश्न निकल चुका है, कृपया आप रक्षा करें, ये बार–बार सवाल कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जाए। श्री माल चन्द्र जी, बैठिए।

श्री माल चन्द–

मान्यवर, जो फरट फेज और सेकेण्ड फेज की सड़कें हैं, फेज–1 और फेज–2 मेरी सैद्धान्तिक बात है, मेरी विनती है..................।

श्री अध्यक्ष–

श्री माल चन्द जी की बात का कोई संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

जनपद चम्पावत में निर्माणाधीन सड़कों की संख्या एवं वन अधिनियम के तहत अवरुद्ध मार्गों की वर्तमान स्थिति

****2. श्री पूरन सिंह फर्त्याल–**

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चम्पावत के अन्तर्गत कितनी सड़कें निर्माणाधीन हैं ?

क्या वन अधिनियम के तहत अवरुद्ध मार्गों के निर्माण हेतु सरकार प्रयासरत है ?

यदि हाँ, तो उक्त सड़कों की वर्तमान स्थिति क्या है एवं उनमें कब से निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री विजय बहुगुणा–

जनपद चम्पावत के अन्तर्गत राज्य योजना में 24 सड़कें, जिला योजना में 10 सड़कें तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 04 सड़कें अर्थात कुल 38 सड़कें निर्माणाधीन हैं।

जी हाँ।

वन अधिनियम के अन्तर्गत कुल 24 सड़कें लम्बित हैं। इन 24 सड़कों की वर्तमान स्थिति सड़क वार संलग्न है।† अतः वन भूमि हस्तान्तरित होने के उपरान्त ही इन सड़कों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना सम्भव होगा।

---

† देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ सं0 238–242

श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रश्न में जो 24 रोडों का जिक्र किया है, जनपद चम्पावत में जो 24 सड़कें वन अधिनियम में लटकी पड़ी हैं, उसमें मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि ये जो मेरी विधान सभा की 7 सड़कें हैं, उसमें से 2 सड़कें बड़ी गम्भीर हैं, उनका जिक्र इसमें नहीं किया है, इसमें या तो विभाग ने इसको छिपाया है, एक अटल आदर्श ग्राम योजना छिनकाछिना से 8 कि0मी0 की रोड है और एक राज्य योजना बामी से शील फरोड़ी का है, इसमें उसका कोई जिक्र नहीं है, वर्ष, 2009 में यह स्वीकृत है, मेरे कहने का मतलब यह है कि यह भी फॉरेस्ट विभाग में लम्बित पड़ा है और अटल आदर्श ग्राम योजना के तहत विभाग की भी, मुझे सन्देह लगता है कि यह रोड 8 कि0मी0 की थी और इसमें इन्होंने 6 कि0मी0 काट दिया है, वन अधिनियम की परमीशन ली है उसको छुपाने के लिए इन्होंने योजना को कोड नहीं किया है, यह बहुत गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करें, आप क्या जानना चाहते हैं।

श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि ये दोनों सड़कें स्वीकृत हैं या नहीं, अटल आदर्श ग्राम योजना छिनकाछीना और राज्य योजना के तहत बामी से शील फरोड़ी, जिसका जिक्र इसमें नहीं किया गया है ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जो इनकी सड़कों का उल्लेख किया गया है, उसमें मैं इनको बता दूँ कि इसमें क्या है, राज्य योजना के अन्तर्गत आपका निर्माण कार्य प्रगति पर है, इसमें 24 हैं और वन अधिनियम में लम्बित 19 ह और संरेखण विवाद में लम्बित 6 हैं, प्रथम चरण के अन्तर्गत स्वीकृत 9 हैं, कुल 58 का योग है जिन पर कार्यवाही चल रही है, जिला योजना के अन्तर्गत आपकी 18 सड़कें हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 8 है, ए0डी0बी0 सहायतित योजना 3, केन्द्र पोषित योजना म 1 इस तरह से कुल 88 सड़कें आपके यहाँ निर्माण में हैं।

श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

मान्यवर, यह रोडों का आंकड़ा है, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है, जिन रोडों का जिक्र मैंने किया है तो उन रोडो का किस आधार पर यहाँ पर जिक्र नहीं है ? यह रोडे वर्ष, 2009 की स्वीकृत है, इन रोडो को इसमें क्यों नहीं कोड किया गया है, क्या विभाग ने आधी–अधूरी काटने के बाद, कोई अड़ंगा आने के बाद, आधे में छोड़ने के बाद सरकार के संज्ञान में न लाया

जाए, इसमें कोई तथ्य छुपाया गया है, इसलिए इनको कोड नहीं किया गया है, मैं जानना चाहता हूँ कि ये रोडें स्वीकृत है या नहीं हैं, वर्ष, 2009 में अटल आदर्श ग्राम योजना छिनकाछिना और चामी से शील मरोड़ी की रोडे है, इनके बारे में, मैं जानना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

दो सड़के है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, अभी आपकी जितनी सड़के इसमें लिखी हुई हैं, इसका उल्लेख आपके पास भी होगा।

श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

माननीय अध्यक्ष जी, उल्लेख है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जितनी सड़कें इसमें लिखी हुई हैं, जिनके कार्य प्रगति मे बताये गये हैं। यही सड़के हैं, जिनका आपने उल्लेख किया है, वे सड़के इस सूची में नहीं है।

श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

माननीय अध्यक्ष जी, यह सड़के सूची मे नही हैं और किस आधार पर छूट गयी हैं, यह मेरा प्रश्न है। मान्यवर, या तो आप सदन को अवगत करा दें कि ये रोडे या तो नहीं है। यदि छूट गयी हैं तो किस आधार पर छूट गयी है। ये रोडें आज की तिथि में स्वीकृत है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जो सड़कें इसमें उल्लिखित है, उन सड़कों पर निर्माण कार्य हो रहा है, जो सड़के आपने पूछी हैं, उनका उल्लेख नहीं है। इसका मतलब यह वन अधिनियम में है और वन अधिनियम से बाधित है।

श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

मान्यवर, वन अधिनियम मे है, कह करके यह मेरे प्रश्न का उत्तर नही है। वन अधिनियम के अन्तर्गत 24 रोडे आपने कोट कर रखी हैं। अगर ये रोडें वन अधिनियम के अन्तर्गत अटकी है तो यह संख्या 26 होनी चाहिए। इन दो रोड को भी कोट होना चाहिए था। यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। ये सड़कें किस आधार पर छूट गयी हैं, यह मैं जानना चाहता हूँ। यह बहुत भारी चूक है, आपको इसे एक्सेप्ट करना चाहिए।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपने अभी बताया कि ये दो सड़के निर्माणाधीन है तो क्या अब निर्माण नही हो रहा है ?

श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

मान्यवर, आज की तिथि में ये सड़कें वन अधिनियम के अन्तर्गत आपके विभाग में रूकी हुई है, यह दो सड़कें यहां पर कोट नहीं हुई हैं और यहां पर आधी–अधूरी सूचना दी जा रही है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय सदस्य जिन दो सड़कों का जिक्र कर रहे है, वे सड़के इस सूची में नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

मान्यवर, यह सड़के कैसे छूट गयी हैं, मेरे कहने का मतलब यही है। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय सदस्य की सूचना को सदैव सही माना जाता है। आपने यह सूचना दी है कि जो वन अधिनियम के अन्तर्गत सूची है, उसमें ये दो सड़के सम्मिलित नहीं हैं और स्वीकृत हैं। वन अधिनियम के अन्तर्गत रूकी हुई जिन सड़कों का उल्लेख है, उनमें इन दो सड़कों का उल्लेख नहीं है।

श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

मान्यवर, हाँ, उल्लेख नही है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इसकी मैं जानकारी प्राप्त कर, सदन के माध्यम से आपको अवगत करा दूगी।

श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

मान्यवर, मेरा इसमें एक अनुपूरक और है। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपका अधिकार है, प्रश्न पूछना, हम उत्तर देंगे।

श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

मान्यवर, बहुत बड़ी बात है। माननीय फर्त्याल जी ने कहा कि दो सड़कें ऐसी है, जिनका जिक्र सूची में नहीं है और माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि उल्लेख नहीं है, हम इसे देख लेंगे। मान्यवर, इतनी बड़ी बात हुई और आप कह रहे हैं, देख लेंगे। आखिर यह हुआ क्यों है, जब उसमें काम भी चल गया तो ऐसी सड़क को इसमें क्यों नहीं उल्लिखित किया गया, क्या आप इसमें दोषियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ?

ग्राम्य विकास, पंचायती राज, लघु सिंचाई, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री प्रीतम सिंह)–

मान्यवर, ये जो 24 सड़कें हैं, ये वन स्थानान्तरण अधिनियम के अन्तर्गत हैं। जब उन दो सड़कों पर निर्माण चल रहा है तो वन स्थानान्तरण अधिनियम के अन्तर्गत आयेगी ? (घोर व्यवधान)

श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

मान्यवर, इसमें निर्माणाधीन आना चाहिए। इसमें अंडर कंस्ट्रक्शन कोड होना चाहिए। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय सदस्य जो प्रश्न करते हैं, वह उनकी पीड़ा होती है, उन्होंने अपनी पीड़ा बतायी है, सूची में ये दो सड़कें नहीं दिखायी गयी है। मैंने जो सूची देखी उसका उल्लेख कर दिया है, इनकी बात को सच मानते हुए, इनकी बात का संज्ञान लेते हुए, इसकी जांच कराऊंगी और उस पर कार्यवाही हो जायेगी। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय भगत जी, आप भी बोल रहे हैं और माननीय फर्त्याल जी भी साथ–साथ बोल रहे हैं, इससे व्यवधान पैदा हो रहा है।

प्रीतम सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने कहा कि दो सड़के ऐसी है जिन पर निर्माण हुआ है, अगर निर्माण हुआ है तो स्वाभाविक सी बात है कि वे वन अधिनियम स्थानान्तरण के अन्तर्गत कैसे आयेंगे ? (घोर व्यवधान) मान्यवर, निर्माण होने के बाद ये सड़के वन अधिनियम स्थानान्तरण में कैसे आयेगी ?

श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

मान्यवर, वन अधिनियम में होने के बाद ही इन सड़कों को छोड़ा गया है। मेरे पास विभाग का ऐसा प्रमाण पत्र पर है। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने इस सदन को स्वयं अवगत कराया है कि दो सड़के ऐसी है जिन पर निर्माण हुआ है। (व्यवधान)

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, जो बात माननीय सदस्य ने नहीं कही है, उसे आप कह रहे है। (व्यवधान)

श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

मान्यवर, जो बात माननीय मंत्री जी कर रहे हैं, यह बिल्कुल गलत है, सदन को गुमराह किया जा रहा है, ये रोड वन अधिनियम मे लटकी पड़ी हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय फर्त्याल जी, आप बैठ जाईये।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय फर्त्याल जी, हमने आपकी बात को गम्भीरता से लिया है, आपका कहना है कि जो सूची प्रकाशित की गयी है, उसमे से दो सड़के नही है, जबकि ये सड़कें स्वीकृत हैं। मान्यवर, हमने इसका संज्ञान ले लिया है। आपने बताया इसमे नहीं है तो, क्यो नहीं है, इसकी जॉच की जाएगी और लिखित रूप से माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से सदन को सूचित कर दिया जाएगा।

(श्री अध्यक्ष द्वारा प्रश्न संख्या–3 माननीय सदस्य श्री यतीश्वरानन्द का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रश्न के बारे में मेरा एक निवेदन है। एक बात कही है, माननीय सदस्य ने, तो कम से कम टाईम बाउण्ड तो हो। यहॉ पर सारे अधिकारी बैठे रहते हैं, एक हफ्ता, दस दिन, कितने समय में दे देंगे, यह तो बताएं। कितनी गम्भीर बात है, एक सदस्य पूछ रहे हैं कि मेरे क्षेत्र की दो सड़कें वन भूमि के कारण रूकी हैं, उनका आन्सर यहा नहीं आ रहा है, तो कम से कम सरकार इतना तो कह ही सकती है, उसके पास सारे ऑकड़े हैं, हम इनको इन्क्लूड करके एक हफ्ते में दे देंगे, दो दिन में दे देंगे, तीन दिन मेंदे देंगे। इतना तो सरकार की तरफ से आना ही चाहिए।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आप बता दीजिए कब दे दिया जाए, हम दे देंगे।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, एक हफ्ते में दे दीजिए, माननीय सदस्य को।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, दे देंगे।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, एक हफ्ते में सूचना देने का निर्णय हो गया है।

(श्री अध्यक्ष द्वारा संख्या–3 पुकारे जाने पर)

श्री माल चन्द–

माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता। माननीय नेता प्रतिपक्ष से पूछ लीजिए।

श्री माल चन्द–

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे जो आन्सर शीट मिली है, उसमें दो पृष्ठ नही है।

हरिद्वार के गाँवों में जर्जर विद्युत तारों का बदला जाना

***3. श्री यतीश्वरानन्द–**

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम फूलगढ, दुर्गागढ, शिवगढ, गोविन्दगढ, मिस्सरपुर, किशनपुर, जियपोता, अजीतपुर, नशीपुर खुर्द, कटारपुर, पंजनहेडी एवं आदर्श टिहरी नगर, तिलकपुरी, नाहीटिप मे विद्युत तारों की स्थिति काफी जर्जर हो गयी है, जिससे आये दिन तार टूटने से दुर्घटना का खतरा बना रहता है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्युत तारो को बदलवाने हेतु विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

उक्त ग्रामो मे तार पुराने हो चुके हैं लेकिन इतने जर्जर नही है कि आये दिन टूटते रहते है। उन तारो को समय–समय पर जहॉ से भी सूचना मिलती है बदल दिया जाता है यह एक सतत् प्रक्रिया है।

वित्तीय वर्ष 2012–13 में सभी ग्रामो में जिला योजना एवं प्रणाली सुधार योजना के अन्तर्गत लगभग 52571 मीटर तार बदला जाना प्रस्तावित है, जिसके प्राकलन स्वीकृत हो चुके है तथा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

ठेकेदार को कार्य पूर्ण करने हेतु चार माह का समय दिया गया है।

प्रश्न नही उठता।

श्री यतीश्वरानन्द–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, जैसा कि अभी आपने अपने उत्तर में कहा कि कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं, वे कौन से गॉव हैं, जिन गॉवों के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करें कि किन–किन गॉवो में काम शुरू कर दिया गया है ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, दुर्गागढ़, शिवगढ़ गोविन्दगढ़, किशनपुर, जियपोता, इन्द्रपुर, पजनहेड़ी, आदर्श टिहरी पुर, तिलकपुरी और गाडी टिप।

श्री यतीश्वरानन्द–

मान्यवर, सदन को गुमराह किया जा रहा है। कल भी मेरे पास सूचना आयी थी कि किसी भी गाँव में बिजली का काम शुरू नहीं हुआ है। मैं कल परसों खुद उन गाँवो के अन्दर गया था और आज भी मेरे पास फोन आया कि इन–इन गाँवो में तारों की व्यवस्था बहुत खराब है, कही पर भी काम शुरू नही किया गया है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपके पास सूचना गलत आयी है जियपोता गॉव में काम पूरा भी हो गया और उसमें 1545 मीटर तार बदले गये हैं।

श्री यतीश्वरानन्द–

माननीय अध्यक्ष जी, केवल दो खम्भे वहॉ पर डाले गये है। (व्यवधान) केवल कागजों के ऊपर खानापूर्ति की जा रही है। केवल दो खम्भे वहॉ पर डाले गये हैं, यह सूचना मेरे संज्ञान में है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, तार टूटते रहते हैं और उन टूटे तारों को बदलने की प्रक्रिया भी प्रारम्भ होती है। जितने मैंने बताए हैं, उन बदले जाने वाले तारो की मात्रा की सूचना भी मेरे पास है। अभी एक गॉव मे कार्य पूरा हुआ है, जिसका नाम है, जियापोता।

श्री यतीश्वरानन्द–

माननीय अध्यक्ष जी, जियपोता के अन्दर केवल दो खम्भे डाले गये हैं, अब तक तार भी वहॉ पर नहीं लगाए गये है, मेरे संज्ञान में है। परसों मैं वहॉ पर एक शादी मे गया था, तब मेरी बात हुई थी।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मेरा माननीय विधायक से अनुरोध है कि एक बार खुद निरीक्षण कर आईए। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी कह रही हैं कि खुद निरीक्षण करके आईंगे और माननीय विधायक कह रहे हैं कि मैं खुद निरीक्षण करके आया हूँ परसों।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, नहीं किया है। उन्होंने कहा कि एक शादी में गया था, वहीं पता चला। (व्यवधान) मान्यवर, आपने सुना नहीं होगा, उन्होंने कहा एक शादी में गया तब पता चला। (व्यवधान) मान्यवर, माननीय विधायक जी से पूछिए। (व्यवधान) स्वामी जी, आप इनके कहने मे मत आईए। सब बताईंगे।

श्री यतीश्वरानन्द–

मान्यवर, आप जॉच करवा लीजिए।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं जॉच क्या करवाऊँ। मैंने तो बता दिया, जितने गॉव मैंने यहॉ बोले कि 4 महीने में उन सबमे तार बदले जाएगें। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, बदल जाएगें से मतलब नही हैं माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक विनम्र निवेदन है कि एक सदस्य की बात का संज्ञान लिया जाता है कि वह सत्य बोलता है, लेकिन माननीय मंत्री जी की तरफ से सरकार का जो उत्तर आ रहा है, वह उत्तर सतोषजनक नहीं है। वह उत्तर संतोषजनक नही है, इसमें निर्देश जाना चाहिये कि इतने दिनों में इसकी जांच कराई जाय। माननीय विधायक जी का कहना है कि वह खुद देखकर आये हैं कि मात्र दो पोल लगे हैं और माननीय मंत्री जी का कहना है कि 1500 मीटर तार लगा हुआ हैं मान्यवर, यह तो अति हो गई.......। (घोर व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, उत्तर सतोषजनक दिया जा रहा है, तार बदल जा रहे हैं और जिस गाव का उल्लेख किया जा रहा है ....।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, सरकार को जांच कराने में क्या दिक्कत है ?

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इसमें जांच की आवश्यकता नहीं है, आपके जोर से बोलने से जांच नहीं हो जायेगी।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आप संरक्षण दीजियेगा, जोर से बोलने का क्या मतलब है?

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लग जाते हैं, जब नेता प्रतिपक्ष खड़े हो तो और लोगों को बैठ जाना चाहिये।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि आपके जोर से बोलने से कुछ नहीं होता, जांच नहीं होगी। अगर एक विधायक कोई बात कहता है तो माननीय मंत्री जी ने अभी कहा भी है कि उसके सत्य होने का संज्ञान लिया जाता है। जब माननीय विधायक कह रहे हैं कि मैं स्वयं देख कर आया हूँ तो जांच कराने में झिझक क्या है ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, कार्यवाही से निकलवा लीजिये, माननीय विधायक जी ने कहा कि मैं एक शादी में गया था, मुझे लोगों ने बताया था। वे गेरूवे वस्त्र वाले स्वामी जी हैं, वे झूठ नहीं बोलते हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह तो और भी गलत बात है, जांच करवाने से सरकार की साख गिरने वाली नहीं है, जांच कराने में दिक्कत क्या है ?

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, प्रतिपक्ष का उद्देश्य तार बदलवाना है या अपनी बात को ठीक ठहराना है, मैंने कह दिया है कि चार माह में सारे तार बदल दिये जायेंगे। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर व्यवधान)

श्री राजकुमार ठुकराल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूँ कि इस सदन की एक आकस्मिक कमेटी का गठन किया जाय, जो मौके पर जाकर मुआयना करे।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर व्यवधान)

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, हम लोग सदस्य हैं, हमारी सूचना का आपको संज्ञान लेना चाहिये और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी हमेशा कहती भी हैं कि सदस्य की सूचना सही होती है, लेकिन लग यह रहा है कि अधिकारियों पर डिपेंडेंसी ज्यादा हो गइ है। या तो अधिकारी कोई षड्यंत्र कर रहे हैं, सरकार को सुचारू रूप से नही चलने देना चाहते हैं, यह तो आप जानें। लेकिन अधिकारी सरकार को गलत जानकारी दे रहे हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 40 सालों से ....।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इसमे आप अनुपूरक ही पूछ सकते हैं, अपने क्षेत्र का नहीं पूछ सकते।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

शुक्ला जी, आप इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ अनुपूरक पूछें।

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि प्रदेश में जो विद्युत की तारें गल रही हैं, क्या इनको बदलने के लिये सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, गले हुये तारों को बदलने की कार्यवाही सरकार कर रही है, जिन गावों में बदली जा रही हैं, उनकी संख्या लिखित में दी गई है कि कितने मीटर तार कितने गावो मे बदले जायेंगे, चार माह में यह कार्य पूर्ण हो जायेगा।

(माननीय अध्यक्ष द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या 4 पुकारे जाने पर)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह एक गम्भीर मामला है, कम से कम हरिद्वार के लिये कोई व्यवस्था इसमें होनी चाहिये। अभी पिछले सवाल का ही जवाब नही आया है। माननीय मंत्री जी को भी पता नही है, उन्होने भी कागज के आधार पर कहा है, जब कि सदस्य वहां पर जाकर आ रहे है, तो सत्य कौन है ? फिर इस सदन का फायदा क्या है, यदि सदस्यों की बात ही नही सुननी, उनको मानना ही नहीं तो फिर सदन का क्या फायदा रहा ? (व्यवधान) मान्यवर, इस पर आपका संरक्षण चाहिये, एक सदस्य जो सत्य कह रहे है, उनकी बात को सच न मानकर

जांच नहीं करवाई जा रही है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी तो देखने नहीं गई, माननीय सदस्य देखकर आये हैं, तो इसकी जांच कराने मे दिक्कत क्या है ? इसके लिये दो विधायकों की कमेटी बना दीजिये, किसी अधिकारी को भेज दीजिये, ऐसे मामलों को पूरा प्रदेश देखता है। मान्यवर, कम से कम ऐसे में तो सरकार को कहना चाहिए (व्यवधान) मै कह रहा हूँ कि इसमे जांच हो जायेगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा ? अगर प्रश्नों का उत्तर नहीं आता है, मान्यवर, नही आता है ठीक तरीके से, एक सदस्य कह रहे हैं तो फिर क्या फायदा ? (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) मान्यवर, यह आपके ऊपर है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी, बैठिये।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हम बैठ जायेंगे मान्यवर, लेकिन सवाल यह है कि अगर एक प्रश्न पूछता है कोई (व्यवधान) अगर कोई सदस्य पूछ रहा है (व्यवधान) मान्यवर, मै आपसे निवेदन करता हूँ, मै माननीय अध्यक्ष जी से बात कर रहा हूँ। अगर कोई प्रश्न पूछता है, सदस्य यहां और उसका उत्तर सही नहीं आता है। वो कहता है कि मै निरीक्षण करके, देख कर आया हूँ, नहीं हुआ है, माननीय मंत्री जी भी वहां नहीं गयी हैं। (कई माननीय सदस्यों केएक साथ बोलने पर व्यवधान) मै कह रहा हूँ कि मान्यवर, अगर वहां मंत्री जी भी नहीं गयी हैं और सदस्य भी नही गये हैं, जब दोनों मे से कोई नही गये हैं तो उसका संज्ञान कैसे यह सदन मान लेगा ? (व्यवधान) हम सरकार के ऊपर लांछन तो नही लगा रहे है। हम कह रहे हैं कि एक बात ऐसी आयी तो जांच कराने में क्या दिक्कत है, मान्यवर ? सवाल इतने विधायकों का, किसी का भी है तो उसका अगर उत्तर ठीक नही आयेगा तो कैसे होगा, मान्यवर ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्पष्ट कह दिया है और उसके बाद उसका उत्तर आ गया है। इसलिए बार–बार उस पर प्रश्न करना उचित नही है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, इतना बता दे कि जॉच होगी या नहीं ? जॉच होगी या नहीं, हम बैठ जाते हैं। हॉ या ना में कह दे। हम मान जाते हैं।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष ने बड़ी गम्भीरता से जो प्रश्न उठाया है, माननीय सम्मानित सदस्य जी ने जो बात कही है, ये कहा कि मैं विवाह में गया था और लोगो ने कहा, आप कार्यवाही निकाल लें। अगर इन्होने ये कहा हो कि मैंने निरीक्षण किया, इन्होने ये नहीं कहा कि मैंने निरीक्षण किया। इन्होंने कहा कि मै शादी में गया था, लोगों ने मुझे कहा कि तार नहीं डली है। तो श्रीमन, (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री संजय गुप्ता–

मान्यवर, दो विधायकों की एक समिति बना दी जाय। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, समिति किस बात के लिए बने ? (व्यवधान) जब माननीय सदस्य ने वहां पर निरीक्षण नहीं किया तो समिति क्यों बने ? अब आप दूसरी बात कह रहे हैं। आप कार्यवाही निकाल कर देख लीजिए। (व्यवधान)

(अध्यक्ष द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या–4 पुकारे जाने पर)

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, वैसे यह परम्परा नहीं है, लेकिन जिस तरह से सदन में बातें सही नहीं आ रही हैं और जिस तरह से सरकार का अड़ियल रवैया है कि सरकार एक जॉच कराने तक को राजी नहीं है। जबकि हम कह रहे हैं कि हमारा सदस्य सत्य कह रहा है और सरकार वहां गयी भी नहीं है। सरकार के अधिकारियों की तरफ से जो आया है, उसके आधार पर कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, सम्मानित सदस्य अगर वहां गये होते तो निश्चित रूप से संज्ञान लिया जाता।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, जब इतना अड़ियल रवैया सरकार का है तो हम इस प्रश्न के विरोध में सदन का बहिगमन करते हैं।

(तत्पश्चात् भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण सदन का बहिर्गमन कर बाहर चले गये।)

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य सदन में आकर अपने–अपने स्थान पर बैठ गये)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, आपसे रक्षा चाहती हूँ। मान्यवर, आप वाकआउट करिये तो पूरा वाकआउट करें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, वह तो एक प्रश्न के लिए वाकआउट था। आप तो चाहेंगे कि पूरे सत्र का हो जाये, पूरे प्रश्नकाल का हो जाये।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, हम पूरी सामग्री के साथ पूरे विश्वास के साथ और पूरे अध्ययन के साथ आपके बीच हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हमने विश्वास देख लिया, एक छोटी सी जॉच सरकार नहीं करा सकती है तो और क्या करायेगी ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जॉच तो आपका बाहर जाने का बहाना है कि न्यूज कैसे आये।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह सब लोग देख रहे हैं कि क्या चीज है। मान्यवर, न्यूज का क्या मतलब है ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, वह बेचारा स्वामी जी गेरूवा वस्त्र का आदमी उस पर आप अपनी बात थोप रहे हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, बेचारा कहना तो सदस्य का अपमान है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) (घोर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, जब कभी कार्यवाही पढ़ी जायेगी तो उनके क्षेत्र के लोग कहेंगे कि हमारे क्षेत्र का विधायक इतना बेचारा था। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह आपत्तिजनक शब्द नहीं है, मुझे भी संसदीय जीवन में 38 वर्ष हो गये हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आप सब कुछ कहें वह सब स्वीकार्य है, हम कहे तो असंसदीय है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह असंसदीय है ही नहीं। आप नजीरें निकाल लीजिए। पार्लियामेन्ट से लेकर पूरे देश की विधान सभाओं की और माननीय स्पीकर के निर्देश निकाल लीजिए। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, सदस्य कोई बेचारा नहीं है बल्कि सभी अपनी–अपनी जगह पर अपने–अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने आये हैं।

हरिद्वार के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज का न होने पर लालढांग में राज0 महाविद्यालय की स्थापना

***4. श्री यतीश्वरानन्द–**

क्या उच्च शिक्षा मंत्री अवगत है कि जनपद हरिद्वार में ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से अन्य विधानसभा क्षेत्रों की अपेक्षा काफी बड़ा एवं जनसंख्या बाहुल्य वाला क्षेत्र है ?

क्या मंत्री यह भी अवगत हैं कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में कोई भी डिग्री कॉलज न होने के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्र–छात्राओं को 30–35 कि0मी0 दूर शहर में जाना पड़ता है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार लालढांग क्षेत्र में डिग्री कॉलेज खोलने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी हॉं।

जी हॉं।

लालढांग क्षेत्र मे राजकीय महाविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध मे मानकानुसार भूमि उपलब्ध होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आलोक में विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री यतीश्वरानन्द–

माननीय अध्यक्ष जी, मै माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि डिग्री कॉलेज बनाने के क्या–क्या मानक हैं ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपने लालढांग क्षेत्र की बात की या आपको पूरे प्रदेश के मानक चाहिए ?

श्री यतीश्वरानन्द–

मान्यवर, डिग्री कॉलेज के लिए कितनी जमीन की आवश्यकता होती है, उसके लिए क्या–क्या मानक है ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, लाल ढांग क्षेत्र के बारे में आपने स्पेशली प्रश्न पूछा है। इस सम्बन्ध में मानकानुसार आपके पास लाल ढांग मे यदि 01 से लेकर 05 एकड़ तक कितनी भी भूमि हो, 01 से लेकर 10 एकड़ तक कितनी भी भूमि हो। जो भूमि आपके पास कहीं उपलब्ध है, तो अपने वित्तीय संसाधन के आधार पर वहॉं डिग्री कॉलेज बनाने के बारे में सरकार विचार करेगी। आपने यह दिक्कत व्यक्त की, कि काफी बड़ा क्षेत्र है, वहॉं पढ़ने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है और 30–35 किलामीटर पैदल चलना पड़ता है। इसलिए आपको यह उत्तर दिया गया कि यदि आपके पास जमीन उपलब्ध है तो उस पर राजकीय महाविद्यालय बनाने पर विचार किया जायेगा।

श्री यतीश्वरानन्द–

मान्यवर, कम से कम कितनी जमीन की आवश्यकता पड़ेगी ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, एक एकड़ जमीन की आवश्यकता पड़ेगी।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा हूँ कि जैसा कि आपने कहा कि एक से पाँच एकड़ तक डिग्री कॉलेज के लिए जमीन की आवश्यकता पड़ती है...

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, अगर आपके पास है तो बन जायेगा।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, जिस विधान सभा क्षेत्र में बहुत आवश्यक हो डिग्री कॉलेज होना, माना वहाँ पर जमीन नहीं है तो क्या सरकार उसके मानकों को शिथिल करने पर विचार करेगी ? दूसरा, माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि जैसे ऋषिकेश में एक हमारा जो महाविद्यालय था, वह ऑटोनॉमस बन गया है। वहाँ पर हमारे हजारों छात्र–छात्राओं को एडमिशन नहीं मिल रहा है। इस कारण वहाँ अतिआवश्यक है डिग्री कॉलेज की। इन्हीं मानकों के कारण वहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, महाविद्यालय बनाने में। क्या सरकार मानकों को शिथिल करते हुए ऋषिकेश में नया महाविद्यालय बनाने पर विचार करेगी ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, उनका तो प्रश्न लालढांग का है तो यह प्रश्न नहीं बनता है, लेकिन फिर भी यदि आप कोई प्रस्ताव भेजेंगे और वित्तीय संसाधन उपलब्ध हुआ तो प्राथमिकता दी जायेगी।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, मेरा सवाल यह था कि क्या सरकार मानकों में शिथिलता करेगी ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, शिथिलता तो आपके प्रस्ताव पर निर्भर करेगा। मैं सदन में अभी बयान थोड़ी दे सकती हूँ। मान्यवर, आप प्रस्ताव लायें तब शिथिलता की बात होगी।

श्री यतीश्वरानन्द–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि लालढांग के अन्दर डिग्री कॉलेज खोलने के मानक हैं या नहीं ? सरकार ने इसके लिए कोई

समिति बनायी है या नहीं ? सरकार यहां पर जांच करेगी कि डिग्री कॉलेज खोलने के मानक पूरे हैं या नहीं ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, समिति का प्रश्न नहीं हैं आप उस क्षेत्र के माननीय विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं। यदि आपकी जानकारी मे यहां पर कोई भूमि कम या ज्यादा उपलब्ध हो तो उसका प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, तब मानकों के बारे में भी विचार कर लिया जायेगा।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि यदि आपके पास जमीन उपलब्ध है तो विचार कर लिया जायेगा।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आप लालढांग के बारे मे बात कर रहे हैं ?

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, मैं केवल मानकों की बात कर रहा हूँ। आपने कहा कि आप भूमि उपलब्ध करायें। माननीय मंत्री जी से एक सवाल यह है कि यदि जमीन उपलब्ध हो तो क्या सरकार सरकारी जमीन पर महाविद्यालय बनाने पर विचार करेगी ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यदि आपका प्रस्ताव आयेगा तो सरकार जमीन देखेगी कि जमीन उपलब्ध है या नहीं। मान्यवर, आप प्रस्ताव तो भेजें। (व्यवधान) मान्यवर, कल्पना पर न सरकारें चलती हैं और न कल्पना पर विकास होता हैं मैं कल्पना पर उत्तर देने के लिए सक्षम नहीं हूँ।

श्री संजय गुप्ता–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि वर्ष, 2001 में लक्सर मे महाविद्यालय खुला हुआ था। लेकिन आज तक भूमि का हस्तान्तरण भी नहीं हुआ है। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, प्रत्येक माननीय सदस्य अपने–अपने विधान सभा क्षेत्र का सवाल पूछ रहे हैं, जबकि प्रश्न केवल लालढांग का है।

श्री संजय गुप्ता–

मान्यवर, मै उसी प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछ रहा हूँ। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आप सीधे–सीधे प्रश्न करें। आप प्रश्न क्या पूछना चाहते हैं।

श्री संजय गुप्ता–

मान्यवर, वहां पर लोक निर्माण विभाग की जमीन थी जो उस पर लो0नि0वि0 के तीन ब्लॉक खुले थे। आज वहां पर तीन खण्डहर टूटे हुए हैं। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप प्रश्न पूछें। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री यतीश्वरानन्द–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं वहां पर कॉलेज के लिए जमीन उपलब्ध कराकर प्रस्ताव दे देता हूँ तो कब तक सरकार वहां पर कॉलेज बना देगी ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, प्रश्न के उत्तर में लिखा है कि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आलोक में विचार किया जायेगा। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री यतीश्वरानन्द–

मान्यवर, मैं लालढांग क्षेत्र में कॉलेज खोलने की बात कर रहा हूँ। यह कोटद्वार से लगा हुआ क्षेत्र है और वहां से कोटद्वार तथा हरिद्वार के बीच की लगभग 35 से 40 किलोमीटर की दूरी है। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आपके प्रश्न का उत्तर आ गया है और कोई प्रश्न है तो बतायें।

श्री यतीश्वरानन्द–

मान्यवर, वहां पर कॉलेज के लिए पैसों की व्यवस्था कब तक हो जायेगी ? (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आज सप्लीमैंट्री बजट पास कर दो, फिर देख लेंगे कितने पैसे बचते हैं।

लो0नि0वि0 में छोटी छोटी निविदाएँ आमंत्रित करने के सम्बन्ध में

***5. श्री दिनेश धनै–**

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि लोक निर्माण विभाग में पूर्व की भांति

उत्तराखण्ड राज्य में बड़ी निविदायें आमंत्रित न कर छोटी–छोटी निविदायें आमंत्रित करने पर सरकार विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

निविदा, आमंत्रण कार्य की लागत एवं विशिष्टियों पर निर्भर करती है, जिस हेतु प्रचलित शासनादेशों एवं विभागीय सर्कुलर के अनुसार कार्यवाही की जाती है। वर्तमान में काफी संख्या में कार्यों को छोटी निविदाओं के माध्यम से भी कराया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न–5

श्री दिनेश धनै–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि यह जो बड़ी–बड़ी निविदायें हैं, इनसे हमारे पूरे उत्तराखण्ड में जो हमारे बेरोजगार भाई हैं जिनका शोषण हो रहा है, इसी के परिप्रेक्ष्य में मैं यह जानना चाह रहा हूँ कि ये जो बड़ी–बड़ी निविदायें हैं, इनको हम छोटी निविदाओं के माध्यम से इनका काम सरकार को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, सबके लिए नियम बने हुए हैं, ए.बी.सी.डी. चार श्रेणियों में ठेकेदारों का पंजीकरण है, जिलेवार मेरे पास ठेकेदारों के पंजीकरण की सूची भी है, जो सी और डी श्रेणी के ठेकेदार हैं, वे छोटी निविदाओं के अन्तर्गत ही कार्य करते हैं और जो बड़े कार्य हैं वो बड़ी निविदाओं के अन्तर्गत कार्य होते हैं, उसमें ई–टेण्डरिंग की व्यवस्था पिछले वर्ष से की गई है, ई–टेण्डरिंग के माध्यम से काम्पिटिटिव बिडिंग के आधार पर उन्हें कार्य दिया जाता है। वैसे इसमें ऑडिट आब्जेक्शन आता रहा है कि जो बड़े कार्य हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग में तो यह पहले से ही लागू है, लेकिन जो बड़े कार्य हैं, बड़ी सड़कें बनानी हैं, वो काम्पिटिटिव बिडिंग से ही किया जाए, जिनके पास क्षमता भी हो और जिनके पास टैक्निकल बिडिंग के आधार पर संसाधन भी हो।

श्री दिनेश धनै–

माननीय अध्यक्ष जी, जितने भी पहाड़ों में आज ई–टेण्डरिंग के आधार पर काम कराये जा रहे हैं, उनमें पहाड़ की भौगोलिक परिस्थिति का उनको ज्ञान न होकर, उसमें ई–टेण्डरिंग के माध्यम से कोई कलकत्ता से टेण्डर डाल

रहे हैं, कोई बंगाल से डाल रहा है और वहाँ से टेण्डर डालने के बाद वहाँ से सबलेट कर देते हैं और सबलेट करने के बाद जब कार्य पहाड़ के लोग करते हैं तो वो अपना पेमेण्ट लेकर चले जाते हैं, लेकिन पहाड़ का जो बेरोजगार है, उसका पेमेण्ट नहीं होता और उसकी गुणवत्ता भी गिर रही है, तो इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर सरकार कोई निर्णय करने जा रही है, जिससे हमारी पहाड़ों की सड़कों की गुणवत्ता ठीक हो सके और पहाड़ के जो बेरोजगार लोग हैं, जो वहाँ मजदूरी के रूप में काम करते हैं, उनके साथ भी इन्साफ हो सके और कम्पनियो पर भी सरकार नियंत्रण कर सके ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कॉम्पटीटिंग बिडिंग के लिए हमारे क्षेत्र के ठेकेदार के पास उतनी कैपेसिटी नही है, यह सही है। उनके पास कैपेसिटी बिडिंग नहीं है, इसलिए अधिकतर बाहर के लोग बड़े टेंडरों में ई–टेण्डरिंग के माध्यम से भागीदारी करते हैं, हमें यह प्रयास करना चाहिए, जो सरकार का भी सुझाव होगा विभाग के लिए कि कैपेसिटी बिल्डिंग, स्थानीय जो लोग, जो सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, चाहे ए, बी, सी, या डी श्रेणी में तो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में उनकी सहायता करें। यह सही है कि बाहर के लोग इसी लिए टेण्डर ले पाते हैं, कि वो टेक्निकल बिडिंग में फेल हो जाते हैं कि उनके पास अपने संसाधन नहीं होते हैं, लेकिन सड़कें टेक्निकल बिडिंग के आधार पर बनाने के लिए हमारे लिए आवश्यक होगी, अच्छी, बड़ी और मुख्य सड़कें और जो छोटी–छोटी सड़कें हैं, वो बी, सी, डी श्रेणी को मिलती हैं, तो यह सही है कि बाहर के लोग सबलेट करते हैं, सबलेट पर सख्त कदम उठाने के निर्देश हैं, सख्त से सख्त कदम उठाये जायें। सबलेट करने वालों के ऊपर, कितने उठाये जा रहे हैं, उस पर कितनी सख्ती हो रही है, इसको अवश्य देखना पड़ेगा। आपकी बात सही है।

श्री दिनेश धनै–

मान्यवर, उसमें जो शर्तें लगाई जाती हैं, उसमे सरकार शिथिलता करेगी कि जिसको भौगोलिक परिस्थिति का ज्ञान हो पर्वतीय क्षेत्र मे, उनको जलवायु का ज्ञान है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग मे जो शर्तें हैं, उनको जिस प्रकार के एपरेटस चाहिए वो वहाँ के लोग नही ले रहे हैं, यदि वे चाहें तो ग्रुप बनाकर ले सकते है, बैंक उनको फाईनेन्सिंग कर सकती है, पर यह प्रयास नहीं किया गया कि इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो, स्थानीय प्रतिनिधियों को प्रयास करना चाहिए, हमारे लोगों को यह काम मिले कि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो, उन्हे बैंको से

फाईनेन्स भी किया जा सकता है यदि उनके पास मशीन ही नहीं होगी तो उसमें शिथिलता क्या करेंगे ?

श्री दिनेश धनै–

माननीय अध्यक्ष जी, काम सब स्थानीय लोग कर रहे हैं, चाहे जितने बड़े टेण्डर हों।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, पूरा करने के लिए क्या वे अपनी मशीनरी दे देते हैं।

श्री दिनेश धनै–

मान्यवर, उनके पास सब कुछ है, लेकिन कुछ शर्तें है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यदि आप बतायेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र के ऐसे ठेकेदार जिनकी कैपेसिटी है और उनको कार्य नही मिल रहा है, इसका संज्ञान सरकार अवश्य लेगी।

श्री दिनेश धनै–

मान्यवर, उनको इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि कोई बगाल मे बैठकर ई–टेण्डरिंग के माध्यम से टेण्डर डाल देते हैं, उसमे कुछ शर्तें ऐसी हों कि जब तक स्थानीय स्तर पर निरीक्षण नही किया जायेगा।...................

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, ई–टेण्डरिंग की व्यवस्था तो पारदर्शिता को दृष्टिगत रखते हुए बनाई गई है, ई–टेण्डरिंग मे स्थानीय भी डाल सकता है और पूरे देश से कोई भी डाल सकता है, लेकिन अगर उनकी कैपेसिटी है और फिर भी उनको कार्य नही मिल रहा है या ई–टेण्डरिंग में किसी आधार पर कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, इसमें बीच में तो कोई है नहीं। ई–टेण्डरिंग मे जो लोएस्ट आ रहा है, उसको दिया जा रा है।

श्री दिनेश धनै–

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्रो की स्थिति यह है कि जो लोग बेरोजगार हैं, वे कम्प्यूटर प्रणाली से इतने ज्यादा भिज्ञ नहीं है और पर्वतीय क्षेत्र में जितने ठेकेदार हैं, वे भी। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इसका मतलब आप चाहते हैं कि ई–टेंडरिंग हो।

श्री दिनेश धनै–

मान्यवर, आप सरकार के अन्दर है। आप ये प्रस्ताव लिखकर माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन को भेज दीजिए, इसके बारे में विचार होगा।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। ई–टेण्डरिंग हो, हम यह नही कह रहे हैं। सवाल यह है कि कोलकता में बैठे हुए आदमी को उत्तरकाशी की नॉलेज नही रहती है। उसमें एक क्लॉज ये डाल दिया जाय कि जिसको पर्वतीय क्षेत्र का ज्ञान भी हो। यदि यह क्लॉज सरकार उसमे डाल दे तो कई चीजें सुधर सकती हैं। क्या सरकार यह क्लॉज डाल देगी ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने ठीक कहा, लेकिन जो बाहर के लोग बना रहे हैं, उन्होने तमाम जम्मू कश्मीर से लेकर बहुत जगहो पर, पर्वतीय क्षेत्रों में बनाया है केवल यही लाईन लिखने से पहाड़ का भला नहीं होगा। इसमे या तो ई–टेण्डरिंग व्यवस्था को खत्म करके हम स्थानीय लोगों को कैपिसिटी देंगे। यह करना होगा, तभी भला हो सकता है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो कहा है, यह बात बिल्कुल सही है कि सारा सबलेट हो रहा है। ठेकेदार बाहर बैठा रहता है, लेकिन सबलेट सब यहां हो रहा है।

श्री दिनेश धनै–

मान्यवर, सबलेट मे गुणवत्ता भी गिर रही है। कई सड़के आज भी ऐसी हैं, जो खराब पड़ी हुई हैं।

हरिद्वार के ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र एवं लक्सर के गाँवों की फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के उपाय

***6. श्री यतीश्वरानन्द–**

क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री अवगत है कि जनपद हरिद्वार के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के हरिद्वार एवं लक्सर के मध्य पडने वाले 30–35 गाव जंगली जानवरो द्वारा फसलों को नुकसान पहुँचाये जाने से बुरी तरह प्रभावित हैं ?

यदि हॉ, तो क्या सरकार उक्त ग्रामो को जगली जानवरो से बचाने हेतु कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हॉ, तो क्या ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी हॉ।

ग्रामीणों की फसलों को जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु दीवाल निर्माण, खाई खुदान एवं वास स्थलो का सुधार आदि कार्य किये गये है।

प्रश्न नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न संख्या–06

श्री यतीश्वरानन्द–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि उत्तर दिया गया कि हाथियों को रोकने के लिए, जंगली जानवरो को रोकने के लिए, वहां पर दीवार बनायी गयी हैं खाई खोदी गयी, घास लगाये गये हैं, लेकिन इतना मुझे जरूर मालूम है कि अब तक इस क्षेत्र के अन्तर्गत कही पर भी दीवार नही बनायी गयी है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि किस स्थान पर, किस गांव मे, कितनी ऊँचाई और कितनी चौड़ाई की दीवार बनायी गयी है ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को पूरी जानकारी दे रही हूँ। मान्यवर, ग्रामीणों की फसलों को वन्य जीवो से सुरक्षा हेतु राजाजी राष्ट्रीय पार्क के जनपद हरिद्वार में दक्षिणी सीमा पर 06 कि0मी0 दीवाल निर्माण कार्य किया गया हैं दीवाल काफी मोटी होती है और बहुत पैसो से बनती है, इसलिए सरकार के स्तर पर ही बनायी जाती है तथा शेष क्षेत्र मे दीवाल निर्माण कार्य का प्रस्ताव है। मान्यवर, संवेदनशील स्थलो पर हाथी अवरोधक खाई खुदान कार्य किया गया है। खाई खुदान से ही हाथी सबसे ज्यादा रूक पा रहा है, जो हमारा निजी अनुभव भी है। 10 कि0मी0 सोला फेंसिंग की गई है। इसकी दिक्कत यह है कि जब तक ग्रामीण क्षेत्र के लोग उसका रख–रखाव या संरक्षण नहीं कर पायेंगे तो यह कुछ समय बाद फेल हो जायेगी। मान्यवर, सोला फेंसिंग से ज्यादा सफल खाई खुदान हुआ है। मान्यवर, प्रोजेक्ट ऐलीफेंट के अन्तर्गत वन्य जीवों के वास स्थलों का सुधार किया जा रहा है, ताकि वन्य जीव अपने प्राकृतिक निवास से चारा आदि की तलाश में आबादी क्षेत्रों में न जाने पाये। मान्यवर, प्रभावित क्षेत्र में नीलगाय, सुअर व बन्दरो को नष्ट करने की अनुमति प्रभागीय वनाधिकारी स्तर पर दी गयी है। हम केवल नीलगाय, सुअर और बंदर को तो खतम कर सकते है, शेष को नहीं। जंगली जानवरो द्वारा फसलो को नुकसान पहुंचाये जाने पर सम्बन्धित कृषको को नियमानुसार मुआवजा दिये जाने का प्राविधान है। मान्यवर, सिविल क्षेत्र में मध्य सिविल भूमि के किनारे जगजीतपुर, मिस्सपुर, अजीतपुर, पजनहेड़ी, कटारपुर, जियापोता, बिशनपुर, बिशनपुर कुण्डी से सजनी माजरा तक 13.50 कि0मी0 में सोलर फैन्सिंग लगाने का प्रस्ताव है, जिसमें लगभग 7 कि0मी0 क्षेत्र में सोलर फैन्सिंग लगाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। मान्यवर, हरिद्वार वन प्रभाग को बंदर बाड़े बनाने हेतु बजट अवमुक्त कर दिया गया है तथा बन्दर बाड़े हेतु स्थल चयन कर बन्दर बाड़े निर्माण की कार्यवाही की जा रही है। मान्यवर, हरिद्वार वन प्रभाग के अन्तर्गत वर्तमान तक उक्त क्षेत्रों में हाथियो द्वारा फसल

क्षति के 168 मामले हैं, जिसके सापेक्ष देय अनुग्रह धनराशि ₹ 4.24 लाख बनती है, जिनमें से 35 मामलों के सापेक्ष ₹ 94.5 हजार का भुगतान किया जा चुका है एवं शेष मामलों के भुगतान की कार्यवाही बजट उपलब्धता के आधार पर शीर्ष प्राथमिकता के साथ की जा रही है। मान्यवर, सुअरों द्वारा फसल क्षति के मामलों पर नियंत्रण करने की दृष्टि से सुअरों, नीलगायों से ग्रामीणों की फसलों को बचाने हेतु चयनित शिकारियों को सुअर, नीलगायों को नष्ट करने हेतु इन क्षेत्रों मे 20 परमिट जारी कर दिये गये हैं। 20 एकड़ ईंच मे बिड़ियापुर, टनकपुर और नन्दप्रयाग मे बन्दरों के लिए बाड़े बना दिये गये हैं और सरकारी पैसे से विकास नगर से लेकर, कालसी से लेकर शारदा नदी तक, जो हाथी कोरिडोर का क्षेत्र है, उसमे कार्य कराया जा रहा हैं जहाँ चिकनी मिट्टी है, वहाँ खाई खोदी जा रही है और खाई खोदने के बाद बबूल, खैर और रामबांस आदि के पेड़ लगाए जा रहे हैं। हल्दूचौड़ से देवलचौड़ तक 5 फुट नीचे से 3 फुट ऊपर तक चौड़ी बड़ी दीवार बनाई जा रही है इससे भी हाथी रूक जाते हैं। इसमे हर एक में 25 से 30 लाख रुपये तक खर्च होते हैं। यह जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार ही इस पर काम करती है।

श्री यतीश्वरानन्द–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से केवल हरिद्वार ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के बारे मे जानकारी चाही है। यह बात ठीक है, निश्चित रूप से मेरी भी बात 8–10 दिन पहले डी0एफ0ओ0 से हुई थी। उन्होंने कहा था कि 14 किलो मीटर जो तार है, वह वहाँ से सैंक्शन हो चुकी है, लेकिन जैसा कि दीवार का विषय आया कि दीवार 9 किलोमीटर बनाई है, हरिद्वार ग्रामीण विधान सभा के अन्दर जगली जानवरों को रोकने के लिए कोई भी दीवार का निर्माण नहीं किया गया है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, तीन जगह किया गया है, बिड़ियापुर, यह शायद आपके क्षेत्र में नही आता, टनकपुर और नन्दप्रयाग ....।

श्री यतीश्वरानन्द–

मान्यवर, बिड़ियापुर मेरे क्षेत्र में आता है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, बिड़ियापुर, टनकपुर और नन्दप्रयाग, मेरे पास जो सूचना है, उसमें 20 एकड़ ईंच दीवार की बात कही गयी है।

श्री यतीश्वरानन्द–

माननीय अध्यक्ष जी, मै आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर 15–20 गाँव ऐसे है, जहाँ पर लोगो ने जंगली जानवरों के

कारण खेती करना बन्द कर दिया है न वे लोग गन्ना बोते हैं, न धान बोते हैं, केवल इसी कारण से, क्योंकि जंगली जानवर उनको बिल्कुल नष्ट कर देते हैं। आप उस क्षेत्र को जंगली जानवरों से निजात दिलाने के लिए क्या कार्यवाही, किस समय तक करेंगे ? यह आश्वासन, माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से चाहता हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

मान्यवर, हमने भारत सरकार से इस कार्य हेतु धन की मांग की है और यह हमको स्वीकृत हुआ है इसमें मैंने आपको बताया कि विकास नगर कालसी से लेकर शारदा नदी तक और नीचे कुमाऊँ क्षेत्र में पूरा, इस पर प्रोजेक्ट बन चुका है, इसमें बन्दरों से भी सुरक्षा, सुअरों से भी सुरक्षा, हाथी से भी सुरक्षा है। सोलर फैंसिंग आदि में दिक्कत है क्योंकि स्थानीय सहयोग नहीं मिल पाता, फिर यह ठीक से लगाई भी नहीं गयी थी। सोलर फैंसिंग के लिए कहते है कि नीचे इसका बेस अगर बनाकर लगाओगे तो अधिक चलेगी। उस बेस के लिए हम रूपये की व्यवस्था नहीं थी। अब रूपये की व्यवस्था कर दी गयी है, उसका बेस बनाकर सोलर फैंसिंग की जाएगी। पूरे पर्वतीय क्षेत्र में यह व्यवस्था की जा रही है। यह सही है कि इन जानवरो से भारी नुकसान किसानो को हो रहा है। छोटे–मोटे किसान हैं, जिनकी रोजी–रोटी इसी से चलती थी। पूरे गन्ने आदि की खेती जानवरों के कारण चौपट हो जाती है। किसान काफी परेशान हैं। इस पर हम लगातार शुरू से प्रयास करते रहे कि इसका निदान हो। यह सही है,इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। अभी उस स्तर पर प्रयास इसलिए नहीं हो सका था क्योंकि हमारे पास उतना धन नहीं था। इस समय हमने अच्छे धन की व्यवस्था कर दी है और तेजी से यह प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आगामी 5–6 महीने और साल भर के अन्दर आपको लगेगा कि जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान से किसानों को, आम आदमी को राहत पहुँची है।

श्री माल चन्द—

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी, हाथियों की बात तो आ गयी कि हाथियों से नुकसान पहुँचता है लेकिन पर्वतीय क्षेत्र मे, बेसिकली मेरे क्षेत्र में, सुअरों ने कई लोगों को घायल किया है, जिसकी जानकारी शायद आपको भी होगी। क्या वहाँ पर सुअरों और बन्दरो से बचाव के लिए भी सरकार कोई उपाय करेगी ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

मान्यवर, आपको यह पता है, यह तो हम नहीं चाहेंगे कि लोग घायल हो जाएं, लेकिन जंगली जानवरों से जो घायल हुए हैं, उससे सम्बन्धित एक प्रश्न भी है। जो घायल हुए हैं, उनकी राहत राशि 10 गुना ज्यादा बढ़ादी गयी है। जैसे पहले थी, गन्ने पर 200 रुपया प्रति एकड़ और धान, गेहूँ, तिलहन पर 3500 रुपया प्रति एकड़ और सम्पूर्ण फसल, जो अन्य पर है, वह 2000 प्रति एकड़ है। इसे बढ़ाकर गन्ने पर 25 हजार रुपया प्रति एकड़ कर दिया गया है। (व्यवधान) घायलों का भी है, यह भी बता रही हूँ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

नोट :—तारांकित प्रश्न संख्या—06 के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

राज्य आन्दोलनकारियों का पुनः चिन्हीकरण

*7. श्री पुष्कर सिंह धामी–

क्या मुख्यमंत्री बताने कष्ट करेंगे कि क्या सरकार राज्य आन्दोलनकारियों के पुनः चिन्हीकरण किये जाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक आन्दोलनकारियों का चिन्हीकरण किया जायेगा ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी हाँ।

राज्य आन्दोलनकारियों के चिन्हीकरण हेतु अन्तिम तिथि 31–03–2013 तक निर्धारित की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में खनन नीति का स्वरूप तथा बेरोजगारों को खनन पट्टे का आवंटन

*8. श्रीमती विजया बड़थ्वाल–

क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में खान नीति का क्या स्वरूप है ?

क्या नीजि भूमि मे खनन की अनुमति है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा नदियों में खनन के पट्टे स्थानीय बेरोजगार युवकों को आवंटित किये जायेंगे ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

उत्तराखण्ड खनिज नीति–2001 की प्रति संलग्न है।†

जी हाँ।

उत्तराखण्ड खनिज नीति–2011 के अनुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नही उठता।

---

† देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ सं0 243–249 पर

* 9. श्रीमती विजया बड़थ्वाल–

न्यायालय में विचाराधीन होने के आधार पर निरस्त।

*10. श्री भीमलाल आर्य–

अस्पष्टता एवं निरर्थकता के आधार पर निरस्त।

*11. श्रीमती विजया बड़थ्वाल–

द्वितीय गुरूवार के तारांकित 15 में स्थानान्तरित।

नैनीताल में औद्योगिक आस्थान, भीमताल की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण के फलस्वरूप किसानों के आश्रितों को रोजगार हेतु कार्यवाही

*12. श्री दान सिंह भण्डारी–

क्या उद्योग मंत्री अवगत हैं कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत औद्योगिक आस्थान भीमताल की स्थापना हेतु पूर्व में वहां के किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया था, जिसके उपरान्त यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के अन्तर्गत वहां उद्योग लगाये गये थे ?

यदि हॉं, तो क्या सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण फलस्वरूप प्रभावित किसानो की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए लगाये गये उद्योगों में किसानो के आश्रितो को रोजगार व मुआवजा दिलाये जाने हेतु कोई घोषणा की गयी ?

यदि हॉं, तो क्या ? मंत्री जी अवगत हैं कि वर्तमान में अधिकतर उद्योग बन्द हो चुके है ?

यदि हॉं, तो क्या ? सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण किये गये किसानों के आश्रितो को रोजगार प्रदान करने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ?

यदि हॉं, तो क्या ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी हॉं।

प्रकरण उत्तर प्रदेश के समय का है। अतः पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं है।

प्राप्त सूचना के अनुसार यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा वहां पर 60 औद्योगिक इकाईयो को भू–खण्ड आवंटित किये गये थे, जिसमे से 27 इकाईयां कार्यरत हैं।

प्रदेश के बेरोजगारों को न्यूनतम 70 प्रतिशत सेवायोजन/रोजगार सुनिश्चित कराये जाने के दृष्टिगत औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के आदेश पूर्व में ही निर्गत किये गये हैं।

प्रश्न नही उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

*13. श्री मदन कौशिक–

पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।

प्रदेश में शराब की दुकानों को आबादी से दूर ले जाने अथवा बन्द करने हेतु कार्ययोजना।

*14. श्री मदन कौशिक–

क्या आबकारी मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड राज्य में जगह–जगह प्रदेश की जनता द्वारा गाँवों के नजदीक शराब की दुकानों को बन्द करने हेतु आन्दोलन किया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा शराब की दुकानों को आबादी से दूर ले जाने अथवा बन्द करने हेतु कोई कार्ययोजना तैयार की गयी है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी हाँ।

जी हाँ।

दुकानो की स्थिति के सम्बन्ध मे जनविरोध होने पर जनहित/राजस्वहित में दुकानों को दूर ले जाकर व्यवस्थित करने अथवा बन्द करने हेतु शासन की अधिसूचना संख्या–327/XXII/2012/01/(36)/2011, दिनांक 25.04.2012 द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी/आबकारी आयुक्त को अधिकृत किया गया है।

प्रश्न नही उठता।

*15. श्री मदन कौशिक–

द्वितीय गुरूवार के तारा0 14 में स्था0।

*16. श्री पूरण सिंह फर्त्याल–

द्वितीय शुक्रवार के तारा0 01 में स्था0।

*17. श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

द्वितीय गुरूवार के तारा० 13 में स्थानान्तरित।

राज्य में जंगली जानवरों द्वारा नष्ट होने वाली फसल हेतु मुआवजा राशि बढ़ाने पर विचार

*18. श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य मे जंगली जानवरो द्वारा नष्ट की जा रही फसल हेतु सरकार द्वारा दी जा रही मुआवजा राशि क्या है ?

क्या सरकार फसल की मुआवजा राशि बढ़ाने पर विचार कर रही है ?

यदि हॉं, तो कब तक और कितनी ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जंगली जानवरों द्वारा नष्ट की जा रही फसल हेतु दी जा रही मुआवजा राशि निम्नलिखित सूची में उल्लिखित दरा के अनुसार है :–

जंगली हाथियों तथा सुअरों के द्वारा ग्रामीणो की फसलों को क्षति पहुॅचाए जाने की दशा मे देय आर्थिक सहायता की दरे :–

कृषि फसल का प्रकार	क्षति की मात्रा	देय धनराशि (₹ मे)
गन्ना	सम्पूर्ण फसल	4000 प्रति एकड़
धान/गेहू/तिलहन	सम्पूर्ण फसल	3500 प्रति एकड़
उपरोक्त फसलो को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के फसलों के क्षतिग्रस्त होने पर	सम्पूर्ण फसल	2000 प्रति एकड़

जी हॉं।

शासन द्वारा निम्न प्रकार उक्त दरों को संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया है और यथाशीघ्र शासनादेश जारी किया जायेगा।

जंगली हाथियों, जंगली सुअरो, नील गायों तथा बन्दरों के द्वारा कृषि फसलों को क्षति पहुँचाये जाने की दशा में देय अनुग्रह राशि की दरें :-

कृषि फसल का प्रकार	क्षति की मात्रा	देय धनराशि (रु में)
गन्ना	सम्पूर्ण फसल	25000 प्रति एकड़
धान/गेहूँ/तिलहन	सम्पूर्ण फसल	15000 प्रति एकड़
उपरोक्त फसलों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के फसलों के क्षतिग्रस्त होने पर	सम्पूर्ण फसल	8000 प्रति एकड़

प्रश्न नहीं उठता।

देहरादून के ऋषिकेश के रिहायशी क्षेत्रों में वन्य जीवों द्वारा जान माल की हानि की घटनाओं की रोकथाम

*19. श्री प्रेम चन्द अग्रवाल-

क्या वन मंत्री अवगत है कि जनपद देहरादून के ऋषिकेश विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत प्रगतिविहार, गीतानगर, बापूग्राम, खदरी, भट्टोवाला, गौहरीमाफी, गुमानीवाला, रायवाला, साहबनगर, बकजोगी, छिद्रवाला आदि रिहायशी क्षेत्रों मे हाथियों एव जगली जानवरो के हमलों से जान माल की हानि की घटनाओं की रोकथाम हेतु सरकार क्या उपाय कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा-

रिहायशी क्षेत्रो में हाथियों एवं जंगली जानवरो के हमलो से जान माल की हानि की घटनाओ के रोक-थाम हेतु वन विभाग द्वारा दीवार बन्दी करना, पॉवर फन्सिंग करना, हाथी रोधक खाई खुदान, नियमित गश्त करना, पैट्रोलिंग एव जन सामान्य में जन जागरूकता अभियान आदि उपाय किये जाते है।

प्रश्न नहीं उठता।

*20. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना-

द्वितीय शुक्रवार के तारा0 02 में स्था0।

स्थगित अतारांकित प्रश्न

जंगली जानवरों द्वारा पालतू पशुओं को मारे जाने पर मुआवजे के लम्बित प्रकरण

1. श्री अजय भट्ट–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जंगली जानवरों द्वारा गाय, भैंस व बकरी आदि पालतू पशुओं को मारे जाने पर सम्बन्धित को मुआवजा देने का प्राविधान है ?

यदि हाँ, तो उत्तराखण्ड में ऐसे कितने प्रकरण, किस सन् से लम्बित है तथा सरकार कब तक सभी लम्बित प्रकरणों का भुगतान करेगी तथा इन्हे आज तक मुआवजा न दिये जाने के क्या कारण है ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी हाँ।

उत्तराखण्ड में इस प्रकार के कुल 5053 प्रकरण वर्ष 2009–10 से लम्बित है। बजट उपलब्धता के आधार पर शीर्ष प्राथमिकता के साथ लम्बित प्रकरणों के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

अतारांकित प्रश्न

जनपद चम्पावत के अन्तर्गत मनोली सिल्योली मोटर मार्ग का निर्माण

1. श्री ललित फर्स्वाण–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे जनपद चम्पावत के विकास खण्ड पाटी मे मनोली सिल्योली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव भेजा है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

क्या मंत्री जी यह भी अवगत है कि अवैध रूप से किये गये निर्माण कार्य मे जिन पेड़ो का दोहन हुआ है, उस पर भारत सरकार के स्तर से कोई जॉच हुई है ?

यदि हाँ, तो अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी नही।

प्रश्न नही उठता।

जी नही।

प्रश्न नही उठता।

अल्मोड़ा के सल्ट में 40 सड़कों के लम्बित प्रस्तावों का विवरण

2. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के साल्ट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्तमान समय तक कुल कितनी सड़कों के प्रस्ताव किस–किस स्तर पर लम्बित है ?

क्या सरकार तत्सम्बन्धी पृथक्–पृथक् पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत वर्तमान समय तक 40 सड़को के वन भूमि प्रस्ताव विभिन्न स्तर पर लम्बित है, जिनका विवरण निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	लम्बित स्तर पर प्रस्तावो का विवरण	राज्य योजना	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
1.	भारत सरकार	02	01
2.	नोडल अधिकारी (वन विभाग)	06	–
3.	वन संरक्षक	01	–
4.	खण्ड स्तर	20	06
5.	प्रभागीय वनाधिकारी	–	04
	योग :–	29	11

जी हॉ। लम्बित स्तर पर मार्गों का विवरण सलग्न है।†

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में उद्योगों के विकास हेतु पूँजी निवेश का विवरण एवं बेरोजगारों को उद्योगों में रोजगार

3. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विगत एक वर्ष से प्रदेश में उद्योगों के विकास हेतु कहा–कहा और कितने प्रस्ताव पूँजी निवेश हेतु प्राप्त हुए हैं तथा कितने उद्योगपतियो ने उत्तराखण्ड राज्य में पूँजी निवेश प्रारम्भ कर दिया है ?

† देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ सं0 250–251 पर।

क्या सरकार तत्सम्बन्धित पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ?

क्या सरकार उक्त उद्योगों में उत्तराखण्ड के बेरोजगारो को विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों के गरीब बेरोजगारो को रोजगार दिये जाने हेतु कोई ठोस कदम उठा रही है ?

यदि हॉं, तो क्या और कब ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

विवरण संलग्न है।†

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के बेरोजगारों को न्यूनतम 70 प्रतिशत सेवायोजन/रोजगार सुनिश्चित कराये जाने के दृष्टिगत औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के आदेश पूर्व में ही निर्गत किये गये है।

प्रश्न नही उठता।

प्रश्न नही उठता।

जनपद टिहरी के धनसाली के सीमान्त सुदूर गॉंवों को मोटर मार्ग से जोड़ने के सम्बन्ध में

4. श्री भीमलाल आर्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि विधान सभा क्षेत्र घनसाली (टिहरी गढ़वाल) के सीमान्त सुदूर ग्राम गंगी, पिनस्वाड़, गवाली (भारीकटूड) व सामणगांव (भिलंग), लैंणी, बुढ़वा, सौड़, गंवली (भिलंग), कागड़ा (केमर), नौली (केमर), लोदरा (गोनागढ़), आर्सा (गोनगढ़), नैकचाला (बासर) आदि गॉंवों को सरकार मोटर मार्ग से जोडने पर विचार करेगी ?

यदि हॉं, तो कब तक ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

विधान सभा क्षेत्र घनसाली (टिहरी गढ़वाल) के अन्तर्गत ग्राम गंगी, लैंणी, बुढ़वा, सौड़ को मोटर मार्ग से जोडे जाने की स्वीकृति राज्य योजनान्तर्गत एवं ग्राम पिनस्वाड़ को मोटर मार्ग से जोडे जाने की स्वीकृति प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत प्रदान की गई है, परन्तु मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नही हो पाया है।

ग्राम गेंवाली (भारी कटूड़) को संयोजकता प्रदान करने हेतु तिनगरवाल–गेंवाली नाम से मोटर मार्ग प्रस्तावित है, जिस हेतु प्रारम्भिक सर्वेक्षण/डी0पी0आर0 गठन का कार्य गतिमान है।

---

† देखिये नत्थी 'ङ आगे पृष्ठ सं0 252 पर।

ग्राम आर्सा (गोनगढ़) को मोटर मार्ग संयोजकता प्रदान किये जाने हेतु प्रथम चरण से सम्बन्धित कार्यों की स्वीकृति राज्य योजनान्तर्गत प्रदान की गई है। जिसके अन्तर्गत मार्ग सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है, परन्तु ग्राम सौंप के ग्रामीणों द्वारा मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि देने में विवाद किया जा रहा है।

उक्त के अतिरिक्त ग्राम रामणगांव (भिलंग), कांगड़ा (केमर), नौली (केमर), लोदरा (गोनागढ़), नैकाण्डा (नारार) को मोटर मार्ग से जोड़े जाने की स्वीकृति सम्प्रति प्रदान नहीं की गई है, जो कि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नही उठता।

जनपद टिहरी के घनसाली अन्तर्गत फलेण्डा एवं घुत्तू जल विद्युत परियोजना से प्रभावित गाँवों की समस्याओं का समाधान।

5. श्री भीमलाल आर्य–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र घनसाली (टिहरी गढ़वाल) के अन्तर्गत फलेण्डा जल विद्युत परियोजना व घुत्तू जल विद्युत परियोजना से प्रभावित गावों की समस्याओं के समाधान हेतु सरकार विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

अवगत कराना है कि राज्य में फलेण्डा जल विद्युत परियोजना व घुत्तू जल विद्युत परियोजना के नाम से कोई जल विद्युत परियोजना स्वीकृत नही है।

प्रश्न नही उठता।

प्रश्न नही उठता।

वन विभाग द्वारा वर्ष 2010 से 2012 तक पौधों का निःशुल्क रोपण तथा जनता को निःशुल्क पौध उपलब्ध कराने सम्बन्धी योजना

6. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में वन विभाग द्वारा 2010–11 व 2011–12 में किन–किन विभागों को कितने–कितने पौधें निःशुल्क रोपण हेतु उपलब्ध कराये गये थे तथा रोपण हेतु दिये गये पौधों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

क्या सरकार वन विभाग के द्वारा जनता को भी निःशुल्क पौध रोपण हेतु उपलब्ध करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

वित्तीय वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में विभिन्न विभागों को निःशुल्क उपलब्ध कराये गये पौधों का विवरण संलग्नक–1 एवं 2 में दिया गया है।† रोपित पौधों की देख–रेख सम्बन्धित विभागों द्वारा की जा रही है।

जी नहीं। वन विभाग द्वारा स्थानीय जनता को निःशुल्क पौध उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में कोई योजना विभाग में प्रचलित नहीं है।

जनपद देहरादून अन्तर्गत धनौल्टी एवं प्रदेश के अन्य स्थानों में ईको पार्क की स्थापना।

7. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या वन मंत्री अवगत हैं कि पारिस्थितिकीय पर्यटन से राजस्व अर्जन करने और स्थानीय लोगों को रोजगार देने हेतु मसूरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत धनोल्टी में इको पार्क की स्थापना की गई है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी ईको पार्कों की स्थापना करेगी ?

यदि हाँ, तो क्या अल्मोड़ा जिले में साल्ट विधान सभा क्षेत्र के मरचूला, मानिला और जौरासी रेंज में भी इस तरह के ईको पार्कों की स्थापना की जायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी हाँ।

ईको पार्क/ईको टूरिज्म को बढ़ावा दिये जाने के लिये 'पारिस्थितिकीय पर्यटन विकास निगम' का गठन विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वन विभाग द्वारा पौध रोपण, प्रशिक्षण व भ्रमण कार्यक्रमों से प्राप्त रोजगार एवं महिलाओं की संख्या का विवरण

8. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु विभाग द्वारा पौध लगाने, प्रशिक्षण व भ्रमण कार्यक्रम कराये गये थे ?

---

† देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ सं0 253–254 पर।

यदि हाँ, तो उक्त कार्यक्रमों से प्रदेश में कितनी महिलाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है तथा उसका पूर्ण विवरण क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी हाँ।

प्रदेश में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु विभाग द्वारा महिला किसान पौधालय योजना वर्ष 2008–09 से चलाई जा रही है जिसके अन्तर्गत वर्ष 2010–11 तक लगभग 85 लाख पौध उगाई जा चुकी है। जिसमे लगभग 1205 महिलाओं को रोजगार की प्राप्ति हुई है। वर्ष 2012–13 में इस योजना के अन्तर्गत 16 लाख पौध तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है तथा साथ ही महिला समूह द्वारा तैयार की गई पौध को बाई बैक करने का प्राविधान है, ताकि धनराशि सीधे महिला समूह के खाते में हस्तान्तरित की जा सके। साथ ही महिलाओं को क्षमता विकास हेतु प्रदेश मे वर्ष 2011–12 में 60 महिला समूह के शिविर वन पंचायतो में लगाये गये और 65 रेंज स्तरीय कार्यशाला भी आयोजित करायी गयी तथा विभिन्न स्थानो पर 198 आय अर्जक गतिविधियों से सम्बन्धित प्रशिक्षण जैसे कढ़ाई, बुनाई वर्मी कम्पोस्ट आदि का प्रशिक्षण देते हुए भ्रमण कार्यक्रम भी करवाये गये ताकि महिलाओं को स्वरोजगार के प्रति जागरूक किया जा सके।

प्रश्न नहीं उठता।

9\. **श्री भीमलाल आर्य–**

प्रथम मंगलवार के अता0 76 में स्था0।

प्रदेश में वनीकरण हेतु गठित ईको टास्क फोर्स में भूतपूर्व सैनिकों, युवाओं एवं महिलाओं को रोजगार का विवरण

10\. **श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–**

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि भूतपूर्व सैनिको को रोजगार देने हेतु वनीकरण करने मे जो ईको टास्क फोर्स का गठन किया गया है, उसमें प्रदेश के कितने भूतपूर्व सैनिको को रोजगार प्राप्त हुआ है ?

क्या उक्त योजना मे प्रदेश के युवाओं व महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा ? यदि हाँ, क्या सरकार सम्पूर्ण विवरण सदन क पटल पर रखेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

ईको टास्क फोर्स गठन के पश्चात वर्ष, 2012 तक 1833 भूतपूर्व सैनिकों

को रोजगार दिया गया है, जिसमे से 973 भूतपूर्व सैनिक सेवा निवृत्त हो चुके हैं तथा 860 भूतपूर्व सैनिक वर्तमान में कार्यरत है।

ईको टास्क फोर्स के गठन के फलस्वरूप स्थानीय युवाओ को पौधशाला चौकीदार तथा घोड़ों खच्चरों से पौध ढुलान के रूप में 40 युवाओ को रोजगार दिया गया है तथा स्थानीय महिलाओं को महिला किसान पौधालय से पौध क्रय कर 60 महिलाओं को रोजगार प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त मनरेगा के तहत वृक्षारोपण की देख–रेख में अभी तक 50 महिलाओं व युवाओ को रोजगार दिया गया है।

प्रश्न नही उठता।

चमोली के थराली में विद्युतीकृत गाँवों की संख्या

11. डॉ0 जीत राम–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेगे कि जनपद चमोली के अन्तर्गत थराली विधान सभा के अन्तर्गत थराली विधान सभा क्षेत्र के कितने गांवों का अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है ?

सरकार कब तक इन गावो को विद्युतीकृत कर देगी ?

श्री विजय बहुगुणा–

जनपद चमोली के अन्तर्गत थराली विधान सभा क्षेत्र मे कोई राजस्व ग्राम विद्युतीकरण हेतु शेष नही है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केवल 100 से अधिक जनसंख्या वाले तोको को ही विद्युतीकरण की अनुमति दी गयी थी तथा उनका व्यय भी ₹ 4.00 लाख से कम होना चाहिये था। अतः इस कारण से लगभग 48 तोक विद्युतीकरण से वंचित रह गये थे।

केन्द्रीय सरकार को 12 वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना मे 25 से अधिक जनसंख्या वाले तोको को भी योजना में शामिल कर विद्युतीकरण करने हेतु प्रस्ताव मै0 ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि0, को प्रेषित किया गया है। केन्द्रीय सरकार एव नोडल एजेन्सी म0 ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि0, द्वारा दिशा–निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त तोकों का विद्युतीकरण करना सम्भव हो सकेगा।

जनपद ऊधमसिंह नगर के नानकमत्ता स्थित झनकट में के0वी0 सब स्टेशन की स्थापना

12. श्री प्रेम सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नानकमत्ता विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत झनकट (खटीमा) मे 33/11 के0वी0 सब स्टेशन की स्थापना की जानी है ?

यदि हाँ, तो उपरोक्त स्थापना कब तक की जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी हाँ।

नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत झनकट (खटीमा) में एक नग 33/11 के०वी० उपसंस्थान प्रस्तावित है। उक्त उपसंस्थान हेतु भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही की जा रही है। भूमि अध्याप्ति के उपरान्त ही स्थापना की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

कार्बेट नेशनल पार्क से बफर जोन से सटे गाँवों के निवासियों की मूलभूत सुविधाएँ

13. **श्री दलीप सिंह रावत–**

क्या वन मंत्री अवगत है कि राज्य के कार्बेट नेशनल पार्क से बफर जोन से सटे गाँवों के लोगो के हक–हकूक, चारागाह, यातायात, सड़क, पेयजल, विद्युत आदि सुविधाओं से वंचित है ?

यदि हाँ, तो उक्त गाँवों के निवासियों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करवाने की दिशा म सरकार की क्या योजना है ?

श्री विजय बहुगुणा–

कार्बेट नेशनल पार्क से बफर जोन से सटे गाँवो के लोगो को हक–हकूक को छोड़कर अन्य सुविधायें जैसे चारागाह, पेयजल तथा विद्युत आदि की सुविधायें उपलब्ध हो रही है तथा स्थानीय लोगों के पालतू पशुओं द्वारा बफर जोन में चुगान किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के सल्ट पॉलिटैक्निक में ट्रेडों का विस्तार

14. **सुरेन्द्र सिंह जीना–**

क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री अवगत है कि जनपद अल्मोड़ा मे सल्ट पॉलिटैक्निक का निर्माण 1984 मे 3 ट्रेडों की स्वीकृति के साथ हुआ था ?

यदि हाँ, तो उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के उपरान्त वर्तमान मे भी वहां केवल एक ही ट्रेड चल रहा है ?

क्या सरकार वहां अन्य रोजगारपरक ट्रेडों को बढ़ाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

राजकीय पॉलिटेक्निक, सल्ट की स्थापना वर्ष, 1984 में मात्र एक ट्रेड (इलैक्ट्रॉनिक्स) के साथ की गयी थी।

जी हॉं।

राजकीय पॉलिटेक्निक सल्ट, जनपद अल्मोड़ा के लिए वर्ष, 2006 में आई0टी0 एवं कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम स्वीकृत कर दिये गये हैं। उक्त पाठ्यक्रमों को संचालित किये जाने हेतु 19 पदों को स्वीकृत किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

अल्मोड़ा के सल्ट में डी0पी0आर0 द्वारा स्वीकृत वल्मरा स्याल्दे केदार मोटर मार्ग का निर्माण

15. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा की सल्ट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वल्मरा स्याल्दे केदार मोटर मार्ग की डी0पी0आर0 22/7/2011 से वित्तीय स्वीकृति हेतु लम्बित है ?

यदि हॉं, तो क्या सरकार 2004 से लम्बित उक्त सड़क की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ करेगी ?

यदि हॉं, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

प्रश्नगत मोटर मार्ग के कि0मी0 9 से 15 तक के निर्माण कार्य की डी0पी0आर0 शासन में प्राप्त है। प्रश्नगत मोटर मार्ग की 15 कि0मी0 लम्बाई में निर्माण की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2003–04 में प्रदान की गयी है, परन्तु मार्ग संरेखण में आच्छादित वन भूमि की विधिवत् स्वीकृति वन विभाग से दिनांक 31 अगस्त, 2010 को प्राप्त हुयी है। तदोपरान्त उक्त स्वीकृति के सापेक्ष कि0मी0 01 से 08 तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ करते हुये वर्तमान तक 7.75 कि0मी0 लम्बाई में पहाड़ कटान कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा क्रास ड्रेनेज का कार्य प्रगति पर है इसके आगे कि0मी0 9 से 15 तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु शासन में प्राप्त पुनरीक्षित डी0पी0आर0 की स्वीकृति पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाना सम्भव होगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के सल्ट में 5 वर्ष से लम्बित स्वीकृत मोटरमार्ग का कार्य आरम्भ

16. **श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–**

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा की साल्ट विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत कितने ऐसे मोटर मार्ग हैं, जिनकी स्वीकृति को 5 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है तथा वर्ष, 2012 तक उनकी भारत सरकार से वनभूमि स्वीकृत कराने की कार्यवाही पूर्ण नही हो पाई है ?

क्या सरकार शीघ्र कार्यवाही पूर्ण कर मोटर मार्गों का कार्य आरम्भ करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

प्रश्नगत मोटर मार्गों की संख्या 26 है।

उक्त मोटर मार्गों के निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धित कार्यवाही विभिन्न स्तरों पर गतिमान है। अतः भारत सरकार से वनभूमि की विधिवत् स्वीकृति के उपरान्त ही प्रश्नगत मोटर मार्गों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना सम्भव होगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नही उठता।

प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को इमारती लकड़ी अनुदान के रूप में उपलब्ध कराने सम्बन्धी

17. **श्री प्रेम सिंह–**

क्या वन मंत्री अवगत है कि प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगो को पूर्व मे वन विभाग द्वारा इमारती लकड़ी अनुदान (माफी) के रूप में उपलब्ध करवाई जाती थी किन्तु उक्त व्यवस्था वर्तमान में समाप्त कर दी गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त व्यवस्था को पुनः प्रारम्भ किये जाने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

पर्वतीय क्षेत्र के अन्तर्गत निवास करने वाले वन क्षेत्रो के निकटस्थ ग्रामों के ग्रामवासियों को जिनमे अनुसूचित जाति व जनजाति भी सम्मिलित है, वन

विभाग द्वारा इमारती लकड़ी उनकी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्धारित मात्रा में हक–हकूक नियमानुसार उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है। जिन्हें हक–हकूक के रूप में निःशुल्क प्रकाष्ठ दिया जा रहा है। अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को अलग से निःशुल्क इमारती लकड़ी उपलब्ध कराये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। संरक्षित क्षेत्रों में विदोहन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। संरक्षित क्षेत्रों की लकड़ी का अनुमोदन नहीं दिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के महाविद्यालयों में कार्यरत विजिटिंग प्रवक्ताओं एवं संविदा शिक्षकों का विनियमितीकरण

18. श्री प्रेम सिंह–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के महाविद्यालयों में कार्यरत विजिटिंग प्रवक्ताओं एवं संविदा शिक्षकों को सरकार विनियमितीकरण करने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी हाँ। दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त प्रवक्ताओं की सेवाओं का विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

प्रवक्ताओं की सेवाओं के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में विचार किये जाने हेतु शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 2164/XXIV(7)/26(1)11/2012, दिनांक 15 फरवरी, 2012 द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। समिति की रिपोर्ट/संस्तुतियां प्राप्त होने पर यथास्थिति अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

19. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

द्वितीय सोमवार के अता0 67 म स्था0।

ईको टूरिज्म के विकास हेतु दक्षिण अफ्रीका जाने वाले दल, तत्सम्बन्धी व्यय एवं दल की अध्ययन रिपोर्ट

20. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या वन मंत्री को ज्ञात है कि वर्ष, 2006 में ईको–टूरिज्म के विकास हेतु कोई अध्ययन दल दक्षिण अफ्रीका गया था ?

यदि हाँ, तो दल में कौन–कौन सदस्य शामिल थे ?

क्या सरकार तत्सम्बन्धित व्यय का पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ?

क्या वन मंत्री जी अध्ययन दल द्वारा बनायी गयी अध्ययन रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी हाँ।

वर्ष, 2006 मे ईको–टूरिज्म के विकास हेतु तत्कालीन मा0 वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री नवप्रभात की अध्यक्षता में निम्न जन प्रतिनिधि/अधिकारियों का अध्ययन दल दक्षिण अफ्रीका गया था :–

1. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, तत्कालीन मा0 सदस्य, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
2. श्री डी0बी0एस0 खाती, भा0व0से0, तत्कालीन मुख्य वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. श्री विनोद सिंघल, भा0व0से0, तत्कालीन वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनि–की–रेती।
4. श्री जी0एस0 पाण्डे, भा0व0से0, तत्कालीन निदेशक, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, उत्तराखण्ड, देहरादून।

अध्ययन दल द्वारा ₹ 6.88 लाख की धनराशि का एकमुश्त बिल प्रस्तुत किया गया है। विवरण संलग्न है।†

भ्रमण मे सम्मिलित सदस्यों द्वारा संयुक्त अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी हैं अध्ययन रिपोर्ट संलग्न है। †

प्रश्न नही उठता।

21. श्री पूरन सिंह–

द्वितीय गुरूवार के अता0 08 में स्था0।

जनपद हरिद्वार के लक्सर में सड़कों का पुनर्निर्माण।

22. श्री संजय गुप्ता–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के लक्सर विधानसभा क्षेत्र में जैतपुर से मुण्डा खेड़ा कलां व जैतपुर से खलप्जा एवं खलप्जा से बोहला तथा कूड़ी भगवान पुर रेलवे फाटक से केवल पुरी होते हुए

† देखिये नत्थी 'झ' एवं 'ञ' पीछे क्रमशः पृष्ठ संख्या 255 एवम 256–262 पर।

कबूल पुरी सागघटी तक सड़कों का पुनः निर्माण कराने पर सरकार विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

प्रश्न में इंगित सड़कों में से कूड़ी भगवानपुर रेलवे फाटक से केवलपुरी होते हुए कबूलपुरी, सागघटी तक 2.00 कि0मी0 लम्बाई में सड़क पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य हेतु 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत ₹ 190.67 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त अन्य इंगित सड़कों से सम्बन्धित कार्य की स्वीकृति सम्प्रति प्रदान नहीं की गई है, जो कि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार के लक्सर स्थित राजकीय महाविद्यालय संचालन हेतु भूमि का हस्तान्तरण तथा निर्माण कार्य

23. श्री संजय गुप्ता–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के लक्सर नगर में स्थित राजकीय महाविद्यालय जो कि लोक निर्माण विभाग की भूमि पर ब्लॉक के जर्जर भवन में संचालित किया जा रहा है ?

क्या मंत्री जी अवगत हैं कि उक्त भूमि का हस्तान्तरण व भवन निर्माण अभी तक नहीं किया गया है ?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा उक्त भूमि का हस्तान्तरण व निर्माण कार्य कब तक किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी हाँ।

जी हाँ।

भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही विभाग एवं जिला प्रशासन हरिद्वार के मध्य गतिमान हैं भूमि उपलब्ध होने के पश्चात् निर्माण कार्य हेतु वित्तीय संसाधनों के आलोक में धनराशि अवमुक्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

हरिद्वार के ग्रामीण वि0स0 क्षेत्र ग्राम कांगड़ी से सजनपुर पीली तक सड़क के मध्य मिनी पुल का निर्माण

24. **श्री यतीश्वरानन्द–**

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम कांगड़ी से लेकर सजनपुर पीली तक 6 किलोमीटर की सड़क के मध्य पड़ने वाले मिनी पुल के न बनने से आम जनता को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सड़क एवं इसके मध्य पड़ने वाले मुढ़ाल स्रोत पुल का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ करने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी हाँ।

कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

25. **श्री यतीश्वरानन्द–**

द्वितीय बुधवार के अता0 11 में स्था0।

प्रदेश में संविदा, वर्कचार्ज एवं ठेकेदारी प्रथा में नियुक्त कर्मियों की स्थाई अथवा नियमित नियुक्ति

26. **श्री दिनेश धनै–**

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में संविदा, वर्कचार्ज एवं ठेकेदारी प्रथा में नियुक्त कर्मियों को स्थाई नियुक्ति अथवा नियमित रूप से नियुक्ति देने पर सरकार विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

संविदा, कार्यप्रभारित दैनिक वेतन, नियत वेतन, अंशकालिक एवं तदर्थ रूप से नियुक्त ऐसे कार्मिकों, जिन्होंने दिनांक 01 नवम्बर, 2011 को निरन्तर 10 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, के विनियमितीकरण हेतु "दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण नियमावली, 2011," निर्गत की गई है।

ठेकेदारी प्रथा में नियुक्तियां, नियोक्ता द्वारा सीधे नहीं की जाती है, बल्कि सेवा प्रदाता संस्था के माध्यम से सेवाएं आउट सोर्स की जाती है। अतः

ठेकेदारी प्रथा से नियुक्त कार्मिकों को नियमित नहीं किया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में लो०नि०वि० के खण्डीय कार्यालय में डी श्रेणी के ठेकेदारों की पंजीकरण व्यवस्था समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में

27. **श्री दिनेश धनै–**

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत ठेकेदारों के डी श्रेणी का पंजीकरण किये जाने की व्यवस्था खण्डीय कार्यालय में समाप्त कर दी गयी है ?

यदि हाँ, तो कब ?

क्या सरकार डी श्रेणी का पंजीकरण खण्डीय कार्यालय में पूर्व की भांति जारी रखने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

व्यवस्था पूर्व की भाँति यथावत् है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

हरिद्वार के लालढांग में रसूलपुर मिट्ठीबेरी में खासन नदी पर पुल निर्माण

28. **श्री यतीश्वरानन्द–**

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के लालढांग में रसूलपुर मिट्ठीबेरी में खासन नदी के ऊपर पुल न बनने से क्षेत्रवासियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पुल का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ करने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी हाँ।

उक्त पुल का 300 मी0 लम्बाई में निर्माण किये जाने के लिये प्रथम से सम्बन्धित कार्यों हेतु शासनादेश सं0–4092/III–2/12–61(एक्यू0)/2012, दिनांक 12–10–2012 के द्वारा ₹ 33.96 लाख की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

प्रथम चरण के कार्य पूर्ण होने पर द्वितीय चरण के आगणन की स्वीकृति के उपरान्त उक्त पुल का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना सम्भव होगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

हरिद्वार में विद्युत मीटर खराब होने, फुकने या अति भारित होने पर उपभोक्ता से दण्ड स्वरूप धन वसूली

29. **श्री यतीश्वरानन्द–**

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत है कि जनपद हरिद्वार में विद्युत विभाग के द्वारा जो मीटर लगाए गए है, उसका किराया बिल के साथ प्रत्येक माह जुड कर आता है ?

क्या यह सत्य है कि विभाग द्वारा मीटर खराब या फुँक जाने पर उपभोक्ता से 700 रुपये से लेकर 1400 रुपये तक वसूले जाते है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध मे कोई कार्यवाही करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

प्रदेश में यूपीसीएल द्वारा जो मीटर लगाये जाते हैं, उनका किसी प्रकार का किराया उपभोक्ता के बीजक मे नहीं लिया जाता है।

यदि उपभोक्ता के मीटर का डिस्प्ले या कोई तकनीकी खराबी होती है तो उस दशा मे विभाग द्वारा मीटर की कीमत नही ली जाती है, यदि मीटर अति भारित होने से या उपभोक्ता के परिसर के अन्दर किसी अन्य दोष के कारण जल जाता है तो स्टॉक ईशू रेट 2012–13 में अंकित सिंगल फेस मीटर की कीमत ₹ 1200.00 तथा थ्री फेस मीटर की कीमत ₹ 3600.00 जमा कराने का प्राविधान है, किसी कार्यवाही आवश्यकता नही है।

प्रश्न नही उठता।

प्रश्न नही उठता।

हरिद्वार के रसूलपुर मिठीबेरी से आर्यनगर गोट मलोलपुरा ढंडियानवाला में जर्जर सड़कों का निर्माण

30. **श्री यतीश्वरानन्द–**

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार के ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के ग्राम रसूलपुर मिठीबेरी से आर्य नगर गोट मलोलपुरा ढंडियानवाला में सड़कों की हालत बहुत जर्जर होने से आए दिन दुर्घटना होती रहती है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सड़कों को बनाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी हाँ।

उक्त सड़कों के निर्माण हेतु प्रथम चरण से सम्बन्धित कार्यों की स्वीकृति शासनादेश सं0–1433/III–2/11–12(मु0मं0घो0)/2009 टी0सी0–1, दिनांक 25–03–2011 के द्वारा प्रदान की गई है।

द्वितीय चरण के आगणन की स्वीकृति के उपरान्त उक्त सड़कों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

हरिद्वार के ग्रामीण वि0स0 क्षेत्र में विभिन्न सड़कों का जीर्णोद्धार

31. **श्री यतीश्वरानन्द–**

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार के ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सुल्तानपुर के दुर्गागढ़ तक सड़क निर्माण एवं भोगपुर रोड के समीप स्थित शिव स्टोन क्रेशर से टांडाभामल होते हुए भोगपुर रामलीला ग्राउण्ड तक पक्की सड़क का निर्माण तथा धनपुरा पीलबाजार से सिरसूपुरा होते हुए घोंटी चौक भक्कनपुर रोड तक सड़क निर्माण कार्य न होने के कारण जनता को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सड़कों का जीर्णोद्धार/निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने पर विचार कर रही ह ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी हाँ।

कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार के लक्सर स्थित ग्राम सीधडू एवं एथल बजुर्ग के बीच पथरी नदी पर पुल का निर्माण।

32. **श्री संजय गुप्ता–**

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार की तहसील लक्सर के अन्तर्गत ग्राम सीधडू व एथल बजुर्ग के बीच पथरी नदी पर सम्पर्क पुल न होने के कारण ग्रामवासियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है ?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा उक्त पुल कब तक बनाया जायेगा ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी हाँ।

कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

पौड़ी गढ़वाल में यमकेश्वर के रामझूला एवं लक्षमण झूला पैदल पुल पर दोपहिया वाहन बन्द होने पर वेद निकेतन में प्रस्तावित पुल का निर्माण

33. **श्रीमती विजया बड़थ्वाल–**

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत रामझूला पैदल पुल एवं लक्ष्मणझूला पैदल पुल को दो पहिया वाहनों हेतु बन्द किया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा स्वर्गाश्रम, लक्ष्मणझूला में आने–जाने वाले पर्यटकों के लिए वेद निकेतन में प्रस्तावित पुल का निर्माण कब तक कराया जायेगा ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी हाँ। दोनो पुलो पर दो पहिया वाहनों के आवागमन रोके जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय में जनहित याचिका संख्या 52/2012, विचाराधीन है।

कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

पौड़ी अन्तर्गत राजाजी नेशनल पार्क में रहने वाले वन गूजरों का विस्थापन।

34. श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत राजाजी नेशनल पार्क मे रहने वाले सभी वन गूजरो को विस्थापित कर दिया गया है ?

यदि हॉ, तो क्या सरकार द्वारा बफर जोन में रहने वाले ग्रामीणों को भी विस्थापित किया जायेगा ?

यदि नही, तो बफर जोन में रहने वाले ग्रामीणो को अवस्थापना सुविधायें कब तक उपलब्ध कराई जायेगी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी नही। वर्ष, 1998 मे की गयी गणना के अनुसार राजाजी राष्ट्रीय पार्क के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल मे 342 गूजरो में से 308 गूजर परिवारो को गैण्डीखाता में विस्थापित किया जा चुका है तथा शेष 34 गूजरो को विस्थापित किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।

राजाजी राष्ट्रीय पार्क में बफर जोन नही है।

प्रश्न नही उठता।

पौड़ी अन्तर्गत यमकेश्वर में खराब विद्युत लाईन तथा विद्युत वितरण खण्ड कोटद्वार में अभियन्ताओं की नियुक्ति

35. श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र में अधिकतर विद्युत लाईन खराब रहती है ?

क्या मंत्री जी यह भी अवगत हैं कि विद्युत वितरण खण्ड, कोटद्वार में सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ताओं की बहुत कमी है ?

यदि हॉ, तो क्या सरकार निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत वितरण खण्ड, कोटद्वार में अभियन्ताओं की नियुक्ति हेतु विचार करेगी ?

यदि हॉ, तो कब तक ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जनपद पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र मे विद्युत लाईन अधिकांशतः खराब नहीं रहती है। चूकि यह क्षेत्र विषम पर्वतीय क्षेत्र ह व विद्युत

लाईनें जंगलों से होकर जाती है, इसलिए बरसात के दिनों में यदा–कदा विद्युत लाईनो मे फाल्ट आने से विद्युत आपूर्ति खराब हो जाती है।

विद्युत वितरण खण्ड कोटद्वार में स्वीकृत 04 सहायक अभियन्ताओं के पदों पर नियमित तैनाती कर दी गयी है, खण्ड में अवर अभियन्ताओं के स्वीकृत 15 पदों के विरूद्ध 07 अवर अभियन्ता कार्यरत है, अवर अभियन्ता की नियुक्ति प्रक्रिया गतिमान है तथा नये अवर अभियन्ताओ को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दो अवर अभियन्ता वर्तमान में कोटद्वार में ही प्रशिक्षण ले रहे है। प्रक्रिया पूरी होने पर स्वीकृत पदो पर तैनाती कर दी जायेगी।

कोटद्वार मे अब सहायक अभियन्ताओं की तैनाती कर दी गयी है। खण्ड में अवर अभियन्ताओं के स्वीकृत 15 पदों में विरूद्ध 07 अवर अभियन्ता कार्यरत है। अवर अभियन्ताओं की नियुक्ति/पदोन्नति की प्रक्रिया वर्तमान मे गतिमान है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

पौड़ी अन्तर्गत ग्राम झांवणासार (आमसौंड) में बालिका की हत्या की जाँच प्रगति

36. श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या मुख्यमंत्री अवगत है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम झांवणासार (आमसौंड) मे एक बालिका की घास जाते समय हत्या कर दी है ?

यदि हाँ, तो पुलिस ने हत्यारों का पता लगा दिया है ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी हॉ।

घटना की जॉच सी0बी0सी0आई0डी0 से कराये जाने के आदेश दिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

37. श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

न्यायालय में विचाराधीन होने के आधार पर निरस्त।

ऊधमसिंह नगर के खटीमा में पखीन नदी पर पक्के पुल का निर्माण

38. श्री पुष्कर सिंह धामी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र खटीमा में पखीन नदी पर पक्के पुल का निर्माण करने की कोई योजना विचाराधीन है ?

यदि हॉ, तो कब तक उक्त पुल का निर्माण कार्य आरम्भ किया जायेगा ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

कार्य स्वीकृत नही है।

प्रश्न नही उठता।

ऊधमसिंह नगर के खटीमा में पृथक राज्य आन्दोलन में शहीदों की याद में शहीद दिवस मनाने के सम्बन्ध में

39. श्री पुष्कर सिंह धामी–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत खटीमा मे पृथक राज्य आन्दोलन के दौरान हुए गोलीकांड मे शहीदों की याद मे क्या सरकार 01 सितम्बर, को खटीमा मे शहीद दिवस के रूप मे मनाने पर विचार कर रही है ?

यदि हॉ, तो 01 सितम्बर, 2013 को खटीमा में शहीद दिवस मनाया जायेगा ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी नहीं।

जी नहीं।

राज्य स्थापना दिवस पर राज्य के सभी शहीद आन्दोलनकारियो को याद करते हुये श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है तथा शहीद आन्दोलनकारियों के आश्रितों को भी पूर्व में राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त सुविधायें प्रदान की गयी हैं।

जनपद बागेश्वर के कपकोट व काण्डा स्थित राजकीय पॉलीटैक्निक में अनुदेशक के सृजित पद

40. श्री ललित फर्स्वाण–

क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय पॉलीटेक्निक, कपकोट व कांडा में अनुदेशकों के कुल कितने पद सृजित हैं ?

यदि नही, तो कब तक पद सृजित किये जायेंगे ?

श्री विजय बहुगुणा–

राजकीय पॉलीटेक्निक, कपकोट व कांडा मे अनुदेशक का पद सृजित नहीं है।

राजकीय पॉलीटेक्निक, कपकोट व काण्डा में अनुदेशक के पद सृजन का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

नागेश्वर के कपकोट के मल्ला दानपुर क्षेत्र में यू०पी०सी०एल० के माध्यम से विद्युतीकरण।

41. श्री ललित फर्स्वाण–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट के मल्ला दानपुर क्षेत्र में यू०पी०सी०एल० के माध्यम से विद्युतीकरण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है ?

यदि हाँ, तो कब तक विद्युतीकरण किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

यह क्षेत्र उरेडा द्वारा विद्युतीकृत है, जिसका संचालन एवं अनुरक्षण उरेडा विभाग द्वारा किया जाता है। इस क्षेत्र में कुल 14 गांव एवं 37 मजरें आते हैं, जिनमें लगभग 1728 परिवार निवास करते हैं। यह एक वनाच्छादित, दुर्गम एवं आपदाग्रस्त क्षेत्र है। अतः शुरू से ही इस पूरे क्षेत्र का विद्युतीकरण उरेडा द्वारा किया जाता है। अतः यूपीसीएल ग्रिड से जोड़ने में अनुमानित लागत लगभग ₹ 600.00 लाख आयेगी, जिसमें 33/11 केवी बिजलीघर तथा सम्बन्धित लाईन कार्य भी सम्मिलित है तथा भविष्य में इन लाईनों का रख–रखाव भी बहुत कठिन है।

जनपद पौड़ी के यमकेश्वर में 33 के०वी० सब स्टेशन का प्रारम्भ

42. श्रीमती विजया बड़थ्वाल–

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर में स्थापित 33 के०वी० सब स्टेशन से विद्युत लाईनें संचालित न होने के क्या कारण हैं ?

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि कब तक 33 के०वी० सब स्टेशन को प्रारम्भ किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर में स्थापित 33/11 के०वी० सब स्टेशन बिजलौ बड़ी से वर्तमान में विद्युत संचालन बन्द है

दिनांक 04.06.2012 को बिजनी नडी सब स्टेशन में स्थापित VCB पैनलों में खराबी आ गई थी, जिन्हें ठीक करवाकर विद्युत संचालन शुरू करने के प्रयास किये गये परन्तु दिनांक 28.07.2012 को 32/33 के0वी0 सब स्टेशन सतपुली में स्थापित सतपुली-बिजनी नडी 33 केवी सर्किट ब्रेकर में खराबी आ गई थी, जिस कारण प्राथमिक सब स्टेशन सतपुली से 33 केवी0 सप्लाई बन्द होने के कारण बिजनी नडी सब स्टेशन से विद्युत संचालन बन्द है परन्तु वर्तमान में इस क्षेत्र में 33 केवी सब स्टेशन, करयाली से विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

132/33 केवी सब स्टेशन सतपुली में खराब सर्किट ब्रेकर को ठीक करवाने का कार्य पिटकुल द्वारा किया जा रहा है। सतपुली प्राथमिक उपकेन्द्र से 33 केवी सप्लाई मिलने पर बिजनी नडी सब स्टेशन से विद्युत संचालन प्रारम्भ कर दिया जाएगा।

प्रश्न नहीं उठता।

पौड़ी के यमकेश्वर में कौड़िया किमसार रोड का डामरीकरण

43. श्रीमती विजया बड़थ्वाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत कौड़िया किमसार रोड, विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर के डामरीकरण हेतु धन स्वीकृत किया है ?

यदि हॉ, तो क्या सरकार कौड़िया किमसार रोड के 12 कि0मी0 का डामरीकरण अतिशीघ्र करायेगी ?

यदि हॉ, तो क्या मोटर मार्ग के डामरीकरण हेतु निविदायें विज्ञापित कर दी गई है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उक्त मोटर मार्ग के 12.30 कि0मी0 लम्बाई में पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य हेतु शासनादेश सं0–6023/III–2/11–96 (प्रा0आ0)/2011, दिनांक 13 दिसम्बर, 2011 के द्वारा मात्र प्रथम चरण से सम्बन्धित प्रक्रियात्मक कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है। मार्ग का यह भाग राजाजी नेशनल पार्क के अधीन है। अतः निर्माण कार्य हेतु वन विभाग की अनुमति/अनापत्ति प्राप्त होने के उपरान्त कार्य हेतु द्वितीय चरण (विस्तृत आगणन) की स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार किया जायेगा।

ऊधमसिंह नगर के खटीमा के चक्करपुर से बगीया घाट सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण

44. श्री पुष्कर धामी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र खटीमा में चक्करपुर से लेकर बगीया घाट सम्पर्क मार्ग का पुनः निर्माण किये जाने सम्बन्धी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो कब तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य आरम्भ किया जायेगा ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

कार्य स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न नही उठता।

ऊधमसिंह के खटीमा के महाविद्यालयों में कॉमर्स सहित अन्य विषय खोलने पर विचार

45. श्री पुष्कर सिंह धामी–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र खटीमा में खटीमा महाविद्यालय मे कॉमर्स सहित अन्य विषय खोले जाने पर विचार किया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नही, तो क्यो ?

श्री विजय बहुगुणा–

राजकीय महाविद्यालय खटीमा मे कॉमर्स सहित अन्य विषय खोले जाने के सम्बन्ध महाविद्यालय मे उपलब्ध सुविधाओं अध्ययनरत छात्र संख्या एवं पद सृजन हेतु वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आलोक में विचार किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नही उठता।

ऊधमसिंह नगर के खटीमा में पॉलिटेक्निक एवं आई0टी0आई0 तकनीकी शिक्षा संस्थान खोलने पर विचार

46. श्री पुष्कर सिंह धामी–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत विधानसभा

क्षेत्र खटीमा में पॉलिटेक्निक एवं आई0टी0आई0 तकनीकी शिक्षण संस्थान न होने के कारण स्थानीय छात्रों को तकनीकी शिक्षा हेतु अन्य शहरों में जाना पड़ रहा है ?

यदि हॉ, तो क्या सरकार द्वारा क्षेत्र के छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में पॉलिटेक्निक एवं आई0टी0आई0 तकनीकी शिक्षण संस्थान खोले जाने पर विचार कर रही है ?

यदि हॉ, तो कब तक पॉलिटेक्निक एवं आई0टी0आई0 तकनीकी शिक्षण संस्थान खोले जायेंगे ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

प्रदेश के राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों एवं आई0टी0आई0 में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश दिये जाते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि सम्बन्धित क्षेत्र के अभ्यर्थी को स्थानीय क्षेत्र के पॉलिटेक्निक एवं आई0टी0आई0 में प्रवेश प्राप्त हो सके। अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा में प्राप्त वरीयता एवं काउन्सिलिंग के आधार पर संस्थान आवंटित किये जाते हैं।

इस प्रकार की कोई कार्य योजना विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत काशीपुर, शक्तिफार्म एवं पन्तनगर में राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान तथा सितारगंज, काशीपुर, किच्छा, गदरपुर, दिनेशपुर, बाजपुर एवं जसपुर में आई0टी0आई0 संस्थानों से छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्रदान की जा रही है।

पौड़ी के यमकेश्वर में विगत चार वर्षो में लगे ट्रांसफार्मर तथा गुणवत्ता की जॉच

47. श्रीमती विजया बड़थ्वाल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर में पिछले चार वर्षों से आज तक कुल कितने विद्युत ट्रांसफार्मर लगाये गये है तथा उक्त ट्रांसफार्मरो के खराब होने के कारण क्या है ?

क्या सरकार ट्रांसफार्मर की गुणवत्ता की जॉच करायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर में पिछले चार वर्षों से आज तक विभिन्न ग्रामों में 122 ट्रांसफार्मर नए लगाए हैं वर्तमान में

विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत कुल 884 ट्रांसफार्मर स्थापित है, जिनमे से पिछले चार वर्षों मे 172 ट्रांसफार्मरों के खराब होने के मुख्यतः निम्न कारण है :–

1. आसमानी बिजली गिरना।
2. कुछ ट्रांसफार्मर 25–30 वर्ष पुराने स्थापित थे जो कि समय के साथ–साथ कार्यक्षमता मे आई गिरावट के कारण आन्तरिक दोष से खराब हुए हैं

विभिन्न ट्रांसफार्मरो को आपूर्तिकर्ता/फर्मों से लेने से पूर्व उनकी गुणवत्ता की जांच करवायी जाती है।

प्रश्न नही उठता।

टिहरी के थाना घनसाली में पुलिस हिरासत में युवक श्री सरोप सिंह की हत्या की सी0बी0आई0 जाँच

48. श्री भीमलाल आर्य–

क्या गृह मंत्री अवगत है कि विधानसभा क्षेत्र घनसाली (टिहरी गढ़वाल) के थाना घनसाली मे दिनाक 21/05/2011 को पुलिस हिरासत/अभिरक्षा में युवा सरोप सिंह सुपुत्र श्री संसार सिंह, निवासी ग्राम/पोस्ट–केपार्स, पट्टी–बासर, तहसील घनसाली, जिला टिहरी गढ़वाल की हत्या हुई थी किन्तु आज तक उक्त प्रकरण की सी0बी0आई0 जाँच नही कराई गयी ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इस प्रकरण की सी0बी0आई0 जाँच करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी हॉ।

जी नहीं।

प्रश्न नही उठता।

प्रश्नगत प्रकरण की विवेचना सी0बी0सी0आई0डी0 शाखा, देहरादून द्वारा की गई है तथा विवेचना के उपरान्त अभियोग मे अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी है, अतः प्रकरण मे सी0बी0आइ0 से जॉच का औचित्य प्रतीत नही होता है।

टिहरी के घनसाली में ए0डी0बी0 द्वारा फेज II के अन्तर्गत स्वीकृत मोटर मार्गों का सुधारीकरण मानकानुसार न होने तथा समयवृद्धि के पश्चात् भी कार्य पूरा न होने पर दोषियों पर कार्यवाही

49. श्री भीमलाल आर्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत है कि विधानसभा क्षेत्र घनसाली (टिहरी गढ़वाल) मे ए0डी0बी0 द्वारा फेज–II के अन्तर्गत स्वीकृत "टिहरी–घनसाली–चिरबटिया"

व "छतियारा–केपार्स" मोटर मार्ग का सुधारीकरण कार्य में मानकों के अनुरूप कार्य नही किया जा रहा है तथा कार्य पूर्ति समयवृद्धि पश्चात् भी पूरा नहीं हुआ है ?

यदि हाँ, तो सरकार जनहित में स्वतंत्र जॉच एजेंसी गठित कर प्रकरण की जॉच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी हाँ।

कार्य के गुणवत्ता की जॉच IIT, रूड़की से कराये जाने की कार्यवाही गतिमान है। जॉच आख्या प्राप्त होने के पश्चात् गुण–दोष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नही उठता।

टिहरी के घनसाली में वित्त व प्रशासन द्वारा स्वीकृत व लम्बित मोटर मार्गों का निराकरण

50. श्री भीमलाल आर्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधानसभा क्षेत्र घनसाली (टिहरी गढ़वाल) में कुल कितने मोटर मार्गों के निर्माण हेतु वित्तीय एंव प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई है और अब तक उन मोटर मार्गों का निर्माण कार्य क्यों प्रारम्भ नही हुआ तथा कुल कितने मोटर मार्ग वन अधिनियम के कारण लम्बित है ?

क्या सरकार व्यापक जनहित मे यथाशीघ्र मोटर मार्गों के निर्माण तथा वन अधिनियम के तहत लम्बित मोटर मार्गों के निर्माण तथा वन अधिनियम के तहत लम्बित मोटर मार्गों के निराकरण की कार्यवाही करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

विधान सभा क्षेत्र घनसाली के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं मे 56 मोटर मार्गों की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृति के सापेक्ष 15 मोटर मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 25 मोटर मार्गों के निर्माण कार्य प्रगति

पर है। इसके अतिरिक्त 16 मोटर मार्गों के निर्माण कार्य वन अधिनियम के कारण प्रारम्भ नहीं हो पाये हैं।

वन अधिनियम के कारण लम्बित मोटर मार्गों के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही विभिन्न स्तरों पर गतिमान है। अतः वन भूमि की विधिवत् स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही इन मोटर मार्गों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना सम्भव होगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

पिथौरागढ़ में क्षतिग्रस्त सातसिलिंग थल मोटर मार्ग को ठीक करने पर विचार

51. श्री बिशन सिंह चुफाल—

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत है कि जनपद पिथौरागढ़ मे सातसिलिंग से थल मोटर मार्ग जगह–जगह से क्षतिग्रस्त है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त मार्ग को ठीक करने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा—

मार्ग कुछ स्थानों में दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त हुई थी।

मार्ग के अन्तर्गत कि0मी0 53 में क्षतिग्रस्त दीवार के पुनर्निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा कि0मी0 17 में क्षतिग्रस्त दीवार के पुनः निर्माण हेतु आगणन गठित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य क्षतिग्रस्त स्थानो में अनुरक्षण, स्लिप सफाई का कार्य पूर्ण कराने के उपरान्त वर्तमान मे सम्पूर्ण मार्ग भारी एव हल्के वाहनों के यातायात हेतु सुलभ है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत भीमताल में पॉलिटेक्निक की स्थापना

52. श्री दान सिंह भण्डारी—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के भीमताल विधानसभा क्षेत्र में पॉलिटेक्निक की स्थापना हेतु क्या सरकार कोई कदम उठायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र भीमताल में पॉलीटेक्निक खोले जाने हेतु कोई कार्य योजना विचाराधीन नही है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद नैनीताल में राजकीय पॉलीटेक्निक नैनीताल, कालाढूगी एवं कोटाबाग पूर्व से ही स्थापित हैं।

प्रदेश में समस्त जल विद्युत परियोजनाओं की डी0पी0आर0 की उच्चस्तरीय समिति का गठन

53. श्री भीमलाल आर्य–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार राज्य मे स्वीकृत समस्त जल विद्युत परियोजनाओं की डी0पी0आर0 की उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी नहीं।

प्रश्न नही उठता।

राज्य मे स्वीकृत सभी जल विद्युत परियोजनाओं की डी0पी0आर0 विभिन्न पहलुओं यथा तकनीकी, आर्थिक, वाणिज्यक, पर्यावरण आदि के सक्षम स्तर से परीक्षण क उपरान्त ही भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अधिकृत स्तर से स्वीकृत की जाती है। उत्तराखण्ड शासन को समस्त जल विद्युत परियोजनाओं की सक्षम स्तर से स्वीकृत डी0पी0आर0 के लिए किसी उच्च स्तरीय समिति के गठन की आवश्यकता नहीं है।

प्रदेश में विद्युत आपूर्ति तथा खराब मीटर ठीक करने एवं मीटर रीडरों की नियुक्ति

54. श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने विद्युत सब स्टेशन बनाए गये है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति ठीक कराने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किये है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में खराब पड़े विद्युत मीटरों को ठीक कराने के साथ ही सरकार मीटर रीडरो की नियुक्ति भी करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

वर्तमान मे प्रदेश मे 33/11 के०वी० के 476 नग सब स्टेशन, 11/04 के०वी० के 21357 नग सब स्टेशन स्थापित है तथा ग्रामीण क्षेत्रो में विद्युत आपूर्ति हेतु विभिन्न क्षमताओ के 29724 परिवर्तक स्थापित है।

ग्रामीण क्षेत्रो में विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से चलाने के लिए यूपीसीएल द्वारा समय–समय पर निम्नलिखित कार्य किये जाते हैं :–

(1) लो वोल्टेज की समस्या के समाधान हेतु नये विद्युत उपस्थान की स्थापना एवं उपस्थानों की क्षमता वृद्धि का कार्य।

(2) विद्युत लाईनों पर स्थापित कन्डक्टर/तार विद्युत क्षमता के अनुसार बदले जाते है तथा जीर्ण–शीर्ण पोलों के स्थान पर नये पोलो की प्रतिस्थापना एवं लम्बे स्थानो मे अतिरिक्त पोल लगाकर तारो को सुचारू किया जाता है।

खराब पड़े मीटरों के स्थान पर नये मीटर लगाये जा रहे है तथा उपभोक्ताओ के मीटर रीडिंग का कार्य उपनल/स्वयं सहायता समूह के द्वारा जनहित में किया जा रहा है।

प्रश्न नही उठता।

प्रश्न नही उठता।

जनपद नैनीताल के भीमताल में यू०पी०एस०आई०डी०सी० द्वारा लगाये गये उद्योगों का सिडकुल में सम्मिलियन एवं सिडकुल में यू०पी०एस०आई०डी०सी० के कार्यालय की स्थापना

55. **श्री दान सिंह भण्डारी–**

क्या उद्योग मंत्री अवगत हैं कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत भीमताल मे पूर्ववर्ती सरकार के शासनकाल में यू०पी०एस०आई०डी०सी० द्वारा 76 उद्योग लगाये गये थे, जिन्हे सिडकुल में सम्मिलित किया गया था ?

क्या यह सत्य है कि सिडकुल में इसका कार्यालय 3 माह के अन्तर्गत खुलना था किन्तु कार्यालय नहीं खोला गया ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त उद्योगों को पुनः सिडकुल में सम्मिलित कर नए उद्योगों की स्थापना करने हेतु कोई कार्यवाही करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

औद्योगिक क्षेत्र भीमताल, जिसका क्षेत्रफल 107.77 एकड़ है, का भौतिक कब्जा यू0पी0एस0आई0डी0सी0 से सिडकुल द्वारा ग्रहण कर लिया गया है इस आस्थान में 60 इकाईयों को भू–खण्ड आवंटित किये गये थे, इनमें से 27 इकाईयां कार्यरत हैं बंद इकाईयों को पुनः चलाये जाने हेतु नोटिस जारी किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है।

प्रक्रिया गतिमान है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद नैनीताल के भीमताल की सभी क्षतिग्रस्त सड़कों एवं नथुवाखान क्वारब मोटर मार्ग को ठीक करने हेतु सरकार की योजना

56. श्री दान सिंह भण्डारी–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत है कि जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत सभी सड़कें एवं नथुवाखान–क्वारब मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त हैं, जिससे दुघटना का कारण बना हुआ ह ?

यदि हॉ, तो क्या सरकार द्वारा उक्त सड़कों को ठीक करने हेतु कोई ठोस नीति बनाई गयी है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

अधिकांश सड़कों एवं नथुवाखान क्वारब मार्ग की सतह गत वर्षों की दैवीय आपदा म क्षतिग्रस्त होने से आवागमन में असुविधा हो रही है।

उक्त सड़कों के क्षतिग्रस्त भागों की यथा सम्भव मरम्मत वार्षिक अनुरक्षण एव दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत किये जाने के उपरान्त सभी मार्गों में यातायात चल रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत धारी ग्रामसभा जलना दूनीगैर नीलपहाड़ी सड़क निर्माण हेतु कार्यवाही

57. **श्री दान सिंह भण्डारी–**

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड धारी के ग्राम सभा जलना–दूनीगैर–नीलपहाड़ी सड़क निर्माण हेतु सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी नहीं।

प्रश्न नही उठता।

कार्य स्वीकृत नही है।

लो0नि0वि0 द्वारा सड़कों की मरम्मत व रख रखाव हेतु गैंग व्यवस्था की समाप्ति एवं पुनः बहाली

58. **श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–**

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्गों के रख–रखाव हेतु पूर्व में गैंग काम करती थी, जो सड़कों की हल्की मरम्मत, घास व झाड़ियों की सफाई, पानी की निकासी आदि का कार्य करती थी तथा इसमें स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता था, वहीं सड़कों का रख–रखाव भी ठीक प्रकार से किया जाता था ?

क्या सरकार द्वारा उपरोक्त गैंग व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है ?

यदि हाँ, क्या सरकार उक्त व्यवस्था को पुनः बहाल करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी हाँ।

जी हाँ। वर्तमान में इनकी तैनाती पर रोक प्रचलित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नही उठता।

उपरोक्तानुसार।

नैनीताल अन्तर्गत मोहान, धनगढ़ी, पढौन आदि क्षेत्रों में ओवर ब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

59. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि मुरादाबाद से गढ़वाल एवं कुमाऊँ को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग मे नैनीताल जिले की रामनगर विधानसभा क्षेत्र से मोहान के बीच प्रत्येक वर्ष धनगढी, पढौन व अन्य नालों में बरसात के समय पानी आने से भारी जानमाल की क्षति व जनता को आने–जाने में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है और प्रत्येक वर्ष मार्ग को पुनः सुचारू करने में अत्यधिक धन भी व्यय होता है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार प्रभावित क्षेत्रो मे ओवर ब्रिज का निर्माण करायेगी ?

यदि हाँ, तो कहा–कहा और कब तक ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी हाँ।

राष्ट्रीय राजमार्गों के रख–रखाव हेतु धनावंटन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है। भारत सरकार से वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के अनुसार प्रभावित क्षेत्रो मे निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव होगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–121 (नया सं0 309) के कि0मी0 42, 43, 44 एव 46 में उपरोक्तानुसार वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के अनुसार।

प्रश्न नही उठता।

जनपद पौड़ी के बीरोंखाल अन्तर्गत जोगीमढ़ी, मोरी बैण्ड से शीला आम कुलाऊ, धोबीगाड़, रिखवाड़ तथा बीरोंखाल तक मोटर मार्ग के विस्तारीकरण में विलम्ब के कारण

60. श्री तीरथ सिंह रावत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोखाल के अन्तर्गत जोगीमढी, मोरी बैण्ड से शीला आम

कुलाऊ, धोबीगाड रिखगाड तथा बीरोंखाल तक मोटर मार्ग विस्तारीकरण में विलम्ब के क्या कारण है ?

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त मोटर मार्ग का विस्तारीकरण का कार्य कब तक पूर्ण किया जाएगा ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

कार्य स्वीकृत नही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नही उठता।

जनपद पौड़ी के बीरोंखाल अन्तर्गत मटियालना, बदाण, बहेड़ा, कमलिया आदि मोटर मार्ग का विस्तारीकरण

61. **श्री तीरथ सिंह रावत–**

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत है कि जनपद पौडी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत मटियालना, बदाण, रणकिला, ढुंगलोट, निसरिंह, बहेड़ा, कमलिया, सराईखेत मोटर मार्ग विस्तारीकरण का पूर्व में शासनादेश राज्य सैक्टर मे हुआ है ?

यदि हॉ, तो उक्त मोटर मार्ग का विस्तारीकरण अब तक न होने के क्या कारण है तथा कब से निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी हॉ।

मार्ग संरेखण मे ग्रामवासियों द्वारा विवाद किये जाने के कारण संरेखण स्वीकृत होने म विलम्ब हुआ। स्वीकृत संरेखण पर ग्रामवासियों की आम सहमति के उपरान्त मार्ग संरेखण में आच्छादित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव वन संरक्षक, पौडी द्वारा नोडल अधिकारी, वन विभाग, देहरादून को दिनांक 07.09.2012 को भेजा गया है। अतः वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृत प्राप्त होने के उपरान्त ही उक्त मोटर मार्ग के विस्तारीकरण का कार्य प्रारम्भ किया जाना सम्भव होगा।

उपरोक्तानुसार।

बागेश्वर में वन विभाग क प्रभागीय कार्यालय की स्थापना

62. **श्री ललित फर्स्वाण–**

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर मे वन निगम के प्रभागीय कार्यालय की स्थापना प्रस्तावित है ?

यदि हाँ, तो कार्यालय की स्थापना कब तक की जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी नहीं।

प्रश्न नही उठता।

उत्तराखण्ड वन विकास निगम की अनुसूची 'ङ' के अनुसार प्रभागीय स्तर का कार्यालय सृजन करने हेतु कम से कम 25,000 घ0 मी0 इमारती लकड़ी का न्यूनतम वार्षिक उत्पादन की सीमा निर्धारित है। बागेश्वर प्रभाग से उक्त सीमा तक इमारती लकड़ी का आवंटन प्राप्त नहीं होता है।

बागेश्वर के कपकोट व कांडा महाविद्यालय में स्वीकृत विषय व उनके सापेक्ष प्रवक्ताओं के सृजित पदों की संख्या

63. श्री ललित फर्स्वाण–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री अवगत है कि जनपद बागेश्वर के कपकोट व कांडा महाविद्यालय में कौन–कौन विषय स्वीकृत हैं तथा स्वीकृत विषयों के सापेक्ष प्रवक्ताओं के कितने पद सृजित है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त महाविद्यालयों में उक्त सभी पद सृजित हैं ?

यदि नहीं, तो उक्त पद कब तक सृजित किये जायेंगे ?

श्री विजय बहुगुणा–

राजकीय महाविद्यालय कपकोट में हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, संस्कृत, गृह विज्ञान, चित्रकला, इतिहास एवं समाजशास्त्र कुल 08 विषय तथा कान्डा महाविद्यालय मे हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, संस्कृत, वाणिज्य एवं समाजशास्त्र कुल 07 विषय स्वीकृत है। स्वीकृत विषयों के सापेक्ष प्रवक्ताओं के 16 पद सृजित हैं।

जी हॉ।

प्रश्न नही उठता।

प्रदेश में जंगली जानवरों का संरक्षण हेतु नीति

64. श्री मदन कौशिक–

क्या वन मंत्री अवगत हैं कि राज्य मे काफी समय से जंगली जानवरों की मौतों के मामले संज्ञान में आ रहे हैं ?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा जंगली जानवरों के संरक्षण हेतु क्या नीति बनायी गयी है ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जंगली जानवरो की प्राकृतिक दुघर्टना, आपसी संघर्ष एवं अवैध शिकार के कारणों से मौतो के मामले संज्ञान म हैं।

बाघ संरक्षण परियोजना, हाथी संरक्षण परियोजना एव एकीकृत वन्य जीव वास स्थालों का विकास योजनायें पूर्व से ही संचालित है, जिसमें जंगली जानवरो के वास स्थलो का विकास, उनके भोजन, सुरक्षा, संरक्षण आदि कार्य किये जाते हैं।

प्रश्न नही उठता।

जनपद देहरादून के ऋषिकेश की वन विभाग की आवासीय कॉलोनी की मरम्मत एवं चहारदीवारी का निर्माण

65. श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

क्या वन मंत्री अवगत हैं, विधानसभा क्षेत्र ऋषिकेश में स्थित वन विभाग की आवासीय कॉलोनी की वर्षों से कोई मरम्मत नही हुई है और चहारदीवारी भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हैं ?

यदि हॉं, तो क्या सरकार उक्त कॉलोनी की मरम्मत एवं दीवार बनाने पर विचार कर रही है ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी हॉं।

जी हॉं।

प्रश्न नही उठता।

बागेश्वर अन्तर्गत दुग नाकुरी क्षेत्र बनलेख में डिग्री कॉलेज की स्थापना

66. श्री ललित फर्स्वाण–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री अवगत है कि जनपद बागेश्वर के दुग नाकुरी क्षेत्र बनलेख में डिग्री कॉलेज स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा सं0 608/2012, दिनांक 07 जून, 2012 को घोषणा की है ?

यदि हाँ, तो उक्त घोषणा पर डिग्री कॉलेज कब तक स्थापित किया जायेगा ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी हॉ।

प्रश्नगत स्थान पर हेतु मानकानुसार भूमि की उपलब्धता के उपरान्त, वित्तीय संसाधनो के आलोक में महाविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध मे कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

बागेश्वर में मुख्यमंत्री की घोषणा पर मल्ला दानपुर को अलग वन रेंज बनाने सम्बन्धी कार्यवाही

67. श्री ललित फर्स्वाण–

क्या वन मंत्री अवगत है कि जनपद बागेश्वर के उच्च हिमालयी क्षेत्र मल्ला दानपुर को अलग वन रेंज बनाये जाने के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा संख्या–614/2012, दिनांक 07 जून, 2012 को घोषणा की है ?

यदि हॉं, तो यह वन रेंज कब तक अस्तित्व में आ जायेगा ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी हॉ।

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार हिमालयी क्षेत्र दानपुर (मल्ला) को अलग वन रेंज बनाये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नही उठता।

प्रदेश की विभिन्न नदियों में खनन/चुगान हेतु के0एम0वी0एन0 तथा जी0एम0वी0एन0 द्वारा गत वर्षों में जमा धनराशि

68. श्री मयूख सिंह–

क्या उद्योग मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश की विभिन्न नदियों में खनन/चुगान का कार्य के0एम0वी0एन0 तथा जी0एम0वी0एन0 को दिया गया है ?

क्या इनके द्वारा गत वर्षों की रायल्टी की राशि जमा की जा चुकी है ?

यदि हॉं, तो उक्त निगमो द्वारा कितनी–कितनी राशि जमा की गयी है ?

यदि नहीं, तो क्या सरकार इनके इस अधिकार को निरस्त करने पर विचार करेगी ?

यदि हॉं, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी हॉं। लागू खनिज नीति के अनुसार प्रदेश के राजस्व क्षेत्र की विभिन्न नदियों के खनन/चुगान कार्य हेतु इन निगमों को प्राथमिकता प्रदान की गयी है।

जी हॉं।

के0एम0वी0एन0 द्वारा ₹ 4,94,80,206.00 तथा जी0एम0वी0एन0 द्वारा ₹ 68,19,99,882.00 की रायल्टी जमा की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

पिथौरागढ़ में सीमान्त इंजीनियरिंग कॉलेज का राजकीयकरण

69. श्री मयूख सिंह–

क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में स्थित सीमान्त इन्जीनियरिंग कॉलेज के राजकीयकरण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

यदि हॉं, तो उक्त कॉलेज को कब तक राजकीय कॉलेज घोषित किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

सीमान्त इंजीनियरिंग संस्थान, पिथौरागढ़ के राजकीयकरण का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

सीमान्त इन्जीनियरिंग संस्थान, पिथौरागढ़ की स्थापना उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय के संघटक कॉलेज के रूप में की गयी है। उक्त संस्थान के पूंजीगत परिसम्पत्तियों पर आने वाले व्यय–भार का 50 प्रतिशत सरकार एवं 50 प्रतिशत विश्वविद्यालय द्वारा अपनी बचतों से वहन किया जाना है इसके अतिरिक्त संस्थान का आवर्तक व्यय शत–प्रतिशत विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जा रहा है।

जनपद टिहरी अन्तर्गत स्वीकृत मतियाली से स्यासू तक मोटर मार्ग का पुल सहित कार्य प्रारम्भ न होने का कारण।

70. श्री महावीर सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र घनौल्टी के विकास खण्ड थौलधार में मतियाली से स्यासू तक मोटर मार्ग का पुल सहित नवनिर्माण की प्रथम चरण के प्रशासकीय एवं वित्तीय व्यय की स्वीकृत के बाद भी कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है तथा कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

मार्ग के स्वीकृत संरेखण पर ग्रामवासियों द्वारा विवाद किया जा रहा है। विवाद को सुलझाने एवं द्वितीय चरण के आगणन की स्वीकृति के उपरान्त कार्य प्रारम्भ किया जाना सम्भव होगा।

उपरोक्तानुसार।

टिहरी के वि0ख0 थौलधार व जौनापुर में ए0डी0बी0 के अन्तर्गत स्वीकृत मार्ग तथा गतिमान कार्य

71. श्री महावीर सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के विकास खण्ड थौलधार व विकासखण्ड जौनापुर में ए0डी0बी0 के अन्तर्गत कितने मार्गों की स्वीकृति है और कितने मार्गों पर कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

एशियन डेवलपमैन्ट बैंक फेज–III में विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के विकास खण्ड थौलधार में 02 मार्ग एवं विकास खण्ड जौनापुर में 01 मार्ग स्वीकृत है। ए0डी0बी0 फेज–III के अन्तर्गत लोन निगोशियेशन (Loan Negotiation) होने के पश्चात् ए0डी0बी0 द्वारा स्वीकृति के उपरान्त कार्य प्रारम्भ कराये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी अन्तर्गत अलमस भवान नगुण मोटर मार्ग का कार्य निर्माण एवं चौड़ीकरण

72. श्री महावीर सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के विकास खण्ड थौलधार व विकासखण्ड जौनपुर की अलमस भवान नगुण मोटर मार्ग का अवशेष कार्य कब तक पूर्ण किया जायेगा ?

क्या सरकार उक्त मार्ग को सुवाखोली से भवान तक का चौड़ीकरण करने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

कार्य स्वीकृत नहीं है।

कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मोटरमार्ग का चौड़ीकरण स्वीकृत लागत

73. श्री मयूख सिंह–

क्या लोक मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मोटर मार्ग के चौड़ीकरण हेतु क्या कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो इसकी लागत क्या है ?

क्या इस हेतु धन की व्यवस्था हो चुकी है ?

यदि हाँ, तो कब से प्रारम्भ किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

प्रश्नगत मोटर मार्ग के अन्तर्गत कुल 83 कि0मी0 लम्बाई में 02 सेतुओं सहित चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की स्वीकृति शासनादेश सं0–742/III–2/09–03(मु0म0घो0)/08 टी0सी0 IV, दिनांक 02 मार्च, 2009 द्वारा प्रदान की गई है।

कार्य की स्वीकृत लागत ₹ 4787.33 लाख है।

जी हाँ।

मार्ग चौड़ीकरण में आच्छादित वनभूमि की विधिवत् स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ किया जाना सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

पिथौरागढ़ की नैनीसैनी हवाईपट्टी के निर्माण की स्थिति एवं निर्माण हेतु धनराशि

74. श्री मयूख सिंह–

क्या नागरिक उड्डयन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ की नैनीसैनी हवाई पट्टी के निर्माण की क्या स्थिति है ?

सरकार ने उक्त कार्य हेतु कितनी धनराशि की व्यवस्था की है तथा कार्य कब तक प्रारम्भ किया जायेगा ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जनपद पिथौरागढ़ स्थित नैनीसैनी हवाई पट्टी के निर्माण हेतु प्राप्त डी०पी०आर० को वित्त व्यय समिति से परीक्षण करा लिया गया है। टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास दिनाक 27–11–2012 को किया जा चुका है।

उक्त कार्य हेतु ₹ 4819.63 लाख के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अब तक ₹ 300.00 लाख निर्गत कर दिये गये है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार को ए०पी०ए० के माध्यम से ₹ 25.00 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराने हेतु डी०पी०आर० प्रेषित की जा चुकी है तथा कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

प्रश्न नही उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के कमलेश्वर स्थित पॉलीटेक्निक कॉलेज की कक्षाओं का अन्य जनपदों में संचालन

75. श्री मयूख सिंह–

क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिनपद पिथौरागढ़ मे कमलेश्वर (विकासखण्ड मुनाकोट) मे पॉलीटेक्निक कॉलेज की स्थापना की गयी है ?

यदि हॉं, तो उक्त कॉलेज की कक्षाओं को अन्य जनपद चम्पावत के लोहाघाट, पॉलीटेक्निक में संचालित किया जा रहा है ?

यदि हॉं, तो क्यों ?

क्या उक्त कॉलेज को इसी सत्र से कमलेश्वर से संचालित किया जायेगा ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी हाँ।

जी हाँ।

संस्थान की मूलभूत सुविधाओं की अग्रिम व्यवस्था होने तक कक्षाओं का संचालन राजकीय पॉलीटेक्निक, लोहाघाट से किया गया है।

इस सत्र से कमलेश्वर में संचालित किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

नियमानुसार स्टाफ एवं भवन आदि की व्यवस्था सुचारू न होने के कारण इसी सत्र से कमलेश्वर से संस्थान को संचालित किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद बागेश्वर अन्तर्गत कपकोट स्थिति डिग्री कॉलेज के भवन निर्माण हेतु धन आवंटन

76. श्री ललित फर्स्वाण–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद बागेश्वर के कपकोट डिग्री कॉलेज के भवन निर्माण हेतु मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा सं0 609/2012, दिनांक 07 जून, 2012 को धन आवंटन की घोषणा की गई है ?

यदि हाँ, तो कितना धन आवंटित किया गया है ?

यदि नहीं, तो कब तक धन आवंटित किया जायेगा ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी हाँ।

अभी तक कोई धनावंटन नहीं किया गया है।

राजकीय महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु निर्धारित मानकानुसार भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के स्तर पर गतिमान है। भूमि उपलब्ध होने के पश्चात् वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के दृष्टिगत धनावंटन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

बागेश्वर की तहसील कांडा धरमघर में वन विभाग के विश्राम गृह के निर्माण हेतु धनराशि

77. श्री ललित फर्स्वाण–

क्या वन मंत्री अवगत हैं कि जनपद बागेश्वर के तहसील कांडा धरमघर में वन विभाग के विश्राम गृह के निर्माण हेतु मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा सं0 613/2012, दिनांक 07 जून, 2012 को घोषणा की है ?

यदि हाँ, तो इस हेतु धनराशि आवंटित हो चुकी है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रकरण विचाराधीन है।

जनपद देहरादून के ऋषिकेश स्थित लो0नि0वि0 की आवासीय कॉलोनी के जीर्ण शीर्ण भवनों की मरम्मत

78. श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि विधान सभा क्षेत्र ऋषिकेश में स्थित लोक निर्माण विभाग की आवासीय कॉलोनी के भवन जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं, जहां विभागीय कर्मी सपरिवार रह रहे हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इनकी मरम्मत हेतु कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर समय–समय पर यथा आवश्यकतानुसार मरम्मत की कार्यवाही की जाती है।

पिथौरागढ़ में वर्ष 2002 2012 तक स्वीकृत मोटर मार्ग, लागत का विवरण एवं स्वीकृत धन के अतिरिक्त अन्य मदों से पुनः आवंटित धनराशि

79. श्री मयूख सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधानसभा क्षेत्र–44, पिथौरागढ़ में वर्ष, 2002 से 2012 तक विभिन्न योजनाओं के तहत कुल कितने मोटर मार्ग स्वीकृत हुए थे, उनकी प्रत्येक की लागत व कार्य प्रारम्भ करने व समाप्त करने की तिथि क्या थी ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि स्वीकृत धन के अतिरिक्त इन मार्गों पर अन्य मदों से कितना धन पुनः आवंटित हुआ है ?

क्या इन सभी मार्गों के निर्धारित समय में तैयार हो जाने पर इन पर भारी वाहनों का संचालन प्रारम्भ हो गया है ?

यदि हाँ, तो कितने मार्गों पर ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अन्तर्गत वर्ष, 2002 से 2012 तक विभिन्न योजनाओं में निम्न कार्य स्वीकृत हुए हैं :–

योजना का नाम	स्वीकृत कार्य (संख्या में)	स्वीकृत लागत (लाख ₹ में)
राज्य योजना :–		
(1) सामान्य	97	7012.69
(2) एस0सी0एस0पी0	16	2478.81
जिला योजना	44	306.71
प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना	09	2490.30
ए0डी0बी0 सहायतित	02	1607.14
योग :–	168	13895.65

उपरोक्त मार्गों के कार्य प्रारम्भ करने व समाप्ति का मार्गवार विवरण संलग्न है। †

राज्य योजना/जिला योजना के अन्तर्गत निर्मित मार्गों हेतु ₹ 320.23 लाख एवं प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन सड़कों हेतु ₹ 72.79 लाख का पुनः आवंटन दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य के लिए किया गया है।

राज्य योजना/जिला योजना के अन्तर्गत निर्मित 62 मोटर मार्गों में भारी वाहनों एवं 02 मोटर मार्गों में हल्के वाहनों तथा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित 05 मार्गों पर भारी वाहनों का संचालन प्रारम्भ हो गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

पौड़ी में पट्टी मवालस्यूं के स्वीकृत चौरा से मुसासू मोटरमार्ग का तुनाखाल तक विस्तारीकरण

80. श्री तीरथ सिंह रावत–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में पट्टी मवालस्यूं के अन्तर्गत चौरा से मुसासू मोटर मार्ग स्वीकृत है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मोटर मार्ग का विस्तारीकरण तुनाखाल तक करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

† देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ सं0 283–295 पर।

श्री विजय बहुगुणा–

जी हाँ।

कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

पौड़ी में पट्टी खाटली के दुनाऊ में स्वीकृत जल विद्युत परियोजना की वर्तमान स्थिति तथा अस्तित्व में आने का सम्भावित समय

81. श्री तीरथ सिंह रावत–

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के पट्टी खाटली के दुनाऊ में 1 मेगावाट की दुनाऊ जल विद्युत परियोजना स्वीकृत की गयी थी ?

यदि हॉं, तो उक्त परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है तथा उक्त योजना को सरकार प्रारम्भ किये जाने पर विचार करेगी ?

यदि हॉं, तो योजना कब तक अस्तित्व में आ जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी हॉं।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में जल विद्युत परियोजना लिमिटेड की 1.5 मे0 वा0 की दुनाऊ लघु जल विद्युत परियोजना विभिन्न चरणों में निर्माणाधीन है। इस परियोजना पर दिनांक 31.10.2012 तक लगभग 33 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है, परियोजना का कार्य प्रगति पर है।

दुनाऊ लघु जल विद्युत परियोजना के दिसम्बर, 2013 तक अस्तित्व में आने की सम्भावना है।

प्रश्न नही उठता।

पौड़ी के एकेश्वर स्थित किर्खू में डाक बंगले का निर्माण

82. श्री तीरथ सिंह रावत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड एकेश्वर के अन्तर्गत किर्खू में डाक बगला बनाये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

क्या यह सत्य है कि उक्त स्थान पर डाक बगला निर्माण हेतु क्षेत्रवासियों द्वारा जमीन उपलब्ध करायी गयी है ?

यदि हॉ, तो डाक बंगले का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नैनीताल अन्तर्गत भीमताल नौकुचियाताल मनौती मोटर मार्ग का हॉटमिक्स द्वारा डामरीकरण

83. श्री दान सिंह भण्डारी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल स्थित भीमताल नौकुचियाताल मनौती मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त है तथा उसका डामरीकरण/हॉटमिक्स किया जाना नितान्त आवश्यक है ?

यदि हॉ, तो क्या सरकार द्वारा उक्त मोटर मार्ग को हॉटमिक्स किये जाने हेतु कोई कार्यवाही की गयी है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी हॉ। प्रश्नगत मार्ग की सतह क्षतिग्रस्त है।

प्रश्नगत मोटर मार्ग 6.85 कि0मी0 लम्बाई में निर्मित है। वित्तीय वर्ष 2012–13 मे स्वीकृत नवीनीकरण कार्य के अन्तर्गत उक्त मोटर मार्ग के प्रथम 2.00कि0मी0 लम्बाई में हॉटमिक्स द्वारा डामरीकरण किया जा चुका है अवशेष 4.85 कि0मी0 लम्बाई मे हॉटमिक्स/डामरीकरण कार्य कराया जाना वित्तीय संसाधनो की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद नैनीताल के भीमताल में स्वीकृत आई0टी0आई0 के अस्तित्व में आने का सम्भावित समय

84. श्री दान सिंह भण्डारी–

क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेगे कि जनपद नैनीताल के भीमताल मे शासन द्वारा आई0टी0आई0 स्वीकृत किया गया है, जिस हेतु सिलौटी ग्राम में भूमि भी दी गयी है ?

यदि हॉ, तो क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त आई0टी0आई0 कब तक अस्तित्व में आ जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी हाँ, शासन द्वारा वर्ष, 2006 में विशिष्ट आई0टी0आई0, नैनीताल स्वीकृत किया गया है। उक्त आई0टी0आई0 की स्थापना हेतु शिलाटी ग्राम में भूमि आवंटित नहीं की गयी है।

विशिष्ट आई0टी0आई0, नैनीताल वर्ष, 2009 से अस्तित्व में है। वर्तमान में भूमि की उपलब्धता न होने के कारण उक्त संस्थान नौकुचियाताल के पंचायत भवन में संचालित है।

उपरोक्तानुसार।

नैनीताल के ग्राम सभा सलड़ी में लम्बित अम्बेडकर रोड का डामरीकरण

85. श्री दान सिंह भण्डारी–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद नैनीताल स्थित ग्राम सभा सलड़ी में अम्बेडकर रोड का डामरीकरण कार्य कई वर्षों से लम्बित पड़ा है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा उक्त रोड के डामरीकरण हेतु कोई कार्यवाही की गयी है ?

यदि हाँ, तो उक्त सड़क का डामरीकरण कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी हाँ।

कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

कार्य स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

चम्पावत के लोहाघाट के स्व0 सेनानी हर्षदेव औली के नाम से राजकीय महिला डिग्री कॉलेज खोलने के सम्बन्ध में

85. श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चम्पावत विधान सभा क्षेत्र, लोहाघाट के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व0 हर्षदेव औली के गृह क्षेत्र में, सरकार उनके नाम से खेती खान में राजकीय महिला डिग्री कॉलेज खोलने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी नहीं।

उक्तानुसार।

खेतीखान क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए लोहाघाट में राजकीय महाविद्यालय अवस्थित है, जो कि खेतीखान से मात्र 10 कि0मी0 की दूरी पर अवस्थित है।

जनपद देहरादून के ऋषिकेश में यू0जी0सी0 द्वारा राज0 महाविद्यालय स्थित गर्ल्स हॉस्टल तथा प्रिन्सिपल आवास निर्माण हेतु आवंटित धनराशि एवं कार्य प्रगति

87. **श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–**

क्या उच्च शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि यू0जी0सी0 (वि0वि0 अनुदान आयोग) ने सन् 2006 में जनपद देहरादून के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र ऋषिकेश में स्थित राजकीय महाविद्यालय को गर्ल्स हॉस्टल तथा प्रिंसिपल आवास हेतु तीस लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की थी ?

यदि हाँ, तो क्या ये योजना पूर्ण हो चुकी है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जनपद देहरादून के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र ऋषिकेश के राजकीय महाविद्यालय के छात्रावास एवं प्राचार्य आवास निर्माण हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ₹ 24.75 लाख एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ₹ 1.20 लाख अर्थात कुल ₹ 25.05 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

जी नहीं।

उक्त कार्यों की कुल निर्माण लागत के सापेक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं उत्तर प्रदेश सरकार से अवशेष धनराशि प्राप्त न होने के कारण योजना के निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाये है।

देहरादून के ऋषिकेश अन्तर्गत थानों, न्याय पंचायत के छः गाँवों के पुलिस थाने को निकटवर्ती थाने से जोड़ने के सम्बन्ध में

88. **श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–**

क्या गृह मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र ऋषिकेश के अन्तर्गत रायपुर विकास खण्ड के थानों न्याय पंचायत के नाहीं

कला, हल्द्वाड़ी सहित छः गाँवों का पुलिस थाना ऋषिकेश थानान्तर्गत श्यामपुर चौकी है, जो पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के साथ–साथ बहुत ज्यादा दूरी पर है ?

यदि हाँ, तो क्या उक्त ग्राम सभाओं के ग्रामीणों की कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा हेतु इनको निकटवर्ती थाने से जोड़ा जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्णित ग्रामों को अन्य थाने से जोड़े जाने के सम्बन्ध में सम्प्रति कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पर्वतीय क्षेत्रों में बन्दरों को पकड़ने एवं बधियाकरण हेतु कार्यवाही तथा बागेश्वर जिले में जानवरों द्वारा फसलों के नुकसान हेतु मुआवजा

89. **श्री चन्दन राम दास–**

क्या वन मंत्री अवगत है कि पर्वतीय क्षेत्र में बन्दरों का काफी प्रकोप है ?

यदि हाँ, तो बन्दरों को पकड़ने व बधियाकरण के लिये वन विभाग क्या कार्यवाही कर रही है ?

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि बन्दरों व सूअरों के कारण बागेश्वर जिले में कितनी धनराशि की फसलों का नुकसान हुआ है ?

क्या सरकार किसानों को फसलों के नुकसान का भुगतान करेंगी ? यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी हाँ।

बन्दरों को पकड़ कर रखने के लिये आवास के निर्माण हेतु चम्पावत वन प्रभाग की चीनी कक्ष संख्या 08 व 15 तथा केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के

कन्डेरी कक्ष संख्या 2अ में भूमि चिन्हित की गयी है। उक्त कार्य को कैम्पा योजना के चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 की वार्षिक कार्य योजना में रखा गया है।

बन्दरों के बधियाकरण न करने के सम्बन्ध में भारत सरकार से पत्र प्राप्त हुआ है, जिसका परीक्षण किया जा रहा है।

बन्दरों व सुअरों के कारण बागेश्वर जिले में फसलों के नुकसान की कोई सूचना वन विभाग को प्राप्त नहीं हुयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

बागेश्वर में वन्य जीवों द्वारा जनहानि की घटनाओं के प्रभावितों को क्षतिपूर्ति की धनराशि तथा घटनाओं की रोकथाम के उपाय

90. **श्री चन्दन राम दास–**

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वन्य जीवों द्वारा बागेश्वर जिले में जनहानि की घटनायें हुई हैं ?

यदि हाँ, तो इनकी संख्या व प्रभावितों के नाम, पते क्या हैं तथा इन्हें विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति के रूप में कितनी धनराशि अनुमन्य है व कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है ? क्या मंत्री जी, विगत तीन वर्षों का विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ?

क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि वन्य जीव से जनहानि रोके जाने हेतु वन विभाग द्वारा कोई ठोस उपाय किया जायेगा ? यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी हाँ।

बागेश्वर जिले में विगत तीन वर्षों में वन्य जीवों द्वारा जनहानि की 25 घटनायें हुयी हैं प्रभावितों के नाम/पते, क्षतिपूर्ति के रूप में अनुमन्य धनराशि एवं भुगतान की गयी धनराशि का विवरण संलग्नक–1 पर संलग्न है।†

वन्य जीवों से जनहानि रोके जाने हेतु वन प्रभाग स्तर पर वन कर्मियों द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में निरन्तर गश्त, पैट्रोलिंग की जा रही है एवं मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने हेतु समय–समय पर जन जागरूकता अभियान, गोष्ठियों, रैली, वर्कशॉप आदि कार्यक्रम आयोजित कर स्थानीय निवासियों को जागरूक/प्रेरित किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

† देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ सं० 296–298 पर।

पिथौरागढ़ शहर के आन्तरिक मार्गों को हॉटमिक्स करने व पिथौरागढ़ गंगोलीहाट को आंवला घाट के मार्ग से जोड़ने हेतु धन की व्यवस्था

91. श्री मयूख सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 02 अप्रैल, 2012 को जनपद पिथौरागढ़ भ्रमण के दौरान पिथौरागढ़ शहर के आन्तरिक मार्गों को हॉटमिक्स करने हेतु एवं पिथौरागढ़ गंगोलीहाट को आंवला घाट के मार्ग से जोड़ने हेतु इसी वित्तीय वर्ष में धन आवंटित कर कार्य प्रारम्भ कराने की घोषणा की थी ?

यदि हॉ, तो क्या सरकार द्वारा उक्त मार्गों हेतु इस वित्तीय वर्ष के बजट में धन की व्यवस्था की गयी है ?

यदि हॉ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी हॉ।

दिनांक 02–05–2012 को।

पिथौरागढ़ शहर के आन्तरिक मार्गों को हॉटमिक्स किये जाने से सम्बन्धित घोषणा संख्या–95/2012 के अनुक्रम में आगणन गठित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। आगणन शासन में प्राप्त होने के उपरान्त कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर प्रदान किया जाना सम्भव होगा।

पिथौरागढ़ गंगोलीहाट को आंवला घाट के मार्ग से जोड़ने हेतु इसी वित्तीय वर्ष मे धन आवंटित कर कार्य प्रारम्भ किये जाने से सम्बन्धित घोषणा सं0–96/2012 के सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ₹ 561.38 लाख की स्वीकृति दो चरणों में पूर्व से प्रदान की गई है, जिसके सापेक्ष कुल 23.10 कि0मी0 मोटर मार्ग+एक सेतु का निर्माण किया जाना है। वर्तमान तक 6.1 कि0मी0 तक लम्बाई मे पहाड़ कटान का कार्य लगभग 90 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुका है। अवशेष 17.00 कि0मी0 लम्बाई मे मोटर मार्ग का निर्माण आरक्षित वन भूमि में किया जाना है, जिस हेतु वनभूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही गतिमान है। अतः वनभूमि की विधिवत् स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही अवशेष लम्बाई मे मोटर मार्ग निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना सम्भव होगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नही उठता।

गंगोलीहाट के सिमलता मिनगड़ी वासिखेत मोटर मार्ग के डामरीकरण हेतु अवमुक्त धनराशि

92. **श्री नारायणराम आर्य–**

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मुख्यमंत्री द्वारा 06/06/2012 को विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट के सिमलता मिनगड़ी वासिखेत मोटर मार्ग के डामरीकरण की घोषणा की थी ?

यदि हाँ, तो (एस0सी0पी0 के अन्तर्गत) धनराशि कब तक अवमुक्त की जायेगी ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी हाँ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर कार्य की स्वीकृति के उपरान्त।

प्रश्न नही उठता।

बागेश्वर में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त सड़कों की संख्या व स्वीकृत मार्गों के निर्माण में विलम्ब के कारण

93. **श्री चन्दन राम दास–**

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बागेश्वर जिले मे लोक निर्माण विभाग को कितनी सड़कों हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है ?

भारत सरकार से अन्तिम स्वीकृति मिलने में अब क्या अड़चन है तथा नामान्तरण की कार्यवाही में कितना समय लगता है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि तीन साल से अधिक सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त मार्गों मे विभाग निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ करेगा तथा अब तक हुए विलम्ब का क्या कारण रहा है ?

श्री विजय बहुगुणा–

बागेश्वर जिले में लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित 12 सड़कों के प्रस्तावों पर सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति मे अधिरोपित सिविल एवं सोयम भूमि के नामान्तरण/हस्तान्तरण शर्त का अनुपालन न होने के कारण उक्त सड़कों के लिये अन्तिम स्वीकृति निर्गत करने का प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित नही किये जा सके हैं। जिसके कारण अन्तिम स्वीकृति निर्गत नही हो सकी है। लोक निर्माण विभाग

द्वारा सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष नामांतरण करने के प्रस्ताव राजस्व विभाग को प्रेषित कर दिये गये हैं।

तीन वर्ष पूर्व का सैद्धान्तिक स्वीकृत प्राप्त कोई प्रकरण लम्बित नहीं है। वन भूमि की विधिवत् स्वीकृति प्राप्त होने एवं वन विभाग द्वारा वृक्षों के पातन तथा वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को निर्माण हेतु हस्तान्तरण होने के बाद मार्ग निर्माण की कार्यवाही की जायेगी।

प्रदेश में केन्द्र की कैम्पा योजना के तहत प्राप्त धनराशि का जनपदवार विवरण

94. श्री चन्दन राम दास–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश मे केन्द्र की कैम्पा योजना के तहत प्रदेश को कितनी धनराशि मिली है तथा प्राप्त धनराशि में से सरकार जनपदवार आवंटन का विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जनपद बागेश्वर में उक्त धनराशि किन–किन मदों मे दी गई है ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी हॉ। कैम्पा योजना के तहत भारत सरकार, एड–हॉक कैम्पा से चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 तक कुल ₹ 22971.80 लाख धनराशि प्राप्त हुयी है। प्राप्त धनराशि का जनपदवार/प्रभागवार आवंटन का विवरण संलग्नक–1 पर संलग्न है।†

बागेश्वर वन प्रभाग मे विभिन्न मदों में आवंटित धनराशि का विवरण संलग्नक–2 एवं 3 पर सलग्न है।†

राष्ट्रीय राजमार्ग अल्मोड़ा खैरना मुख्य मोटर मार्ग दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त होने की तिथि से मार्ग के निर्माण/मरम्मत हेतु स्वीकृत धनराशि व व्यय

95. श्री मनोज तिवारी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग अल्मोड़ा–खैरना मुख्य मोटर मार्ग मे दैवीय आपदा आने से 18.09.2010 को उक्त मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ था ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त मार्ग के क्षतिग्रस्त होने की तिथि से सरकार द्वारा कितनी धनराशि उक्त मार्ग निर्माण/मरम्मत हेतु स्वीकृत की गयी और उक्त मोटर मार्ग पर कुल कितना खर्च हुआ ?

यदि नही, तो क्यो ?

† देखिये नत्थी 'त', 'थ' एवं 'द' पीछे क्रमशः पृष्ठ सं0 299–300, 301–305 एवं 306–309 पर।

श्री विजय बहुगुणा—

जी हाँ।

राष्ट्रीय राजमार्ग अल्मोड़ा—खैरना मुख्य मोटर मार्ग में दिनांक 18.09.2010 को दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त मार्ग के निर्माण/मरम्मत हेतु स्वीकृत एवं व्यय की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत् है :—

वर्ष	जिलाधिकारी/भारत सरकार	स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	व्यय की गयी राशि (₹ लाख में)
2010—11	(I) जिलाधिकारी, नैनीताल (II) भारत सरकार राजमार्ग मंत्रालय	271.14 1210.36	212.06 1217.92
2011—12	भारत सरकार राजमार्ग मंत्रालय	117.17	109.61
	योग :—	1598.67	1539.59

प्रश्न नहीं उठता।

अल्मोड़ा नगर का मुख्य राजमार्ग मोटर मार्ग माल रोड से धारानौला मोटर मार्ग को जोड़ने की प्रस्तावित योजना

96. श्री मनोज तिवारी—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अन्तर्गत अल्मोड़ा नगर के मुख्य मोटर मार्ग माल रोड से धारानौला मोटर मार्ग को जोड़ने की कोई कार्य योजना प्रस्तावित है ?

यदि हाँ, तो उसका प्रारूप क्या है ? और कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

अल्मोड़ा नगर के मुख्य मोटर मार्ग माल रोड एवं धारानौला मोटर मार्ग के बीच का भाग घनी आबादी वाला है साथ ही बीच के भाग में एक ओर सैन्य क्षेत्र भी है। अतः दोनो मोटर मार्गों को जोड़ने हेतु लिंक मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना सम्भव नहीं है।

अल्मोड़ा भ्रमण पर मुख्यमंत्री द्वारा घोषित योजनाओं का विवरण तथा उनकी वर्तमान स्थिति

97. श्री मनोज तिवारी–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक 10 सितम्बर, 2012 को अल्मोड़ा भ्रमण के दौरान विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा हेतु कौन–कौन सी योजनाओं की घोषणा की गयी थी तथा

वर्तमान मे उन घोषनाओं की स्थिति क्या है तथा

कब तक उनका कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 10 सितम्बर, 2012 को अल्मोड़ा भ्रमण के दौरान विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा हेतु 19 घोषणायें की गयी। उक्त घोषणाओं का विवरण संलग्न है।†

घोषणाओ के क्रियान्वयन पर कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

पिथौरागढ़ अन्तर्गत पोखरी चण्डीघाट मोटर मार्ग के डामरीकरण पर मुख्यमंत्री की घोषणा पर कार्य प्रगति

98. श्री नारायणराम आर्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनाक 6/6/2012 को पोखरी चण्डीकाघाट मोटर मार्ग विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट जनपद पिथौरागढ का डामरीकरण एस0सी0पी0 के मद से कराये जाने की घोषणा की गई थी ?

यदि हॉं, तो इस पर क्या प्रगति हुई है तथा धनराशि कब तक स्वीकृत हो जायेगी ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी हॉं।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर कार्य की स्वीकृति के उपरान्त।

प्रश्न नही उठता।

---

† देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ सं0 310 पर।

देहरादून के ऋषिकेश के राष्ट्रीय राजमार्ग से रेलवे क्रासिंग तक सड़क के लम्बित डामरीकरण की स्वीकृति

99. श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग से रेलवे क्रासिंग होते हुए सत्यशाला से प्रतीत नगर तक सड़क का डामरीकरण का प्रस्ताव लम्बित है ?

यदि हाँ, तो स्वीकृति कब तक दी जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी हाँ।

कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नही उठता।

देहरादून के ऋषिकेश में महिला महाविद्यालय की स्थापना

100. श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार जनपद देहरादून के अन्तर्गत ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में महिला महाविद्यालय खोलने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी हाँ।

महिला महाविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में मानकानुसार भूमि/भवन उपलब्ध होने पर वित्तीय संसाधनों के आलोक में कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नही उठता।

देहरादून के ऋषिकेश के राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित सत्यनारायण से गौहरीमाफी गाँव तक सड़क निर्माण की माँग

101. श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत है कि जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र ऋषिकेश के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित सत्यनारायण से गौहरी माफी गाँव तक सड़क की मांग कई वर्षों से की जा रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक इसका निर्माण किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जी हाँ।

प्रस्तावित मार्ग रामरेखण राजाजी नेशनल पार्क में स्थित होने के कारण मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा मार्ग निर्माण हेतु अनुमति प्रदान किये जाने में अत्यन्त विलम्ब होने की सम्भावना को देखते हुए ग्राम गौहरी माफी को सड़क संयोजकता प्रदान करने के लिए गौहरी माफी से रायवाला ग्राम एवं टिहरी फार्म तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु प्रथम चरण की स्वीकृति शासनादेश दिनांक : 01 जून, 2011 के द्वारा प्रदान की गई है। प्रथम चरण से सम्बन्धित प्रक्रियात्मक कार्यों के सम्पादन एवं द्वितीय चरण के आगणन की स्वीकृति के उपरान्त मार्ग निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जंगली जानवरों द्वारा जनहानि से प्रभावितों को दी जाने वाली मुआवजा राशि बढ़ाने पर विचार

102. **श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–**

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में जंगली जानवरों द्वारा जनहानि होने पर प्रभावितों को दी जाने वाली मुआवजा राशि क्या है ?

क्या सरकार उक्त राशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कितना व कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहुगुणा–

जंगली जानवरों द्वारा जनहानि होने पर प्रभावितों को दी जाने वाली मुआवजा राशि निम्नलिखित है :–

क्षति का प्रकार	देय धनराशि (₹ में)
गम्भीर रूप से घायल	15,000/–
आंशिक रूप से अपंग	25,000/–
पूर्णरूप से अपंग	1,00,000/–
वयस्क एवं अवयस्क की मृत्यु पर	1,00,000/–

जी हाँ।

शासन द्वारा निम्न प्रकार उक्त दरों को संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

क्षति का प्रकार	देय धनराशि (₹ में)
साधारण रूप से घायल	15,000/-
गम्भीर रूप से घायल	50,000/-
आंशिक रूप से अपंग	1,00,000/-
पूर्णरूप से घायल	2,00,000/-
वनरक्षक एवं अवनरक्षक की मृत्यु पर	3,00,000/-

प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, सदन की एक घड़ी 12:20 बजा रही है और एक घड़ी 12:19 बजा रही है।

तारांकित प्रश्न आज पुनः स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधानसभा द्वारा व्यवस्था का प्रश्न

***श्री मदन कौशिक-**

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, आज की कार्यसूची में नत्थी "ख" में जो प्रश्न संख्या-1 है, वह मेरे द्वारा दिनांक 08-05-2012, यानि सात महीने पूर्व दिया गया था। उत्तराखण्ड विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली की पृष्ठ संख्या-20 पर जो नियम 32 है, वह यह कहता है कि "तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की लिखित सूचना सदस्य द्वारा सचिव को कम से कम 20 दिन पूर्व दी जायेगी, ऐसे प्रश्न सचिव द्वारा शासन को साधारणतया 5 दिन के भीतर भेज दिये जायेंगे परन्तु जब तक अध्यक्ष अन्यथा विनिश्चय न करें, कोई प्रश्न उत्तर के लिये प्रश्न सूची में तब तक नहीं रखा जायेगा, जब तक कि मंत्री या सम्बन्धित विभाग को ऐसे प्रश्न की सूचना देने की दिनांक से 15 दिन समाप्त न हो जाय।" मान्यवर, 15 दिन तो क्या सात माह समाप्त हो गये और उसके बाद भी कार्यसूची में लिखा गया है कि "पुनः स्थगित", इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूँ कि कब तक इसे स्थगित किया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष-

मान्यवर, इसको पुनः नियमों के अन्तर्गत दे दीजिये, इसको दिखवा लेंगे।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, मेरी औचित्य के प्रश्न की एक सूचना थी।

नियम 300 के अन्तर्गत सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 300 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री राजकुमार ठुकराल, श्री उमेश शर्मा 'काऊ', श्री ललित फर्स्वाण, श्री पूरन सिंह जीना, श्री राजकुमार, श्रीमती विजया बड़थ्वाल, श्री दान सिंह भण्डारी, श्री प्रेम सिंह राना, श्री बिशन सिंह चुफाल, हाजी सरवत करीम अंसारी तथा श्री चन्द्रशेखर की कुल 14 सूचनायें प्राप्त हुई हैं।

मैं इनमें से श्री पूरन सिंह फर्त्याल, श्री चन्दन राम दास, श्री मदन कौशिक, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री राजकुमार, श्रीमती विजया बड़थ्वाल तथा श्री चन्द्रशेखर की सूचनाओं को नियम 300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ, शेष सूचनायें अस्वीकार हुई।

श्री राजकुमार ठुकराल–

मान्यवर, मेरे विधानसभा क्षेत्र की समस्या को लेकर मेरी एक सूचना थी, मैंने यह 7 तारीख को भी दी थी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय ठुकराल जी, विनिश्चय आ चुका है, आप, कृपया बैठें।

प्रदेश में रसोई गैस की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

मान्यवर, प्रदेश के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में रसोई गैस की कमी से आम जनता को कई बार गम्भीर कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। राज्य सरकार द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है रसोई गैस में प्रत्येक परिवार में एक कनैक्शन होने से आम उपभोक्ता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पर्वतीय क्षेत्र में वन पर्यावरण की दृष्टि से भी प्रत्येक परिवार को दो कनेक्शन दिये जाने की आवश्यकता है। वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा सब्सिडी का कोटा कम कर दिया है। अतः राज्य सरकार अपने स्तर से रसोई गैस पर सब्सिडी देने एवं प्रति परिवार को दो कनेक्शन उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यवाही किये जाने की माँग करता हूँ।

विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर में मा0 मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा तथा शासनादेश भी जारी करने के उपरान्त गरुड़ पॉलिटेक्निक में महत्वपूर्ण विषय न खोले जाने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री चन्दन राम दास–

मान्यवर, मेरे विधानसभा क्षेत्र में विगत वर्ष माननीय मुख्यमंत्री की घोषणाओं

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के अनुसार गरूड़ पॉलिटैक्निक में दो अतिरिक्त विषय खोले जाने की घोषणायें की गयी थीं। जिनका शासनादेश भी शासन ने किया था, परन्तु एक वर्ष बीत जाने के बाद भी गरूड़ पॉलिटेक्निक मे कम्प्यूटर साइंस व सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स प्रारम्भ नहीं हो पाया है। दोनों स्वीकृत कोर्स प्रारम्भ नहीं हो पाने से स्थानीय जनता काफी आक्रोशित व आंदोलित है। अतः स्वीकृत दोनों विषयों को तत्काल प्रारम्भ करने जैसे लोक महत्ता के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।

जनपद हरिद्वार के नगर निगम क्षेत्र में स्ट्रीट लाईटों की खराब स्थिति को ठीक करने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना

श्री मदन कौशिक–

[मान्यवर, हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र हरिद्वार मे स्ट्रीट लाईटों की स्थिति खराब है। शहर के अनेकों क्षेत्र मध्य हरिद्वार, कनखल, ज्वालापुर, विष्णु गार्डन, कृष्णानगर, आर्यनगर, उत्तरी हरिद्वार आदि ऐसे अनेकों क्षेत्र है, जहा पर अधिकतम स्ट्रीट लाईटे बंद पड़ी हैं।

नगर निगम में अधिकारी बजट को आधार बताकर अपनी मजबूरी व्यक्त कर रहे हैं। अंधेरे मे आम नागरिकों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अनेक बार अंधेरे का लाभ उठाकर चेन लूटने/चोरी आदि की घटनाएं भी हो चुकी हैं।

स्ट्रीट लाईटों की स्थिति को लेकर आम लोग परेशान हैं। सामाजिक, राजनैतिक दलों द्वारा अनेक बार नगर निगम दफ्तर पर घेराव, धरना–प्रदर्शन किया है, लेकिन स्थिति में सुधार नही है।

इस अविलम्बनीय, लोक महत्व एवं तात्कालिक विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

विधानसभा क्षेत्र सल्ट में सिंचाई विभाग के नन्द्राण गाँव में लम्बे समय से सिंचाइ योजना पूर्ण करने तथा विकास खण्ड स्याल्दे में नहर की मरम्मत करने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

[मान्यवर, अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधानसभा मे सिंचाई विभाग के अधिकारियों–कर्मचारियो की घोर लापरवाही से जहाँ एक ओर नन्द्राण गॉव मे लम्बे समय से तैयार पड़ी सिंचाई योजना के प्रारम्भ ना हो पाने से किसान खेतो

नोटः–[ ] ये अंश पढ़े हुये माने गये।

सिंचाई कर पाने से वंचित है। वहीं स्याल्दे विकास खण्ड में वर्षों से बन्द पड़ी पत्थरखोला–सिमली–ड्यिाडी नहर के मरम्मत का कार्य न किए जाने से किसान अपने खेतों में सिंचाई ना कर पाने से काफी निराश हैं। अनेकों बार अधिकारियों से निवेदन करने के उपरान्त भी कार्य ना होने से किसानो मे भारी रोष व्याप्त है, जो कभी भी एक बड़े आन्दोलन का रूप ले सकता है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए शीघ्र कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

उत्तराखण्ड परिवहन निगम, श्रीनगर में परिवहन निगम का डिपो खुलवाने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजकुमार–

[मान्यवर, (1) 2004 में सरकार द्वारा उत्तराखण्ड परिवहन के दो डिपो गढ़वाल में श्रीनगर व कुमाऊँ मे रामनगर में बनाने का प्रस्ताव किया था, जिसमें रामनगर स्वतंत्र डिपो के रूप मे कार्य कर रहा है परन्तु श्रीनगर डिपो केवल कागजो पर ऋषिकेश से ही चलाया जा रहा हैं जिसका पर्वतीय लोगों को कोई विशेष लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि श्रीनगर में उत्तराखण्ड परिवहन निगम के पास बस स्टेशन कार्यशाला के लिये भूमि उपलब्ध है। फिर क्यों स्वतंत्र डिपो का निर्माण नहीं हुआ, श्रीनगर डिपो बन जाने से जिला गढ़वाल, रूद्रप्रयाग, चमोली व टिहरी जिले को परिवहन सुविधा प्राप्त से सीधे जोड़ा जा सकता है।

(2) परिवहन निगम के पास देहरादून में गांधी रोड पर अपना कार्यालय है, इसको व्यवस्थित करके मुख्यालय का दर्जा दिया जा सकता है। मुख्यालय के नाम से राजविहार चकराता रोड पर किराये के भवन का किराया, जो हजारो रु0 प्रतिमाह है, बचाया जा सकता है।

(3) परिवहन हेतु वाहनों की कीमत लाखो रु0 मे है। उनको चलाने वाले ठेका प्रथा चालक रखे गये हैं, जिनकी प्रतिभूमि मात्र 2000 रु0 है तथा इन्हें कि0मी0 के आधार पर भुगतान होता है, ज्यादा से ज्यादा कि0मी0 दौड़ा कर बस चालक यात्रियों की जान जोखिम में डालते तथा वाहन को भी क्षति पहुँचती है। कम से कम चालक व परिचालन नियमित होने चाहिए तथा इनके ऊपर क्षतिपूर्ति की पूर्ण जिम्मेदारी होनी चाहिये।

(4) परिवहन निगम की समस्त कार्यशालाओं का अभी तक आधुनिकीकरण नहीं हुआ है। क्या निगम अधिकारियों की इच्छाशक्ति नहीं है या निगम में निकम्मे अधिकारियों की फौज खड़ी है ?

(5) परिवहन निगम का पुराना बस अड्डा जो गाँधी रोड पर स्थित है, वर्तमान मे खाली पड़ा है, इस पर असाजक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। करोड़ों रुपये की सम्पत्ति पर भू–माफियाओ की नजर लगी हैं इसका राज्य हित/निगम हित में उपयोग किया जाए।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़े हुए माने गये।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के समस्त ग्राम सभाओं एवं क्षेत्र पंचायतों में विकास कार्यों के लिए मिलने वाला बजट अभी तक आवंटित नहीं होने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

[मान्यवर, जिला पौड़ी गढ़वाल के समस्त ग्राम सभाओं एवं क्षेत्र पंचायतों में विकास कार्यों के लिए मिलने वाला बजट नहीं मिला है, जिससे ग्राम सभाओं के छोटे–छोटे विकास कार्य बन्द पड़े हैं, जिसके कारण ग्राम सभाओं में अव्यवस्थाएं हो गई हैं। जनता परेशान है। साथ ही ग्राम प्रधानों को लगभग पन्द्रह सोलह माह से प्रति महीने मिलने वाले मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है। जिसके कारण जनप्रतिनिधियों में आक्रोश व्याप्त है और वे अपना कार्य ठीक से सम्पादित नहीं कर पा रहे हैं। इस विषय में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि सरकार से कई बार मांग कर चुके हैं। अतः इस जनहित की सूचना पर प्रभावी कार्यवाही किये जाने की मांग करती हूँ।]

विधानसभा क्षेत्र ज्वालापुर के ग्राम पंचायत खेड़ी तथा शिकोहपुर के ग्राम गांजा मजरा, घेर गऊशाला, टोडा हसनगढ़ व झीवरेड़ी में रजका नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना

श्री चन्द्रशेखर–

[मान्यवर, जनपद हरिद्वार, विधानसभा ज्वालापुर, ग्राम पंचायत खेड़ी शिकोहपुर के ग्राम गांजा मजरा, घेर गऊशाला, टोडा हसनगढ़ व झीवरेड़ी आदि में जाने के लिए रजका नदी से होकर जाना पड़ता है। जिस पर पूर्व में एक पुल व दो पुलिया बनी है। जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। जिससे बरसात के समय उपरोक्त गाँववासियों का रास्ता पूर्णतया बन्द हो जाता है। इन पुल व पुलियों के पुनः निर्माण हेतु जनता की माँग चल रही है।

अतः जनहित की सूचना पर प्रभावी कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधानसभा द्वारा अतारांकित प्रश्न संख्या 30 पर सल्ट में विद्युतीकरण से छूटे तोकों में विद्युतीकरण न किये जाने सम्बन्ध में तथा श्री मदन कौशिक, सदस्य विधानसभा द्वारा गन्ना मूल्य की घोषणा सदन के बाहर न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–299 के अन्तर्गत दो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। जिनमें से पहली

नोटः–[ ] में अंश पढ़े हुये माने गये।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सूचना माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना की है जो विधानसभा के द्वितीय सत्र के 2012 के द्वितीय सोमवार का अतारांकित प्रश्न संख्या–30 पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विधानसभा क्षेत्र साल्ट में विद्युतीकरण से छूटे 14 तोकों के दिनांक 31 अगस्त, 2012 तक विद्युतीकरण पूर्ण किये जाने के वायदे के पश्चात् भी कार्यपूर्ण न होने के सम्बन्ध में है तथा दूसरी सूचना माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक जी की है जो विधानसभा के वर्तमान सत्र के आहूत होने के पश्चात् सरकार द्वारा गन्ना मूल्य के सम्बन्ध में सदन की अपेक्षा मीडिया में नीतिगत निर्णय की घोषणा किये जाने के सम्बन्ध में है। इनमें से श्री सुरेन्द्र सिंह जीना की सूचना विधानसभा के प्रश्नोत्तर से उत्पन्न होने वाले विषय से सम्बन्धित है। माननीय सदस्य यह विषय उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम–51 के अन्तर्गत उठा सकते हैं। यह सूचना औचित्य के प्रश्न की परिधि में नहीं आती है। श्री मदन कौशिक की सूचना सरकार द्वारा नीतिगत निर्णय सदन से बाहर लेने के सम्बन्ध में है। प्रदेश सरकार द्वारा सदन के बाहर गन्ना मूल्य की घोषणा नहीं की गयी है। अतः यह सूचना भी औचित्य के प्रश्न की परिधि में नही आती है। मैं दोनों सूचनाओं को अस्वीकार करता हूँ।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, सरकार की तरफ से जवाब आया है। माननीय नेता सदन ने जवाब दिया है, माननीय अध्यक्ष जी, इसमें पूरा डेट दिया हुआ 31 अगस्त तक होगा। अभी काम प्रारम्भ भी नहीं हो पाया है मान्यवर, नेता सदन का जवाब था। फिर प्रश्न का औचित्य क्या रह गया माननीय अध्यक्ष जी ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, औचित्य के प्रश्न के रूप में जो परम्पराएं रही हैं (व्यवधान) प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली कहती है कि औचित्य के प्रश्न की सूचना आप सदस्यों को सदन के अन्दर रखने देंगे। वो अपनी सूचना रखेंगे, फिर उसे स्वीकार या अस्वीकार करना आपका अधिकार है। यदि वो अपनी सूचना नही रखेंगे तो जब 10, 20, 50 साल तक ये सारी पढ़ी जाएगी, आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी, तब कहीं न कहीं कहेगी कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह विधानसभा किस तरह आगे बढ़ी है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ औचित्य के रूप में स्वीकार करना या न करना, यह पीठ का और आपका अधिकार है। लेकिन सदस्य को सुनना, यह कार्य संचालन नियमावली भी कहती है, परम्पराएं भी कहती हैं। आज तक 50 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि अध्यक्ष पीठ से औचित्य की सूचनाओं को अपने आप स्वीकार या अस्वीकार कर दिया गया हो। आप उसको सुनने के बाद स्वीकार या अस्वीकार करें। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, सरकार के जवाब का पालन नहीं हो रहा है। फिर प्रश्नकाल का क्या औचित्य रह गया सदन में ?

श्री अध्यक्ष–

नियम–299 के (4) में दिया गया है कि "किसी औचित्य प्रश्न पर वाद–विवाद की अनुज्ञा नहीं होगी, किन्तु अध्यक्ष, यदि ठीक समझे, (व्यवधान) अपना विनिश्चय देने से पहले सदस्यों की बातें सुन सकेंगे।

(5) औचित्य प्रश्न विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, सरकार का गलत जवाब आया है सरकार ने कहा, 30 अगस्त पर पूरा विद्युतीकरण कर दिया जायेगा, कार्य भी प्रारम्भ नहीं हुआ है, अभी तक।

श्री अध्यक्ष–

विनिश्चय आ चुका है।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, हम जनता को क्या जवाब देंगे, सरकार जब झूठे जवाब दे रही है। (व्यवधान) मान्यवर, नेता सदन के जवाब का पालन नहीं हो रहा है। (व्यवधान) मान्यवर, फिर प्रश्नकाल का क्या औचित्य रह जायेगा ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि क्या कोई सदस्य स्पीकर को बाध्य कर सकता है कि वो क्या उत्तर दे ? मान्यवर, आपको बाध्य नहीं किया जा सकता है। इस परम्परा का भी पालन करें।

श्री अध्यक्ष–

आपका जो प्रश्न है, उसको मैंने बता दिया सदन को, कि उनकी मंशा क्या है और वो औचित्य का प्रश्न नहीं बन रहा है। इसलिए मैंने उसको अस्वीकार किया है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आपने जो कहा ठीक है, लेकिन एक बात जो मैं पढ़ रहा हूँ, उसे सुन तो लीजिए। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपको एलाउ नहीं किया गया है।

श्री मदन कौशिक–

................लेकिन मान्यवर, आपको भी 30 साल का अनुभव है, इसको अध्यक्ष जी ही स्वीकार और अस्वीकार करते हैं। लोकतंत्र के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि औचित्य के रूप में सदस्य को बोलने नहीं दिया गया हो, कभी ऐसा नहीं हुआ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, ऐसा बहुत हुआ है। मैं कार्यवाही ला दूँगी।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, स्वीकार करना या न करना अलग विषय है। सदस्य औचित्य के प्रश्न पर अपनी बात कहते हैं और उस पर माननीय अध्यक्ष जी का निर्णय आ जाता है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय कौशिक जी, आप बहुत सीनियर सदस्य हैं। इसी सदन में एक बार नहीं कई बार यह व्यवस्था हुई है।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको पिछले पाँच साल की प्रोसीडिंग दे सकता हूँ। औचित्य के रूप मे सदस्य को सुनना होता है, फिर आप निर्णय देते हैं।

नियम 310 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं के विषय पर चर्चा कराये जाने की माँग (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–310 के अन्तर्गत श्री मदन कौशिक, श्री हरभजन सिंह चीमा, श्री अरविन्द पाण्डेय, श्री सजय गुप्ता, श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, श्री यतीश्वरानन्द, श्री सहदेव पुण्डीर, श्री अजय भट्ट, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री बंशीधर भगत एवं अन्य सदस्यगण श्री चन्दन राम दास, श्री माल चन्द, श्री प्रेम सिंह एवं अन्य माननीय सदस्यगण, श्री भीमलाल आर्य तथा श्री हरिदास की कुल 06 सूचनायें प्राप्त हुई है। मैं इनमें से श्री अजय भट्ट, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री बंशीधर भगत एवं अन्य सदस्यगणों की सूचना को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन लूँगा। शेष सूचनायें अस्वीकार हुईं। (कई माननीय सदस्यों के खड़े होकर एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) (घोर व्यवधान)

श्री चन्दन राम दास–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने नियम–310 के अन्तर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण बैंक लोंग के मामले में सूचना लगाई थी। (व्यवधान)

***श्री अजय भट्ट–**

माननीय अध्यक्ष जी, भीमलाल वाली पर आपने परसों कृपा कर रखी थी कि उसको आज नियम–58 मे ले लेंगे। वह आज भी छूट रहा है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

जो परम्परा है, इसमें हम 05 सूचनायें लेते हैं, इसमें आपकी नियम–310 की एक सूचना और ली गई है। अब यह 6 सूचनायें हो गई है। जो सूचनायें हमारे पास आई हैं, उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण सूचना प्रदेश के सम्बन्ध में थी, उनको लेने का प्रयास किया।

***श्री भीमलाल आर्य–**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं लगातार आज तीसरी बार दे रहा हूँ। परसों भी आपने आश्वासन दिया था।

श्री अध्यक्ष–

यह व्यक्तिगत सूचना है यह इसमें नहीं आता है।

श्री भीमलाल आर्य–

मान्यवर, यह व्यक्तिगत सूचना नहीं है, यह प्रदेश की विधायिका से सम्बन्धित सूचना है।

श्री अध्यक्ष–

आगे ले लेंगे।

(श्री भीमलाल आर्य 'वेल' में आ गये और 'वेल' में बैठ गये। जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।) (शोर व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी के निर्णय के विरूद्ध नहीं जा सकते हैं। आप माननीय सदस्य को समझाइये। (व्यवधान)

***श्री अजय टम्टा–**

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय चन्दन राम दास जी और अन्य की जो सूचना नियम–310 में बैक लॉग की थी, उसे नियम–58 में कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी, माननीय सदस्य को आप सीट पर बैठवाइये।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, आप नियम–310 को नियम–58 में तब्दील कर दीजिए। यह बात पिछली बार भी आई है।

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

हमने नियम–310 की एक सूचना को नियम–58 में कन्वर्ट कर दी है। जो परम्परा रही है, वह हम नियम–58 में 5 सूचना लेते हैं। एक सूचना हमने नियम–310 की परिवर्तित की है, कुल 06 सूचनायें ले गई हैं, इससे ज्यादा हम ले नहीं सकते। नियमावली आप देख लीजिए। (व्यवधान के मध्य)

*श्री हरबन्स कपूर–

मान्यवर, आपने माननीय भीमलाल आर्य जी को पिछले उपवेशन में आश्वस्त किया था कि आपकी सूचना को अगले बार ले लेंगे। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैंने भी आपसे अनुरोध किया था कि इनकी सूचना को ले ले। (व्यवधान) मान्यवर, इनकी सूचना को कल जरूर ले लें। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। कल ले लेंगे। (माननीय सदस्य श्री भीमलाल आर्य 'वेल' में अपनी बात कहते रहे।) इनकी किसी बात का संज्ञान न लिया जाय। मैं नेता प्रतिपक्ष से निवेदन करता हूँ कि जो 06 सूचनायें ली गयी हैं। उनमें से आप कोई सूचना को वापस लेना चाहते हैं तो वह बता दें। मैं माननीय श्री भीमलाल आर्य जी की सूचना को ले लेता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आप मेरी सूचना को वापस ले लें और मेरी सूचना को कल ले लें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। मैं श्री भीमलाल आर्य की सूचना को ले लेता हूँ। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान तथा श्री चन्दन राम दास और श्री अजय टम्टा 'वेल' में आकर अपनी–अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

मैं, सदन की कार्यवाही 2:00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मार्शल, विधानसभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

(सदन की कार्यवाही 3:00 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

शिक्षा मित्रों पर हुए पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के सम्बन्ध में नियम 310 के अन्तर्गत चर्चा कराये जाने की माँग

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े रहे और एक साथ अपनी–अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हुआ।)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, आज शिक्षा मित्रों पर जिस बर्बरता से लाठी चार्ज किया गया है, यह बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। ये अंग्रेजों के शासनकाल की याद दिलाता है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ अपनी–अपनी बात बोलने पर घोर व्यवधान) मान्यवर, मान्यवर, अभी कम से कम 56 लोग घायल हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री चन्दन राम दास–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी आरक्षण के मामले और बैक लॉग के मामले में नियम–310 की सूचना है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपनी–अपनी बात कहते हुए 'वेल' में आ गये और नारेबाजी करने लगे।)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, इस प्रकरण की न्यायिक जॉच करायी जाय। (घोर व्यवधान) मान्यवर, जिस किस्म की बर्बरता आज की गयी है, यह देखने को नहीं मिलती है इसलिए हम चाहते हैं आप सारे सदन के अन्य कार्यों को रोक कर इस पर चर्चा करायें और चर्चा होने के बाद आप अपना विनिश्चय दें। यह बहुत ही गम्भीर मामला है। (घोर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, बहुत ही गम्भीर मामला है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसकी जॉच करायी जाये। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपने–अपने स्थान पर बैठ जायें। (घोर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध है कि सारे नियमों का निलम्बन कर, इस विषय पर नियम 310 के अन्तर्गत चर्चा करायी जाये। मान्यवर, 56 लोग घायल हो गये हैं, 5 लोग अस्पताल में हैं और दो लो मिसिंग है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान न लिया जाये।

('वैल' में खड़े भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य नारे लगाते रहे।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर जाकर बैठ गए।)

*श्री तीरथ सिंह रावत–

मान्यवर, शिक्षा मित्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, 56 लोग घायल हुए हैं, 5 हॉस्पिटल मे है और 2 गायब हैं। इसकी न्यायिक जॉच कराई जाये।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हम इसकी न्यायिक जॉच की माग करते हैं। जिन अधिकारियो ने बिना किसी कारण के इस तरह से पीट दिया लोगो को, घायल कर दिया, लहुलुहान कर दिया। मान्यवर, इसकी जॉच के आदेश पीठ से जाने चाहिए। हमने इसलिए सदन व्यवस्थित कराया है, मैंने सबको वापस बुलाया है, पूरा प्रदेश देख रहा है, एक जगह की बात नहीं है, एक जिले की बात नहीं है, पूरे प्रदेश से लोग आए हैं। मै निवेदन करना चाहता हूँ, शिक्षा मित्र हैं, एन0टी0टी0 हैं, नर्सिंग हैं, शिक्षा आचार्य हैं, अनुदेशक हैं, बी0एड0 प्रशिक्षित हैं, सबको पीट दिया। एक या दो ने कोई गलती की थी तो ठीक था और जो महिलाएं राह मे जा रही थी, उनको बुरी तरह पीट दिया, जो राहगीर महिलाएं भी थीं। यह अच्छी बात नहीं है। यह सदन मे विपक्ष के लोगों को भी पता है कि किस तरह से अंग्रेजो के जमाने में दौड़ाए जाते थे। मान्यवर, सदन इसलिए व्यवस्थित हुआ क्योंकि आज उत्तराखण्ड न्याय चाहता है, आपके द्वारा। आपसे एक नजीर पेश करने का विनम्र निवेदन करते है, इसलिए इसमें आपका दिनिश्चय चाहिए।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

मान्यवर, अभी हमारे साथियों और माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जानकारी दी, यह दुःखद है, उनमें महिलाएं भी थीं। हमारे साथियों के क्षेत्र की महिला शिक्षिकाएं भी थीं। हम इसकी जॉच के आदेश देते हैं और जॉच में जो लोग जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कार्यवाही होगी।

श्री तीरथ सिंह रावत—

मान्यवर, यह सब सरकार के इशारे पर हो रहा है। (व्यवधान) न्यायिक जॉच के आदेश दें। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

मान्यवर, न्याय की सामान्य प्रक्रिया है। सभी व्यक्ति जानते हैं कि किसी को दोषी सिद्ध करने के लिए, कौन दोषी है, उस भीड़ में, तो दोषी सिद्ध करने के लिए जॉच तो होगी। जो दोषी पाया जाएगा, उसे विरूद्ध कार्यवाही होगी। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट—

मान्यवर, जॉच कौन करेगा ? (व्यवधान) जॉच तो जो सरकार का भी पक्ष नहीं है, विपक्ष का भी पक्ष नहीं है, जो किसी का पक्ष नहीं है, वह तो न्यायिक जॉच ही हो सकती है इसलिए आप न्यायिक जॉच की यहॉ से घोषणा कर दीजिए।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

मान्यवर, ठीक है, अगर आप न्यायिक जॉच चाहते हैं तो मैं न्यायिक जॉच के आदेश देती हूँ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या—5 पर माननीय सदस्य श्रीमती विजया बड़थ्वाल का नाम पुकारे जाने पर।)

नियम 310 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं के विषय पर चर्चा कराये जाने की मॉंग (क्रमागत)

श्री चन्दन राम दास—

मान्यवर, हमारी नियम—310 की सूचना है आपने मुझे परसों भी इसे लेने के लिए कहा था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। यह बैकलॉग का मामला है, यह आरक्षण का मामला है। यह पूरे प्रदेश का मामला है। यह बहुत अविलम्बनीय मुद्दा है। माननीय अध्यक्ष जी, आप हमारे संरक्षक हैं। आपने मुझे परसों कहा था कि सोमवार को इसको लेंगे। नियम—310 की इस सूचना पर हमारे बहुजन समाज पार्टी और कॉंग्रेस के माननीय सदस्य भी अपनी बात रखना चाहते हैं।

श्री अजय टम्टा–

माननीय अध्यक्ष जी, इसके लिए सब लोग सहमत हैं, यह वंचित समाज का मामला हैं इसमें पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपनी बात कहना चाहते हैं। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, यह अनुसूचित जाति समाज का मामला है।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य, श्री चन्दन राम दास, माननीय सदस्य, श्री अजय टम्टा, माननीय सदस्य, श्री खजान दास, माननीय सदस्य, श्री चन्द्रशेखर, माननीय सदस्य, श्री भीम लाल आर्य तथा माननीय सदस्य, श्री प्रेम सिंह 'वेल' में आकर अपनी बात कहने लगे जिससे सदन मे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया, स्थान ग्रहण करें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, ट्रेजरी बेंच की ओर से भी माननीय हरिदास जी खड़े हैं।

(वेल में खड़े माननीय सदस्य नारे लगाने लगे और अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया, स्थान ग्रहण करें।

(वेल में खड़े माननीय सदस्य नारे लगाने लगे और अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर, जिला पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड द्वारिखाल के स्थान सिलोगी में कृषि महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर, जिला पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड द्वारीखाल के स्थान पर सिलोगी मे कृषि महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध मे श्री शिवदयाल सिंह नेगी एवं निवासीगण, ग्रा0 व पो0 काली, (वाया) सिलोगी, जनपद पौड़ी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करती हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर, जिला पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत निर्माणाधीन नीलकंठ गरुड़चट्टी मोटर मार्ग एवं मोटर पुल के निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में याचिका।

श्रीमती विजया बड़थ्वाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर, जिला पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत निर्माणाधीन नीलकंठ, गरूड़चट्टी मोटर मार्ग एवं मोटर पुल के निर्माण किये जाने के सम्बन्ध मे श्री विक्रम सिंह चौहाण एवं निवासीगण, ग्राम तलाई (मराल), पो0 मराल, जनपद पौड़ी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करती हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर, जिला पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत स्वर्गाश्रम (जोंक) के स्थान वेदनिकेतन में हल्का वाहन पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका।

श्रीमती विजया बड़थ्वाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर, जिला पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत स्वर्गाश्रम (जोंक) के स्थान वेदनिकेतन मे हल्का वाहन पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री गुरूपाल बत्रा एवं निवासीगण, ग्राम किरमोला जोंक, पो0 लक्ष्मण झूला, जनपद पौड़ी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करती हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

हिमालयन विश्वविद्यालय विधेयक, 2012

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से हिमालयन विश्वविद्यालय विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि हिमालयन विश्वविद्यालय विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से हिमालयन विश्वविद्यालय विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करती हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

आई0एम0एस0 यूनिसन विश्वविद्यालय विधेयक, 2012

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से आई0एम0एस0 यूनिसन विश्वविद्यालय विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि आई0एम0एस0 यूनिसन विश्वविद्यालय विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से आई0एम0एस0 यूनिसन विश्वविद्यालय विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करती हूँ।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्यगण वेल पर बैठ गये और नारे लगाने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तरांचल विश्वविद्यालय विधेयक, 2012

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तरांचल विश्वविद्यालय विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल विश्वविद्यालय विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तरांचल विश्वविद्यालय विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करती हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डी0आई0टी0 विश्वविद्यालय विधेयक, 2012

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से डी0आई0टी0 विश्वविद्यालय विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि डी0आई0टी0 विश्वविद्यालय विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से डी0आई0टी0 विश्वविद्यालय विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करती हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

('वैल' में मौजूद माननीय सदस्यगण पूर्ववत् नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करती हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड राज्य एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन विधेयक, 2012

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तराखण्ड राज्य एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड राज्य एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड राज्य एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करती हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जल उपयोग कर विधेयक, 2012

***श्री यशपाल आर्य–**

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जल उपयोग कर विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जल उपयोग कर विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जल उपयोग कर विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण विधेयक, 2012

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जल उपयोग कर विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जल उपयोग कर विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जल उपयोग कर विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2012

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

विविध राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 2012

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से विविध राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि विविध राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से विविध राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

पं0 दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड (संशोधन) विधेयक, 2012

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से पं0 दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि पं0 दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत अपनी–अपनी बात को उठाते रहे और नारे लगाते रहे) (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प0 दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करती हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–58 के अन्तर्गत कुल 16 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्री राजकुमार ठुकराल, पूरन सिंह फर्त्याल, श्री गणेश जोशी की सूचनाओं को ग्राह्यता पर सुन लूंगा तथा माननीय सदस्य श्री हरबंश कपूर एवं श्री माल चन्द की सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ। शेष सूचनायें अस्वीकार हुई। (माननीय अध्यक्ष जी द्वारा माननीय सदस्य श्री राजकुमार ठुकराल का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े नहीं हुए।)

(माननीय अध्यक्ष जी द्वारा माननीय सदस्य श्री गणेश जोशी का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े नहीं हुए।)

(माननीय अध्यक्ष जी द्वारा माननीय सदस्य श्री गणेश जोशी का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े नहीं हुए।)

शोर व्यवधान के मध्य

वित्तीय वर्ष 2012 2013 की प्रथम अनुपूरक अनुदानों की माँगों पर चर्चा एवं मतदान

अनुदान संख्या 01 विधानसभा

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–01 विधानसभा के अन्तर्गत ₹ 2,22,00 हजार (दो करोड़, बाइस लाख) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–01 विधानसभा के अन्तर्गत ₹ 2,22,00 हजार (दो करोड़, बाइस लाख) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

शोर व्यवधान के मध्य

अनुदान संख्या 03 मंत्रि परिषद्

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–03 मंत्री–परिषद् के अन्तर्गत ₹ 5,15,50 हजार (पॉच करोड़, पन्द्रह लाख, पचास हजार) रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–03 मंत्री–परिषद् के अन्तर्गत ₹ 5,15,50 हजार (पॉच करोड़, पन्द्रह लाख, पचास हजार) रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

('वैल' में खड़े माननीय सदस्यों द्वारा कुछ कागज फाड़ कर ऊपर उछाले गये।)

शोर व्यवधान के मध्य

अनुदान संख्या 04 न्याय प्रशासन

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत ₹ 7,16,10 हजार (सात करोड़, सोलह लाख, दस हजार) रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत ₹ 7,16,10 हजार (सात करोड़, सोलह लाख, दस हजार) रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

शोर व्यवधान के मध्य

अनुदान संख्या 05 निर्वाचन

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से, प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–05 निर्वाचन के अन्तर्गत ₹ 9,23,20 हजार (नौ करोड़, तेईस लाख बीस हजार) रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–05 निर्वाचन के अन्तर्गत ₹ 9,23,20 हजार (नौ करोड़, तेईस लाख बीस हजार) रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

('वैल' में खड़े किसी माननीय सदस्य द्वारा कागज फाड़ कर माननीय अध्यक्ष की पीठ की तरफ उछाला गया।)

शोर व्यवधान के मध्य

अनुदान संख्या 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से, प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत ₹ 40,97,54 हजार (चालीस करोड़, सत्तानवे लाख, चौवन हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है ?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत ₹ 40,97,54 हजार (चालीस करोड़, सत्तानवे लाख, चौवन हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

('वैल' में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

(शोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या 07 वित्त, कर, नियोजन तथा अन्य सेवाएँ

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से, प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं के अन्तर्गत ₹ 2,84,377 हजार (अट्ठाईस करोड़, तैतालीस लाख सतहत्तर हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है ?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं के अन्तर्गत ₹ 2,84,377 हजार (अट्ठाईस करोड़, तैतालीस लाख सतहत्तर हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या 08 आबकारी

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से, प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–08 आबकारी के अन्तर्गत ₹ 31,00 हजार (इकतीस लाख) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिए स्वीकार की जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है ?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–08 आबकारी के अन्तर्गत ₹ 31,00 हजार (इकतीस लाख) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या 10 पुलिस एवं जेल

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से, प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–10 पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत ₹ 15,00,208 हजार (एक सौ पचास करोड़ दो लाख आठ हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिए स्वीकार की जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है ?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–10 पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत ₹ 15,00,208 हजार (एक सौ पचास करोड़ दो लाख आठ हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत ₹ 31,98,757 हजार (तीन सौ उन्नीस करोड़, सत्तासी लाख, सत्तावन हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिए स्वीकार की जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है ?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत ₹ 31,98,757 हजार (तीन सौ उन्नीस करोड़, सत्तासी लाख, सत्तावन हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण

***श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत ₹ 21,27,783 हजार (दो सौ बारह करोड़, सतहत्तर लाख, तिरासी हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिए स्वीकार की जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है ?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत ₹ 21,27,783 हजार (दो सौ बारह करोड़, सतहत्तर लाख, तिरासी हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

('वेल' पर खड़े माननीय सदस्य नारे लगाते रहे।)

शोर व्यवधान के मध्य

अनुदान संख्या 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत ₹ 15,25,944 हजार (एक सौ बावन करोड़, उनसठ लाख, चौवालीस हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिए स्वीकार की जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है ?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत ₹ 15,25,944 हजार (एक सौ बावन करोड़, उनसठ लाख, चौवालीस हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शोर व्यवधान के मध्य

अनुदान संख्या 14 सूचना

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से, प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–14 सूचना के अन्तर्गत ₹ 32,800 हजार (तीन करोड़ अट्ठाईस लाख) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है ?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नही रखा गया।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–14 सूचना के अन्तर्गत ₹ 32,800 हजार (तीन करोड़ अट्ठाईस लाख) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या 15 कल्याण योजनाएँ

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–15 कल्याण योजनाएँ के अन्तर्गत ₹ 77,17,80 हजार (सतहत्तर करोड़ सत्रह लाख अस्सी हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिए स्वीकार की जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है ?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नही रखा गया।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–15 कल्याण योजनाएँ के अन्तर्गत ₹ 77,17,80 हजार (सतहत्तर करोड़ सत्रह लाख अस्सी हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, सदन में अच्छा नहीं हो रहा है, इसलिए मेरी माग है कि इनको व्यवस्थित करे और इनकी सूचना को नियम–58 मे सुन लें, हमारा अच्छा मैसेज नही जा रहा है, प्रेस दीर्घा से। आइये, सभी लोग अपने–अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर जाकर अपनी बात कहने लगे।)

शोर व्यवधान के मध्य

अनुदान संख्या 16 श्रम और रोजगार

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–16 श्रम और रोजगार के अन्तर्गत ₹ 31,26,53 हजार (इकतीस करोड़, छब्बीस लाख तिरपन हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है ?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–16 श्रम और रोजगार के अन्तर्गत ₹ 31,26,53 हजार (इकतीस करोड़, छब्बीस लाख तिरपन हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, म सदन को व्यवस्थित करा रहा हूँ, क्योंकि अध्यक्ष मैसेज नहीं जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि इसे आगे ले लिया जाए।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपके लोगो ने जिस ढंग से कागज माननीय अध्यक्ष जी की ओर फेंका है, यह शर्मनाक है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, सरकार की मंशा आज हाफ्ता उठाने की है, सरकार लोक हित के मुद्दों से बचना चाहती है।

शोर व्यवधान के मध्य

अनुदान संख्या 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान

***श्री हरक सिंह रावत–**

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–17 कृषि कम एवं अनुसंधान के अन्तर्गत ₹ 1,71,94,74 हजार (एक सौ इकहत्तर करोड़, चौरानवे लाख, चौहत्तर हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिए स्वीकार की जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है ?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत ₹ 1,71,94,74 हजार (एक सौ इकहत्तर करोड़, चौरानबे लाख, चौहत्तर हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शोर व्यवधान के मध्य

अनुदान संख्या 18 सहकारिता

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–18 सहकारिता के अन्तर्गत ₹ 1,60,90 हजार (एक करोड़, साठ लाख, नब्बे हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है ?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–18 सहकारिता के अन्तर्गत ₹ 1,60,90 हजार (एक करोड़, साठ लाख, नब्बे हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शोर व्यवधान के मध्य

अनुदान संख्या 19 ग्राम्य विकास

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत ₹ 31,32,23 हजार (इकत्तीस करोड़, बत्तीस लाख, तेइस हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है ?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत ₹ 31,32,23 हजार (इकतीस करोड़, बत्तीस लाख, तेईस हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 20 सिंचाई एवं बाढ़

श्री यशपाल आर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–20 सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत ₹ 96,44,92 हजार (छियानबे करोड़, चौवालीस लाख, बयानबे हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिए स्वीकार की जाय।

(भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्य 'वेल' में आ गये और नारेबाजी करने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है ?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–20 सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत ₹ 96,44,92 हजार (छियानबे करोड़, चौवालीस लाख, बयानबे हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या 21 ऊर्जा

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से, प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–21 ऊर्जा के अन्तर्गत

₹ 4,04,91,00 हजार (चार सौ चार करोड़, इक्यानबे लाख) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2012—2013 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है ?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या—21 ऊर्जा के अन्तर्गत ₹ 4,04,91,00 हजार (चार सौ चार करोड़, इक्यानबे लाख) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2012—2013 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या 22 लोक निर्माण कार्य

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से, प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या—22 ऊर्जा के अन्तर्गत ₹ 26,47,500 हजार (दो सौ चौसठ करोड़, पचहत्तर लाख) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2012—2013 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है ?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या—22 ऊर्जा के अन्तर्गत ₹ 26,47,500 हजार (दो सौ चौसठ करोड़, पचहत्तर लाख) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2012—2013 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या 23 उद्योग

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से, प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–23 उद्योग के अन्तर्गत ₹ 10,86,85 हजार (10 करोड़, छियासी लाख, पच्चासी हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है ?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–23 उद्योग के अन्तर्गत ₹ 10,86,85 हजार (10 करोड़, छियासी लाख, पच्चासी हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या 24 परिवहन

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–24 परिवहन के अन्तर्गत ₹ 1,00,37,80 हजार (सौ करोड़, सैंतीस लाख, अस्सी हजार हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है ?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–24 परिवहन के अन्तर्गत ₹ 1,00,37,80 हजार (सौ करोड़, सैंतीस लाख, अस्सी हजार हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या 25 खाद्य

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–25 खाद्य के अन्तर्गत ₹ 25,21,95 हजार (पच्चीस करोड़, इक्कीस लाख, पिचानबे हजार) रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है ?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–25 खाद्य के अन्तर्गत ₹ 25,21,95 हजार (पच्चीस करोड़, इक्कीस लाख, पिचानबे हजार) रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या 26 पर्यटन

श्रीमती अमृता रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा एव श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से, प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–25 पर्यटन के अन्तर्गत ₹ 43,50,65 हजार (तैंतालीस करोड़, पचास लाख, पैंसठ हजार) रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है ?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–25 पर्यटन के अन्तर्गत ₹ 43,50,65 हजार (तैंतालीस करोड़, पचास लाख, पैंसठ हजार) रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या 27 वन

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से, प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–27 वन के अन्तर्गत ₹ 4,94,215 हजार (उन्चास करोड़, बयालीस लाख, पन्द्रह हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है ?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–27 वन के अन्तर्गत ₹ 4,94,215 हजार (उन्चास करोड़, बयालीस लाख, पन्द्रह हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या 28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत ₹ 1,35,397 हजार (तेरह करोड़, तिरपन लाख, सत्तानबे हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है ?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत ₹ 1,35,397 हजार (तेरह करोड़, तिरपन लाख, सत्तानबे हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या 29 औद्योगिक विकास

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यर, मैं आपकी अनुमति से, श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से, प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–29 औद्योगिक विका के अन्तर्गत ₹ 8,60,38

हजार (आठ करोड़, साठ लाख, अड़तीस हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है ?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–29 औद्योगिक विकास के अन्तर्गत ₹ 8,60,38 हजार (आठ करोड़, साठ लाख, अड़तीस हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–30 अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत ₹ 7,42,700 हजार (चौहत्तर करोड़ सत्ताईस लाख) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है ?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–30 अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत ₹ 7,42,700 हजार (चौहत्तर करोड़ सत्ताईस लाख) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–30 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत ₹ 1,84,663 हजार (अट्ठारह करोड़, छियालीस लाख, तिरसठ हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है ?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–30 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत ₹ 1,84,663 हजार (अट्ठारह करोड़, छियालीस लाख, तिरसठ हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड विनियोग (2012–13 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2012

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तराखण्ड विनियोग (2012–13 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विनियोग (2012–13 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड विनियोग (2012–13 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करती हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तराखण्ड विनियोग (2012–13 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विनियोग (2012–13 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तराखण्ड विनियोग (2012 13 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2012

(विधेयक संख्या वर्ष 2012)

31 मार्च, 2013 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिए–

विधेयक

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा अधिनियमित–

संक्षिप्त नाम	1.	इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विनियोग (2012–13 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2012।
उत्तराखण्ड की समेकित निधि में से वर्ष 2012–13 के लिये ₹ 24,65,11,61,000 का दिया जाना	2	ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये, जो 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ–2 में दी गयी सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तराखण्ड की समेकित निधि में से उतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों, जिनका कुल योग ₹ 22,46,51,161 हजार (दो हजार चार सौ पैंसठ करोड़ ग्यारह लाख इकसठ हजार मात्र) होता है, से अधिक न हो।
विनियोग	3.	इस अधिनियम द्वारा उत्तराखण्ड की समेकित निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग, 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा, जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुपूरक आय–व्ययक 2012–2013

(धनराशि हजार रुपये में)

अनुदान	विभाग का नाम		अनुपूरक आय–व्ययक 2012–2013		
			आयोजनेत्तर	आयोजनागत	योग
1	2	3	4	5	6
1.	विधानसभा	राजस्व	2200	0	2200
		पूंजी	0	20000	20000
2.	श्री राज्यपाल	राजस्व	480	0	480
		पूंजी	0	0	0
3.	मंत्रिपरिषद्	राजस्व	51550	0	51550
		पूंजी	0	0	0
4.	न्याय प्रशासन	राजस्व	108058	0	108058
		पूंजी	0	10000	10000
5.	निर्वाचन	राजस्व	92320	0	92320
		पूंजी	0	0	0
6.	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व	102679	20000	122679
		पूंजी	14600	282755	297355
7.	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें	राजस्व	1006347	68040	1074387
		पूंजी	30790	120000	150790
8.	आबकारी	राजस्व	3100	0	3100
		पूंजी	0	0	0
9.	लोक सेवा आयोग	राजस्व	2600	0	2600
		पूंजी	0	35000	35000
10.	पुलिस एवं जेल	राजस्व	1135208	13225	1140433
		पूंजी	0	351775	351775
11.	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	राजस्व	745605	1379996	2125601
		पूंजी	0	1073158	1073158
12.	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	राजस्व	5211	348035	353246
		पूंजी	0	1774537	1774537
13.	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	राजस्व	672944	183000	855944
		पूंजी	0	670000	670000
14.	सूचना	राजस्व	32000	0	32000
		पूंजी	5768	691014	698790
15.	कल्याण योजनायें	राजस्व	5768	691014	698790
		पूंजी	0	75000	75000
16.	श्रम और रोजगार	राजस्व	296088	16565	312653
		पूंजी	0	0	0

1	2	3	4	5	6
17.	कृषि कर्म एवं अनुसन्धान	राजस्व	158500	42674	201174
		पूंजी	0	1510300	1510300
18.	सहकारिता	राजस्व	0	13090	13090
		पूंजी	0	3000	3000
19.	ग्राम्य विकास	राजस्व	113223	0	113223
		पूंजी	0	200000	200000
20.	सिंचाई एवं बाढ़	राजस्व	3972	0	3972
		पूंजी	0	960520	960520
21.	ऊर्जा	राजस्व	3000	5000	8000
		पूंजी	0	4041100	4041100
22.	लोक निर्माण कार्य	राजस्व	472000	20000	492000
		पूंजी	0	2182000	2182000
23.	उद्योग	राजस्व	33695	25000	58695
		पूंजी	0	50000	50000
24.	परिवहन	राजस्व	3780	0	3780
		पूंजी	0	1000000	1000000
25.	खाद्य	राजस्व	2196	0	2196
		पूंजी	0	250000	250000
26.	पर्यटन	राजस्व	1147	215000	218147
		पूंजी	0	218918	218918
27.	वन	राजस्व	198500	241915	438415
		पूंजी	0	55000	55000
28.	पशुपालन सम्बन्धी कार्य	राजस्व	50100	72297	122397
		पूंजी	0	13000	13000
29.	औद्यानिक विकास	राजस्व	6000	402098	408098
		पूंजी	0	0	0
30.	अनुसूचित जातियों का कल्याण	राजस्व	4111	312970	317091
		पूंजी	0	425619	425619
31.	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	राजस्व	11134	149313	4986108
		पूंजी	0	24216	15305970
	योग	राजस्व	5321903	3889172	9221075
		पूंजी	45390	15384696	15430086
	महा योग	राजस्व			24651161

खण्डशः विचार

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, खण्ड 3 एवं अनुसूची खण्ड 1 प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंश माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तराखण्ड विनियोग (2012–13 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2012 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विनियोग (2012–13 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2012 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत माननीय सदस्य, श्री नवप्रभात, श्री पूरन सिंह फर्त्याल, श्री चन्दन राम दास, श्री मदन कौशिक, श्री दान सिंह भण्डारी, श्री अजय टम्टा, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री माल चन्द, श्री पुष्कर सिंह धामी, श्री प्रेम सिंह राणा एव श्री महावीर सिंह रांगड़ की कुल 11 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं। इनमे से माननीय सदस्य श्री प्रेम सिंह राना की सूचना, जो कि विधान सभा क्षेत्र नानकमत्ता के ग्राम पंचायत बादा में खकरा नदी में बाढ़ आने से बाद, भिलइया एवं नरी गांव के आस–पास के क्षेत्रो की कृषि भूमि, राजकीय भूमि एवं भवन तथा आवासीय भवनो को हुई अत्यधिक क्षति एवं किसानों को हो रहे नुकसान के सम्बन्ध में है, को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिये तथा माननीय सदस्य श्री बिशन सिंह चुफाल की सूचना, जो कि जनपद पिथौरागढ़ के बड़ालू मे ए०एन०एम० ट्रेनिंग सेन्टर के भवन छात्रावास का निर्माण दो वर्ष पूर्ण हो जाने के उपरान्त भी उसमें ट्रेनिंग न दिलाये जाने के सम्बन्ध मे है, को केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार कर रहा हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद ऊधमसिंह नगर के मुख्यालय रूद्रपुर में किच्छा बाईपास मार्ग पर स्थित कल्याणी नदी पर बने दो पुलों का चौड़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार ठुकराल स0वि0स0 द्वारा दी गयी नियम 53 के अन्तर्गत सूचना पर संसदीय कार्यमंत्री ने वक्तव्य दिया

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जनपद ऊधमसिंह नगर के मुख्यालय रूद्रपुर में किच्छा बाईपास मार्ग पर स्थित 02 पुल (कल्याणी नदी पर 18 मी0 स्पान, 7.00 मी0 चौड़ाई का आर0सी0सी0 पुल तथा बेगुल नदी पर 26 मी0 स्पान एवं 5.50 मी0 चौड़ाई का आर्च पुल) निर्मित है। पंतनगर में औद्योगिक आस्थान की स्थापना के पश्चात् इन पुलों पर यातायात घनत्व काफी बढ़ा है। उक्त पुलो के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में आगणन गठित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर प्रदान किया जाना सम्भव होगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद देहरादून के तहसील विकासनगर में लक्ष्मीपुर, केदारवाला, ढकरानी, सय्यद मार्ग तथा पुल पार नवाबगढ़ आदि स्थानों पर पेयजल नलकूपों के ओवरहैड टैंक न बनाने से पेयजल आपूर्ति का पूर्ण लाभ जनता को न मिलने के सम्बन्ध में श्री नवप्रभात, सदस्य, विधानसभा द्वारा दी गयी नियम 53 के अन्तर्गत सूचना पर पेयजल मंत्री का केवल वक्तव्य

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

[उपरोक्त पॉचनलकूपों पर ओवर हैड टेंक बनाने के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति निम्नवत् है :–

1. लक्ष्मीपुर– लक्ष्मीपुर नलकूप छिद्रण का कार्य केन्द्रीय भू–जल बोर्ड द्वारा किया गया है, जिसे उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा सीधे जलापूर्ति हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा 500 किलो लीटर (5लाख लीटर) क्षमता के ओवर हैड टैंक (ओ0एच0टी0) के निर्माण व तत्सम्बन्धी कार्यों हेतु, 62 के0वी0ए0 क्षमता के जनरेटर सैट तथा 300 मीटर कनैक्टिंग मैन का प्राक्कलन अनुमानित लागत ₹ 87.13 लाख तैयार कर लिया गया है। प्राक्कलन प्राप्त होते ही इसकी स्वीकृति की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

नोटः–[ ] ये अंश पढ़े हुये माने गये।

2. केदारवाला– केदारवाला नलकूप निर्माण का कार्य उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा करके उत्तराखण्ड जल संस्थान को हस्तान्तरित किया गया था, जिसे जल संस्थान द्वारा सीधे जलापूर्ति में प्रयोग किया जा रहा है। 130 किलो लीटर (1 लाख 30 हजार लीटर) क्षमता के नये ओवर हैड टैंक एवं तत्सम्बन्धी कार्यों के निर्माण का प्राक्कलन अनुमानित लागत ₹ 34.19 लाख उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा तैयार कर लिया गया हैं प्राक्कलन प्राप्त होते ही इसकी स्वीकृति की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

3. ढकरानी– ढकरानी नलकूप का निर्माण उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा करके उत्तराखण्ड जल संस्थान को हस्तान्तरित किया गया था, जिसे जल संस्थान द्वारा सीधे जलापूर्ति मे प्रयोग किया जा रहा है। 600 किलोलीटर (6 लाख लीटर) क्षमता के नये ओवर हैड टैंक एवं तत्सम्बन्धी कार्यों के निर्माण का प्राक्कलन अनुमानित लागत ₹ 83.82 लाख का उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा तैयार कर लिया गया है। प्राक्कलन प्राप्त होते ही इसकी स्वीकृति की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

4. सय्यद मार्ग– सैय्यद मार्ग स्थित बस्ती, विकासनगर की नगरीय पेयजल योजना के अन्तर्गत आती है। यहॉं की जलापूर्ति लक्ष्मणपुर जलाशय से की जाती है। लक्ष्मणपुर जलाशय को दो नलकूपो क्रमशः सय्यद मार्ग तथा डाकपत्थर से भरा जाता है। लक्ष्मणपुर जलाशय की क्षमता पेयजल उत्पादन के सापेक्ष कम है। इस प्रकार यहा एक अन्य जलाशय की आवश्यकता है। अतः 300 किलो लीटर (3 लाख लीटर) क्षमता केएक नये ओवर हैड टैंक एवं तत्सम्बन्धी कार्यों के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा प्राक्कलन अनुमानित लागत ₹ 55.73 लाख की विरचित कर लिया गया है। प्राक्कलन प्राप्त होते ही इसकी स्वीकृति की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

5. पुलपार (नवानगर)– पुलपार (नहर पार) क्षेत्र अर्थात् नवानगर में नलकूप निर्माण का कार्य केन्द्रीय भू–जल बोर्ड द्वारा किया गया है, जिसे उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा सीधे जलापूर्ति में प्रयोग किया जा रहा है। 500 किलो लीटर (5 लाख लीटर) क्षमता के नए ओवर हैड टैंक, 82 के0वी0ए0 क्षमता के जनरेटर सैट, 250 मीटर कनेक्टिंग मैन एवं तत्सम्बन्धी कार्यों का प्राक्कलन अनुमानित लागत ₹ 89.41 लाख उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा तैयार कर लिया गया है। प्राक्कलन प्राप्त होते ही इसकी स्वीकृति की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।]

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, कल पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिये।

(सदन की कार्यवाही 3 बजकर 48 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नत्थी 'क'

देखिये अल्पसूचित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 5 पर

राज्य में उपखनिजों के चुगान/खनन हेतु नदियों का जनपदवार विवरण

क्र0 सं0	नदी का नाम	जनपद का नाम	खनन योग्य क्षेत्रफल (हे0 में)
1	2	3	4
1.	आसन नदी	देहरादून	
2.	टौंस नदी		
3.	निम्मी नदी		
4.	नून नदी		
5.	सौरना नदी		
6.	शीतला राव		
7.	चोर खाला		
8.	नरोखाला		
9.	अमलावा		
10.	बिन्दाल		
11.	रिस्पना		
12.	नागल राव		
13.	नलोता नदी		
14.	बाछनद नदी		
15.	जाखन नदी		
16.	सौंग नदी		
17.	सुद्धोवाला खाला		
18.	जमुना नदी		
19.	चन्द्रभागा नदी		
			5363.407
20.	चन्द्रभागा नदी	टिहरी गढ़वाल	
21.	खारा स्रोत		
22.	अलकनन्दा नदी		
23.	दगाणाड नदी		
	गगा नदी		
24.			85.474
25.	अलकनन्दा नदी		
26.	पिण्डर नदी		
27.	बिरही नदी		
28.	धौली गंगा		
			105.816

1	2	3	4
29.	मन्दाकिनी नदी	रूद्रप्रयाग	
			45.982
30.	मधु गंगा नदी		
31.	खो नदी	पौड़ी गढ़वाल	
32.	कौल्हू नदी		
33.	सुखरो नदी		
34.	मालन नदी		
35.	सिलगाड़ नदी		
36.	मन्दाल नदी		
37.	अलकनन्दा नदी		
			346.057
38.	भागीरथी नदी	उत्तरकाशी	
39.	यमुना नदी		
40.	कमल नद		
41.	नगुण गाड		
			142.41
42.	गंगा नदी	हरिद्वार	
43.	पिली नदी		
44.	रवासन नदी		
45.	सोलानी नदी		
46.	रतमऊ नदी		
47.	ढोलना नदी		
48.	रायसी बाण गंगा नदी		
49.	कोटावाली नदी		
50.	सुखरो नदी		
51.	मोहनपुरा नदी		
			4016.5016
52.	गोला नदी	नैनीताल	
53.	कोसी नदी		
54.	भाखड़ा नदी		
55.	निहाल नदी		
56.	दाबका नदी		
57.	बोर नदी		
58.	कैलाश नदी		
59.	दाबका नदी		
60.	खैरना नदी		
61.	जाख नदी		
			2912.1376

1	2	3	4
62.	लधिया नदी	चम्पावत	
63.	सरयू नदी		
64.	शारदा नदी		
65.	किरोड़ा नाला		
			1356.89
66.	स्वाल नदी	अल्मोड़ा	
67.	बिन्सार		
68.	नन्हा कोसी नदी		
69.	पनार नदी		
70.	ग्यारा नदी		
71.	राम गंगा नदी		
72.	विनोद नदी		
73.	देवगढ़ नदी		
			62.222
74.	गोरी गंगा नदी	पिथौरागढ़	
75.	राम गंगा नदी		
76.	काली गंगा नदी		
77.	सरयू नदी		
			43.276
78.	गोला नदी	ऊधमसिंह नगर	
79.	कैलाश नदी		
80.	बौर नदी		
81.	कोशी नदी		
82.	बहेला नदी		
83.	फीका नदी		
84.	गैनी नदी		
85.	बैगुल नदी		
			1633.204
86.	धागली नदी	बागेश्वर	
87.	गोमती नदी		
88.	सरयू नदी		
			75.513
	कुल क्षेत्रफल		16,192.8902

नत्थी 'क'

देखिये अल्पसूचित प्रश्न संख्या 12का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 20 पर

जनपद चम्पावत के अन्तर्गत कुल 24 **मार्गों** की वर्तमान स्थिति, जो कि वन अधिनियम के कारण निर्माण हेतु लम्बित है :–

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	लम्बाई (कि0मी0 में)	प्रस्तावित (है0 में)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1.	लेटी–रिगासी–बमनगॉव मोटर मार्ग	2.00	6.810	भूमि श्रेणी 9(3) क, ख की है। पूर्व निर्मित मार्ग की वन भूमि स्वीकृत न होने के कारण आपत्तियो का निराकरण नही हो पाया है।
2.	गौड़ी–किमतोली मोटर मार्ग का अवशेष भाग।	3.20	1.980	सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है परन्तु वनविभाग द्वारा चाही गयी धनराशि वन विभाग के पक्ष मे जमा कर दी गयी है। भारत सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल को वन विभाग के पक्ष में नामांतरण एवं हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव प्रमुख सचिव,

1	2	3	4	5
				राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून द्वारा आयुक्त कुमायूँ मण्डल को भेजा गया है, आयुक्त कुमायूँ मण्डल द्वारा कुछ सूचनायें जिलाधिकारी चम्पावत से मांगी गयी हैं। जिलाधिकारी, चम्पावत द्वारा अपने पत्रांक र 1257/ज्ञाप, दिनांक 26–11–2012 द्वारा तहसीलदार से आख्या मांगी गयी है।
3.	सूखीढाग–डाडा–मीनार मोटर मार्ग	31.00	18.3925	दिनाक 28–06–2012 को राज्य लाहकार समिति (एस0ए0जी0) की बैठक निर्धारित की गयी थी, जो अपरिहार्य कारणों से निरस्त हुई है, पुनः तिथि निर्धारित होनी है।
4.	रवाला–गुगिजला–मिरगुल मोटर मार्ग	10.00	6.475	दिनाक 16–10–2012 को राज्य सलाहकार समिति (एस0ए0जी0), वन भूमि हस्तान्तरण की बैठक निर्धारित की गयी थी, जिस में मार्ग का नाम रवाला7गुजिला–मिरगुल के स्थान पर रवाला–पडंगा अथवा रवाला–मिरगुल वनभूमि प्रस्ताव गठित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

1	2	3	4	5
5.	धौन–दगूरी मोटर मार्ग (दगूरी से नजौन की ओर)	2.00	1.330	वनभूमि प्रस्ताव नोडल अधिकारी, वन विभाग, देहरादून के पत्रांक 743/1जी0ई0–3666 (चम्पा0), दिनांक 22–09–2012 द्वारा भारत सरकार को प्रेषित।
6.	सिप्टी–च्याडी मोटर मार्ग	4.00	1.820	वनभूमि प्रस्ताव नोडल अधिकारी के पत्रांक 926/1जी0/1328 चम्पा, दिनांक 17–08–2011 द्वारा भारत सरकार को प्रेषित।
7.	मन–मकोड़ा मोटर मार्ग	12.00	7.358	क्षतिपूर्ति हेतु लैण्ड बैंक उपलब्ध नहीं हैं अतः लैण्ड बैंक उपलब्ध कराये जाने हेतु विभागीय स्तर से पत्रांक 1685/2सी0, दिनांक 29–09–2012 द्वारा जिलाधिकारी, चम्पावत से अनुरोध किया गया है।
8.	मिनयालगॉव–कलिगाधूरा–लीडाखान मोटर मार्ग	16.50	10.010	क्षतिपूर्ति हेतु लैण्ड बैंक उपलब्ध नहीं हैं अतः लैण्ड बैंक उपलब्ध कराये जाने हेतु विभागीय स्तर से पत्रांक 1685/2सी0, दिनांक 29–09–2012 द्वारा जिलाधिकारी, चम्पावत से अनुरोध किया गया है।

1	2	3	4	5
9.	मा0 मुख्यमंत्री संयोजनता अन्तर्गत बसौटी–रौकुँवर–बिलहडी मोटर मार्ग	8.00	5.500	क्षतिपूर्ति हेतु लैण्ड बैंक उपलब्ध नहीं है अतः लैण्ड बैंक उपलब्ध कराये जाने हेतु विभागीय स्तर से पत्रांक 1685/2सी0, दिनांक 29–09–2012 द्वारा जिलाधिकारी, चम्पावत से अनुरोध किया गया है।
10.	नरसिंहडांडा–गुरौली (कैन्यूडा) मोटर मार्ग के कि0मी0 07 से बडधारा तक मोटर मार्ग	5.00	3.060	सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है तथा एन0पी0वी0 की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। भारत सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल को वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण एवं हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून द्वारा आयुक्त, कुमायूँ मण्डल को भेजा गया है। आयुक्त, कुमायूँ मण्डल द्वारा कतिपय सूचनायें जिलाधिकारी, चम्पावत से मांगी गयी हैं, जिसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी, चम्पावत द्वारा अपने पत्रांक 454/सा0क्ष0पू0, दिनांक 08–11–2012 के माध्यम से सम्बन्धित तहसीलदार से आख्या मांगी गयी है।
11.	अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत चम्पावत–मंच–तामली मोटर मार्ग के कि0मी0 47 से ग्राम पंचायत सिमियाउरी तक मोटर मार्ग	8.00	4.970	क्षतिपूर्ति हेतु लैण्ड बैंक उपलब्ध नहीं है अतः लैण्ड बैंक उपलब्ध कराये जाने हेतु विभागीय स्तर से पत्रांक 1685/2सी0, दिनांक 29–09–2012 द्वारा जिलाधिकारी, चम्पावत से अनुरोध किया गया है।

1	2	3	4	5
12.	धूनाघाट–बसौट मोटर मार्ग का नव निर्माण	6.00	—	वन विभाग व राजस्व विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण पूर्ण वन भूमि प्रस्ताव गठन की कार्यवाही की जा रही है।
13.	लधौली बाजार से प्रा0वि0 बुंगारख्याली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण	3.00	—	वन विभाग व राजस्व विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण पूर्ण वन भूमि प्रस्ताव गठन की कार्यवाही की जा रही है।
14.	चम्पावत–मंच–तामली मोटर मार्ग से मुख्य सोक कारी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण	2.00	—	वन विभाग व राजस्व विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण पूर्ण वन भूमि प्रस्ताव गठन की कार्यवाही की जा रही है।
15.	धूनाघाट से बरमतोला मोटर मार्ग	4.750	3.255	भारत सरकार ने अपन पत्रांक पनी/यू0सी0पी0/06/100/2011एफ0सी0/718, दिनांक 22–06–2011 द्वारा कतिपय सूचनाएँ मांगी गयी थी, जिन्हें नोडल अधिकारी, वन विभाग, देहरादून के पत्रांक 728/1जी0–3445(चम्पा),दि0 21–09–2012 के द्वारा भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है
16.	मरोड़ाख्यान दुगारसौली मो0मा0 से अम्बेडकर ग्राम लिटि हिचौड़ा कोरा तक मो0 मा0 का निर्माण	12.000	4.970	भारत सरकार ने अपने पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/91/2011एफ0सी0/38, दिनांक 10–04–2012 द्वारा कुछ सूचनाएँ मांगी गयी थी, जिनहें नोडल अधिकारी, वन विभाग, देहरादून के पत्रांक 727/1जी0–3319(चम्पा) दि0 18–02–2011 के द्वारा भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है।

1	2	3	4	5
17.	पटनगांव–कजीना–पुनौली मोटर मार्ग	3.000	2.160	भारत सरकार ने अपने पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/91/2011एफ0सी0/2338, दि0 18–02–2011 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है तथा एन0पी0वी0 की धनराशि वनविभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। भारत सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल को वनविभाग के पक्ष मे नामान्तरण एवं हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून द्वारा आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल को भेजा गया है। आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल द्वारा कतिपय सूचनायें जिलाधिकारी, चम्पावत से मांगी गयी है। जिसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी चम्पावत द्वारा अपने पत्रांक 1257/सा0दा0पू0, दिनांक 26–11–2012 के माध्यम से सम्बन्धित तहसीलदार से आख्या मांगी गयी है।
18.	सैलाख्याल से मन्टाण्डे तक लिंक मो0मा0 का निर्माण	5.000	2.970	भारत सरकार ने अपने पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/130/2010एफ0सी0/152, दि0 04–05–2010 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है तथा एन0पी0वी0 की धनराशि वनविभाग के पक्ष मे जमा कर दी गयी है। भारत सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल को वन

1	2	3	4	5
				विभाग के पक्ष में नामान्तरण एवं हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून द्वारा आयुक्त, कुमायूँ मण्डल को भेजा गया है। आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल द्वारा कतिपय सूचनाये जिलाधिकारी, चम्पावत से मांगी गयी हैं। जिसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी चम्पावत द्वारा अपने पत्रांक र 1257/ज्ञाप, दिनाक 26–11–2012 के माध्यम से सम्बन्धित तहसीलदार से आख्या मांगी गयी है।
19.	सिमलागूठ से पीपलढ़ींग मोटर मार्ग	5.000	3.080	भारत सरकार ने अपने पत्रांक 8बी/ यू0सी0पी0/ 06/170/2010एफ0सी0/702, दि0 16–06–2011 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है तथा एन0पी0वी0 की धनराशि वनविभाग के पक्ष मे जमा कर दी गयी है। भारत सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल को वनविभाग के पक्ष मे नामान्तरण एवं हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून द्वारा आयुक्त, कुमायूँ मण्डल को भेजा गया है। आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल द्वारा कतिपय सूचनायें जिलाधिकारी, चम्पावत से मांगी गयी है। जिसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी चम्पावत द्वारा अपने पत्रांक र 1257/ज्ञाप, दिनांक 26–11–2012 के माध्यम से सम्बन्धित तहसीलदार से आख्या मांगी गयी है।

1	2	3	4	5
20.	टनकपुर–जौलजीवी मोटर मार्ग के निर्माण मे ककरालीगेट से तुलीगाढ तक 12 कि0मी0 लम्बाई मे डेढ़ मे डेढ लेन मोटर मार्ग का दो लेन मोटर मार्ग में विस्तारीकरण	12.000	3.760	12 कि0मी0 लम्बाई, डेढ लेन मोटर मार्ग में पड़ने वाले वनभूमि प्रस्ताव खण्ड स्तर पर तैयार कर लिये गये हैं। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि इस जनपद में न होने के कारण जनपद नैनीताल के कुस्या कुटौली तहसील के अन्तर्गत क्योडीघुरा नामक स्थान पर सिविल भूमि का चयन किया गया है। दिनांक 02–12–12 को उक्त स्थल का संयुक्त निरीक्षण वन विभाग, राजस्व व इस विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा कर लिया गया है।
21.	खटौली मल्ली से बैला मोटर मार्ग	16.00	711.55	वन संरक्षक, देहरादून के पत्रांक 2395/ 1जी–2200/(चम्पा0), दिनांक 22–03–2011 द्वारा मुख्य वन संरक्षक (केंद्रीय) भारत सरकार, लखनऊ को वन भूमि प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान करने एवं पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया है।
22.	अमोडी से छतकोट मोटर मार्ग	5.250	220.62	भारत सरकार ने अपने पत्रांक 8बी/ यू0सी0पी0/ 06/272/10/एफ0सी0/2412, दि0 21–02–2011 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है। विधिवत स्वीकृति हेतु प्रकरण भारत सरकार में लम्बित है। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल वन विभाग के पक्ष मे नामान्तरण एवं हस्तान्तरण हेतु जिलाधिकारी, द्वारा प्रस्ताव दिनांक 26–05–2012 को राजस्व विभाग को प्रेषित। तत्क्रम मे मुख्य राजस्व आयुक्त द्वारा पत्र संख्या–2820/रा0प0 भूमि हस्ता0/12, दिनांक 23–08–2012 के माध्यम से प्रस्ताव सचिव, राजस्व विभाग को प्रेषित।

1	2	3	4	5
23.	स्वाला से पोथ मोटर मार्ग	15.00	473.00	नोडल अधिकारी, वन विभाग, देहरादून के पत्र संख्या–3112/1जी–3351/(चम्पा), दिनांक 06–06–2010 द्वारा वन भूमि प्रस्ताव संख्या–1468, दिनांक 11–01–2012 द्वारा पुनः प्रेषित। प्रस्ताव दिनांक 27–03–2012 एस0ए0सी0 की बैठक में अनुमोदित। भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति अपेक्षित।
24.	टकनागूठ से डांडामल्ला मोटर मार्ग	21.00	780.00	उक्त मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित वन भूमि की GPS से LONGITUDE/LATITUDE ले लिये है तथा DIGITAL MAP तैयार कर अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0, चम्पावत के पत्र संख्या–1423/3 पी0एम0जी0एस0वाई0/वन भूमि, दिनांक 25–10–2012 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी को प्रेषित किया गया है।

नत्थी 'ग'

देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 54 पर

उत्तराखण्ड खनिज नीति, 2011

उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न प्रकार के उपलब्ध खनिजों का दोहन आधुनिक करने, खनिज भण्डारों का आधुनिक तकनीक द्वारा विस्तृत अनुवेक्षण का कार्य करने तथा खनिज के दोहन एवं चुगान के कार्यों में माफियाओं के एकाधिकार को समाप्त करने हेतु शासनादेश संख्या 1031/औ0वि0/2001, दिनांक 30 अप्रैल, 2001 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य खनिज नीति प्रख्यापित की गयी थी।

2. उपरोक्त नीति के पुनर्विलोकन की आवश्यकताओं को महसूस करते हुए नीति का विस्तृत परीक्षण, पर्यावरण संरक्षण, राजस्व प्राप्ति, उपभोक्ताओं तथा निर्माण संस्थाओं को उपखनिजों की उचित मूल्यों पर सहज उपलब्धता तथा स्थानीय व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य को संज्ञान में रखते हुए शासनादेश संख्या 3498/औ0वि0–22–ख/2001, दिनांक 17.10.2002 द्वारा खनिज नीति, 2001 में कतिपय संशोधन किये गये।

3. वर्तमान में सरकारी कार्यदायी नियमों निगमों एवं निजी पट्टाधारकों द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम 14 के अनुसार पट्टा विलेख का निष्पादन एवं पंजीकरण न कराये जाने, निर्धारित वार्षिक अपरिहार्य भाटक न दिये जाने, निगमों द्वारा सम्पूर्ण खनन पट्टा क्षेत्र में खनन कार्य न कर औसतन लगभग 60 प्रतिशत भाग पर ही उपखनिज का चुगान/टिपान किये जाने से खनिज पट्टा क्षेत्र से खनिजों का समुचित मात्रा में दोहन नहीं हो पा रहा है, तथा निगम द्वारा रिक्त छोड़े गये क्षेत्रों में अवैध खनन की सम्भावनाएँ बनी रहती हैं। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 एवं तद्धीन बनायी गई पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन, 2006 (Environment Impact Assesment Notification–2006), दिनांक 14.09.2006 का भी अनुपालन पूर्णरूप से अपेक्षित है।

4. उपरोक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न प्रकार के खनिजों को दोहन आधुनिक एवं वैज्ञानिक विधि से सुनिश्चित करने, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का संरक्षण करने, बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने, खनिजों से राजस्व में वृद्धि करने तथा अवैध खनन/अवैध परिवहन की रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने हेतु राज्य के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास की पूर्ति एवं मानव संसाधनों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड राज्य खनिज नीति, 2001 एवं संशोधित नीति, 2002 को अतिक्रमित करते हुए उत्तराखण्ड राज्य के लिए निम्नानुसार नई खनिज नीति प्रख्यापित किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. मुख्य खनिज :

मुख्य खनिजों का विकास एवं विनियमन खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धाराओं एवं खनिज परिहार नियमावली, 1960 के प्राविधानों के अन्तर्गत किया जाता है।

उक्त अधिनियम एवं नियमावली भारत सरकार द्वारा प्रवृत्त की गई है। उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग–ए एवं बी में विनिर्दिष्ट मिनरल्स अंकित है, जिसको रिकोनेइसेंस परमिट/प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस/खनन पट्टे पर स्वीकृत करने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक होता है।

मुख्य खनिजो का खनन कार्य सुनियोजित वैज्ञानिक तरीके से खनिज परिहार नियमावली, 1960 के नियम, 22 के अन्तर्गत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार किया जाता है।

प्रदेश के अन्तर्गत सतही एव भूगर्भ में पाये जाने वाले खनिज प्रदेश की सम्पत्ति होती है तथा सतही अधिकार प्रदेश में निहित है, इसलिए खनिज पर देय रायल्टी प्रदेश सरकार द्वारा ही वसूल की जायेगी।

मुख्य खनिजों के सुनियोजित विकास के लिए निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :–

(1) शासन द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव, औद्योगिक विकास की अध्यक्षता मे एक कार्यकारी दल का गठन किया जायेगा। कार्यकारी दल द्वारा मुख्य खनिजों के खनन में अपनायी जा रही तकनीक, उनका पर्यावरण पर प्रभाव तथा खनन से सम्बन्धित प्रचलित कार्य प्रणाली को व्यवहारिक बनाने के सम्बन्ध में उपाय एवं सुझाव तैयार कराये जायेंगे। कार्यकारी दल के गठन का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार को मुख्य खनिजों से सम्बन्धित खान एव खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 एव खनिज परिहार नियमावली, 1960 के सम्बन्ध मे सुझाव देने का भी होगा।

(2) मुख्य खनिजो के खनन हेतु निजी क्षेत्र के ऐसे उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जायेगा, जिनके पास यह कार्य करने हेतु पर्याप्त पूजी एव आधुनिक तकनीक उपलब्ध हो।

(3) मुख्य खनिजों यथा सिलिका सैण्ड, लाइम स्टोन, मैग्नेसाइट, सोपस्टोन आदि के दोहन हेतु समयबद्ध कार्ययोजना तैयार कर खनिज उद्योग को बढाया जायेगा।

2. उपखनिज :

राज्य के राजस्व, नदी उपखनिज क्षेत्रो मे, उपखनिज के चुगान के खनन पट्टे गढवाल मण्डल क्षेत्र में, गढवाल मण्डल विकास निगम तथा कुमाऊँ मण्डल क्षेत्र मे, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम को

तथा वन क्षेत्र में प्रवाहित होने वाले नदी तल के उपखनिज क्षेत्रों में उपखनिज के चुगान के खनन पट्टे उत्तराखण्ड वन विकास निगम को उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र एम0एम0–1 में आवेदन करने के उपरान्त पाँच वर्ष हेतु स्वीकृत किये जायेंगे। निगमों के द्वारा उपखनिज के चुगान/खनन कार्य स्वयं किया जायेगा तथा किसी को सबलेट नहीं किया जायेगा। निगम खनिजों की रायल्टी पर 10 प्रतिशत सर्विस चार्ज प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

(2) मा0 उच्चतम न्यायालय से एन0पी0वी0 मुक्त निगम/संस्था को छोड़कर शेष निगम एवं निजी पट्टाधारकों के द्वारा खनन पट्टा विलेख का निष्पादन उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम, 14 के अन्तर्गत कराया जाना आवश्यक होगा तथा उनके द्वारा नियम 22 की द्वितीय अनुसूची में निर्धारित अपरिहार्य भाटक तथा नियम, 21 के प्रथम अनुसूची में निर्धारित रायल्टी का भुगतान पट्टा विलेख की शर्तों के अनुसार किया जायेगा। मा0 उच्चतम न्यायालय से एन0पी0वी0 मुक्त निगम/संस्था खनन चुगान प्रारम्भ करने से पूर्व निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग से समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए निर्धारित प्रपत्र पर एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर करने के उपरान्त निदेशक द्वारा निर्गत अनुमति के पश्चात् ही उपखनिज के चुगान/खनन प्रारम्भ करेंगे।

(3) ऐसे उपखनिज क्षेत्र, जिसमें निगमों के द्वारा उपखनिज का चुगान कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है या ऐसे क्षेत्र जो निगमों के द्वारा रिक्त छोड़ दिये जाते हैं, को नियमानुसार टेण्डर प्रक्रिया के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य विपणन संघ/श्रम संविदा समितियों/को–आपरेटिव सोसाइटियों/संस्थाओं एवं निजी व्यक्तियों को पाँच वर्ष की अवधि के लिए खनन पट्टे स्वीकृत किये जायेंगे।

(4) स्वस्थित चट्टानों/नदी तल से सम्बन्धित निजी नाप भूमि में खनन पट्टे, निजी व्यक्तियों/स्थानीय व्यक्तियों को उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम, 72 के अनुसार विज्ञप्तिकरण के उपरान्त नियमानुसार खनन पट्टे पाँच वर्ष हेतु स्वीकृत किये जायेंगे जिसमें भू–स्वामी अथवा भू–स्वामी द्वारा सहमति प्राप्त आवेदक जो उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवासी हो, तो उसे खनन पट्टा/खनन अनुज्ञा–पत्र दिये जाने में प्राथमिकता दी जायेगी। उक्त नीति के अधीन किसी भी व्यक्ति/संस्था को 05.00 हेक्टेअर से अधिक के खनन पट्टे तथा किसी भी व्यक्ति/संस्था को एक से अधिक पट्टा स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(5) राज्य के वन भूमि को छोड़कर समस्त नदी तलों में नदी के किनारे से नदी की चौड़ाई का 15 प्रतिशत भाग छोड़ते हुए उपखनिज का चुगान का कार्य यथासम्भव नदी के मध्य से किया जायेगा, जिससे कि नदी के जल प्रवाह की धार को नदी के मध्य केन्द्रीत किया जा सके। इसके अतिरिक्त पुल, सार्वजनिक स्थान आदि से अपस्ट्रीम साइड में 100 मी0 तथा डाउनस्ट्रीम में भी 100 मी0 क्षेत्र को प्रतिबन्धित करते हुए चुगान कार्य किया जायेगा। इसके अन्तर्गत उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में उपखनिज क्षेत्रों के विज्ञापितकरण/चिन्हीकरण हेतु गठित समिति द्वारा नदी तट सुरक्षा हेतु नदी तट से सुरक्षित दूरी के लिए निर्धारित मानक में शिथिलता प्रदान की जा सकती है। परन्तु अपरिहार्य मानक की गणना हेतु सम्पूर्ण नदी तल की चौड़ाई को सम्मिलित करते हुए स्वीकृति प्रदान की जायेगी। जिससे सुरक्षित किए जाने वाले स्थान की सुरक्षा की जिम्मेदारी खनन पट्टाधारक की सुनिश्चित की जा सके।

(6) नदी तल से सम्बन्धित वन भूमि को छोड़कर निजी नाप भूमि (Alluivial-Delluvial Soil) के खनन पट्टों को स्वीकृत करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपखनिज का चुगान नदी के मध्य से चौड़ाई का 15 प्रतिशत दोनो किनारों से छोड़ते हुए स्वीकृत/विज्ञापित किए जाने की प्रक्रिया अपनायी जायेगी। ऐसे क्षेत्रों के चिन्हीकरण हेतु जनपद के जिलाधिकारी प्रत्येक वर्ष 15 सितम्बर से 15 अक्टूबर के मध्य उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर स्वीकृत किए जाने/प्रतिबन्धित किए जाने वाली भूमि की सूचना, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को, जिलाधिकारी के माध्यम से सूचित करेंगे।

(7) भवनों के बेसमेन्ट से मिट्टी की खुदाई व निजी भूमि से व्यवसायिक उपयोग के लिए मिट्टी की खुदाई व भूमि बेनाप/निजी नाप भूमि, जो नदी तल से बाहर स्थित है, के समतलीकरण के दौरान निकलने वाले उपखनिज बालू/बोल्डर/पत्थर/मिट्टी हेतु निजी व्यक्तियों को उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम, 68 के अन्तर्गत नियम, 72 को शिथिल करते हुए उक्त नियमावली के अध्याय–6 के नियमानुसार अल्प अवधि के खनन अनुज्ञा–पत्र जनपद खनन अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक से जाँच/मूल्यांकन आख्या प्राप्त कर सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

(8) मैदान क्षेत्र यथा विकासनगर, देहरादून, डोईवाला, ऋषिकेश, हल्द्वानी, ऊधमसिंहनगर, रामनगर तथा हरिद्वार को छोड़कर पर्वतीय क्षेत्रों में निजी भवन के निर्माण हेतु भवन के स्टीमेट, जो क्षेत्रीय

पटवारी/राजस्व विभाग के अधिकारी द्वारा सत्यापित हो, के आधार पर 150 घन मीटर तक की निर्माण सामग्री (उपखनिज बालू/बजरी/बोल्डर) निश्चित नदी तल से चुगान की अनुमति ग्रामीण क्षेत्रों में सम्बन्धित ग्राम प्रधान द्वारा तथा शहरी क्षेत्रों में सम्बन्धित उप जिलाधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी। उपयोग में आने वाले उपखनिज का परिवहन, प्रपत्र एम0एम0–11 पर किया जायेगा।

(9) ईंट बनाने की मिट्टी के खनन अनुज्ञा–पत्र ईंट भट्टा समाधान योजना के अन्तर्गत ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक की जॉच/निरीक्षण आख्या के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।

(10) पर्वतीय क्षेत्रों में उपखनिज के चुगान का कार्य सूर्योदय से सूर्यास्त तक किया जायेगा परन्तु मैदानी शहरी क्षेत्रों में ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा तथा ऐसे क्षेत्रों में उपखनिज के चुगान का कार्य दिन–रात किया जा सकता है।

3. जल विद्युत परियोजनाओं के सम्बन्ध में :

जल विद्युत परियोजनाओं द्वारा जलाशय/सुरंग (Tunnel)/नहर आदि के निर्माण कार्य से निकलने वाले Muck (उपखनिज पत्थर/बोल्डर/बालू आदि) को परियोजना के निर्माण कार्य में उपयोग हेतु परियोजना के निर्माण एस्टीमेट (Estimate) की जॉच/निरीक्षण व मूल्यांकन ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक से कराते हुए उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम, 68 के अन्तर्गत नियम, 72 को शिथिल करते हुए नियमानुसार खनन पट्टा/खनन अनुज्ञा–पत्र की स्वीकृति शासन के द्वारा निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति के आधार पर दी जायेगी।

4. सरकारी कार्यदायी संस्थाओं के सम्बन्ध में :

सरकारी निर्माण इकाईयों, जैसे लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, डी0जी0बी0 आर (ग्राफ) सिंचाई विभाग आदि द्वारा सड़क, पहुँच मार्ग आदि बनाये जाने के दौरान निर्माण स्थल से निकलने वाले बोल्डर, पत्थर, बजरी आदि को निर्माण कार्य में उपयोग हेतु निर्माण एस्टीमेट (Estimate) की जॉच/निरीक्षण व मूल्यांकन ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक से कराते हुए उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम, 68 के अन्तर्गत नियम, 72 को शिथिल करते हुए नियमानुसार खनन अनुज्ञा–पत्र सम्बन्धित जिलाधिकारी के द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। यह प्रक्रिया राज्य के जलाशयों एव नहरों में जमा उपखनिज की सफाई/निकासी के लिए भी अपनायी जायेगी।

5. खनन पट्टा के आवंटन की प्रक्रिया :

(1) उपखनिज क्षेत्रों के चिन्हीकरण एवं विज्ञप्तिकरण हेतु उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के पदेन सदस्य सचिव, ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक की संस्तुति आख्या के आधार पर क्षेत्रों के विज्ञप्तिकरण की कार्यवाही सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा की जायेगी। तदोपरान्त प्राप्त आवेदन–पत्रों को जिलाधिकारी के द्वारा निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म को प्रेषित किये जायेंगे।

(2) खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1957, खनिज परिहार नियमावली, 1960 एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001, उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 के अन्तर्गत खनिज के परिवहन हेतु समस्त प्रपत्र सम्बन्धित जनपद के ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक द्वारा जारी किये जायेंगे।

(3) खनिजों का परिवहन खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1957, खनिज परिहार नियमावली, 1960 एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001, उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर सुनिश्चित किये जायेंगे।

(4) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं पर्यावरण संरक्षण नियमावली, 1986 के नियम, 5 के उपनियम (3) के अन्तर्गत जारी EIA नोटिफिकेशन दिनांक 17–09–2006 के अन्तर्गत राज्य में उक्त नोटिफिकेशन के प्रख्यापन की तिथि के उपरान्त स्वीकृत/नवीनीकृत/स्वीकृत किये जाने वाले ऐसे खनन पट्टों जिनका क्षेत्रफल 5.00 हे0 या 5.00 हे0 से अधिक है, को उक्त नोटिफिकेशन के अन्तर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पर्यावरण अनुमति (Environment Clearnance) प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। EIA कराने हेतु भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय नोडल विभाग होगा।

(5) समस्त पट्टाधारक/अनुज्ञा–पत्र धारक/भण्डारण स्वामी को निर्गत किये जाने वाले परिवहन प्रपत्रों पर खनिज की मात्रा का निर्धारण कर रायल्टी की धनराशि एवं पुस्तक मूल्य अग्रिम रूप से जमा करायी जायेगी, जिसका दायित्व सम्बन्धित ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक का होगा।

(6) निजी नाप भूमि में खनन पट्टे निजी व्यक्तियों/स्थानीय व्यक्तियों को उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम, 72 के अनुसार विज्ञप्तिकरण के उपरान्त नियमानुसार खनन

पट्टे 05 वर्ष हेतु स्वीकृत किये जायेंगे, जिसमें भू–स्वामी अथवा भू–स्वामी द्वारा सहमति प्राप्त आवेदक जो उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवासी हो, तो उसे खनन पट्टा/खनन अनुज्ञा–पत्र दिये जाने में प्राथमिकता दी जायेगी।

(7) खनिज पर आधारित उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को खनन पट्टा दिये जाने में प्राथमिकता दी जायेगी।

6. **अवैध खनन पर अंकुश :**

(1) अवैध खनन एवं अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु आधुनिक Surveillance युक्त चेक पोस्ट खनन स्थलों एवं संवेदनशील स्थलों पर स्थापित किये जायेंगे।

(2) अवैध खननकर्ता/अवैध खनिज परिवहनकर्ता/अवैध भण्डारणकर्ता/स्वीकृत मात्रा से अधिक खनिज का भण्डारणकर्ता से खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1957, की धारा–21 के उपनियम (5) द्वारा निर्धारित अर्थदण्ड की धनराशि ₹ 25,000 के अतिरिक्त अवैध उत्खनित खनिज/परिवहन किये जा रहे खनिज/भण्डारित किये गये खनिज की मात्रा पर विक्रय मूल्य की धनराशि आगणित कर वसूल किया जायेगा।

(3) राज्य में खनिजों के वैज्ञानिकरूप से दोहन कराये जाने तथा राजस्व की वृद्धि सुनश्चित किये जाने के उद्देश्य से प्रत्येक जनपद में एक खान अधिकारी तथा खनिज अन्वेषण हेतु एक भू–वैज्ञानिक की तैनाती सुनिश्चित की जायेगी। इन अधिकारियो के द्वारा जनपद स्तर पर स्थापित "उद्यम प्रोत्साहन एवं एकल खिड़की सुगमता केन्द्र" के माध्यम से खनन उद्योग विकास से सम्बन्धित सूचना एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) खनन पट्टा क्षेत्रों से खनिजों के परिवहन हेतु उपयोग में लाये जाने वाले वाहन का पंजीकरण वाहन स्वामी के द्वारा निदेशक भू–तत्व एवं खनिकर्म उद्योग निदेशालय में कराया जायेगा। पंजीकरण हेतु पृथक से निर्धारित शुल्क भी देय होगा।

(5) खनिजों के भण्डारण के अनुज्ञा की स्वीकृति/नवीनीकरण ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक की जॉच/निरीक्षण आख्याओं के आधार पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 के नियमानुसार सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा किये जायेंगे।

7. **खनिज विकास निधि की स्थापना :**

खनिज विकास एवं अन्वेषण कार्यों के लिए खनिज विकास निधि की स्थापना की जायेगी। इसके लिए विगत वित्तीय वर्ष में खनिजों से

प्राप्त राजस्व एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त राजस्व के अन्तर का 5 प्रतिशत उक्त निधि में जमा किया जायेगा। यह व्यवस्था 01.04.2012 से लागू होगी। निधि से जिस प्रयोजन हेतु धनराशि व्यय की जायेगी उस हेतु राज्य के आय–व्ययक में मांग नहीं की जायेगी। खनिज विकास निधि हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 में एक करोड़ रुपये की धनराशि सीड कैपिटल के रूप में प्राविधानित की जाएगी। खनिजों से प्राप्त राजस्व का पाँच प्रतिशत धनराशि खनिज अन्वेषण, पर्यवेक्षण, समीक्षा, अवैध खनन की रोकथाम तथा अनुसंधान एवं विकास कार्यों हेतु व्यय किया जायेगा। उपरोक्त पाँच प्रतिशत धनराशि में से तीन प्रतिशत जिलाधिकारियों को सम्बन्धित जनपद से प्राप्त राजस्व के अनुपात में तथा शेष दो प्रतिशत धनराशि निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को उपरोक्त कार्यों हेतु आवंटित की जायेगी।

8. विकास शुल्क :

जिस क्षेत्र में खनिजों के निर्दोहन हेतु खनन पट्टे स्वीकृत किये जायेंगे उस क्षेत्र के आर्थिक विकास हेतु खनन उद्यमियों/पट्टाधारकों से सरकार द्वारा विकास शुल्क के रूप में विहित धनराशि प्राप्त कर उस क्षेत्र के विकास हेतु जिलाधिकारियों को आवंटित की जायेगी।

9. दून वैली क्षेत्रान्तर्गत नदी तल के उपखनिज क्षेत्रों में चुगान को सुलभ कराये जाने हेतु दून वैली नोटिफिकेशन दिनांक 01–02–1989 एवं ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन, 2006 के प्राविधानों से मुक्त/शिथिल कराने हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से अथक प्रयास किए जायेंगे।

10. समस्त पट्टाधारक/अनुज्ञा–पत्र धारक/खनिज भण्डारण स्वामी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय, मा0 उच्च न्यायालय, खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1957, खनिज परिहार नियमावली, 1960, उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचना/आदेश का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

11. स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लॉन्ट एवं प्लवराईजर :

(1) उत्तराखण्ड के पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों के लिए पृथक–पृथक स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लॉन्ट एवं प्लवराईजर अनुज्ञा नीति, 2011 प्रख्यापित की गयी हैं उक्त नीतियों के अनुसार ही स्टोन क्रेशर के स्थापना के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी।

(2) पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रभावी कदम उठाते हुए स्टोन क्रेशर उद्योग को घनात्मक उद्योग श्रेणी में लाया जायेगा तथा मोबाइल स्टोन क्रेशर भी स्थापित किए जायेंगे।

12. खनिजों के वैज्ञानिक विधि से दोहन हेतु "क्षमता विकास कार्यक्रम" चलाया जायेगा।

13. निदेशक, भू-तत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय का यह दायित्व होगा कि इस राज्य खनिज नीति, 2011 के प्राविधानों/उपबन्धों को धरातल पर उतारने एवं लागू किए जाने हेतु 30 जून, 2012 तक का समय निर्धारित किया जायेगा।

14. इस नीति में यथाआवश्यक संशोधन/परिवर्द्धन मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड के निर्देश/अनुमोदन के आधार पर किया जायेगा।

(राकेश शर्मा),
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 2911(1)/VI-II/146-ख/10/2011, तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमांयू, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, उद्योग, उद्योग/भू-तत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम/कुमायूं मण्डल विकास निगम/उत्तराखण्ड वन विकास निगम।
8. गोपन अनुभाग।
9. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, जनपद हरिद्वार को आगामी गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(किशन नाथ),
सचिव।

नत्थी 'ध'

दरियमें अतारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 63 पर

जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत वर्तमान समय तक सड़कों के लम्बित प्रस्तावों का विवरण निम्नवत् है :–

1. भारत सरकार स्तर पर लम्बित :

राज्य योजना :–

1. पत्थरखोला महरगाँव तक मोटर मार्ग।
2. थला–म्याड़ी–मीरावकोट मोटर मार्ग।

पी0एम0जी0एस0वाई0 :–

1. सिचौन से सराईनिष्ट मोटर मार्ग।

2. नोडल अधिकारी वन विभाग स्तर पर लम्बित :

राज्य योजना :–

1. देघाट–बल्ली नारायण मन्दिर मालभीड़ा–धारकोट–सेरामुनानी–मालीसेरा–नागचूलाख्याल मोटर मार्ग।
2. कारगिल शहीद आनन्द सिंह रावत के गाँव गिगाईपानी मोटर मार्ग।
3. डीमार–मैराखेत–उदौली मोटर मार्ग।
4. देघाट–चिन्तोली मोटर मार्ग।
5. तामाढौन–गौलना–खल्डुवा मोटर मार्ग।
6. देघाट–जौरासी मोटर मार्ग।

3. वनसंरक्षक स्तर पर लम्बित :

राज्य योजना :–

1. जनपद अल्मोड़ा में कुमेरिया से उमरा वल्ला तक मोटर मार्ग का निर्माण।

पी0एम0जी0एस0वाई0 :–

1. शून्य

4. खण्ड स्तर पर लम्बित :

राज्य योजना :–

1. गगास–उडी महादेव–सैलापानी–भिकियासैण–मरचूला मोटर मार्ग।
2. सनौली बैण्ड से सौलगुघानी तक मोटर मार्ग।
3. तराडी–उमरा–शशिखाल मोटर मार्ग का निर्माण।
4. कुनोली–मुनडा–देवीखाल मोटर मार्ग।
5. सरपटा–चनुली–कोटा–बासोट मोटर मार्ग।
6. सुघली–कैलानी से मरसौनी तक मोटर मार्ग।
7. पनुगाधोखन–ननकोटा–लमजौला मोटर मार्ग।
8. शशिखाल–तराड जाख मोटर मार्ग।
9. पीपनाकोला–रणकुना–मोछाली मोटर मार्ग का 60 मीटर विस्तार का सेतु।
10. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के ग्राम थलमाड को मुख्य मोटर मार्ग से जोडने हेतु।
11. हरडा–भिकियासैंण हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तन व अवशेष भाग का निर्माण।
12. तल्ली चम्याडी से रणलखाल मोटर मार्ग।
13. जनपद अल्मोडा मे विधानसभा क्षेत्र सल्ट (भिकियासैण) के अन्तर्गत बसई से अगासपुर इण्टर कॉलेज से मसोड तक मोटर मार्ग।
14. विधानसभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत बाजखेत–कुसियागौन राम सिंह किग्वार–दैगा–बगाडी किग्वार को बाजखेत–सुरागौरा मोटर मार्ग।
15. विधानसभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत देघाट–नागचूलाखाल रोड से शहिद गॉव भेलीपार मिलान मोटर मार्ग।
16. विधानसभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत देघाट–नागचूलाखाल से चन्दरखाडी–कलियालीगुड होते हुए सीमा बैण्ड मिलान हेतु मोटर मार्ग।
17. मुख्यमंत्री ग्रामीण सडक योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोडा के विकास खण्ड स्याल्दे में एराडीबिष्ट से राम सिंह किग्वार तक मोटर मार्ग।
18. मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–353/2011 क अन्तर्गत जनपद अल्मोडा में घटगाड से मल्ली बाजार देघाट तक जिला परिषद् मार्ग को

मोटर मार्ग में एवं इस मार्ग पर विनोद नदी पर बैरसिंगा में 36 मीटर स्पान स्टील गर्डर मोटर सेतु का निर्माण।

19. नागतले से ऑसूतले मोर मार्ग का निर्माण।

20. मछोड़—डूंगा मोहान नामक स्थान तक मोटर मार्ग।

पी0एम0जी0एस0वाई0 :—

1. जौरासी से जैस्याल मोटर मार्ग।

2. बल्मरा से सालेर मोटर मार्ग।

3. जमस्यला (छमरा) से रणकुना गोहाली मोटर मार्ग।

4. लखरकोट से मुरूशपानी मोटर मार्ग।

5. झिमोला से भौरमलला मोटर मार्ग।

6. सादर से सकनाणा मोटर मार्ग।

5. **प्रभागीय वनाधिकारी स्तर पर लम्बित :**

राज्य योजना :—

शून्य।

पी0एम0जी0एस0वाई0 :—

1. पैंसिया से मल्ला गणकोटर मोटर मार्ग।

2. देघाट से लालनगरी मोटर मार्ग।

3. जकरगॉव से घुघुति मोटर मार्ग।

4. जमकना से अधे थरासर (बॉसू से थरासर) मोटर मार्ग।

मुख्य अभियन्ता स्तर—I

नत्थी 'ङ'

देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 65 पर

तालिका–1, उद्यम स्थापना हेतु प्राप्त पूँजी निवेश के प्रस्ताव :–

क्र0 सं0	मद / विवरण	अवधि	उद्यमिता ज्ञापन की संख्या	प्रस्तावित पूंजी निवेश (₹ करोड़ में)
1.	भारत सरकार मे वृहद उद्यमो की स्थापना हेतु दाखिल उद्यमी इच्छा–पत्र (IEM)	1.4.11 से 31.3.12 तक	80	6877.00
		1.4.12 से 31.6.12 तक	27	667.00
2.	जिला उद्योग केन्द्रो मे सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम की स्थापना हेतु दाखिल उद्यमी ज्ञापन भाग–1 (EM part-I)	1.4.11 से 31.3.12 तक	2211	1535.23
		1.4.12 से 31.10.12 तक	1257	955.82
	कुल योग		3575	10035.05

तालिका–2, आलोच्य अवधि में स्थापित सूक्ष्म, लघु, मध्यम तथा वृहत उद्यमो का पूँजी निवेश :–

क्र0 सं0	मद / विवरण	अवधि	उद्यमिता ज्ञापन की संख्या	पूंजी निवेश (₹ करोड़ में)
1.	वृहद उद्यम स्थापना के उपरान्त भारत सरकार में दाखिल औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन भाग–2 (IEM Part-B)	1.1.12 से 31.10.12 तक	02	46.54
2.	सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम स्थापना के उपरान्त जिला उद्योग केन्द्रों मे दाखिल दाखिल उद्यमी ज्ञापन भाग–2 (EM part-II)	1.4.11 से 31.3.12 तक	2121	931.78
		1.4.12 से 31.10.12 तक	1289	669.18
	कुल योग		3412	1647.50

नत्थी 'च'

संलग्नक–1

देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 6 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 69 पर

वित्तीय वर्ष 2010–11 में निःशुल्क रोपित पौधों की जनपदवार/विभागवार विवरण

जनपद	दिनांक 25.07.2010 को पौधारोपण के प्रस्तावित लक्ष्य (हजार पौध में)										योग
	शिक्षा विभाग	पुलिस विभाग	सिंचाई विभाग	लोक निर्माण	नगरपालिका/ नगरनिगम/ विकास प्राधिकरण	राजस्व विभाग	चिकित्सा विभाग	अन्य विभाग	अन्य विभाग	वन विभाग	
देहरादून	25	20	20	20	30	40	15	15	15	50	250
नैनीताल	25	20	20	20	30	40	15	15	15	50	250
ऊधमसिंह नगर	15	15	20	20	30	20	15	15	15	100	265
हरिद्वार	40	50	40	30	40	10	10	10	10	25	265
पौड़ी	10	10	10	10	10	10	10	10	10	25	115
चमोली	10	10	10	10	10	10	10	10	10	25	115
टिहरी	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
उत्तरकाशी	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
रूद्रप्रयाग	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
अल्मोड़ा	15	10	10	10	10	10	10	10	10	15	110
चम्पावत	15	10	10	10	10	10	10	10	10	15	110
बागेश्वर	15	10	10	10	10	10	10	10	10	15	110
योग–	215	195	190	180	220	210	145	145	145	355	2000

(कुल 20.00 लाख पौधे)

संलग्नक–2

वित्तीय वर्ष 2010–11 में निःशुल्क रोपित पौधों की जनपदवार/विभागवार विवरण

(हजार पौधे में)

जनपद	शिक्षा विभाग	पुलिस विभाग	सिंचाई विभाग	लोक निर्माण	नगरपालिका/ नगरनिगम/ विकास प्राधिकरण	राजस्व विभाग	चिकित्सा विभाग	वन विभाग	अन्य विभाग	योग
देहरादून	25	8	8	8	8	8	4	30	26	125
नैनीताल	25	8	8	8	8	8	4	30	26	125
ऊधमसिंह नगर	25	6	6	5	5	5	5	25	18	100
हरिद्वार	20	4	4	4	4	4	3	20	12	75
पौड़ी	20	4	4	4	4	4	3	20	12	75
चमोली	20	4	4	4	4	4	3	20	12	75
टिहरी	20	4	4	4	4	4	3	20	12	75
उत्तरकाशी	20	4	4	4	4	4	3	20	12	75
रूद्रप्रयाग	20	4	4	4	4	4	3	20	12	75
अल्मोड़ा	20	4	4	4	4	4	3	20	12	75
चम्पावत	20	4	4	4	4	4	3	20	12	75
बागेश्वर	20	4	4	4	4	4	3	20	12	75
योग–	275	62	62	61	61	61	43	285	190	1100

(कुल 11.00 लाख पौधे)

नत्थी 'छ'

संलग्नक–1

देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 20 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 82 पर

No.	LHL-06-07/01	Date	1.7.2006
To	: Director Forest Training Institute Haldwani		
Clients Name	Mr. Navprabhat x5	No. of Pax	5

Sl. No.	Description	Unit Price	Amount
01.	Towards the cost of "Air Ticket from Delhi-Dubai-Johannesburg" 7th July-06/ 14th July-06 Mr. Navprabhat Mr. Digvijay Singh Mr. Shailendra Mohan Mr. G.S. Pandey Mr. Vinod Kumar	44960.00	224800.00
	(Air port tax etc)	4066.00	20330.00
	Insurance	727.00	3635.00
02.	Toward the cost of "Stay and transfer at Southafrica" as per below 07/07/06TravelSA : Personalised Meet & Greet Johannesburg International Airport - 07/07/06 InterContinental Airport Sun - Standard B including bed levy 08/07/06Federal Air - Johannesburg to Ngala (one way) 08/07/06Ngala Tented Safari Camp : Ngala Tented Camp on a full board basis 09/07/06 Mfafa Safaris - day trip to Kruger National Park 09/07/06 Mfafa Safaris - Park fees per person 10/07/06 Federal Air : Ngala Transfers - Air transfer Ngala to Phinda 10/07/06 Phinda Mountain Lodge on a full board basis, including activities and local brand drinks 13/07/06 Federal Air - Phinda to Johannesburg (one way) 13/07/06 InterContinental Airport Sun - Standard including bed levy		408044.00
	TOTAL		656809.00
	Service tax		32117.00
	Total		688926.00

निरस्त किया

उप वन संरक्षक/निदेशक
उत्तराखण्ड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी

In Words : *Rs. Six lac eighty eight thousand nine hundred twenty six only*

This invoice is Computer generated, signature not required. Payment on presentation in favour of " Leisure Hotels Ltd " Payable at Nainital

Leisure Hotels Ltd
Hari Bhawan, Mallital Nainital
05942-235105/108

नत्थी 'ज'

देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 20 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 82 पर

PRESENTATION ON ECO-TOURISM PLAN FOR STATE OF UTTRANCHAL

INTRODUCTION :

- Rich in boiodiversity.
- 6 National Parks, 6 Sanctuaries and 2 world heritage sites.
- Conservation Reserve.
- Mountains Peaks, Trekking routes, Camping sites, Bugyals etc.
- CCF Eco-Tourism post created.
- Center for Eco-Tourism and sustainable livelihood at chunakhan

Eco-Tourism : .... ?

- Responsible travel to natural areas.
- Conservation of natural areas.
- Sustain the well being of local people.

Goal :

Promotion of activates with low impact on the bio diversity, natural resources and local culture of the state while helping to create jobs and provide equitable benefits to local people on sustainable basis.

Objectives :

- ✓ To ensure participation of all stakeholders to develop partnership.
- ✓ To provide information to stakeholders & local communities.
- ✓ Low volume-high value.
- ✓ Non consumptive Use.
- ✓ Sustainability.
- ✓ To attract niche targeted eco-tourist.
- ✓ To develop interpretive facilities.
- ✓ To develop infrastructure and facilities on sustainable basis.
- ✓ To develop ethics and regulation.
- ✓ To fix monitoring parameters, indicators etc.

<u>Strategy</u> :

- Benchmark study – Present status.
- Identification of natural resources.
  - ❖ PA's (NP & Sanctuaries), wilderness, Mountain peaks, trekking routes,

  camping sites, Rock faces & cliffs, people, folkdances and festevals,

  handicrafts, Rivers, Local cuisine, Safaris etc.
- Clusters development (must-should-could).
- Development of Eco-Tourism product.
- Identification of constraints.
- micro Planning (Site Specific) SWOT Analysis.
- Impact analysis (EIA & SIA).
- Defining stake holders roles – Govt. Sector.

  -- Pr. Sector.

  -- NGO

  -- LocalCommunities

LEGAL FRAMEWORK :

- Forests and environmental laws WPA, IFA, FCA, EPA etc.
- Respect for local traditions and culture.
- PPP model (GO to this effect in the state)

FINANCING MECHANISM :

- Financial institution to finance private sector.
- Dovetailing with Govt. Scheme for infrastructure development
- Micro-Financing at village level.
- Subsidy to local enterpreneurs.
- Start up financing as loan, grants or aid.

LEGAL FRAMEWORK :

- Advisory body-State level.
- Executive body-State level. CCF (Eco-Tourism)-CEO.
- District level bodies.
- Planning process at grass root level.

MONITERING AND REVIEW MECHANISUM :

- At State level.
- At District level.
- At Local level.
- Fixing Eco-Tourism codes.
- Defining monitor indicators.
- Single window system.
- Tourists Safety & Rescue Plan.
- Interpretation and Awareness Plan.
- Training and Capacity Building of local people.
- Health & Sanitation Plan.
- Waste disposal Plan.
- Marketing & Publicity Plan.
- Pricing & Quality Control Mechanism.
- Fee Structure.
- Micro Enterprise- Loges, Home Stays, Guides Potters. Tea Stall, Agri- Products.
- Transport.
- Art & Handicrafts.
- Rental (Equipment & Vehicles).

Thank you

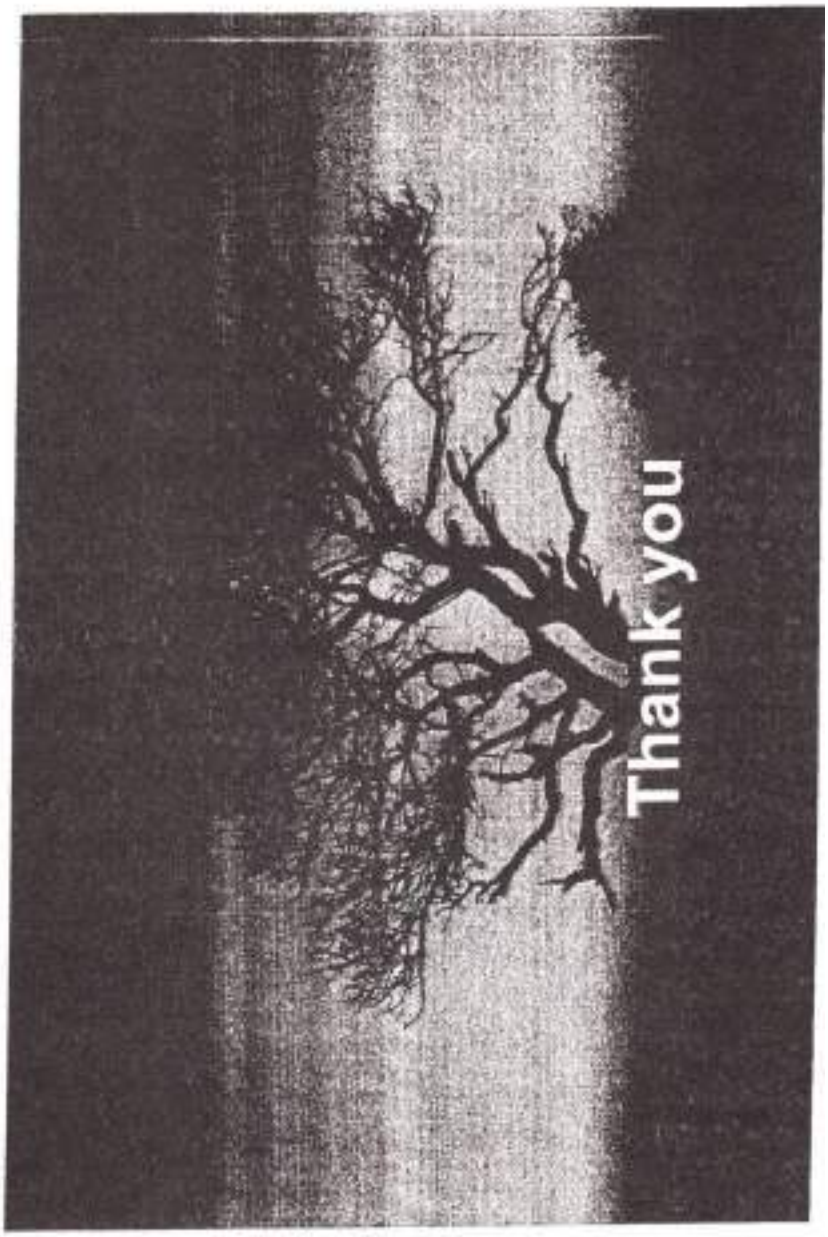

प्रश्न संख्या–6

ECO- TOURISM STUDY TOUR TO SOUTH AFRICA

July 07 to July 14, 2006

Members

Places Visited

What is unique about the forests in South Africa

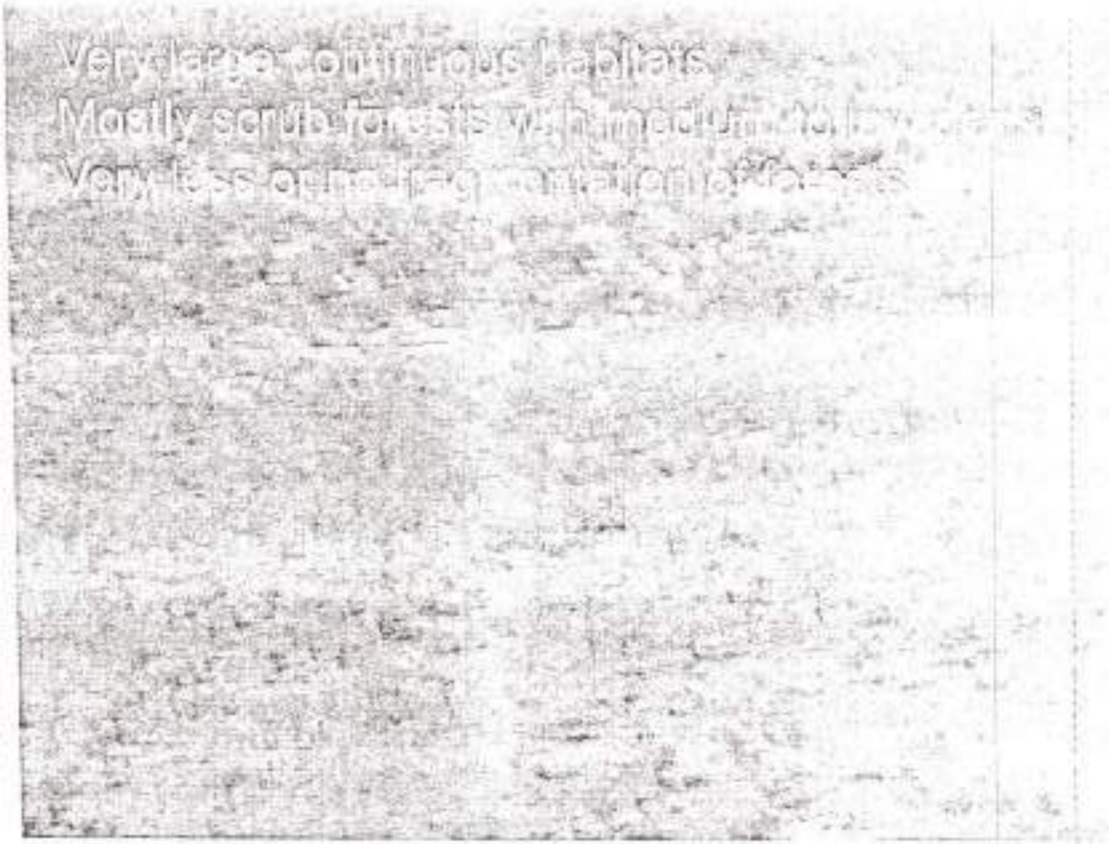

What is unique about the forests in South Africa

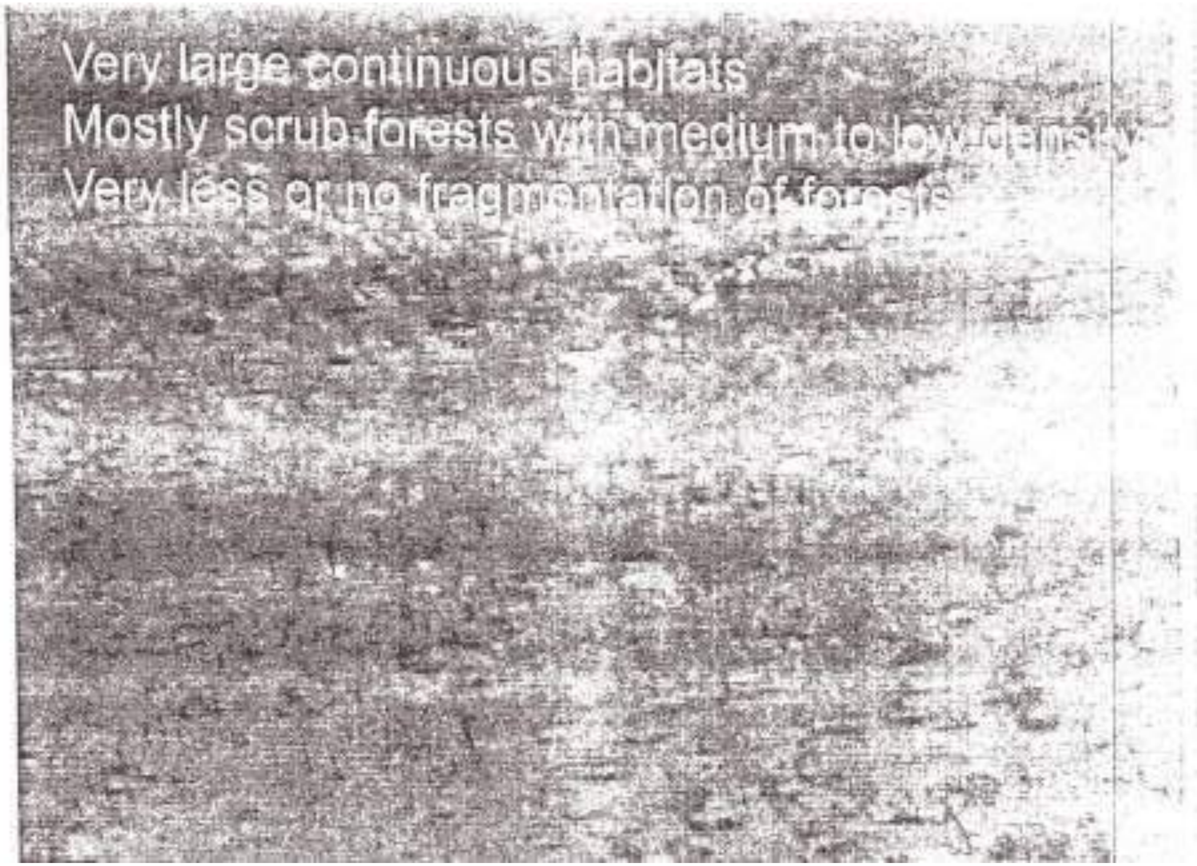

Whether there was any accident so Far \ this was our question. The pilot told that top people from all over the world especially US come to our company. If there is even a single accident/undesirable incident it will finish the company. Our reputation is our brand ambassador. That is the rason we have 30%^ repeat visiotors.

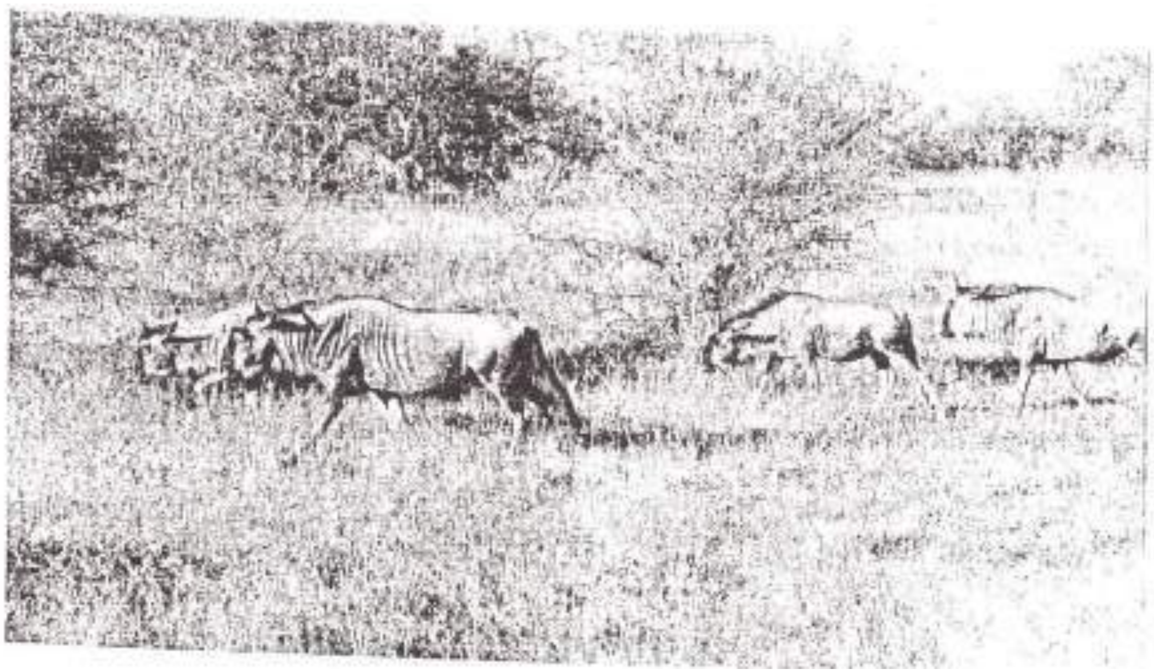

- Doing away with broker system in the network of services. If we have to maintain quality, service provider should be few and experienced.

- Luxury should not be a taboo because visitiors spend money for quality services.

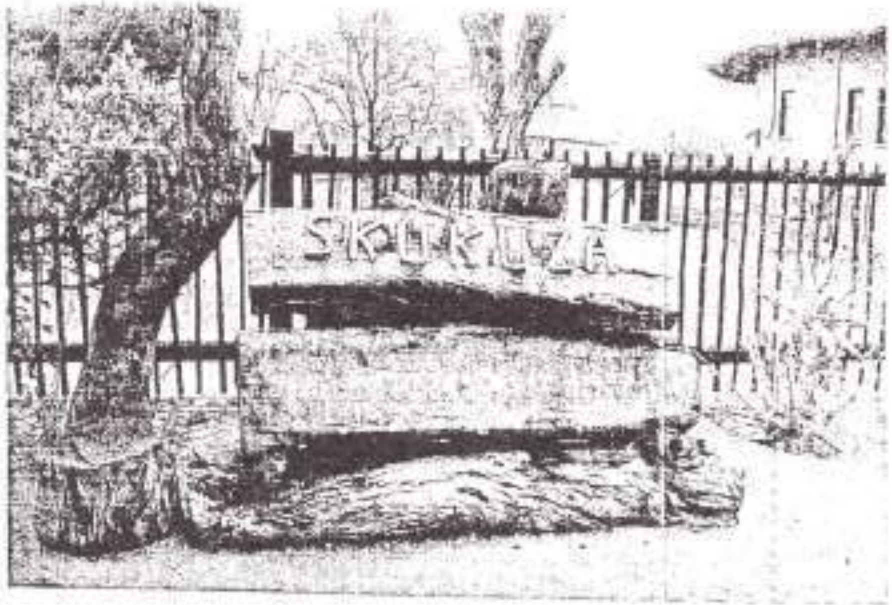

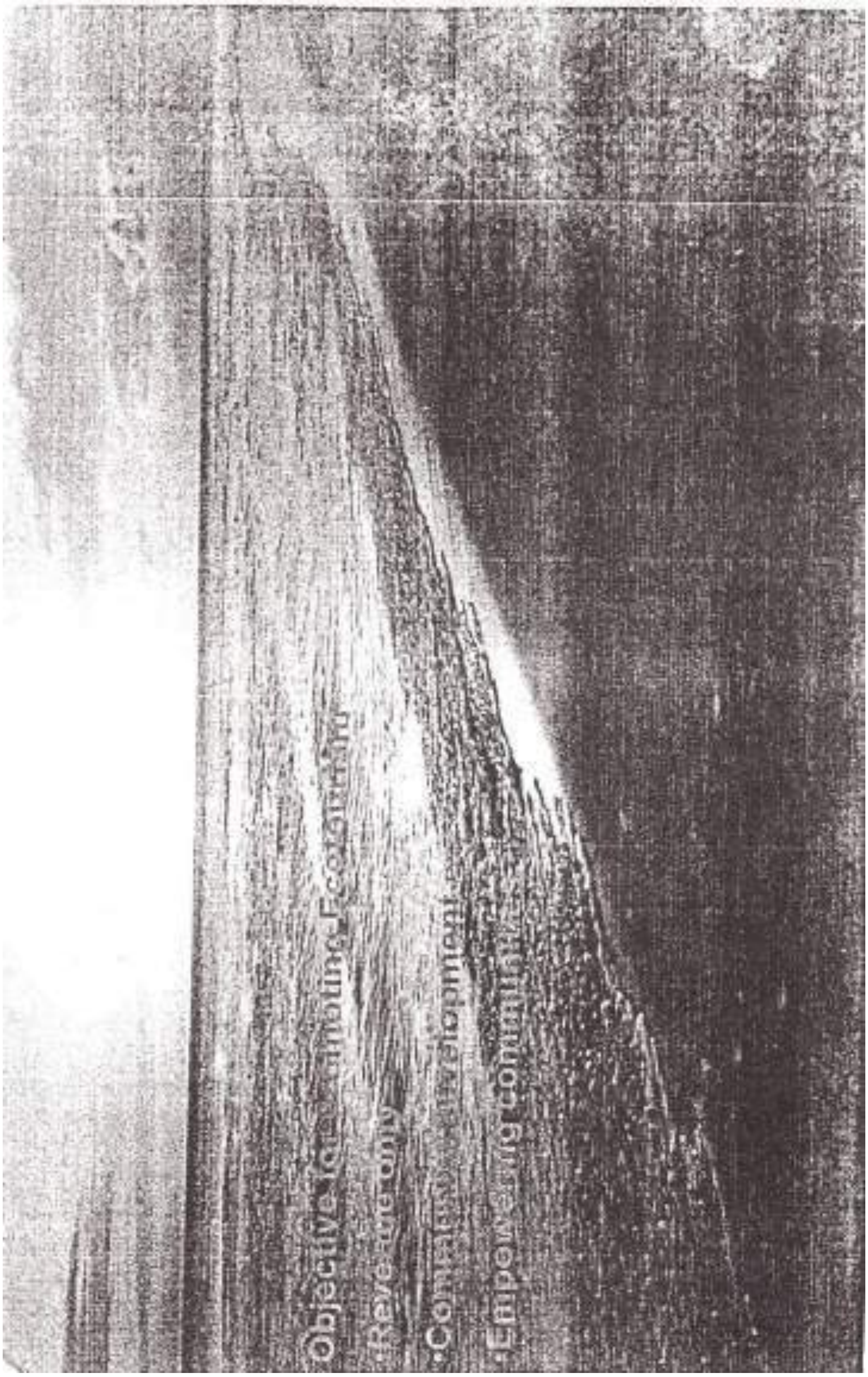
Objective
Empower

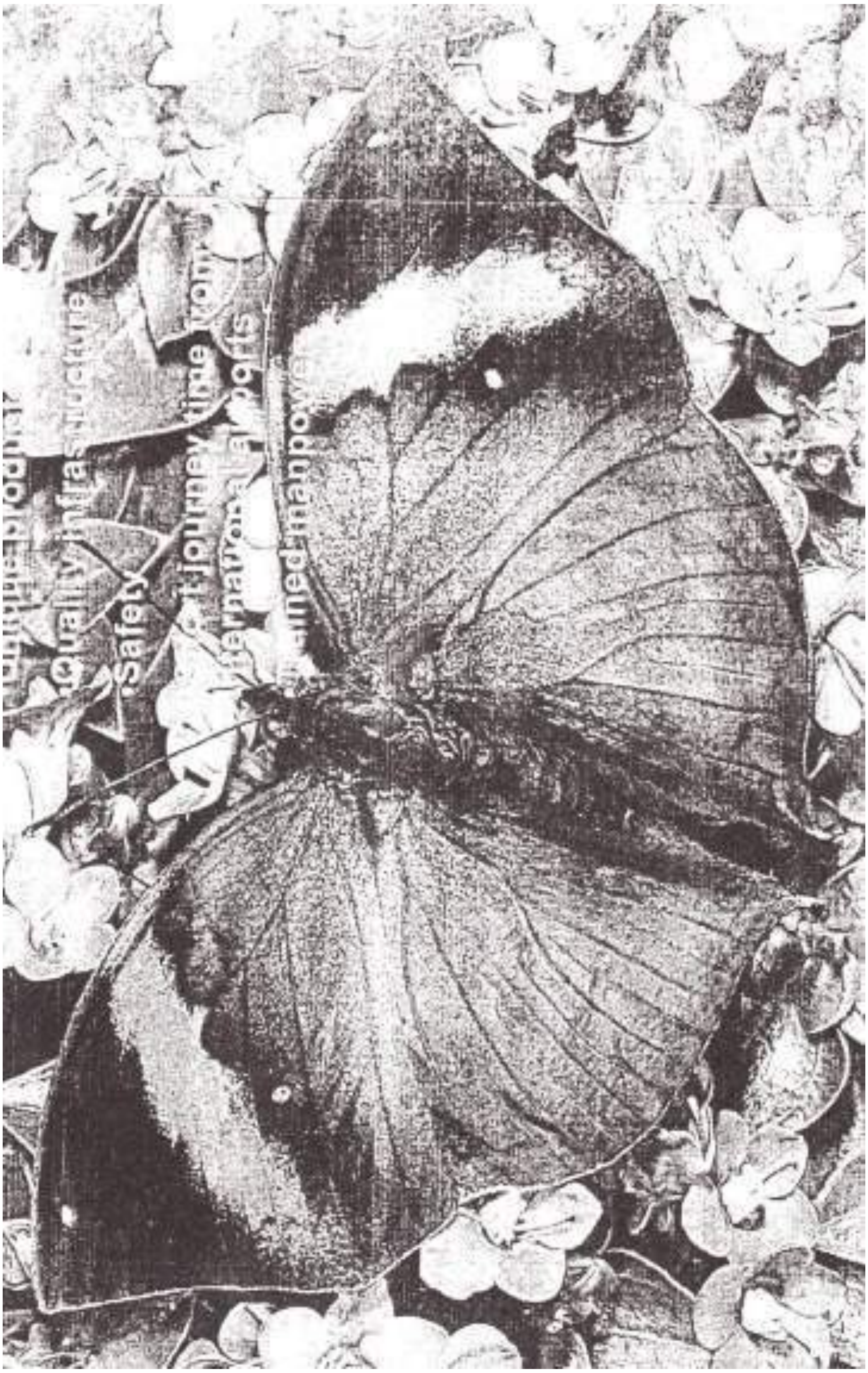
Safety

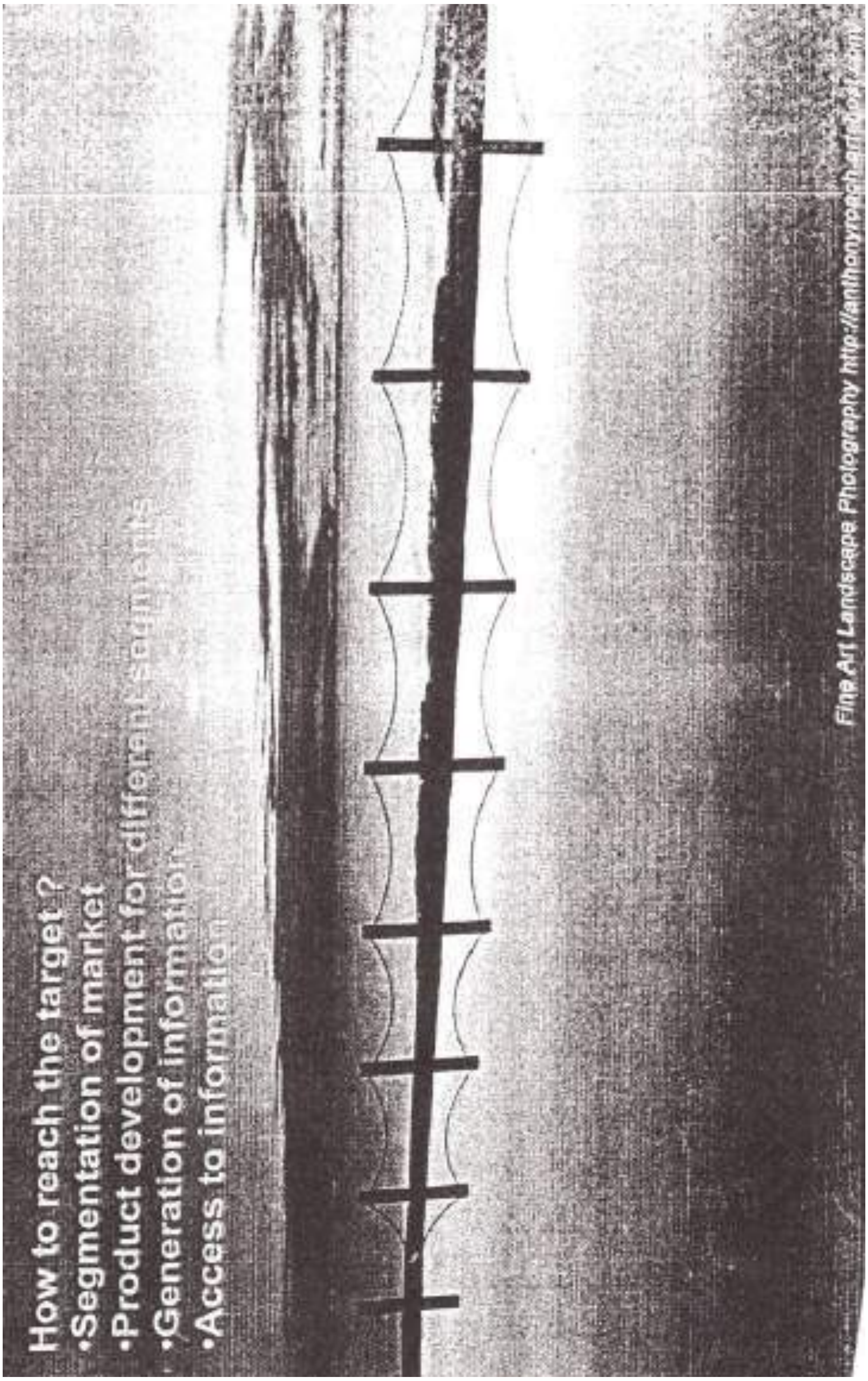
How to reach the target ?
•Segmentation of market
•Product development for different segments
•Generation of information
•Access to information
Fine Art Landscape Photography

Short term strategy:

1. Identify different circuits for different target groups.
2. Develop products with experienced agencies in this field and train manpower accordingly.
3. Resource availability, financial projections ,access to funds and probable partners in the process should be identified.
4. Generate illustrated and comprehensive information in print and electronic form, brochures and Coffee table books.
5. Provide foreign exchange facility at all destinations. International cards accepting ATM should be available at strategic locations.

What is unique about the forests in South Africa

What is unique about the forests in South Africa

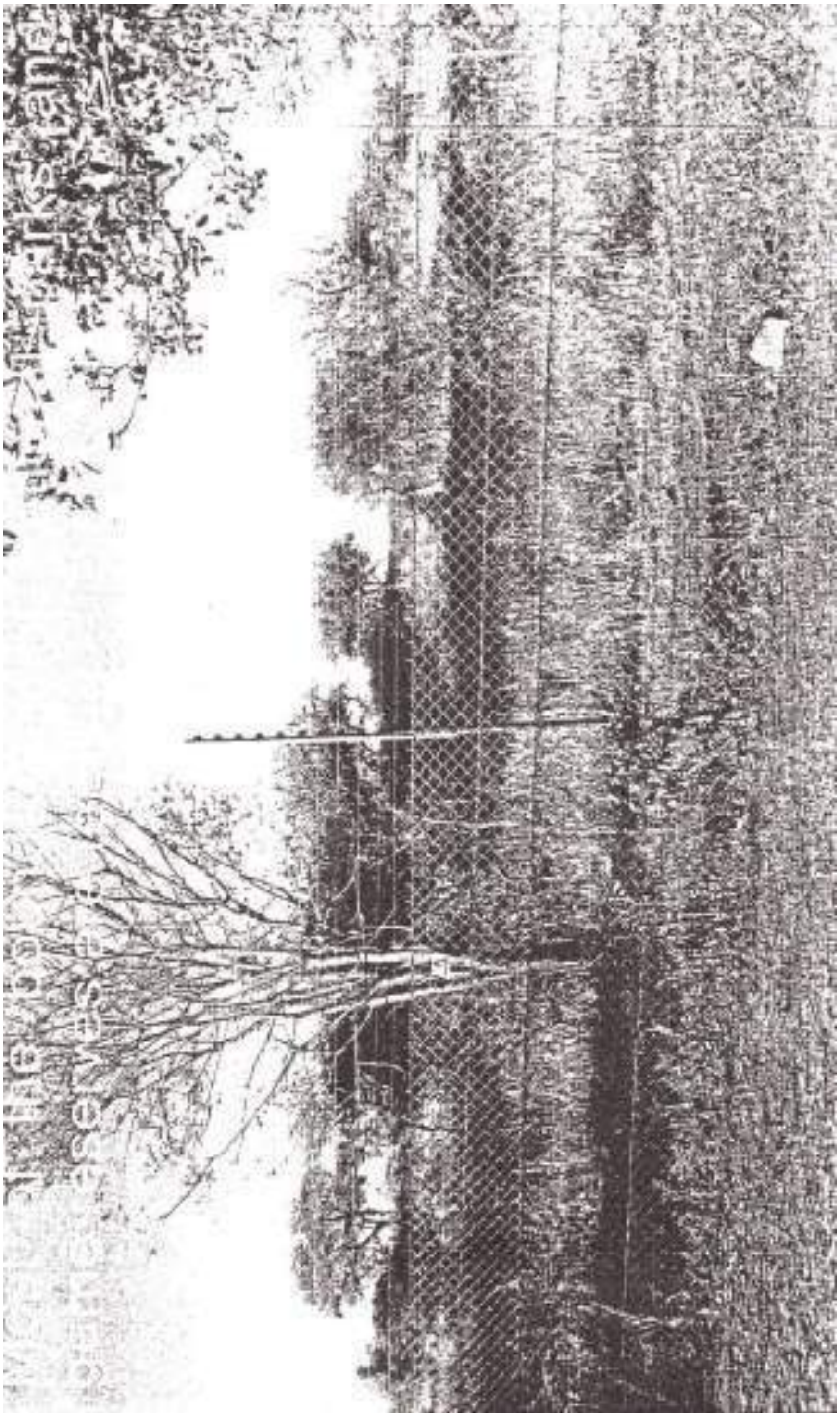

What is unique about the forests in South Africa

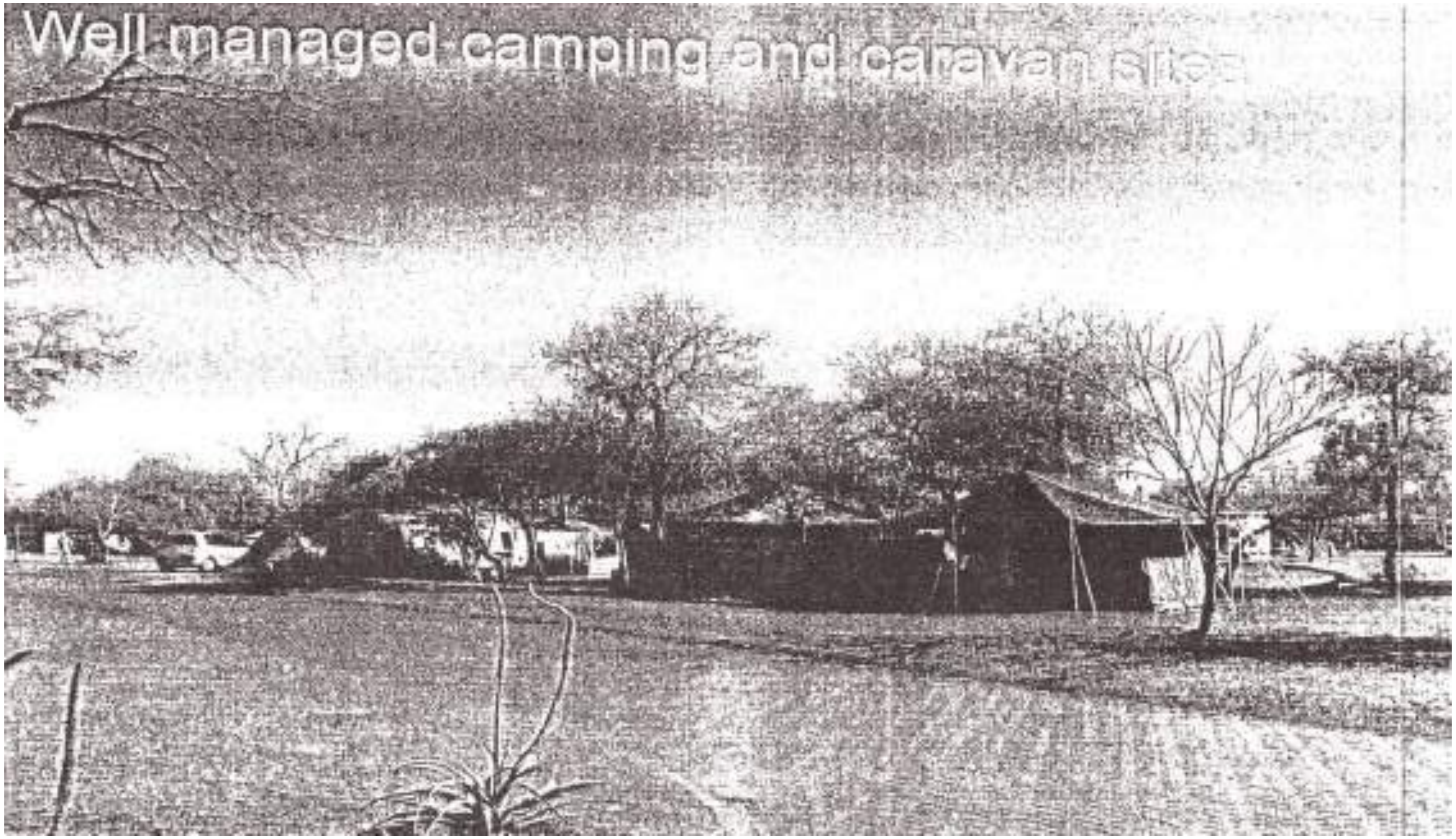

What is unique about the forests in South Africa

Ranger tracking leopard

What is unique about the forests in South Africa

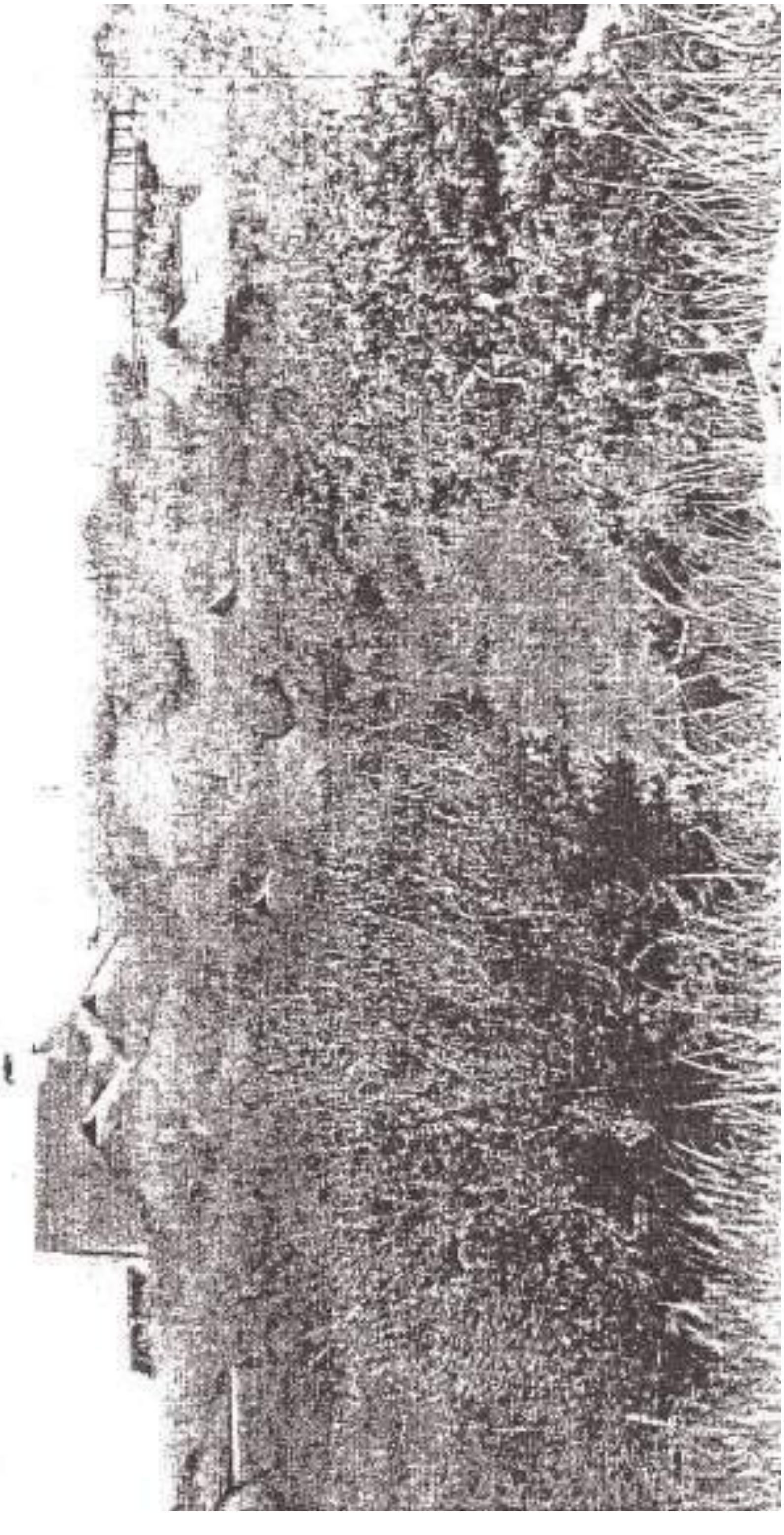

What is unique about the forests in South Africa

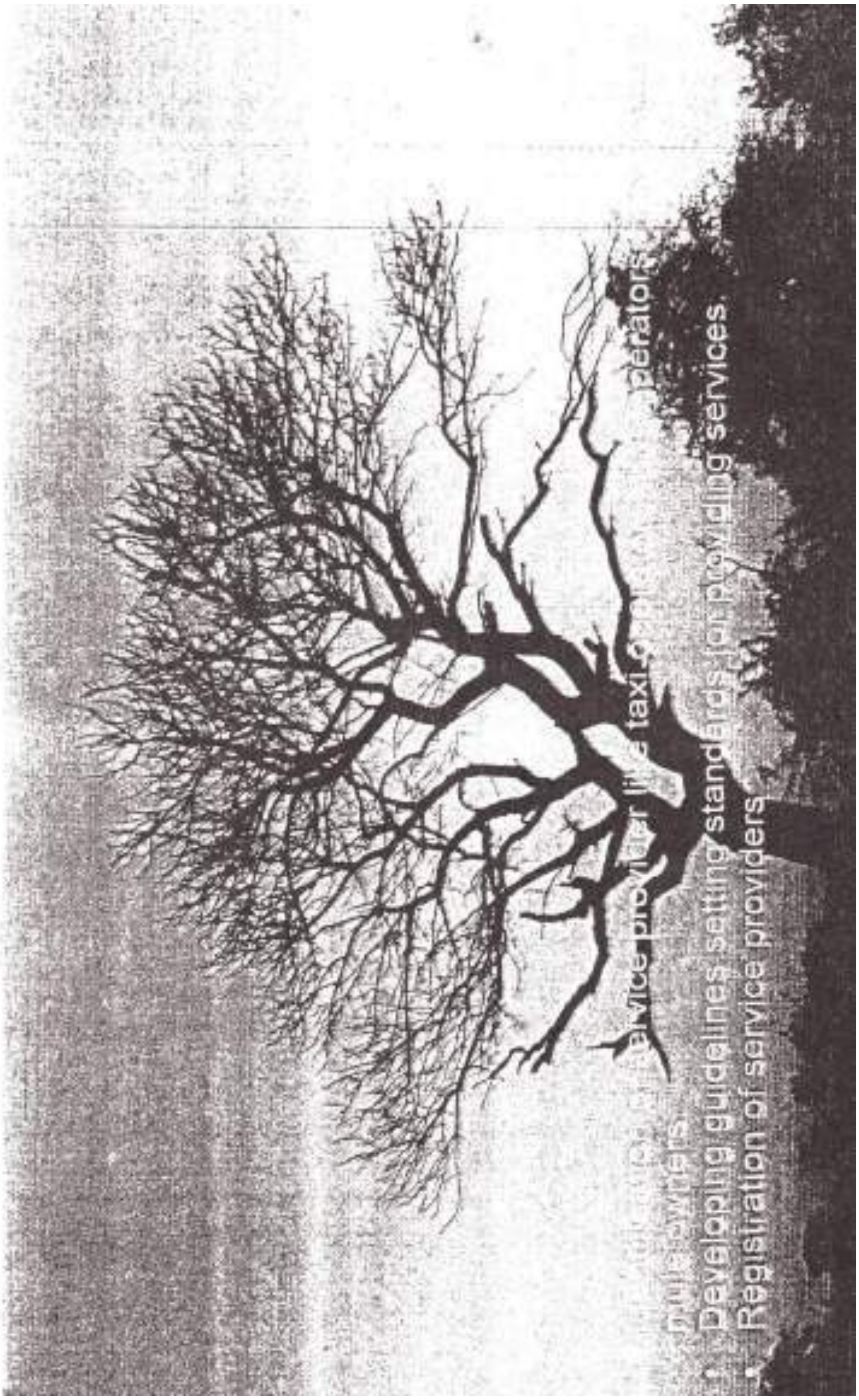
Developing guidelines setting standards for providing services.
Registration of service providers.

Defining objectives. Ecotourism as a social service or for revenue.

It is a ceepted fact that in the long run only high end ecotourism will be sustainable.

Development of Very high end products which is possible only either it is outsourced or done by private sector. **If we give peanuts we attract mondeys.**

Visitor's satisfaction can be ensured if we publicise the servicdes and products and maintain it likewise.

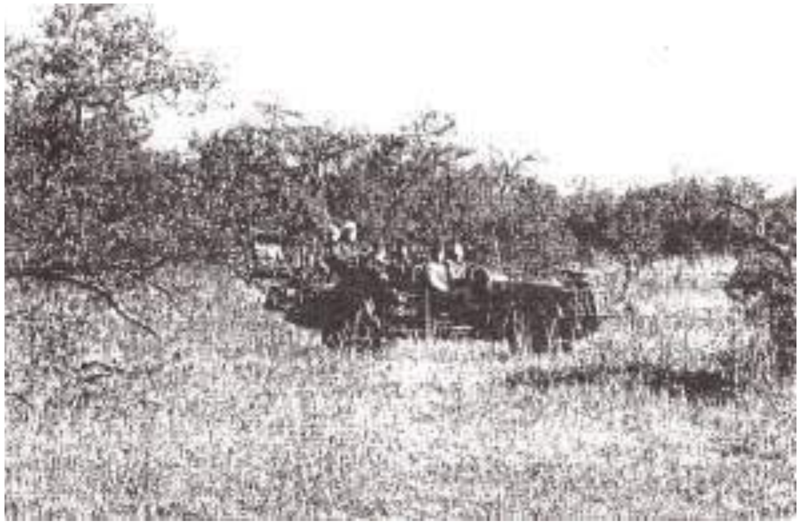

नत्थी 'झ'

देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 79 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 155 पर

राज्य योजना के अन्तर्गत 2002–2012 तक स्वीकृत कार्य (कुल कार्यों की सं0 :–97)

क्र0 सं0	वर्ष	राज्य योजना के स्वीकृत मोटर मार्ग	लागत (₹ लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	भारी वाहनों का संचालन
1	2	3	4	5	6	7
1.	2002–2003	चण्डाक बांस मो0 मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य (13.65 से 16.00)	25.15	6/2003	3/2004	हां
2.		बड़ड़ा बर्तीलाड मो0 मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कि0मी0 7 व 8	21.40	24.02.2003	3/2004	हां
3.		चण्डाक छेड़ा दिगतोली मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य कि0मी0 4 व 5	30.60	12.06.03	3/2004	हां
4.		जाख पुरान से रावलगांव तक मो0 मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	4.30	02.01.2005	12/2007	–
5.		चण्डाक से धारी मोटर मार्ग (प्रथम चरण)	4.30	अनारम्भ		–
6.		नैनी सैनी देवल कुम्डार मो0 मार्ग (प्रथम चरण)	4.30	अनारम्भ		–
7.		कफलडुंगरी बारले मो0 मार्ग (प्रथम चरण)	4.30	पी0एम0जी0एस0वाई0 को स्थानान्तरण		–
8.		चुपकोट से जगथली मो0 मार्ग (प्रथम चरण)		– तदैव –		
9.		दिगतोली ट्यूड़ी मो0 मार्ग (प्रथम चरण)	4.30	7/2004	3/2011	–
10.		चण्डाक बांस मो0 मार्ग का पुनः निर्माण	211.75	20.01.2004	12/2006	हां

1	2	3	4	5	6	7
11.	2002–2003	झूलाघाट बलतडी मो0 मार्ग (प्रथम चरण)	25.80	14.02.2008	कार्य पूर्ण 3/2012	हाँ
12.		सातसिलिंग नाधर भूलगाँव मो0 मार्ग का विस्तार (प्रथम चरण)	2.15		कार्य पूर्ण	हाँ
	योग :–		342.65			
1.	2003–2004	मर्साेलीभाट लिंक मार्ग का शेष	13.50	12.09.2003	12/2005	हाँ
2.		नैनी सैनी देवल कुम्डार का सुधार कार्य	28.80	01.02.2006	11/2007	हाँ
3.		जाँख आवलाघाट मो0 मार्ग का विस्तार	28.80	अनारम्भ		–
4.		अशोकनगर भाटीगाँव मोटर मार्ग का विस्तार	28.80	30.07.2004	12/2006	हाँ
5.		रईमड रोडमाली मो0 मार्ग का विस्तार	28.80	01.02.2006	1/2012	हाँ
6.		सिलोनी चमतोली मोटर मार्ग का नव निर्माण	28.80	1/2009	कार्य प्रगति पर	–
7.		सातसिलिंग नाधर भूलगाँव मार्ग का विस्तार	14.40	23.12.2006	12/111	हाँ
8.		पिथौरागढ़ वण्डाक पौण पपदेऊ मो0 मार्ग का निर्माण	28.80	पी0एम0जी0एस0वाई0 को स्थानान्तरण		–
9.		छेडा छाना भूरमुनी मो0 मार्ग का विस्तार	28.80	निरस्त		–
10.		जाँख पन्त मो0 मार्ग से कुम्डार तक मो0 मार्ग	14.40	16.02.2004	3/2005	हाँ
11.		चुपकोट बैन्ड से जमराडी मोटर मार्ग	14.40	पी0एम0जी0एस0वाई0 को स्थानान्तरण		–
12.		दिगतोली दयूडी मो0 मार्ग	14.40	30.03.2007	3/2011	हल्का वाहन
13.		गुरना तोली मोटर मार्ग का विस्तार	14.40	22.01.2005	12/2007	हाँ

1	2	3	4	5	6	7
14.	2003–2004	कफलडुगरी बास्ते मो0 मार्ग (प्रथम चरण)	14.40	पी0एम0जी0एस0वाई0 को स्थानान्तरण		—
15.		अड़कानी–जलतुरी मोटर मार्ग का विस्तार	14.40	10 / 2009	कार्य प्रगति पर	—
16.		जी0जी0आई0सी0 फॉरेस्ट कॉलोनी रोड मे पुनेड़ी तडीगॉव मो0 मार्ग का विस्तार	14.40	1 / 2009	12 / 2011	हॉ
17.		कफलडुगरी बास्ते मो0 मार्ग	14.40	पी0एम0जी0एस0वाई0 को स्थानान्तरण		—
18.		बड़ावे तोली मो0 मार्ग का निर्माण	14.40	निरस्त		—
19.		पाताल मोखरा खुना मो0 मार्ग का निर्माण	14.40	4 / 2008	कार्य प्रगति पर	नहीं
20.		जनपद पिथौरागढ मे कफलडुगरी बास्ते मो0 मार्ग	16.85	पी0एम0जी0एस0वाई0 को स्थानान्तरण		—
21.		जौंख पुरान रावलगॉव मोटर मार्ग	10.10	1 / 2005	12 / 2007	हॉ
22.		चुपकोट बैन्ड से जमराडी मोटर मार्ग	19.10	पी0एम0जी0एस0वाई0 को स्थानान्तरण		हॉ
23.		झूलाघाट बलतडी मोटर मार्ग का निर्माण	98.40	14.02.2008	कार्य प्रगति पर	हॉ
24.		विजाई पत्थर खानी मोटर मार्ग का निर्माण	23.40	7 / 04	12 / 2006	—
25.		नैनी सैनी दैवत कुम्हार मोटर	12.80	8 / 2005	3 / 2008	—
26.		पिथौरागढ नगर मे रिंग रोड का निर्माण	288.00	08.01.2008	कार्य प्रगति पर	—
27.		वडडा क्वीतड हल्दू पंचेश्वर मो0 मार्ग का विस्तार	144.00	12 / 2008	कार्य प्रगति पर	—
28.		जनपद पिथौरागढ मे क्वीतड हल्दू मो0 मार्ग का निर्माण	172.8	अनारम्भ		—
29.		जनपद पिथौ0 के अन्तर्गत जौंख पूरान आवलाघाट मो0 मार्ग का निर्माण	316	अनारम्भ		—

1	2	3	4	5	6	7
30.	2003–2004	पिथौ0 मे छेड़ा कुमैयाबीड–रोडीपाली रसियापाटा मो0 मा0	820.50	अनारम्भ		—
31.		क्वीतड़ बड़ावे मो0 मार्ग का अवशेष कार्य	21.47	9/2004	10/2007	हॉ
	योग :–		2316.92			
1.	2004–2005	शून्य				—
1.	2005–2006	दिगतोली दयुरी मोटर मार्ग	53.4	22.06.2010	कार्य प्रगति पर	—
2.		ग्राम मैशाना में एस0एस0बी0 मुख्यालय को जोड़ने हेतु सम्पर्क मार्ग एवं पुल का निर्माण	112.74	अनारम्भ		—
3.		रई मड रोडी पाली मोटर मार्ग का पुन-निर्माण	66.68	27.11.2006		हॉ
4.		पिथौ0 में चण्डाक बॉस मो0 मार्ग 1 से 7 कि0मी0 का चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण का कार्य	74.9	08.04.2006	कार्य प्रगति पर	हॉ
	योग :–		307.72			
1.	2006–2007	जौरस मेजड़ुगरी मोटर मार्ग से पुराने प्रा0पा0 लिंग मार्ग का विस्तार	17.80	5/2011	10/2012 कार्यपूर्ण	हॉ
2.		दिगतोली नैनी दयूडी मोटर मार्ग का विस्तार	19.10	निरस्त		—
3.		गुरना सैरीकाण्डा मोटर मार्ग नव निर्माण	35.60	अनारम्भ		—
4.		टनकपुर तवाघाट मो0 मार्ग के अम्बेडकर ग्राम टाजा तक मो0 मार्ग	43.20	18.02.2010	31.03.2012	हल्का वाहन

1	2	3	4	5	6	7
5.	2006–2007	सातसिलिंग नाधर भूलगाँव ह0वा0 मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तन	72.00	3/2008	12/2011	हाँ
6.		सातसिलिंग थल मोटर मार्ग से इण्टर कॉलेज बांसाबजेट मोटर मार्ग	71.20	अनारम्भ भूमि विवादित		–
7.		खगरतोली से बडतली लिंक मोटर मार्ग का निर्माण	106.80	अनारम्भ		–
8.		गुरुनातोली मोटर मार्ग का विस्तार	51.60	29.11.2006	12/2010	हाँ
9.		दिगजोली दयूडी मो0 मार्ग विस्तार नैनी से चांडिका घाट तक	314.50	अनारम्भ		–
10.		काटेगाँव से साई खोला सेरीखाण्डा होते हुये विनायक तक मो0 मार्ग	178.00	वन भूमि स्वीकृत नहीं है		–
11.		कुसेरी बैण्ड से सिलागी तक मार्ग सुधार कार्य	88.50	12/06	12/2008 कार्य पूर्ण	हाँ
12.		मर्सोलीभाट मोटर मार्ग में बी0एम0एस0 डी0बी0सी0 द्वारा सुधार कार्य	169.20	5/2007	12/2010 कार्य पूर्ण	
13.		कालसिन कटिया पाभै मोटर मार्ग का पुन-निर्माण	142.00	11.04.2007	2/2008 कार्य प्रगति पर	
14.		नैनी सैनी जारजदेवल मो0 मार्ग में बी0एम0 एस0 डी0बी0सी0 का कार्य	92.60	7/2007	7/2009	
	योग .–		1402.10			

1	2	3	4	5	6	7
1.	2007–2008	जनपद पिथौ0 में जौरा मो0 मार्ग से विषाण कुचा तक मो0 मार्ग का डामरीकरण का कार्य	36.75	22.09.2008	21.03.2009	हॉ
2.		जनपद पिथौ0 मे नैनी सैनी देवत कुम्डार मो0 मार्ग का पुन. एवं सुधार कार्य	59.73	6/2008	2/2011 कार्य पूर्ण	हॉ
3.		जनपद पिथौ0 में बड्डा जेलू मो0 मार्ग का पुन. निर्माण एवं सुधार कार्य	19.91	18.02.2010	8/2012	हॉ
4.		पिथौ0 में बंधाड निलोजी ह0वा0 मार्ग को मोटर मार्ग मे परिवर्तित	291.00	निरस्त		–
5.		पिथौ0 में बड़ावे में जखलखोला होत हुये जगदम्बा मंदिर तक मोटर मार्ग	110.25	9/2008	कार्य पूर्ण 3/2012	हॉ
6.		पिथौ0 में चण्डाक मोटर मार्ग से ग्राम पुनेडी तक मोटर मार्ग	183.75	18/2009	कार्य प्रगति पर	3.00 कि0मी0 तक भारी वाहन
7.		मोस्टमानू से डुगा मोटर मार्ग	110.25	5/2010	कार्य प्रगति पर	2.00 कि0मी0 मे भारी वाहन
	योग :–		811.64			
1.	2008–2009	चण्डाक छैडा दिगतोली मो0 मार्ग का विभाग मो0 का पुन. निर्माण	188.45	16.03.2010	कार्य प्रगति पर	हॉ
2.		एचौली से स्यूनी तोली मो0 मार्ग का विस्तार	220.5	18.06.2011	कार्य प्रगति पर	–

1	2	3	4	5	6	7
3.	2008–2009	चण्डाक छेड़ा दिगतोली मोटर मार्ग के कि0मी0 6 से तल्ली सिम तक	110.25	वन भूमि स्वीकृत होती है		–
	योग :–		529.20			
1.	2009–2010	अटल आदर्श योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ मे अशोक नगर भाटीगॉव मो0मा0 का निर्माण	183.75	अनारम्भ		–
2.		अटल आदर्श योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ मे नापर से कुमजत मो0 मा0 का निर्माण	183.75	06.03.2012	कार्य प्रगति पर	हॉ
3.		अटल आदर्श योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ मे रोलीपाली रसियापाटा से मोडी तक मो0 मा0 का निर्माण	183.75	जमीन का विवाद है		–
	योग :–		551.25			
1.	2010–2011	जाखपूरान मोटर मार्ग से मासो मोटर मार्ग का निर्माण	25.20	अनारम्भ		–
2.		रावजगॉव से भराडी मोटर मार्ग का निर्माण	25.20	अनारम्भ		–
3.		बडारी से कार्टेबोरा गॉव मोटर मार्ग का निर्माण	37.80	अनारम्भ		–
4.		कैलाश आश्रम से सुवाकोट मोटर मार्ग का निर्माण	25.20	अनारम्भ		–
5.		महादेव से दाडिम खोला मोटर मार्ग का निर्माण	12.60	अनारम्भ		–
6.		बस स्टेशन से जाख के पुल तक कुण्डीखोला नाले से मोटर मार्ग का निर्माण	12.60	अनारम्भ		–
7.		मसपाटी धिखारखोला मोटर मार्ग का निर्माण	25.20	अनारम्भ		–

1	2	3	4	5	6	7
8.	2010–2011	नैनी सैनी कनारी पार्भे मोटर मार्ग का निर्माण	25.20	03.05.2011	कार्य प्रगति पर	—
9.		स्टेडियम से पाण्डे गॉव तक मोटर मार्ग का निर्माण	12.60	अनारम्भ		—
10.		सुकोली गणकोट स रावलगॉव तक मोटर मार्ग का निर्माण	25.20	अनारम्भ		—
11.		हुडेती से बडोली मोटर मार्ग का निर्माण	25.20	अनारम्भ		—
12.		मुख्यमंत्री ग्रामीण सडक संयोजकता के अन्तर्गत एचोली जाख मोटर मार्ग से मासो तक मोटर मार्ग	63.00	अनारम्भ		—
13.		मुख्यमंत्री ग्रामीण सडक संयोजकता के अन्तर्गत सिलोनी चिमतोली मोटर मार्ग से भैसदुगा मझेडा मोटर मार्ग	75.60	अनारम्भ		—
	योग :–		390.60	अनारम्भ		—
1.	2011–2012	जनपद पिथौरागढ में वण्डाक से ग्राम मैईला तडीगॉव मोटर मार्ग का नव निर्माण	50.40	अनारम्भ		—
2.		ग्याल पानी से सन्तपोखरा मोटर मार्ग का नव निर्माण	63.00	अनारम्भ		—
3.		ऐंचोली बडावे मोटर मार्ग से ग्राम (मर्सोली) मोटर मार्ग का निर्माण	25.20	अनारम्भ		—
4.		नैनी सैनी कुम्हार से कनारी मोटर मार्ग के अवशेष भाग का कि0मी0 2 से 5 तक विस्तार	37.80	अनारम्भ		—

1	2	3	4	5	6	7
5.	2011–2012	नैनी सैनी जाजर देवल मोटर मार्ग से ग्राम खूनी तक मोटर मार्ग का निर्माण	25.20	अनारम्भ		—
6.		बडावे से उण्डाणा फुसरखाली गौदागैर एंव खर्कगैर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण	25.20	अनारम्भ		—
7.		बाजाकोट से बोरागौंव मोटर मार्ग का नव निर्माण	12.60	अनारम्भ		—
8.		अडकिनी से जलतुरी मोटर मार्ग के पिथौरागढ की प्रथम चरण का कार्य	31.50	अनारम्भ		—
9.		जनपद पिथौरागढ के विधानसभा पिथौरागढ में कैलाश आश्रम से सुवाकोट मोटर मार्ग का नव निर्माण	64.51	अनारम्भ		—
10.		वड्डा क्वीतड मोटर मार्ग से अदूरखोला मिसिंग लिंक मोटर मार्ग निर्माण कार्य प्रथम चरण का कार्य	25.20	अनारम्भ		—
	योग :—		360.61			

विधानसभा के तृतीय सत्र, 2012 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित श्री मयूख महर, मा0 सदस्य, विधानसभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0–79 का संलग्नक

एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत 2002–2012 तक स्वीकृत कार्य (कुल कार्यों की सं0 16)

क्र0 सं0	वर्ष	एस0सी0पी0 के स्वीकृत मोटर मार्ग	लागत (₹ लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	भारी वाहनों का संचालन
1	2	3	4	5	6	7
1.	2002–2003					
2.	2003–2004	बड़ाबे से अम्बेडकर ग्राम सिलिंगिया चिनगरी सल्ला–सेल से पवेश्वर मोटर मार्ग	208.50	12/2009	कार्य प्रगति पर	हां
	योग		208.50			
1.	2004–2005	मड़ियाल बैण्ड से उमरतोला मो0 मार्ग	208.00	1/2006	6/2010 कार्य पूर्ण	हां
2.	योग		208.00			
1.	2005–2006	बड़ारी से काटेबोरा होतु हुये सोनकोट तक मोटर मार्ग का निर्माण	178.00	3/2007	6.00 कि0मी0 में 03/2010 में कार्य पूर्ण तथा 4.00 कि0मी0 (7.00 से 10.00) मे सैद्धान्तिक स्वीकृत प्राप्त एव विधिवत स्वीकृति अपेक्षित है	6.00 कि0मी0 तक भारी वाहन
2.		जी0आई0सी0 सुकोली मो0 मार्ग के कि0मी0 2 से ग्राम डुण्डाखोला तक मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं नव निर्माण	177.60	मार्ग निरस्त होना है, दोहरी स्वीकृति प्राप्त है		–
3.		जोंखा मेलडुगरी मो0 मार्ग का विस्तार	445.00	15.11.2011		–
4.		बड़डा क्वीतड़ मो0 मार्ग के कि0मी0 आड़ूखोला तक मोटर मार्ग	53.40	1/2010	3/2011 कार्य पूर्ण	हां
5.		जी0आई0सी0 सुकोली डुगरीरावल मोटर मार्ग का नव निर्माण	213.60	23.06.2011	कार्य प्रगति पर	–

1	2	3	4	5	6	7
6.	2005–2006	नैनीसैनी कुन्डार मो0 मार्ग से कनारी गाँव होते हुये अम्बेडकर ग्राम सौडलेख तक मो0 मार्ग	09.00	24.06.2010	कार्य प्रगति पर	—
7.		ऐंचोली मैना मोटर मार्ग का निर्माण	53.00	अनारम्भ		—
8.		एस0सी0पी0 के अन्तर्गत मटियाल बैण्ड से छगरतोला मो0 मार्ग का विस्तार	17.00	28.09.2012	कार्य प्रगति पर	नहीं
9.		बड़ाबे से सिलिंगिया मार्ग का विस्तार	53.40	24.09.2010	कार्य प्रगति पर	—
10.		जांख सावलगां धरासी बगेला रामेश्वर मो0 मार्ग का नव निर्माण	267.00	22.02.2012	कार्य प्रगति पर	—
11.		एस0सी0पी0 के अन्तर्गत सातसिलिंग थल मोटर मार्ग के कि0मी0 10 से मैकोटिया तक सम्पर्क मार्ग	35.60	25.05.2010	कार्य पूर्ण दिनांक 06–11–2011	हां
12.		पिथौरागढ़ जांख मेलडुंगरी मो0 मार्ग का पुनः निर्माण	101.50	11/2006	12/2010 कार्य पूर्ण	हां
	योग :–		1684.90			
1.	2006–2007	एस0सी0पी0 के अन्तर्गत अड़खोली से खितलकोटा तक मोटर मार्ग का सुधार	193.66	22.09.2006	07.06.2011 कार्य पूर्ण	हां
	योग :–		193.66			
	2007–2008	– शून्य –				—
	2008–2009	– शून्य –				—
1.	2009–2010	अटल आदर्श योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के पाण्डे नगीना से सटगल मो0 मा0 नवनिर्माण	183.75			—
	योग		183.75			
	2010–2011	– शून्य –				
	2011–2012	– शून्य –				

विधानसभा के तृतीय सत्र, 2012 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित श्री मयूख महर, मा0 सदस्य, विधानसभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0–79 का संलग्नक

एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत 2002–2012 तक स्वीकृत कार्य (कुल कार्यों की सं0 :–14)

क्र0 सं0	वर्ष	राज्य योजना के स्वीकृत मोटर मार्ग	लागत (₹ लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	भारी वाहनों का संचालन
1	2	3	4	5	6	7
1.	2002–2003	चण्डाक बांस मो0 मार्ग 14 का सुधारीकरण	9.10	01.01.2003	कार्य पूर्ण	हां
2.		थरकोट विषाण मोटर मार्ग का कुवा तक विस्तार (प्रथम चरण)	4.10		कार्य पूर्ण	
3.		चण्डाक धारी मोटर मार्ग (प्रथम चरण)	4.10	अनारम्भ	कार्य पूर्ण	–
4.		सेडा कुमैयाचौड मोटर मार्ग	4.10		कार्य पूर्ण	हां
5.		बड्डा लेलू गिरिंग लिंग मोटर मार्ग	4.10		कार्य पूर्ण	हां
6.		ऐंचोली से सडकिनी मोटर मार्ग (प्रथम चरण)	4.10		कार्य पूर्ण	हां
7.		सितोली भरगुनी सनकटिया मोटर मार्ग (प्रथम चरण)	4.10	पी0एम0जी0एस0वाई0 को		–
8.		कुशोरी बैण्ड से सितोनी मोटर मार्ग का विस्तार (प्रथम चरण)	4.10		कार्य पूर्ण	हां
9.		गुरना तोली मोटर मार्ग 2 मे दीवार का निर्माण	2.00		कार्य पूर्ण	हां
10.		ऐंचोली बडावे मो0 मार्ग का छुटा हुआ अवशेष भाग अतिरिक्त धनराशि	0.50		कार्य पूर्ण	हां
11.		स्टेडियम से रा0इ0का0 पिथौरागढ लिंक मार्ग	2.15		प्रगति पर	हां
12.		सिलडुकरी विवेकानन्द विद्यालय मार्ग का पुनः निर्माण	7.65		कार्य पूर्ण	हां
13.		सितोली भुरमुनी मोटर मार्ग अतिरिक्त धनराशि	2.50		कार्य पूर्ण	हां
	योग :–		54.20			
1.	2003–2004	छेडा–छाना मोटर मार्ग का निर्माण	14.40		मार्ग निरस्त	–
2.		बड्डा क्वीतड मो0 मार्ग का कि0मी0 17 व 18 में मोडो का सुधार कार्य	2.00		कार्य पूर्ण	हाँ

1	2	3	4	5	6	7
2.	2003–2004	बड़डा क्वीतड मो0 मार्ग का कि0मी0 17 व 18 में मोड़ो का सुधार कार्य	2.00		कार्य पूर्ण	हाँ
3.		कुसैरी बैण्ड से सिलोनी मोटर मार्ग 3 के एच0पी0 बैण्ड का सुधार	2.00		कार्य पूर्ण	हाँ
4.		सातसिलिंग गाधर भूजगाँव ह0वा0 मार्ग का अवशेष कार्य	3.50		कार्य पूर्ण	हाँ
	योग :–		21.90			
	2004–2005	– शून्य –				
1.	2005–2006	सुकोली चमाली मोटर मार्ग	17.8			–
2.		सिमलकोट से खतेड़ा तक मोटर मार्ग	17.8	7/2009	07.12.2011 पूर्ण	हाँ
3.		थरकोट विषाण मो0 मार्ग का पुन. निर्माण एव सुधार	10.72		कार्य पूर्ण	हाँ
4.		सातसिलिंग गाधर भूजगाँव मो0 मार्ग का मरम्मत कार्य	2.69		कार्य पूर्ण	–
	योग :–		49.01			
1.	2006–2007	सातसिलिंग गाधर भूजगाँव मो0 मार्ग का विस्तार	8.55	2/2006	कार्य पूर्ण 3/08	हाँ
2.		बड़डा से क्वीतड मो0 मार्ग का सुधारीकरण कार्य	12.00	12/2006	कार्य पूर्ण 10/2007	हाँ
	योग :–		20.55			
	2007–2008	– शून्य –				

1	2	3	4	5	6	7
1.	2008–2009	विवेकानन्द विद्यामंदिर ह0वा0 मार्ग में रिटेनिंग वाल/ब्रेस्टवाल निर्माण	14.00		कार्य पूर्ण	हॉ
2.		कामाख्या देवी मंदिर मो0 मार्ग का विस्तार व अवशेष कार्य	10.00	25.04.2010	24.10.2011 कार्य पूर्ण	हॉ
	योग :–		24.00			
1.	2009–2010	बॉस ऑवलाघाट मोटर मार्ग के कि0मी0 24 से शहीद किशन सिंह के गॉव जजुराजी दुमेद मो0 मा0 का निर्माण कार्य	36.75		कार्य प्रगति पर	–
	योग :–		36.75			
1.	2010–2011	वड़डा लेलू मोटर मार्ग का विस्तार	18.00		कार्य प्रगति पर	–
2.		टनकपुर मार्ग से थरकोट मार्ग का निर्माण	23.00	7/2011	कार्य प्रगति पर	–
3.		आई0वी0 बैण्ड से लक्ष्मी नारायण मन्दिर तक मोटर मार्ग	2.50	–	–	हॉ
4.		पिथौरागढ झूलाघाट मोटर मार्ग डेयरी के निकट से लम्पाटा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण	5.00	–	–	हॉ
5.		मर्साेलीभाट रिखाई मोटर मार्ग से आनू तक मोटर मार्ग	3.00	–	–	–
6.	योग :–		51.50			
1.	2011–2012	टकाना ईदगाह रास्ते से टकाना कॉलोनी तक मोटर मार्ग	5.00	अनारम्भ		–
2.		डुण्ड खोला से रावलगॉव सिमडा लिंक मार्ग	8.00	अनारम्भ		–

1	2	3	4	5	6	7
3.		पण्डा में नौलाधार से पण्डा तक सड़क मार्ग	5.00	अनारम्भ		—
4.		धारचूला रोड से नेड़ा तक 1 कि0मी0 मो0 मा0 निर्माण	6.00	अनारम्भ		—
5.		बालाकोट में खोरसिंग से बोरागॉव तक मोटर मार्ग	4.70	अनारम्भ		—
6.		काचुलीगाड (धरकोट) से लाटा मंदिर तक मो0 मा0	5.00	अनारम्भ		—
7.		पाण्डे गॉव पुल से बजेटी होते हुये सेलन तक मो0 मा0	0.20	अनारम्भ		—
8.		दौला से देवतोला तक मोटर मार्ग	0.10	अनारम्भ		—
9.		महादेव से ऐचोंली तक मोटर मार्ग	0.20	अनारम्भ		—
10.		महादेव विषाण से गणकोट मो0 मा0 का निर्माण कार्य	0.30	अनारम्भ		—
11.		चिमतोली से मझेड़ा मो0 मा0 का निर्माण	0.30	अनारम्भ		—
12.		सिपाला से कुम्मैयाचौड तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण	6.00	अनारम्भ		—
13.		जाख मेजड्गरी मो0 मा0 के कि0 मी0 7 का पी0सी0 द्वारा नवीनीकरण कार्य	8.00	अनारम्भ		—
	योग :—		48.80	अनारम्भ		—

विधानसभा के तृतीय सत्र, 2012 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित श्री मयूख महर, मा0 सदस्य, विधानसभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0–79 का संलग्नक

पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य (कुल कार्यों की सं0 9)

क्र0 सं0	मोटर मार्ग का नाम	फेज	स्वीकृत लम्बाई (कि0मी0 में)	स्वीकृत लागत (₹ लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	टिप्पणी
1.	गुरना–गोगिना	II	4.000	105.93	कार्य UIDP द्वारा कराया गया	–	मार्ग भारी वाहन हेतु उपलब्ध
2.	घोंडा–छाना–गुरगुनी	V	4.35	170.03	08.04.11	कार्य प्रगति पर	–
3.	कफलडुंगरी–वासते	V	5.00	129.63	20.05.09	31.01.10	मार्ग भारी वाहन हेतु उपलब्ध
4.	गोगिना (चुपकोट बैण्ड) से जगथाड़ी	VI	9.25	297.79	23.05.09	20.02.11	मार्ग भारी वाहन हेतु उपलब्ध
5.	बिण–बैंसर	VI	2.00	29.90	21.09.10	31.03.11	मार्ग भारी वाहन हेतु उपलब्ध
6.	बजेटी–गौण	VII	4.00	134.23	20.02.10	31.08.11	मार्ग भारी वाहन हेतु उपलब्ध
7.	सुवालेख–सोडी–गाली–झूणी	VII	13.00	511.19	19.02.11	कार्य प्रगति पर	कार्य पूर्ण होने की लक्षित तिथि 31.03.13
8.	घोंडा–आगर	VII	4.00	149.94	–	–	वन भूमि की विधिवत स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण बाधित
9.	चण्डाक–बगाली	VII	22.500	960.06	–	–	वन भूमि की विधिवत स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण बाधित

ए0डी0बी0 सहायतित के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य

क्र0 सं0	मोटर मार्ग का नाम	फेज	स्वीकृत लम्बाई (कि0मी0 में)	स्वीकृत लागत (₹ लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	टिप्पणी
1.	चण्डाक–बांस मोटर मार्ग	III	13.43	998.99	–	–	इन 02 मार्गों की निविदा दि0 27.11.2012 को खोली जा चुकी है। मूल्यांकन किया जा रहा है
2.	बांस–आंवला घाट	III	8.64	608.15	–	–	

तालिका 'अ'

देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 90 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 170 पर

वन्य जीवों द्वारा जनहानि की घटनाओं का विवरण

वर्ष 2009–10

क्र0 सं0	प्रभावित व्यक्ति का नाम / पता	क्षतिपूर्ति का प्रकार	देय अनुग्रह धनराशि (₹ में)	भुगतान की गयी धनराशि (₹ में)
1	2	3	4	5
1.	श्रीमती पार्वती देवी पत्नी श्री हरीश चन्द्र कोरगा, ग्राम–मंगू, पो0–कपकोट, जिला–बागेश्वर	गुलदार द्वारा घायल	15,000	15,000
2.	श्री पदम सिंह पुत्र श्री रामसिंह, ग्राम ढकुरा, पो0–गागरीगोल, जिला–बागेश्वर	गुलदार द्वारा घायल	15,000	15,000
3.	श्री नरेश कुमार पुत्र श्री शेखर जोन, ग्राम–भगरतोला, पो0 गरूड़, जिला–बागेश्वर	भालू द्वारा घायल	15,000	15,000
4.	श्री सुन्दरलाल पुत्र श्री नन्दर राम, ग्राम–भगरतोला, पो0–गरूड़, जिला–बागेश्वर	भालू द्वारा घायल	15,000	15,000
5.	श्रीमती आनन्दी देवी पत्नी स्व0 शेरराम, ग्राम–पंचन, पो0–बैजनाथ, जिलाम–बागेश्वर	गुलदार द्वारा घायल	15,000	15,000
6.	श्रीमती चम्पा देवी पत्नी श्री पान सिंह, ग्राम–करगारी, पो0 गागरीगोल, जिला–बागेश्वर	गुलदार द्वारा घायल	15,000	15,000

वर्ष 2010—11

क्र0 सं0	प्रमाणित व्यक्ति का नाम / पता	क्षतिपूर्ति का प्रकार	देय अनुग्रह धनराशि (₹ मे)	भुगतान की गयी धनराशि (₹ मे)
1	2	3	4	5
1.	श्री जमन सिंह पुत्र श्री भगवत सिंह, ग्राम—बडैत, पो0 नाकुरी, जिला—बागेश्वर	सुअर द्वारा घायल	15,000	15,000
2.	श्री धामसिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, ग्राम—बागम, पो0—स्यामी, जिला—बागेश्वर	भालू द्वारा घायल	15,000	15,000
3.	श्री प्रमोद सिंह पुत्र भगवत सिंह, ग्राम—बडैत, पो0—नाकुरी, जिला—बागेश्वर	सुअर द्वारा घायल	15,000	15,000
4.	श्री जितेन्द्र सिंह रावत पुत्र श्री धामसिंह रावत, ग्राम—मजकोट, पो0—रतिशेरा, जिला—बागेश्वर	भालू द्वारा घायल	15,000	15,000
5.	श्रीमती राधा गोस्वामी पत्नी श्री धनगिरी, ग्राम—रगुनीगॉव, पो0 रानैती, जिला—बागेश्वर	सुअर द्वारा घायल	15,000	15,000
6.	श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी गणेशराम टम्टा, ग्राम—मन्यूडा, पो0—गागरीगोल, जिला—बागेश्वर	सुअर द्वारा घायल	15,000	15,000
7.	श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी श्री लालसिंह कोरंगा, ग्राम—जुनेर, पो0 लाथी, जिला—बागेश्वर	सुअर द्वारा घायल	15,000	15,000
8.	श्रीमती हेमादेवी पत्नी दिनेश राम, ग्राम गोलिगागॉव, पो0—होराली, जिला—बागेश्वर	सुअर द्वारा घायल	15,000	15,000
9.	श्री केवल राम पुत्र श्री हरिराम, ग्राम—मोलेधार, पो0—लौबाज, जिला—बागेश्वर	भालू द्वारा घायल	15,000	15,000

वर्ष 2011–12

क्र0 सं0	प्रभावित व्यक्ति का नाम/पता	क्षतिपूर्ति का प्रकार	देय अनुग्रह धनराशि (₹ में)	भुगतान की गयी धनराशि (₹ में)
1	2	3	4	5
1.	श्रीमती हेमाजोशी पुत्री लीलाधर जोशी, ग्राम–सेमरखोल शौकियाथल, पो0–देवलविचराल, जिला–बागेश्वर	गुलदार द्वारा घायल	15,000	15,000
2.	श्री दान सिंह पुत्र हरक सिंह, ग्राम–जोना स्टेट, पो0–मैगड़ीस्टेट, जिला–बागेश्वर	भालू द्वारा घायल	15,000	15,000
3.	श्री विजय सिंह पुत्र सुजान सिंह, ग्राम–जोना स्टेट, पो0–मैगड़ी, जिला–बागेश्वर	सुअर द्वारा घायल	15,000	15,000
4.	श्री लीला देवी पत्नी खीम सिंह, ग्राम मल्यानी, पो0–रीतिसेरा, जिला–बागेश्वर	गुलदार द्वारा घायल	15,000	15,000
5.	श्री ललित प्रसाद पुत्र हीरावल्लभ, ग्राम–धौना, पो0–लखनी, जिला–बागेश्वर	गुलदार द्वारा घायल	15,000	15,000
6.	श्री रमेश राम पुत्र जोगाराम, ग्राम डाळकोट, पो0–दोफाड़, जिला–बागेश्वर	गुलदार द्वारा घायल	15,000	15,000
7.	श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी भूपाल सिंह, ग्राम रिममोली, पो0–नमडथल, जिला–बागेश्वर	गुलदार द्वारा घायल	15,000	15,000
8.	श्री मनीष सिंह रावत पुत्र पूरन सिंह रावत, ग्राम नैल, पो0 भटोली, जिला–बागेश्वर	गुलदार द्वारा घायल	15,000	15,000
9.	श्रीमती भागरथी देवी पत्नी आनन्द राम, ग्राम–ढाणा, पो0–नरगोली, जिला–बागेश्वर	गुलदार द्वारा घायल	15,000	अभी भुगतान नही हुआ है
10.	श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी आनन्द सिंह, ग्राम–मैसोडी, पो0–कपूरी, जिला–बागेश्वर	गुलदार द्वारा घायल	15,000	अभी भुगतान नही हुआ है

नत्थी 'त'

देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 94 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 175 पर

कैम्पा निधि से जनपदवार आवंटित/अवमुक्त धनराशि का वर्षवार विवरण (संलग्नक–1)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	प्रभाग का नाम	वित्तीय वर्ष 2010–11 (₹ लाख में)	वित्तीय वर्ष 2011–12 (₹ लाख में)	वित्तीय वर्ष 2012–13 (₹ लाख में)	योग (₹ लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	देहरादून	देहरादून	300.69	303.52	370.71	974.92
2.		चकराता	94.68	107.03	68.04	271.35
3.		भू0सं0 कालसी	64.62	157.22	12.50	234.34
4.		मसूरी	117.63	197.42	35.64	350.68
5.		राजाजी रा0पा0	223.52	293.30	171.77	688.60
		योग	**801.15**	**1059.30**	**659.46**	**2519.90**
1.	हरिद्वार	हरिद्वार	122.63	90.27	34.74	247.63
1.	टिहरी	टिहरी	68.49	139.37	38.31	246.16
2.		नरेन्द्रनगर	119.46	178.58	6.76	304.80
3.		टिहरी डैम–1	34.70	46.34	9.57	90.61
		योग	**222.64**	**364.29**	**54.64**	**641.57**
1.	उत्तरकाशी	उत्तरकाशी	155.40	214.95	44.43	414.78
2.		भू0सं0 उत्तरकाशी	28068	67.01	4.16	100.65
3.		टिहरी डैम–2	16.61	71.23	10.16	98.00
4.		गंगोत्री रा0 पार्क	52.15	54.15		106.30
5.		गोविन्द व0जी0वि0	95.72	64.30	48.68	208.70
6.		अपर यमुना बड़कोट	84.25	85.61	8.19	178.05
7.		टौन्स	54.40	73.17	1.60	129.16
योग			**487.21**	**631.22**	**117.22**	**1235.65**
1.	चमोली	भू0सं0 अलकनन्दा	124.42	227.33	16.57	368.32
2.		केदारनाथ	59.40	192.48	11.35	263.23
3.		बद्रीनाथ	87.27	169.79	37.46	294.52
4.		नन्दादेवी रा0 पार्क	43.09	203.31	14.00	260.40
		योग	**314.18**	**792.90**	**79.38**	**1186.46**
1.	पौड़ी	गढ़वाल	86.91	208.91	19.73	315.55
2.		भू0सं0 पौड़ी	92.08	160.26	52.70	305.04
3.		कालागढ़ टा0रि0	103.09	134.44	12.31	250.64
4.		लैंसडौन	152.58	101.40	10.78	264.76
5.		भू0सं0 लैंसडौन	80.02	203.18	28.58	311.78
		योग	**515.48**	**808.19**	**124.10**	**1447.77**
1.	रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	80.61	240.12	22.90	343.63
1.	बागेश्वर	बागेश्वर	145.79	211.28	1.85	358.92

1	2	3	4	5	6	7
1.	नैनीताल	नैनीताल	227.48	227.73	30.59	485.80
2.		हल्द्वानी	38.67	51.92	3.50	94.09
3.		भू0सं0 नैनीताल	94.21	69.34	14.85	178.40
4.		तराई पश्चिमी	52.31	37.90	43.20	133.42
5.		तराई पूर्वी	49.27	140.84	9.00	199.14
6.		तराई केन्द्रीय	60.61	62.43	18.21	141.25
7.		रामनगर	38.69	88.66	20.60	147.95
8.		कार्बेट टा0रि0	264.56	315.93	44.00	624.50
9.		भू0सं0 रामनगर	56.93	113.60	28.00	198.53
10.		वन वर्द्धनिक शाल	31.48	9.36	20.90	61.74
11.		वन वर्द्धनिक पर्वतीय	28.79	28.80	5.00	62.59
		योग	943.02	1146.55	237.85	2327.42
1.	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	65.52	262.79	18.56	346.87
2.		भू0सं0 अल्मोड़ा	187.63	220.11	35.93	443.67
3.		भू0सं0 रानीखेत	72.35	104.92	36.68	213.95
		योग	**325.50**	**587.81**	**91.17**	**1004.48**
1.	पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	275.09	370.29	23.69	669.08
1.	चम्पावत	चम्पावत	109.43	191.05	46.50	346.98
		कुल योग	4342.72	6493.25	1493.50	12329.47

नत्थी 'श'

देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 94 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 175 पर

उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

वार्षिक कार्ययोजनावार (APO) उपलब्धि का तुलनात्मक विवरण

प्रभाग का नाम बागेश्वर वन प्रभाग (धनराशि ₹ लाख में)

कार्यमद . इकाई/इकाई दर (₹ में)		APO वर्ष 2010–2011		APO वर्ष 2011–2012			
		भौ0	वि0	भौ0	वि0	भौ0	वि0
1	2	3	4	5	6	7	8
1.a.1.1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन . है0/50.00	2,530.90	1.43			2,530.90	1.43
1.a.1.2	सीमा स्तम्भों का नव निर्माण . नं0 /2000.00	140.00	4.20			140.00	4.20
1.a.1.3	सीमा स्तम्भों की मरम्मत व मध्यवर्ती सीमा स्तम्भों की स्थापना . नं0/1000.00	245.00	2.45			245.00	2.45
1.a.1.4	बीट एवं अन्य मानचित्रों का प्रकाशन . ल0सं0	2.00	0.15			2.00	0.15
1.a.1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन (योग)		8.23				8.23
1.a.2.2	रात्रि स्तर पर भाड़े पर लिये गये वाहन . प्रति वाहन/माह/25000	8.00	2.11	6.00	0.50	14.00	2.61
1.a.2.4	अग्नि सुरक्षा गतिविधियां एवं फॉयर वाचर . नं0/ल0सं0	75.00	3.00	0.00	1.00	75.00	4.00
1.a.2	वनाग्नि की रोकथाम व प्रबन्ध तथा चिरस्थायी वन प्रबन्धन (योग)		5.11		1.50		6.61
1.a.4.3	पैट्रोल, ऑयल व ल्यूब्रिकेन्ट (पी0ओ0एल0) . वाहन संख्या/ल0सं0	0.00	0.78	0.00	2.00	0.00	2.78
1.a.4.7	कर्मचारियों का प्रशिक्षण . संख्या/ल0सं0	1.00	0.32			1.00	0.32

1	2	3	4	5	6	7	8
1.a.4.8	प्रवर्तन को प्रभावी बनाने हेतु उच्च तकनीकी उपकरणों का प्रयोग - संख्या/ज0सं0	6.00	0.79			6.00	0.79
1.a.4	वन सुरक्षा उच्चीकरण (योग)		1.89		2.00		3.89
1.a.6.1	वन आरक्षी/वन दरोगा/चौकीदार/माली हेतु चौकी/आवास का निर्माण - नं0/600000	3.00	14.53	2.00	10.00	5.00	24.53
1.a.6.2	भवनों का जीर्णोद्धार - नं0 /200000	1.00	2.00	5.00	5.47	6.00	7.47
1.a.6	भवनों का निर्माण/रख-रखाव (योग)		16.53		15.47		32.00
1.a.8.1	माली/चौकीदार का प्रशिक्षण - प्रति व्यक्ति/3000	0.00	0.06			0.00	0.06
1.a.8.6	राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोजर विजिट - प्रति व्यक्ति/10000	0.00	0.12			0.00	0.12
1.a.8	कौशल विकास/प्रशिक्षण (योग)		0.18				0.18
1.a.	वन सुरक्षा, अवसरचना एवं मानव संसाधन विकास (कुल योग)		31.94		18.96		50.90
1.b.1.1	इनवेसिव (आक्रमक) प्रजातियों का प्रबन्ध (कुरी, गाजर घास आदि) तथा उपयुक्त प्रजातियों द्वारा प्रतिस्थापन (बांस, नेपियर, घास आदि) प्रथम वर्ष - है0/5000	141.22	7.11			141.22	7.11
1.b.1.2	इनवेसिव (आक्रमक) प्रजातियों का प्रबन्ध (कुरी, गाजर घास आदि) तथा उपयुक्त प्रजातियों द्वारा प्रतिस्थापन (बांस, नेपियर, घास आदि) द्वितीय वर्ष - है0/2000			84.50	1.71	84.50	1.71
1.b.1.4	जैव विविधता संरक्षण केन्द्र/जैव विविधता परिषद् का विकास - संख्या/ज0सं0		1.12			0.00	1.12
1.b.1.6	जलस्रोतों/जल रिसावों का रख-रखाव - संख्या/50000	0.00	0.53			0.00	0.53

1	2	3	4	5	6	7	8
1.b.1	वन्य जीव प्रबन्ध का सशक्तिकरण (योग)		8.76		1.71		10.47
1.b.3.3	मानव–पशु संघर्ष की घटना को रोकने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में उत्तरदायी दल का रखा जाना . टीमों की संख्या/ल0सं0			0.00	0.40	0.00	0.40
1.b.3.8a	संवेदनशील वन प्रभागों के प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुग्रह राशि का भुगतान (मानव क्षति के मामले) मामलों की सख्या/ल0सं0		3.73	1.00	0.41	1.00	4.14
1.b.3	मानव–वन्य जीव संघर्ष का प्रबन्ध (योग)		3.73		0.81		4.54
1.b.4.1	शल्यक्रिया सहित वन्यजीवों का चिकित्सा उपचार . संख्या/ल0सं0	0.00	0.21			0.00	0.21
1.b.4	वन्य प्राणियों का चिकित्सकीय उपचार एवं शव परीक्षा पर व्यय (योग)		0.21				0.21
1.b.5.1	वन्यजीवों की गणना पर व्यय . जीवों की संख्या/ल0सं0	0.00	0.42			0.00	0.42
1.b.5	वन्यजीवों की गणना पर व्यय (योग)		0.42				0.42
1.b.	वन्य जीव प्रबन्ध का सशक्तिकरण (कुल योग)		13.11		2.52		15.63
1.c.1.1	मृदा और जल सरक्षण . सख्या/ल0सं0		1.11			0.00	1.11
1.c.1	मृदा एव जल सरक्षण (योग)		1.11				1.11
1.c.2.1	जलश्रोतों का पुनर्जीवीकरण तथा जलश्रोतों के केन्द्रों की स्थापना . सख्या/ल0सं0			0.00	4.52	0.00	4.52
1.c.2	जलश्रोतो का पुर्नजीवीकरण तथा जलश्रोतों के पुर्नजीवीकरण हेतु जल केन्द्रोंकी स्थापना (योग)				4.52		4.52
1.c.3.4	थोक पौधों की उगाने का कार्य (Nursery) . सख्या/3	200,000.00	5072	164,000.00	3.68	364,000.00	9.40

1	2	3	4	5	6	7	8
1.c.3	ओक प्रजाति के वृक्षारोपण द्वारा जलागमों को समृद्ध करना (योग)		5.72		3.68		9.40
1.c.4.1	अग्रिम मृदा कार्य (देवदार वृक्षारोपण) - है0/17000	6.00	1.00			6.00	1.00
1.c.4.2	वृक्षारोपण (देवदार वृक्षारोपण) - है0/12000			6.00	0.66	6.00	0.66
1.c.4.4	देवदार पौधों को उगाने का कार्य (Nursery) : संख्या/3	9,666.00	0.29	19,966.00	0.60	29,632.00	0.89
1.c.4	देवदार प्रजाति के वृक्षारोपण द्वारा जलागमों को समृद्ध करना (योग)		1.29		1.26		2.55
1.c.	मृदा एवं जल संरक्षण (कुल योग)		8.12		9.46		17.58
1.d.1.1	वन पंचायतों हेतु पौधालय का विकास एवं मरम्मत : संख्या/4	20,000.00	0.81			20,000.00	0.81
1.d.1	पौधालय का विकास (वानिकी एवं फलोद्यान प्रजातियां) स्थानीय प्रजातियां जैसे बांज, हरीज, मोरू, किंगुर, काफल आदि का वितरण (योग)		0.81				0.81
1.d.10.	इनवेसिव (आक्रामक) प्रजातियों का प्रबन्ध (कुरी, गाजर घास आदि) तथा उपयुक्त प्रजातियों द्वारा प्रतिस्थापन (बांस, नेपियर घास आदि) प्रथम वर्ष - है0/5000	37.00	1.70			37.00	1.70
1.d.10	इनवेसिव (आक्रामक) प्रजातियों का प्रबन्धन (योग)		1.70				1.70

1	2	3	4	5	6	7	8
1.d.11.1	अग्नि सुरक्षा हेतु वन पंचायत प्रहरी का मानदेय (अग्निकाल में 4 माह हेतु) प्रति माह/प्रति वन पंचायत/2000	32.00	2.56	28.00	2.24	60.00	4.80
1.d.11	वन पंचायतों की अग्नि से सुरक्षा (योग)		2.56		2.24		4.80
1.d.12.1	अभिलेखो एवं लेखा के रख–रखाव हेतु वन पचायत सहायक (₹ 500 प्रतिमाह वन पंचायत निधि द्वारा दिया जायेगा) . प्रति व्यक्ति/प्रति माह/1000	252.00	2.52	49.00	3.00	301.00	5.52
1.d.12	रणनीति नियोजन एवं वन पंचायतों का सुदृढीकरण (योग)		2.52		3.00		5.52
1.d.15.1	वन पंचायत में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य . सख्या/25000	20.00	5.00			20.00	5.00
1.d.15.13	अग्नि सुरक्षा हेतु वन पंचायत प्रहरी का मानदेय : महिनों की सख्या/2000			340.00	6.80	340.00	6.80
1.d.15.2	अग्रिम मृदा कार्य (ASW)/चारागाह विकास कार्य कार्य . है0/10500	22.00	3.30	87.00	13.80	109.00	17.10
1.d.15.5	पौध उगान . संख्या/3	5,000.00	0.15	40,000.00	1.20	45,000.00	1.35
1.d.15	अटल आदर्श ग्राम योजना (योग)		8.45		21.80		30.25
1.d.2.2	वृक्षारोपण–वन पंचायत . है0/12000	21.00	5.23	80.00	20.00	101.00	25.23
1.d.2.4	अग्रिम मृदा कार्य/चारागाह विकास . है0/10500	92.00	13.80	100.00	15.00	192.00	28.80
1.d.2.7	सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन (ए0एन0आर0) : है0/4000	18.50	0.74	135.00	5.40	153.50	6.14

1	2	3	4	5	6	7	8
1.d.2.8	अन्य विविध कार्य - है0 / 4000	40.00	1.60			40.00	1.60
1.d.2	वन पंचायतों का सुदृढ़ीकरण (योग)		21.37		40.40		61.77
1.d.3.1	प्राथमिक स्तर पर 3 से 5 दिन का प्रशिक्षण– अभिलेखों का रख–रखाव, रोकड़, बही, वाउचर (वन संरक्षण एवं प्रबन्धन सहित) - प्रतिभागी / 2300			1.00	0.24	1.00	0.24
1.d.3.3	तकनीकी एवं विशेष प्रशिक्षण–आय वृद्धि हेतु क्रियाकलाप पौधालय तकनीकी, औषधीय पौधे की वृद्धि रोजगार परक प्रशिक्षण, ग्राम स्तर पर मशरूम उत्पादन, मौन उत्पादन, कृत्रिम खाद, जैव गैस इत्यादि - प्रतिभागी / 2300			36.00	0.86	36.00	0.86
1.d.3	कार्यशाला एवं प्रशिक्षण (योग)				1.75		1.75
1.d.4.1	माइक्रोप्लॉन तैयार करना - प्रति वन पंचायत / 6000			40.00	1.25	40.00	1.25
1.d.4	सूक्ष्म योजना तैयार करना (योग)				1.25		1.25
1.d.6.2	सार्वजनिक सूचना एव जागृति के लिए बोर्ड आदि - संख्या / 1500			0.00	1.12	0.00	1.12
1.d.6	प्रचार–प्रसार एवं जागृति / एक्सपोजर विजिट भूमि संरक्षण सेलाकुई, पन्तनगर विश्वविद्यालय, जलागम क्षेत्र आदि (योग)				1.12		1.12
1.d.7.1	सर्वेक्षण एव सीमांकन - है0 / 50	182.00	0.18			182.00	0.18
1.d.7.2	सीमा स्तम्भ - है0 / 2000	197.00	3.78	50.00	2.00	247.00	5.78
1.d.7	वन पंचायतों का सर्वेक्षण एवं सीमांकन (योग)		3.96		2.00		5.96

अंक 03 10 दिसम्बर, 2012 ई0 225

1	2	3	4	5	6	7	8
1.d.8.1	जल संग्रहण हेतु/सामुदायिक टैंक/चेरी (पशु पेयजल हेतु) इत्यादि - संख्या/25000	11.00	2.78			11.00	2.78
1.d.8	भूमि एवं जल संरक्षण (योग)		2.78				2.78
1.d.9.1	आजीविका सहायक गतिविधियों के लिए सामुदायिक स्तर पर प्रदर्शन - प्रति वन पंचायत/ला0सं0	0.00	7.85			0.00	7.85
1.d.9	आजीविका सहायक गतिविधियां कार्य (योग)		7.85				7.85
1.d.	वन पंचायतों का सुदृढ़ीकरण (कुल योग)		52.00		73.56		125.56
1.e.2.4	वन विभाग की सम्पत्तियो के साइनबोर्ड का विकास - संख्या/ला0सं0	0.00	9.00			0.00	9.00
1.e.2	अन्य गतिविधियां (योग)		9.00				9.00
1.e.4.6	अन्य गतिविधियां - ल0 स0			7.00	3.63	7.00	3.63
1.e.4	मुख्यमंत्री जड़ी-बूटी विकास योजना (योग)				3.63		3.63
1.e.5.1	राजधानी/जिला मुख्यालय की हरितिमा हेतु (अग्रिम मृदा कार्य) - पौधों की संख्या/ला0सं0	0.00	27.12			0.00	27.12
1.e.5	मुख्यमंत्री हरित विकास योजना (योग)		27.12				27.12
1.e.	अन्य गतिविधियां, अनुसंधान एवं पर्यावरणीय सेवा सहित (कुल योग)		36.12		3.63		39.76
1.g.1.1	आकस्मिक व्यय - मानकों के अनुसार %	0.00	0.50			0.00	0.50

226 10 दिसम्बर, 2012 ई0 अंक 03

1	2	3	4	5	6	7	8
1.g.1	आकस्मक व्यय		0.50				0.50
1.g.	आकस्मिक व्यय		0.50				0.50
1. वर्तमान शुद्ध मूल्य (NPV) घटक–सम्पूर्ण योग			141.79		108.14		249.93
2.a.1.1	पौधालय में पौध उगान - संख्या/3			161,326.00	4.83	161,326.00	4.83
2.a.1	पौधालय में पौध उगान (योग)				4.83		4.83
2.a.2.1	अग्रिम मृदा कार्य - है0/17000			188.95	32.56	188.95	32.56
2.a.2	अग्रिम मृदा कार्य (योग)				32.56		32.56
2.a.3.1	वृक्षारोपण - है0/12000			130.30	13.79	130.30	13.79
2.a.3	वृक्षारोपण (योग)				13.79		13.79
2.a	वनीकरण				51.18		51.18
2. क्षतिपूरक वनीकरण (CA) सम्पूर्ण योग					51.18		51.18
	महायोग	141.79			159.32	301.11	

नत्थी 'ध'

देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 97 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 179 पर

दिनांक 10.09.2012 को अल्मोड़ा म की गयी घोषणाओं का विवरण

697 / 2012 तकनीकी शिक्षा	बाड़ेछीना में पॉलीटैक्निक की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
698 / 2012 लोक निर्माण	सुयालबाड़ी नवोदय विद्यालय के समीप गार्डर पुल की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
700 / 2012 लोक निर्माण	ग्राम सूट में महारूद्रश्वर तक मोटर मार्ग की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
701 / 2012 विद्यालयी शिक्षा	राजकीय इण्टर कॉलेज, स्यूंट-धामस का नाम गोविन्द बल्लभ पंत जी के नाम पर रखा जायेगा।
702 / 2012 तकनीकी शिक्षा	आई0टी0आई0, स्यूट में नए ट्रेडो की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
703 / 2012 लोक निर्माण	विकास खण्ड, हवालबाग के पास्युडा मोअर मार्ग मे मोटर पुल का निर्माण किया जायेगा।
713 / 2012 सहकारिता	जनपद अल्मोडा एवं जनपद बागेश्वर का एक ही जिला सहकारी बैंक है, बागेश्वर जनपद में अलग से जिला सहकारी बैंक खोला जायेगा।
730 / 2012 चिकित्सा स्वास्थ्य	विकास खण्ड, ताकुला के सुदूर क्षेत्र कफड़खान मे एलोपैथिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की जायेगी।
738 / 2012 संस्कृति	अल्मोडा मे ऐतिहासिक रामलीला को संरक्षित करने हेतु कर्नाटकखोला रामलीला कमेटी को धनराशि प्रदान की जायेगी।
739 / 2012 युवा कल्याण	डॉगर, अल्मोडा के क्रीडा स्थल को मिनी स्टेडियम बनाये जाने के लिए धनराशि आवंटित की जायेगी।
747 / 2012 पेयजल	विकास खण्ड, हवालबाग के ग्राम सभा, स्यूट समूह पम्पिग पेयजल अवशेष के विस्तारीकरण की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

748/2012 लोक निर्माण	अलेड़ा–सैनार–गाण मोटर मार्ग की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
749/2012 विद्यालयी शिक्षा	विकास खण्ड, हवालबाग के खुट–धामस के मध्य राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
750/2012 लोक निर्माण	अल्मोड़ा–बेतालेश्वर–सगालीधार मोटर मार्ग के अवशेष मोटर मार्ग एवं एक पुल की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
751/2012 लोक निर्माण	विकास खण्ड, हवालबाग के कन्या हाईस्कूल, बल्टा को सह शिक्षा हेतु स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
752/2012 विद्यालयी शिक्षा	विकास खण्ड, लमगड़ा के ग्राम दौला स्थित जूनियर हाईस्कूल का उच्चीकरण किया जायेगा।
753/2012 लोक निर्माण	विकास खण्ड, हवालबाग के सुयालबाड़ी–गंगरकोट के मध्य झूला पुल का निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
754/2012 राजस्व	विकास खण्ड, मैरिंगासमाना के धौरफिना क्षेत्र में तहसील सृजित की जायेगी।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 23 विधान सभा/374–12–09–2013–200 प्रतियां (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।